Friday, 22 August, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No. 57 (1)
Acc. No. 8.12.67
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 5.1.84
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक--21-शुक्रवार, 22 अगस्त, 1969/ 31 श्रावण, 1891 (शक)

No. 24, Friday, August 22, 1969/Sravana 31, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S Q Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
691.	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति	Receipt of Foreign Money by non-official institutions	1—10
692.	कुतुब मीनार की नींव	Foundation of Qutab Minar	11 — 14
693.	केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को दिया गया यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता	T. A. and D. A. Paid to Union Ministers	14—15
694.	विशाखापटनम में निर्मित जहाजों का मल्य	Price of ships built at Visakhapatnam	15—18
695.	नागा स्वयं सेवकों द्वारा प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष आसाम-नागालैंड सीमा विवाद के सम्बन्ध में धरना देने की धमकी	Threat of Dharna in front of P. M. Residence by Naga Volunteers on Assam-Nagaland Boundary Dispute	18—20

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या
S. N. Q. N.

8.	पोर्ट ब्लेयर अन्दमान में नेताजी के जीवन संबंधी प्रदर्शनी	Exhibition on Netaji's Life at Port Blair Andamans	88—20

* किसी नाम पर अंकित + यह चिह्न इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S- Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
696.	दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अन्य स्थानीय निकायों की विकास योजनाएँ	Development plans of the Delhi Municipal corporation and other local bodies in the Union Territory of Delhi.	28
697.	19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं की जाँच	Enquiry into the incidents at Indraprastha Bhawan on 19th September, 1968	28—29
698.	आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अशांति	Tribal unrest in Andhra Pradesh	29—30
699.	हिमालय प्रदेश में अध्यापकों के वेतन–मान	Pay scales of Teachers in Himachal Pradesh.	30—31
700.	राष्ट्रीय राज–पथों के नमूने पर राष्ट्रीय जल–मार्गों का चालू किया जाना	Introduction of National Waterways on the Pattern of National Highways	31
701.	चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा नांगल सम्बन्धी पंचाट	Award on Chandigarh and Bhakra Nangal	31—32
702.	मोदी नगर में गोली कांड के बारे में प्रतिवेदन	Report on the Incident of firing in Modinagar	32
703.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना	Setting up of Research Institutions by CSIR	32—33
704.	सितम्बर, 1968 के हड़तालियों के मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त एक्टिव इंस्टीगेशन शब्द का स्पष्टीकरण	Clarification of the Active Instigation used for dealing term with strikers on September, 1968	33
705.	दिल्ली पुलिस के विरुद्ध दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार तथा कदाचार की शिकायतें	Complaints of misbehaviour corruption and Malpractice against Delhi Police	34—35

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
706. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिक वेतन और उनकी सेवा निवृत्ति की आयु	Higher Emoluments and Retirement of Supreme Court and High Court Judges	35
707. स्वायत्त शासी राज्यों तथा राज्यों की माँगों के बीच सीमा-विवादों की उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को सौंपे जाने के बारे में जनसंघ का प्रस्ताव	Jan Sangh Resolution regarding Reference of Demands for autonomous states and border disputes between States to a High Powered Comission	35—36
708. विशाल हरियाणा के लिये आन्दोलन	Agitation for vishal Haryana	36
709. इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा अधिक एच० एस० 748 विमानों की खरीद	Purchase of more HS 748 planes by IAC	36—37
710. बेरोजगार इंजीनियर, वैज्ञानिक तकनीशन तथा कृषि विशेषज्ञ	Unemployed Engineers, Scientists Technicians and Agricultural Experts.	37—38
711. इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की सीमित क्षमता के कारण पर्यटक यातायात में बाधा	Restricted growth of tourist traffic due to limited capacity of Indian Airlines Corporation	38—39
712. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्र निपटाना	Quick disposal of cases pending before Supreme Court and High Courts	39—40
713. पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ का कार्यकरण	Functioning of the Punjab University, Chandigarh	40
714. चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड के पास जहाज	Ships with Chowgule Steamship Limited	41
715. युवक सेवाओं के लिए कार्यक्रम	Programme for Youth Services	41—42
716. गुरुनानक धर्म संस्था की स्थापना	Setting up of Guru Nanak Institute of Religions	42

तां० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
717.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	42—43
718.	राज्यपालों की ऐच्छिक शक्तियाँ	Discretionary powers of Governors	43
719.	अयोग्य सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा–निवृत्ति	Compulsory retirement of inefficient Central Government Employees	43
720.	केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में राज्यों का अनुपाती प्रतिनिधित्व	Proportional representation to States in Central Government Services	43—44

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4499.	रहस्यमय गुब्बारे	Mystery Balloons	44—45
4500.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों को वन–भत्ता	Jungle Allowance to Industrial Workers in Andaman and Nicobar Islands	45
4501.	हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी	Employees Allocated to Himachal Pradesh	45—46
4502.	दिल्ली में स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी विवेकानन्द की मूर्तियाँ	Statues of Swami Vivekanada and Swami Ram Tirtha in Delhi	46
4503.	औद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Industrial Employees	46
4504.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, शक्ति नगर, दिल्ली की बी० एड० डिग्री को मान्यता	Recognition to B. Ed. Degrees of Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Shakti Nagar, Delhi	46—47
4505.	दिल्ली–बम्बई राजपथ	Delhi-Bombay Highway	47
4506.	जगरांव हुसैनीवाला सड़क	Jagraon Hussainiwala Road	47—48
4507.	हिन्दी माध्यम द्वारा बी० ए० और एम० ए० की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता	Percentage of Pass Students in B. A. and M.A. Examinations through the Media of Hindi	48

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4508.	पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators	48—49
4509.	शिव मन्दिर, बडागरा (केरल)	Shiva Temple Badagara (Kerala)	49
4511.	पून-पून नदी पर पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over River Poon Poon-Gaya (Bihar)	49—50
4512.	गुजरात में हवाई अडडों का विकास	Develoment of Airports in Gujarat	50
4513.	गुजरात में विश्वविद्यालयों को अनुदान	Grants to Universities in Gujarat	50
4514.	गुजरात सरकार द्वारा जिला गजेटियर का संकलन तथा प्रकाशन	Compilation and Publication of District Gazetters by Gujarat Government	50—51
4515.	केन्द्रीय सड़क निधि में से वर्ष 1969–70 के लिये गुजरात को धन दिया जाना	Grant of Funds from Central Road Fund to Gujarat for 1969-70	51
4516.	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक की परिवीक्षा अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of Probation period of Director Zoological Survey of India	52
4517.	मौनी बाबा	Moni Baba	52
4518.	गुजरात में केन्द्रीय भाषा संस्थान की स्थापना	Setting up of Central Institute of Languages at Gujarat	53
4519.	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur	53—54
4520.	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur	54—55
4521.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रयोगशालायें	Laboratories Managed by CSIR	55—56
4522.	नमूनों की जाँच के बारे में भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun regarding testing of samples	56—57

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4523.	मध्य प्रदेश में सड़क विकास	Road Development in Madhya Pradesh	57—58
4524.	राज्यों का पुनर्गठन	Reorganisation of States	58
4525.	मिजो पहाड़ियाँ	Mizo Hills	58—59
4526.	आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी पंडितों के पद	Posts of Hindi Pandits in Andhra Pradesh	59
4527.	गैर हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी के विकास के लिए सहायता	Assistance to non Hindi States for development of Hindi	59—60
4528.	क्रेडिट-वाउचरों के आधार पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा टिकट जारी करना	Issue of ticket by Indian Airlines Corporation on Credit Vouchers	60—61
4529.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	61
4530.	भारतीय संस्कृति का प्रचार	Propagation of Indian Culture	61
4531.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिटेमिड	Hindustan Shipyard Ltd.	61—62
4532.	चण्डीगढ़ सलाहकार समिति	Chandigarh Advisory Committee	62—63
4533.	गोपनीय कागजों के देखने के बारे में राजकीय भेद अधिनियम (आफीशियल सीक्रेट एक्ट) के अन्तर्गत नियम	Rules under Official Secrets Act Reg. Consultaton of Confidential Papers	63
3534.	दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मुकदमें	Pending cases before Delhi High Court	63
4535.	घूसखोरी फैलाने में वकीलों का उत्तरदायित्व	Lawyers responsible for spreading of Bribe	63 63
4536.	हरिजन तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियाँ	Foreign scholarships to Harijan and Trial Students	64
4537.	दिल्ली में हरिजनों में शिक्षा	Education among Harijans in Delhi	64—65
4538.	राष्ट्रपति के अधिकारों की परिभाषा	Definition of powers of President	65
4539.	आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak. infiltration in Assam	65—66

अता० प्र० संख्या
S. Q. Nos

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4540.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Distrubances	66
4541.	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	67
4542.	राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय खेल संघ के लिए योजनाएँ	Schemes for National Service Corps and National Sports Organisation	67
4543.	गत ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा असन्तोषजनक प्रदर्शन	Poor performance of Indian Players in last Olympic games	67—68
4544.	संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्थापना	Setting up of a Sanskrit University	68
4545.	पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान	Vacancies of the Bench of Punjab and Haryana High Court	68—69
4546.	शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में भर्ती	Recuritment in education and Youth services Ministry	69—70
4547.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कुप्रशासन तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का होना	Maladministration and over staffing in IAC	70
4548.	जहाजरानी निगम का विस्तार	Expansion of shipping corporation	70—71
4549.	भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम का कार्य संचालन	Working of national council of educational research and training	71—72
4550.	टीपू सेना और जन संघ के नेताओं को धमकी भरे पत्र	Letters threatening Tipu Sena and Jan Sangh Leaders	72
4551.	सचेतक सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Whip's Conference	73
4552.	बाल पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	Children's Book Trust, New Delhi	73—75
4553.	अयोध्या में पुरातत्वीय सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य	Archaeological survey and Excavations in Ayodhya	75
4554.	अयोध्या में संस्कृत के स्कूल तथा कालेज	Sanskrit Schools and Colleges in Ayodhya	75—76
4555.	भारत में रूस के गुप्तचर विभाग की गतिविधियाँ	Activities of Soviet Intelligence in India	76

अता० प्र० संख्या
5. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4556.	अनुसूचित आदिम जातियों/ अनुसूचित जातियों के स्थातक	Scheduled Tribes/Scheduled Caste Graduates	76—77
4557.	न्यायधीशों की सेवा निवृत्त आयु और परिवार पेंशन में पुनरीक्षण	Raising of retirement age and family Pensions of Judges	77—78
4558.	राज्यों को और अधिक अधिकार तथा संसाधन देने के लिये आन्दोलन	Agitation for giving more powers and resources to States	78
4559.	न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर भी घेराव के मामले में पुलिस की निष्क्रियता	Police in action in case of Gherao Inspite of Court Orders	78—79
4560.	दिल्ली परिवहन उपक्रम को राजधानी में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे चलाने के लिए सुझाव	Suggestion that DTU to run the proposed underground railway in the caital	79
4561.	गैर कानूनी कार्यवाहियाँ (निरोध) अधिनियम में संशोधन	Amendment of Unlawful activities (Prevention) Act	79—80
4562.	दिल्ली के एक न्यायालय में एक अधिवक्ता की कथित पिटाई	Alleged beating up of a Advocate in Delhi Court	80
4263.	भारतीय जहाजों द्वारा किया जाने वाला विदेशी व्यपार	Foreign Trade handled by Indian Vessels	80—81
4564.	मद्रास पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by employees of Madras Port	81
4565.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्	Indian Council of Social Science Research	81
4566.	सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश	ARC recommendation on ban of marriage between Government Servants	81—82
4567.	भारत में रह रहे पाकिस्तानी	Pakistanis staying in India	82

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4568.	भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजनाएँ	Schemes for encouraging Indian games	82
4569.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग-शालाओं द्वारा औद्योगिक विकास के लिए सहायता	Assistance by National Research Laboratories for Technological Development	82—83
4570.	अलाभकारी रेले	Unprofitable Railways	83
4571.	कांडला पत्तन परियोजना का पूरा होना	Completion of Kandla Port Project	83—84
4572.	दिल्ली परिवहन उपक्रम को हानियाँ	Losses suffered by DTU	84—85
4573.	दिल्ली में परिवहन प्रणाली के विकास के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report regarding Development of Transport System in Delhi	85
4574.	संसदीय द्वारा प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगाह	Watching the implementation of recommendations of ARC through a Parliamentary Committee	85
4575.	समुद्री यातायात और समवर्गों विषयों पर त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartitic talks on Martitim Transport and Allied subjects	85—86
4576.	कर्मचारियों की स्वतः पदोन्नति के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश	Administrative reforms commissions Recommendation regarding automatic Promotion to staff	86—87
4577.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots	87
4578.	राजस्थान सरकार द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ज्ञान विज्ञान रचना संस्थान की स्थापना	Gyan Vigyan Rachna Sansthan for Publication of Books set up by Rajasthan Govt.	87
4579.	सिक्का (गुजरात) में जहाज बनाने वाला कारखाना	Ship building Yard at Sikka (Gujarat)	88
4580.	सेवा निवृद्ध आई. सी. एस/ आई. ए. एस. अधिकारी	Retired ICS/IAS Officers	88
4581.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बहाल करना	Re-Instatement of Employees who took part in the 19th September, 1968 strike	89

अता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4582.	उर्दू भाषा का अधिक ऊँचा दर्जा	Better status to Urdu language	89
4583.	विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति	Deteriorating Financial condition of Universities	89—90
4584.	विश्वविद्यालयों में कर्मचारी ढाँचे सम्बन्धी पावते समिति	Private Committee on Staffing pattern of Universities	90
4585.	विलम्ब को स्पष्ट रूप से दिखाना	Spotlighting of delays	90—91
4586.	काँडला में मछली पकड़ने वाले घाट का उपयोग	Use of Kandla Fishery Jetty	91
4587.	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना में गाद निकालना	Dredging in the Mangalore Harbour project	91—92
4588.	मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Madhya Pradesh	92
4589.	जन कल्याणकारी संस्थाओं को किसी निवासी के नाम को काली सूची में शामिल करने का अधिकार	Rights of Welfare Associations to declare residents as black listed	92—93
4590.	महालेखापाल के कार्यलय, त्रिवेन्द्रम के सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary action against the employees in Accountant General's Office, Trivandrum who participated in September, 1968 strike	93
4591.	अगस्त, 1966 में दिल्ली में गिरे मकानों के बारे में जाँच	Enquiry into the collapse of Houses in Delhi in August, 1966	93—94
4592.	सड़क सामूहिक परिवहन को राज सहायता	Subsidy for Mass Transit by Road in Delhi	94—95
4593.	दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to DTU	95
4594.	पुनर्गठन से पूर्व पंजाब की सांझी सम्पत्ति की सूची	List of common Properties before Reorganisation of Punjab	95

लता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4595.	हिन्दी के संवर्धन पर खर्च की गई धन राशि	Amount spent on promotion of Hindi	95—96
4596.	प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये किया गया खर्च	Amount spent on Promotion of Regional Languages	96
4597.	आजाद काश्मीर के लोगों को वीजा देना	Issue of Visas to Persons from Azad Kashmir	96—97
4598.	तेलगाँना के वित्त के सम्बन्ध में समिति	Committee on Telengana Finance	97
4599.	पुलिस आचार संहिता बिना हथियार वाले लोगों पर गोली चलाने पर प्रति-बन्ध	Police Conduct Code Banning of Firing on Unarmed persons	97
4600.	यात्री परिवहन का राष्ट्रीय-करण	Nationalization of Passenger Transport	97—98
4601.	पर्यटकों के लाभ के लिये दारजिलिंग को पश्चिमी सिक्कम से रज्जु पुल से जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to connect Darjeeling and Western Sikkim by rope way for Tourists	98—99
4602.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्या-लय अधिनियम	Aligarh Muslim University Act	99
4603.	अभियुक्तों की जाँच के लिये थाने में बुलाने के बारे में नये निर्देश	New Instructions Regarding Summoning of suspects for interrogation to Police Stations	99—100
4604.	अन्तर समावधि में की गई परामर्शदात्री समितियों की बैठकें	Meetings of Consultative Committees held during the inter session periods	100
4605.	वैदेशकि कार्य/शिक्षा मन्त्रा-लय द्वारा विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाये रखने का कार्य किया जाना	Handling of Cultural Relations with other Countries by External Affairs/ Education Ministries	100

अता० प्र० संख्या

S. Q, Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4606.	पूर्वी-एशियाई देशों में भारतीय सभ्यता के अवशेषों की खोज	Discovery of Ruins of Indian Civilisation of East Asian Countries	101
4607.	आगामी ओलम्पिक (1972) में कुश्तियां	Wrestling in Next Olympics (1972)	101—102
4608.	विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थी	Indian Students Studying Abroad	102
4609.	नेफा के लिये प्रजातांत्रिक प्रशासन	Domocratic Set up for NEFA	102
4610.	आसाम में विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध	Restriction on Foreign Tourists in Assam	102—103
4611.	विदेशी अ [illegible] द्वारा मध्य प्रदेश की यात्रा	Foreign Guests who visited Madhya Pradesh	103
4612.	राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास	Development of Tourist Places in Rajasthan	103—104
4613.	इंडियन एयरलाइन्स कोरपोरेशन के कर्मचारियों को दिया गया की समयोपरि भत्ता	Overtime paid to staff of Indian Airlines Corporation	104
4614.	गोआ में व्यापारिक बेड़ा अकादमी	Merchant Navy Academy in Goa	104—105
4615.	मौसम सम्बन्धी अणग्रह	Weather Statellite	105
4616.	देश में साम्प्रदायिक घटनाओं सम्बन्धी स्थायी आयोग	Permanent Commission on Communal incidents in the country	105
4617.	केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, राँची के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर, श्री वी० बी० के० मूर्ति तथा अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज मामला	Case registered by CBI against Shri V. B. K. Murty, former Chief Engineer NCDC Ranchi and others	106
4618.	भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले	Cases filed under various sections of I.P.C.	106

अता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4619.	शिक्षा मन्त्रालय से सम्बद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले	Cases field under Indian Panal Code concerning Education Ministry	106—107
4620.	भारत में विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals in India	107
4621.	सराय नगर (उत्तर प्रदेश) की खुदाई	Excavation of Sarai Nagar, U.P.	107
4622.	नीरद चौधरी की भेंट में अमरीका का उल्लेख	Reference to America in inteview by Nirad Chaudhari	107—108
4623.	स्वर्गीय राष्ट्रपति किये गये दौरे	Tours made by late President	108—109
4624.	अमरीकी फोर्ड फाउडेशन द्वारा वित्त पौषण	Financing by US Ford Foundations	109
4625.	दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुसक्षा बल का प्रधान कार्यलय	Central Industrial Security Force Head-quarters at Durgapur	109—110
4626.	बाल पुस्तक न्यास, नई दिल्ली को अनुदान	Grants to Children's Book Trust, New Delhi	110
4627.	बाल पूस्तक न्यास, दिल्ली द्वारा चलाये जाने वाला डाल्स म्यूजियम	Dolls Museum under the Ownership of Children Book Trust Delhi	110—111
4628.	संसद् सदस्यों तथा मन्त्रियों की विदेश यात्रा	Members and Ministers visiting Foreign countries	111
4629.	खजूराहो (मध्य प्रदेश) से मूर्तियों की चोरी	Theft of statues from Khajurao (M.P.)	111
4630.	मध्य प्रदेश में खुदाई कार्य	Excavation work in Madhya Pradesh	111—112
4631.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे	Cases pending in M. P. High Court	112
4632.	बुरहानपुर में खुदाई कार्य	Excavation work in Burhanpur	112—113
4633.	दरभंगा (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे	Communal clashes in Darbhanga (Bihar)	113
4634.	परिवहन माड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Shipping freight rates	113—114

अता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4635.	तटवर्ती क्षेत्रों में राडार चेतावनी व्यवस्था	Radar warning system in Coastal areas	114
4636.	विश्वविद्यालयों/कालेजों के विद्यार्थियों के लिये नेशनल सर्विस कोर आरम्भ करना	Introduction of NSC for University/ College Students	115
4637.	अंग्रेजी को जारी रखना	Retention of English	115—117
4638.	सलेमगढ़ (राजस्थान) में एक भूस्वामी द्वारा हारिजनों की भूमि और मकानों पर बलात कब्जा करना	Forcible occupation of land and houses of Harijans in Salemghar (Rajasthan) by a landlord	117—118
4639.	गंगा स्टीमर सर्विसिस रैस्टोंरेशन डेवेलपमेंट कमेटी, पटना के महासचिव से पत्र	Letter from General Secretary, Ganga Steamer Services Restoration Development Committee, Patna	118
4640.	अस्पृश्यता	Untouchability	118—119
4641.	राष्ट्रीय एकता के लिये कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to voluntary Institutions working for National integration	119—120
4642.	केन्द्रीय रक्षित पुलिस	Central Reserve Police	120
4643.	गोआ में देशान्तर्गत जलमार्ग	Inland waterways in Goa	120—121
4644.	ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज (बंगल भाषा की उत्पत्ति तथा विकास) नामक ग्रन्थ का अनुवाद	Translation of works Entitled Origin and Development of Bengali Language	121
4645.	राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के कार्य संचालन के बारे में प्रतिवेदन	Report on the working of the National Library Calcutta	121
4646.	जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों में भयानक अशान्ति	Student unrest in Jadavpur University	122

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4647.	वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों के प्रात्यायोजन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on delegation of financial and Adminis rative Powers	122
4648.	आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अकस्मात जाँच पड़ताल	Surprise check by Central Vigilance Commission in Central Government Offices in Andhra Pradesh	123
4649.	लेह में आन्दोलन	Agitation in Leh	123—124
4650.	उप-सचिव (कल्याण) की नियुक्ति	Appointment of Deputy Secretary (Welfare)	124—125
4651.	राजस्थान को चौथी योजना में शिक्षा के लिये धन का अपर्याप्त नियतन	Inadequate allocation for education for Rajashan in 4th Plan	125
4652.	गारो पहाड़ी जिले के गजेरा गाँव में पाकिस्तानी रेंजरों की गतिविधियाँ	Activities of Pak. Rangers in Gajer Village, Garo Hill	125—126
4653.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण	Inter State transfer of High Court Judges	126
4654.	मनीपुर में चीनी पुस्तिकायें	Chinese Pamplets in Manipur	126
4655.	छिपे नागा नेताओं द्वारा मनीपुर के राजस्व विभाग के अधिकारी को पीटना	Manipur Revenue Department official beaten up by underground Nagas	127
4656.	भारतीय युवकों युवतियों में हिप्पी अभिरूचि	Hippi Movement among Indian Youth	127—128
4657.	आसाम और नागालैंड में विदेशी राष्ट्रजनों के संगठनों का कार्य	Organisaion of foreign nationals functioning in Assam and Nagaland	128
4658.	मंत्रियों की विदेश यात्राएँ	Visits abroad by Ministers	128

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4659.	मध्य प्रदेश, उत्तर तथा आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अभिमान	Anticorruption drive by Central Vigilance commission in M.P., U. P. and Andhra	128—129
4660.	आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले	Cases pending against ICS/IAS Officers	129
4661.	युगोस्लाविया के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग	Scientif Co-operation with Yogosaliva	129—131
4662-	गाँधी हत्या के सम्बन्ध में गोडसे का वक्तव्य	Godse's statementtion Gandhi murder	131
4663.	एयर इंडिया द्वार बम्बई में होटलों का निर्माण	Construction of Hotels by Air India in Bombay	131—132
4664.	दरभंगा जिले में पर्यटकों की रुचि	Places of tourist interest in Darbhanga District	132
4665.	रूस के साथ 1969-70 के लिये सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान प्रदान कार्यक्रम	Cultural and Scientific Exhcange programme with USSR for 1969-70	132—133
4666.	दिल्ली में सऊदी अरब के एक राजनयिक की हत्या	Murder of Saudi Arabian Attache in Delhi	133
4667.	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण	Modernisation of International Airports in India	133—134
4668.	सरिसका (अलवर जिला) में चीतों की संख्या में कमी होने के कारण वहाँ कम पर्यडकों का आगमन	Lesser number of Tourists going to Sariska (Alwar District) due to Decrease in the number of Tigers	134
4669.	उदयपुर विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Uadipur University	134—135
4670.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा कुछ संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध	Ban on participation in certain organisations by Government Employees	135

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4671.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा आनन्द मार्ग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध	Ban on participation by Government servants in Anand marg, RSS and Jamite-Islami Activities	135—136
4672.	भागलपुर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता	Assistance by University Grants Com mission to the Bhagalpur University	136
4673.	माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का संसद् भवन के समक्ष प्रस्तावित विशाल प्रदर्शन	Proposed mass demonstration of Secondary School teachers before Parliament House	137
4674.	केयर द्वारा भोजन दान कार्यक्रम	Feeding Programmes by CARE	137—138
4675.	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Safdarganj Airport at New Delhi	138
4676.	दिल्ली में बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन	Demonstration by Unemployed Youth in Delhi	138—139
4677.	गालिब, गाँधी और डा० भगवान दास शताब्दी समारोह	Ghalib, Gandhi and Dr. Bhagwan Das Centenary Celebrations	139
4678.	अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा, 1959	Section officer's Examination, 1959	140
4679.	चण्डीगढ़ के लिए दावा	Claim for Chandigarh	140—141
4680.	दिल्ली में सिकन्दरिया मस्जिद को गिराने का समाचार	Alleged Demolition of Sikandaria Mosque in Delhi	141
4681.	केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना	Hindi as Medium of instruction in Central Schools	141
4682.	समान कार्य के लिए समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें	Equal pay, allowances and other facilities for Equal work	[141—142]

अता० प्र० संख्या

U. S- Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4683.	नई दिल्ली में एक यात्रा अभिकर्त्ता की हत्या	Murder of a Travel Agent in New Delhi	142—143
4684.	मंत्रियों की विदेश यात्रा	Ministers' Visits abroad	143
4685.	विदेशी शिष्टजनों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की व्यवस्था	Wild Life Hunt for Foreign Dignitaries	143
4686.	पारादीप बन्दरगाह का विकास	Development of Paradeep port	143—144
4687.	उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को दिया गया उपदान तथा आर्थिक सहायता	Subsidy and Subvention given to Orissa, Flying Club	144
4688.	विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Students	144—145
4689.	जबलपुर में एक भूतपूर्व शासक की हत्या	Murder of a Former Ruler at Jabulpur	145
4690.	भारत में फुटबाल के खेल का स्तर ऊँचा उठाना	Improvement in Standard of playing Foot Ball in India	145—146
4691.	भारत अमरीकी पाठ्य पुस्तक संगठन के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण	Printing of Text books under Indo-American Text Book Organisation	146
4692.	मुंगेर, बिहार में गन फैक्टरी का बन्द होना	Closure of Gun Factory at Monghry in Bihar	146
4693.	पटना विश्वविद्यालय में छात्रावास की सुविधायें	Hostel facilities in Patna University	146—147
4694.	बिहार में गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बढ़े हुएं वेतन मानों की अदायगी	Payment of Enhanced pay scales to Teachers of Private Schools in Bihar	147
4695.	बिहार के प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान	Payment of salaries to primary and Higher Secondary School teachers of Bihar	147—148

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4696. मिर्जा अफजल बेग और शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य	Statement of Mirza Afzal Begh and Sheikh Abdullah	148
4697. चौथी योजना में अन्तर-र्राज्यीय पुलों का निर्माण	Construction of inter State Bridges During 4th Plan	148 149
4698. राजकोट जिले में एक कूएँ में राकेटों का पाया जाना	Rockets found in a well in Rajkot district	
18 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6743 और 5 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4591 के उत्तरों में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. Nos. 6743 dated 18th April, 1969 and 4591 dated 5th July, 1967	149—150
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	150
पोलिथीन पाइप बनाना	Manufacture of Polythene Pipes	150—157
श्री चेंगल राय नायडू	Shri Chengelraya Naidu	150
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Sri F.A. Ahmed	155
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	157—158
अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1967-68	Demands for Excess Grants (General) 1967-68	158
राज्य सभा से संदेश	Messeges from Rajya Sabha	158
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Banaras Hindu University (Amendment) Bill	158
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As Passed by Rajya Sabha	158
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	158—159
तिरानवेवाँ तथा चौरानबेवां प्रतिवेद	Ninety Third and Ninety Fourth Reports	
सभा का कार्य	Business of the House	159—160
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	160—163
उनतालीसवाँ प्रतिवेदन	Thirty-nineth Report	
विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1969 पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) No. 3 Bill Introduced	163

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
26 जनवरी, 1968 को आसाम में हुए दंगों की जाँच के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of inquiry into Distrubances in Assam on 26th Jnauary, 1969	163
पृथक तेलगाना राज्य के लिए आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	Motion Re. Agitation for Separate State of Telengana (Negatived)	164—173
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	164
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	170
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	
(1) श्री नारायण रेड्डी का उच्च-न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1969 (धारा 13 और प्रथम अनुसूची का संशोधन)	The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1969 (Amendment of section 13 and thc First Schedule) by Shri M. Narayan Reddy	173
(2) श्री महराज सिंह भारती का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 आठवीं अनुसूची का संशोधन	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of Eighth Schedule) by Shri Maharaj Singh Bharti	173
(3) श्री ओम प्रकाश त्यागी का विदेशी दान तथा सहायता विनियमन विधेयक, 1969	The Foreign Donations and aid Regulation Bill, 1969 by Sri Om Prakash Tyagi	173—174
(4) श्री जार्ज फरनेन्डीज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969 (प्रथम अनुसूची का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1969 (Amendment of First Schedule) by Shri George Fernandes	174
संविधान (संशोधन) विधेयक-अस्वीकृत श्री शिवचन्द्र झा का (अनुच्छेद 4,80 आदि का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill Negatived (Amendment of Articles 4, 80 etc. by Shri Shiva Chandra Jha	174—184
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	174
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabarta Barua	175
श्री वि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	175
श्री ओंकार लाल वोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	176
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan	176

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	177
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	177
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	177
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	178
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	179
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	179
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	180
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	181
सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक (श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी का)	Public Undertakings (Compulsory Approval of Ageements) Bills by Shri S.S. Kothari	184—185
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	184
आधे घंटे की चर्चा	Half-an hour Discussion	185
दिल्ली में नेताजी संग्रहालय	Netaji Museum in Delhi	185—193
श्री समर गुह	Shri Sumar Guha	185
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan	187

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 22 अगस्त, 1969/ 31 श्रावण, 1891 (शक)

Friday, August 22, 1969 / Sravana 31, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Janeshwar Misra : Sir, I rise on a point of order. Seventy members of the Congress Party have written to the President of the Congress Party that they have no confidence in this Government....(**interruptions**). In such circumstances, who would reply to the questions asked ? (**interruptions**). When there is no Government at all, who will reply on its behalf ?..(**interruptions**) ? Who will run the Government....(**interruptions**).

Mr. Speaker : The hon. Member is new to this House. It is an established convention in the House that no point of order is raised during the Question Hour. We will see to it after the Question Hour.

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति

*691. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशों से गैर-सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्राप्त धन को किस प्रकार खर्च किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त धन का एक भाग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर खर्च किया गया था; और

(ग) इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण):

(क) से (ग) 14 मई, 1969 को इस सदन में, गत आम चुनावों में और अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के प्रयोग पर खुफिया ब्यूरो के प्रतिवेदन के संबंध में दिये गये मेरे वक्तव्य की ओर घ्यान आकर्षित किया जाता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The steps taken by the Government so far have not proved to be quite effective. Even now political parties and some other organisations in our country are getting crores of rupees from Russia, America, China and Pakistan. May I know whether the Government have made any systematic and scientific study of this problem, apart from the C. B. I.'s inquiry, as to how this money infiltrates intoIndia and what is the *modus operandi* of the countries from which they are receiving money and how can this be stopped ? Will the Government appoint a semi-Judicial Commission to inquire into these matters ? The hon. Minister has stated that a legislation in this regard would be brought before the House. May I know when this would be done and when and what provisions will be made in the proposed legislation ? He has also agreed to consult the opposition leaders in this regard. What steps are the Government going to take in this regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब मैंने वह वक्तव्य दिया था तो उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे। उस समय भी मैंने उन कठिनाइयों का उल्लेख किया था जो इस समस्या को सुलझाने के मार्ग में बाधक होती हैं। परन्तु उसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि इन मामले में हम सभा में विचार कर सकते हैं और आपके पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया था कि इस सम्बन्ध में चर्चा अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में की जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि यह चर्चा कब होगी, क्योंकि मैं तो माननीय सदस्यों की ओर से इस सम्बन्ध में आने वाले विशेष सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

श्री रंगा : उन्होंने एक सुझाव दे दिया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने उसी सुझाव को दोहराया है जो मैंने अपने वक्तव्य में दिया था। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कार्यविधि एक जैसी नहीं है अपितु इसमे कार्य के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। इस कार्यविधि पर हमें और जाँच करनी होगी। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि इस बारे में हम गुप्तचर विभाग तथा कार्यकारी शाखाओं में एक विशिष्ट कक्ष (सैल) स्थापित करना चाहते थे। इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। इन कक्षों के कार्यों के बारे में हमें कुछ अनुभव प्राप्त करना होगा।

विदेशी धन दो तरीकों से आता है। एक तो बैंकों में व्यतिगत लेखों से नियमित रूप से आता रहता है। इस बारे में बैंक विनियमन आदि भी हैं तथा हमें जाँच करनी होगी कि उन विनियमनों का पालन भी किया जाता है अथवा नहीं। इसमें भी समय लगेगा। जहाँ तक गुप्त धन का प्रश्न है, जैसा कि उनके प्रश्न में निहित है, मेरे विचार से हमें मालूम है कि इस प्रकार का धन आता है, इसकी कुछ प्रणालियों का भी हमें ज्ञान है तथा

अपने प्रतिबन्धों को अधिक कारामद तथा प्रभावशाली बनाने के लिये हमें उन पर ध्यान रखना होगा । मैं समझता हूँ कि हमें इस बारे में कानून बनाने पर विचार करना पड़ेगा । वित्त तथा विधि मंत्रालयों की सलाह से इसी बात की जाँच की जा रही है । यदि इस बारे में चर्चा हुई तो संभवतया मैं यह बता सकूँगा कि इस कार्य में आगे क्या प्रगति हुई है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध तथा वैज्ञानिक ढंग से कोई अध्ययन किया गया है, अथवा क्या वह इसकी जाँच अर्ध-न्यायिक आयोग से करायेंगे ? मेरा यही प्रश्न था ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । परन्तु फिर भी यदि वह समझते हैं कि उनको स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ऐसे न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक अयोग का कोई लाभ नहीं होगा । क्योंकि यह न्यायिक मामला नहीं है । न्यायिक आयोग हमें इसका हल ढूंढने में कोई सहायता नहीं दे सकेगा । यहाँ तो इस सम्बन्ध में ज्ञान तथा अनुभव होने का प्रश्न है । इसी से हमें कोई प्रभावी प्रणाली बनाने में सहायता मिलेगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has stated that foreign money is coming through various sources. Sometimes it is in the form of commission given for the literature imported from outside or by making payments for advertisements and sometimes it is through illicit remittances. The hon. Minister had indicated that an intelligence cell would be established in the Ministry of Finance. May I know whether the cell referred to has been set up? Have Government taken any action against the Asia Foundation? May I know whether the Government have taken action against any other organisation and if so, what are their names ? May I also know the number of organisations against whom the Government have received complaints during the last two years and the number out of them against whom enquiry has been conducted ? I am not asking their names.

Shri Y. B. Chavan : Arrangements are being made for setting up of the cell and I will inform its progress during the discussion. As regards complaints, people have made complaints against several organisations but I have not received any specific complaint and no action has so far been taken against any specific organisation.

श्री उमानाथ : कुछ समय पहले एक मराठी पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था कि पुलिस ने बम्बई में एच० एम० एस० के कार्यालय पर छापा मारा था तथा 50,000 डालर के बिल तथा कुछ ट्रन्स्मिटर्स बरामद किये थे और एच० एम० एस० बम्बई के तत्कालीन सचिव श्री राम देसाई से पुलिस ने पूछ-ताछ की थी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 50,000 डालर के इन बिलों का कोई हिसाब-किताब नहीं था, और वह अन्तर्राष्ट्रीय काला धन था, उनसे क्या यह बात सिद्ध नहीं हो गई है ? यदि नहीं, तो छापे के दौरान क्या चीजें बरामद की गयी थीं तथा क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हाँ, तो क्या ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में मुझे विशिष्ट पूर्व सूचना चाहिये क्योंकि यह मामला बम्बई में हुई घटना से सम्बधित है । यदि वह इस सम्बन्ध में मुझसे कोई विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे तो मैं समस्त जानकारी प्राप्त करूँगा ।

श्री उमानाथ : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। यह विदेशी धन के बारे में है। जब

कभी सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब मैंने प्रकाशित तथ्यों के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा है तो वह कहते हैं "कोई विशिष्ट प्रश्न पूछिये।"

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप अनुपूरक प्रश्नों के समय कोई ऐसा विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछ सकते जिसका इस मामले से सीधा सम्बन्ध न हो।

श्री उमानाथ : यह सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न में कोई निश्चित जानकारी माँगी गई है तो आप पूछिये अन्यथा यदि यह किसी अन्य प्रश्न से सम्बन्धित है तो आप कृपया सूचना एकत्र करने के लिये पर्याप्त समय दीजिए।

श्री उमानाथ : प्रश्न गैर-सरकारी संस्थानों को विदेशी धन प्राप्त होने के बारे में है। मैं एक गैर-सरकारी संस्थान में बरामद किये गये विदेशी धन के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसका क्या उत्तर है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा उत्तर यह है कि मेरे पास तथ्य नहीं है?

श्री उमानाथ : क्या आप इस बारे में पूछ—ताछ करके सभा को सूचित करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं।

(श्री उमा नाथ खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग विवाद में न पड़ें।

श्री उमानाथ : मैं तो विवाद में नहीं पड़ रहा हूँ। वह कहते हैं कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं आई है। यदि उन्हें नहीं मालूम है तो वह उसकी जाँच कर सकते हैं। परन्तु वह कहते हैं "नहीं"। माननीय सदस्यों के साथ यह व्यवहार तो उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं।

श्री उमानाथ : बाद में क्यों? यह तो इसी प्रश्न से उत्पन्न होता है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैंने एक प्रश्न पूछा है जो गैर-सरकारी संस्थाओं को विदेशी धन के बारे में प्रश्न सूची के मुद्रित प्रश्न से सम्बन्धित है। मैं तो एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या पुलिस ने छापा मारा था और 50,000 डालर के बिल बरामद किये थे? उन्होंने कहा है कि इस समय उनके पास जानकारी नहीं है। वह इस बारे में जांच कर सकते हैं। परन्तु वह जाँच करने से इन्कार करते हैं। मुझे सरकार को ऐसी जानकारी बताने का अधिकार है जो किसी विशेष प्रश्न से संबन्धित है। वह कह सकते हैं कि मालूम करके सभा को बतायेंगे। परन्तु वह जानकारी देने से इन्कार नहीं कर सकते। वह जानते भी नहीं हैं और यह भी कहते हैं कि वह पता भी नहीं लगायेंगे। यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप उनको प्रश्न का उत्तर देने के लिए कैसे बाध्य कर सकते है?

श्री उमानाथ : यह उनको बाध्य करने का प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कृपया मेरी कठिनाई को समझिये । यह विदेशी धन की समस्या के सामान्य प्रश्न से सम्बन्धित है न कि किसी विशेष घटना से । यदि वे किसी विशेष घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं निश्चय ही तथ्य की जानकारी प्राप्त करूँगा । परन्तु मैं सभा को फिर से सूचना देने का वचन नहीं देता हूँ, मैं निश्चय ही इसकी जाँच करूँगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं प्रश्न पूछने से पूर्व यह कह सकता हूँ कि श्री उमानाथ ने जो कुछ कहा है वह पूर्णतया असत्य है यद्यपि इस पर वक्तव्य देना गृह मंत्री का कार्य है। मैं अब प्रश्न पूछता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में बैंक ऑफ चाइना के बन्द हो जाने के बाद भारत में चीनी दूतावास ने इस देश के कुछ देश-भक्तों और राजनीतिज्ञों को धन देना आरम्भ कर दिया है ? मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर, जबकि एक व्यक्ति नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से मनीआर्डर प्राप्त कर रहा था, दिलाया जायेगा कि चूँकि चीन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं.......

अध्यक्ष महोदय : यह सब संगत नहीं है ; वे कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछें ।

श्री हेम बरुआ : में प्रश्न पूछूंगा । मै जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में बैंक ऑफ चाइना के बन्द हो जाने के बाद नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने इस देश के कतिपय देशभक्तों और राजनीतिज्ञों को धन देना आरम्भ कर दिया हैं ? मै जान सकता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मन्त्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जब कि एक व्यक्ति चीनी दूतावास से मनीआर्डर द्वारा धन प्राप्त करता हुआ पकड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया है कि चूँकि चीन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं अतएव इसे रोका नहीं जा सकता है ? यदि हाँ, तो मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सूचना है, प्रश्न नहीं ? मुझे इसका दुःख है।

श्री हेम बरुआ : मैंने प्रश्न पूछा है । यदि यह सच है तो मैं जान सकता हूँ कि सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है कि दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास सामग्री के वितरण करने का केन्द्र न बने और इस देश के कतिपय देशभक्तों और राजनीतिज्ञों को लाभ न पहुँचाए ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न के स्वरूप में परिवर्तन लाता है ? प्रश्न सूचना जनाने के लिए है न कि सूचना देने के लिए ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हम आपसे सहमत हैं कि प्रश्न सूचना एकत्रित करने के लिए पूछा जाता है । परन्तु मैं नहीं समझता कि बिना भूमिका के प्रश्न पूछना हमेशा सम्भव होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न सीधा होना चाहिए और इसमें न सूचना देने और न

सुझाव देने वाली बात होनी चाहिये, मुझे आशा है कि वे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इस बात को समझेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उस स्थिति में प्रश्न पूछना कठिन हो जाएगा। कुछ अनुपूरक प्रश्नों के लिए छोटी भूमिका आवश्यक होती है । क्या मैं आपसे स्पष्टीकरण माँग सकता हूँ ? जो प्रश्न श्री हेम बरुआ ने पूछा है वह बड़ा ही सुसंगत है । चीनी दूतावास ने केरल के किसी व्यक्ति को मनीआर्डर भेजा था । यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था और इस सभा में भी पूछा गया था, वह जानना चाहते हैं कि क्या इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? यह प्रश्न है, आप कैसे कहते हैं कि यह प्रश्न नहीं है ?

श्री हेम बरुआ : यह सीधा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सामान्य वाला है । आप एक विशेष घटना के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हो। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय पूरी जानकारी ले कर आए हैं क्योंकि मुख्य प्रश्न सामान्य वाला है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा अनुपूरक प्रश्न सामान्य प्रकार का है। यदि मंत्री महोदय विशेष प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं है तो मेरा प्रश्न सामान्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने भारत में विदेशी दूतावासों को कतिपय भारतीय देशभक्त और राजनीतिज्ञों को धन वितरण करने का केन्द्र होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : उनको इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहिए था। वे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु उसमें कोई विशेष सूचना नहीं होनी चाहिए जिससे यह मालूम पड़े कि यह सूचना देने वाला प्रश्न है।

श्री स० कुण्डू : कृपया प्रश्न का पहला भाग देखें। प्रश्न प्रत्यक्षत: उसके अन्तर्गत आ जाता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—मुझे मामले के समस्त तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है परन्तु मुझे याद है कि यह मामला किसी अन्य विषय पर अन्य चर्चा के समय यहाँ उठाया गया था। फिर भी मैं तथ्य बताने से पहले इसकी जाँच करूँगा । परन्तु जो बात उन्होंने उठाई है, वह सुसंगत है। यदि कहीं कोई विधि-विरुद्ध भुगतान हुआ है तो इसको ध्यान में रखा जायेगा परन्तु फिर भी दूतवासों को कुछ सेवाएँ अपने लिए करानी होती हैं, कभी उनको साहित्य अनुवाद कराना होता है और उसके लिए भुगतान करना होता है। यदि ये उचित तथा विधिसम्मत भुगतान हैं तो सम्भवत: इस बारे में कुछ नहीं कर पायेंगे। परन्तु यदि ये अधिकृत भुगतान नहीं हैं तो इसको ध्यान में रखा जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह भुगतान उस तरह का था ?

श्री न० कु० सांघी : सरकार पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि विदेशी धन देश के राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या वे सस्थाओं अथवा व्यक्तियों की, जिनको विदेशी धन मिलता है, की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कोई विधान लायेंगे और उनको समय-समय पर सूचना देते रहने को कहेंगे ताकि सरकार से सही बात

का पता लग सके और जो ऐसी सूचना नहीं देते हैं उनको देश के विधान के अन्तर्गत दंडित किया जा सके।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे कृपया मेरे दिए गए विवरण को देखें। विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Shri M. A. Khan : The attention of the Government is being drawn to this end in this House for the last many days that interference of foreign countries on the basis of money and with some other means is increasing in our politics of India and allegations are made on one another. Thus during the recent Presidential election a rumour was spread like wild fire that some countries are influencing the elections and money is also being distributed. So I want to know whether the Hon.Home Minister will try to find out such sources as have information of the increasing dangerous condition and find out some method to stop all these things so that we may work freely in this country ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यही कहा था। हमने प्रश्न उठाया था, इसकी जाँच की तथा वक्तव दिया। हमने इस समस्या को स्वीकार किया है और समस्या पर चारों ओर से प्रहार कर रहे हैं। इसके लिए कतिपय कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है और कतिपय वैधानिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन हैं।

श्री रंगा : मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार समय-समय पर जनता को यह बताएगी कि विभिन्न देशों से हमारे सार्वजनिक जीवन में आने वाला धन किन विभिन्न स्रोतों से आ रहा है ?

श्री विश्वनाथ राय : इसका तात्पर्य यह हैकि आप यह स्वीकार करते हैं कि विदेशों से धन आ रहा है।

श्री रंगा : हम अंधे लोग नहीं है और न हम झूठे लोग हैं। यह सत्य है कि धन विभिन्न देशों और हर ओर से आ रहा है। दुर्भाग्यवश हमारा देश निर्धन है। यह बातें समस्त विश्व में हो रही हैं परन्तु चूंकि हम निर्धन लोग हैं अतएव यह संभावना है कि हम पर विदेशी धन का प्रभाव अन्य देशों की अपेक्षा अधिक पड़े, अतएव क्या सरकार समय-समय पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की और अन्य जाँच–कार्यों तथा सूचना की सहायता से जनता को सूचना देगी ताकि जनता को यह चेतावनी दी जा सके कि किस प्रकार राजनीति में तथा इसके बाहर कुछ लोग हमारे जन-जीवन को गलत रीति से प्रभावित कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक सामान्य प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, मैंने इसके बारे में कह दिया है। इसके बाद यह जाँच की गयी थी कि विदेशी धन हमारे जन–जीवन को प्रभावित करता है। यह एक तथ्य है।

श्री पीलु मोडी : और राष्टपति चुनाव के बारे में क्या हुआ ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : परन्तु यदि सरकार को कोई सूचना देनी है तो यह सूचना तभी दी जा सकती है जब इसके लिए ठोस आधार हों नहीं तो सरकार के लिए सूचना देना बहुत गलत होगा।

Shri Madhu Limaye : I want to know from the Hon. Minister whether he is aware of the fact that whenever political complications arise among companies then advertisements are published in large scale in the newspapers as has happened with Synthetic Chemicals and Fire Stone. A big size advertisement of this type has been published in today's papers and it is the Personality Cult of the Prime Minister. It has been published in every newspapers (**Interruptions**). It is no use of making noise. I will say my viewpoint. I am on my leg with your permission. I want to know about what has been written at the end of this "Sponsored by a group of young business executives".

I only want to know whether it is Indian money or foreign money ? May I know whether the Hon. Minister will look into this matter and inform the House about the sources from where the money for these advertisements are paid ?

Shri Randhir Singh : You ask to those who got this advertisement published in the newspaper.

Shri Madhu Limaye : I have not quoted any wrong thing.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, आप मुझसे क्या कहने की आशा रखते हैं ?

Shri Madhu Limaye : I have asked whether you would look into this matter and inform the House that whether Indian or foreign money was used for this purpose ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उन सभी बातों की सूचना नहीं दे सकता जो वे पूछ रहे हैं, यदि आप विशेष रूप से इसके लिए लिखेंगे तो मैं निश्चय ही इसकी जाँच करूँगा ।

Shri Madhu Limaye : I have put a question. How does the question of writing it arise ? I have only asked whether you will make an enquiry that whether Indian or foreign money was used for this purpose ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संगति नहीं हैं ।

श्री स० कुण्डू : सभा जानना चाहेगी कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने इस बारे में आपनी सहमति व्यक्त की थी ?

श्री मधु लिमये : मैं यह जाना चाहता हूँ कि यह धन कहाँ से आया·········(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Will my question be replied, sir ? In replying the several questions put by others the hon. Minister has promised to look into the matters....?

Shri Randhir Singh : Let him submit an application in black and white.

Shri Madhu Limaye : I have put the question in the presence of all the hon. Members in the House and the question may please be replied, sir.

Mr. Speaker : Please take your seat. This question is not relevant.

Shri Madhu Limaye : How is it not relevant question ?

Shri Kanwar Lal Gupta : He wants to know the source of money being incurred on the personality cult.

Mr. Speaker : This paper is of your own country and have been published here. Therefore it is not possible for the paper to have the money form the foreign countries.

Shri S. K. Tapuriah : On whom has the bill been drawn ? Was the money paid in cash or by the cheque?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, sir, kindly let me mention the relevancy of this point.....

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से वह प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपा करके इस प्रश्न के साथ इसे मत जोड़िये।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, sir, I want to explain the relevance of the point.—"The manner in which the money received.." I only want to know the source of money and whether it was received from the foreign countries or from our own country. Sir, my question must be replied otherwise I will walk out of the House.

Shri Randhir Singh : Let him go.

Shri Madhu Limaye : Yes, Yes. I will walk out of the House right now, but I will be here again at 12 o'clock.

[**श्री मधु लिमये सभा से बाहर चले गये**
Shri Madhu Limaye left the House]

अध्यक्ष महोदय : केवल एक प्रश्न पर 25 मिनट नष्ट हो गये हैं।

श्री ए० श्रीधरन : हमारे देश में विविध प्रकार से विदेशी धन का उपयोग किया जाता है तथा भारतीय नागरिकों पर विदेशी प्रभाव भी जमाया जाता है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा हैं कि यदि मुझे कुछ वास्तविक घटनाओं की सूचना दी जाय तो मैं अवश्य ही उनकी जाँच करूँगा। अतः मैं ऐसी सत्य घटनायें बताना चाहता हूँ जिनसे ज्ञात हो सके कि किस प्रकार भारतीय नागरिकों को विदेशों में आमोद-प्रमोद के लिये आमंत्रित करके विदेशी धन का प्रभाव उन पर डाला जाता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रत्येक दूतावास के सामने कुछ संसद सदस्यों और भूतपूर्व मंत्रियों की लाइन लगी रहती है जो विदेश जाने के लिये दूतावासों का सहारा लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पूछिये।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा कानून बनाना हो कि यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कार्य के अतिरिक्त विदेश जाना हो तो या तो वह स्वयं अपने खर्चे पर जा सकेगा अथवा वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के खर्चे पर जा सकेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न किया है जो स्वयं उनके लिये भी हितकर नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि यदि वह विदेश जाना चाहे तो जा सकता है। (**व्यवधान**) सम्भवतः माननीय सदस्य इससे अवगत नहीं हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय ने भी इस विचार को स्वीकार किया है। (**व्यवधान**) मैंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? साथ ही अन्य देशों के साथ स्वाभाविक आवागमन बनाये रखना हितकर रहता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार का आवागमन बुरा है। किन्तु मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी आत्मसम्मान सम्पन्न भारतीय नागरिक को विदेश जाने के लिये किसी माध्यम की अपने सम्मान आदि को खो कर खुशामद नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य ने संसद्-सदस्यों का भी उल्लेख किया है। संसद्-

सदस्यों पर लगाये आरोप को मैं स्वीकार नहीं करता। किन्तु यदि कोई संसद्–सदस्य इस प्रकार का कार्य करते भी होंगे तो मेरा विश्वास है कि वह इससे शिक्षा लेंगे तथा भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री फ० गो० सेन : आप इस ओर से एक भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री विश्वनाथ राय : हमारी पूर्णतः उपेक्षा की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, sir, I was on my legs not less than fifty times to put questions but I could not get any opportunity to do so.

Mr. Speaker : Half an hour has already been taken on this question and it is not possible for me to give more time for it...

Shri Hukam Chand Kachwai : I will put my question in a very short time......

Mr. Speaker : It is not fair for an hon. member to state that he rose fifty times.

श्री फ० गो० सेन : आप हमारे दल की उपेक्षा करते हैं तथा हमें बोलने का अवसर नहीं देते। मेरा इस सम्बन्ध में विरोध है।

श्री कार्तिक उरांव : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते।

श्री फ० गो० सेन : क्या कारण है कि आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते ? क्या हम संसद्–सदस्य नहीं हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूँ। अगला प्रश्न।

श्री फ० गो० सेन : मुझे अपनी बात अवश्य कहनी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति या संस्था ने किसी अन्य देश से नकद धनराशि या कोई वस्तु प्राप्त की है, और यदि हाँ तो, क्या सरकार ने उस धनराशि की मात्रा का निर्धारण किया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री फ० गो० सेन : यह क्या है ?

अध्यक्ष पीठ की यह परम्परा ही बन गई है **(व्यवधान)** आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं दाँई ओर देखता हूँ तो श्री सेन हैं तथा बाई ओर देखता हूँ तो श्री कछवाय हैं। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री फ० गो० सेन : अध्यक्ष महोदय ! आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार इस ओर देखें तथा दूसरी बार उस ओर ?

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत करिये। अब मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

कुतुब मीनार की नींव

***692 श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुतुब मीनार की नीव को मजबूत करने का काम अब तक आरम्भ नहीं किया गया है जब कि सरकार को यह मालूम है कि इस राष्ट्रीय स्मारक की नींव में त्रुटियां हैं ;

(ख) क्या सरकार ने नींव को मजबूत करने का पहले कोई निर्णय लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो काम को आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) :

(क) जी नहीं। शीघ्र ही कुतुब की नींव को सुदृढ़ बनाने के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं और इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष के कार्यक्रम में धन की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) क्योंकि परिरक्षण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग के पास उपलब्ध सीमित धन को कुछ अन्य तात्कालिक कार्यों के लिए प्रयोग करना पड़ा था, इसलिए कुतुब की नींव को सुदृढ़ बनाने का काम पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सकता था।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मुझे यह स्वीकार करना ही होगा कि मैं इससे कुछ नहीं समझ सकता। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। **(व्यवधान)**

(श्री फ० गो० सेन खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : इन महोदय को क्या कठिनाई है ? प्रश्न के उत्तर मिलते ही दोनों ओर से तीन-तीन माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य है यदि इन सभी को अवसर नहीं मिलता तो क्या उन्हें भी ऐसा व्यवहार करना है जैसा कि ये माननीय सदस्य कर रहे हैं।

श्री फ० गो० सेन : मैं तो पहली बार खड़ा हुआ हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, सैन्ट्रल हॉल में मतगणना के समय भी इनका यही व्यवहार रहा था।

श्री पीलु मोडी : इस वाद-विवाद में मेरी कोई रुचि नहीं है अतः मैं सदन त्यागने के लिये क्षमा चाहता हूँ।

[**इसके पश्चात श्री पीलु मोडी सभा से बाहर चले गये**
Shri Piloo Mody then left the House]

Shri M. A. Khan : Sir, I seek your permission to raise a point of order. The former hon. Speaker, Shri Sanjiwa Reddy laid a convention in the House and according to that convention, after the hon. Members whose names were clubbed in the question had

got an opportunity to raise supplementaries, Members were called alternately from the Congress party and the opposition. If you kindly see the proceeding you will find that at times you have called five or six Members from that side while you have given the opportunity to only one Member of this side. I want to help you in this matter. The resentment which has erupted today had been seething for the last so many days and therefore you should revive the old convention. Virtually, you are the custodian of the rights of Members of the House. For better functioning of the House you are supposed to grant equal opportunity to all the hon. Members. If the rights of the Congress Members are eroded such protests will certainly be there.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। साधारणत: मैं प्रश्नकर्ता तथा प्रश्न में जिन माननीय सदस्यों के नाम उल्लखित हैं उनको समय देता हूँ। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति जैसे प्रश्नों पर मैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सदस्यों को अवसर देता हूँ। यदि आप सभा का कार्यवाही-वृत्तांत पढ़ कर देखें तो आप को ज्ञात होगा तथा आप मान जायेंगे कि मैंने दोनों ही ओर के सदस्यों को अवसर दिये हैं। फिर भी मैं किसी प्रकार से बाध्य नहीं हूँ तथा वास्तव में आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं वरन् आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : आपको माननीय सदस्य के द्वारा आदेशित नहीं होना चाहिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार चलते रहेंगे तो मैं अन्य व्यक्तियों से कैसे कहूँगा कि वे चिल्लाएँ नहीं और हुल्लड़बाजी न करें। साधारणतया मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को समय देता हूँ जो विषय में रुचि रखते हैं, उदाहरण के लिए मान लो जैसे बाढ़ तथा उद्योगों आदि के प्रश्न हैं। मैं नहीं समझता कि मैं दोनों ओर से किसी प्रकार का संतुलन बनाये रखने के लिए बाध्य हूँ। एकाध प्रश्न के संदर्भ में श्री संघी जी के अतिरिक्त उस ओर से मैंने किसी अन्य व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए इच्छुक नहीं पाया। मुझे यह बात कहते खेद होता है कि मैं प्रत्येक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए बाध्य नहीं हूँ और न ही वे मेरी ओर ध्यान देने को बाध्य हैं। यदि यही रवैया चलता रहा तो इस सदन का भगवान ही मालिक है।

श्री विश्वनाथ राय : उत्तर प्रदेश में चीनी बनाने के सबसे अधिक कारखाने हैं। परन्तु जब मैं चीनी तथा गन्ने से सम्बन्धित प्रश्न करने के लिए पाँच बार खड़ा हुआ तो भी आपने मुझे अनुमति नहीं दी। आज भी मैं तीन बार खड़ा हुआ हूँ, परन्तु आपने मुझे अवसर नहीं दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आपने लगभग आधे घंटे का समय ले लिया है। यदि सदन एक प्रश्न पर ही इतना समय व्यतीत करना चाहे तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु यह भी सदन के हित में ही है कि मैं इस अवधि में अधिकतम प्रश्नों का निपटारा करना चाहता था।

महोदया! मुझे खेद है कि आपको उत्तर पुन: दोहराना पड़ेगा।

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांनआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं। शीघ्र ही कुतुब की नींव को सुदृढ़ बनाने के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए

कदम उठाए जा चुके हैं और इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष के कार्यक्रम में धन की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) क्योंकि परिरक्षण कार्य के लिए पुरातत्व विभाग के पास उपलब्ध सीमित धन को कुछ अन्य तात्कालिक कार्यों के लिए प्रयोग करना पड़ा था, इसलिए कुतुब की नींव को सुदृढ़ बनाने का काम पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका था ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने कुतुब मीनार की नींव के बारे में तो उत्तर दे दिया है परन्तु स्वतन्त्र पार्टी की नींव के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया ।

श्री सु० कु० तापड़िया : स्वतन्त्र पार्टी इतना प्राचीन स्मारक नहीं है जितनी कि कांग्रेस ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह सच है कि पुरातत्वीय तथा ऐतिहासिक स्मारकों की इस देश में अवहेलना ही होती रही है । क्या यह धन की कमी के कारण है ? मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन स्मारकों को ठीक दशा में बनाए रखने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कितना धन व्यय कर दिया है ? जितना धन पहले से ही खर्च कर दिया गया है तथा अनुमानित धन जिसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों में क्या सम्बन्ध है ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : कार्य नियमित रूप से चल रहा है । स्मारकों की नियमित रूप से देख-रेख की जा रही है । पुरातत्व विभाग एक अलग शाखा है जिसका कार्य केवल इन प्राचीन स्मारकों की देख-रेख तथा प्रत्यावर्त्तन करना है । जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है इस वर्ष इनकी देख-रेख तथा मरम्मत के लिए 51 लाख रुपये का आवंटन किया गया है । पुरातत्व विभाग उन स्मारकों को पहले लेता है जिन्हें वह तत्काल लेना ठीक समझता है और जहाँ धन तत्काल लगाने की आवश्यकता होती है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैंने प्रश्न किया था कि क्या यह सच है कि ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय स्मरकों की उचित धन की कमी के कारण अवहेलना हो रही है, और यदि हाँ, तो मंत्रालय के तखमीनों के अनुसार कितने धन की आवश्यकता है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : मैं यहाँ तक तो सहमत हूँ कि जो धन मरम्मत तथा देख-रेख के लिये उपलब्ध है उसमें निगरानी तथा पहरे आदि का भी खर्च सम्मिलित है, परन्तु विशेष प्रकार की मरम्मत के लिए विशेष धन की आवश्यकता पड़ती है । मैं इस सुझाव को अवश्य ही मानता हूँ कि ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत करने के लिये जो धन पुरातत्व के महानिदेशक को दिया जाता है वह यथेष्ट नहीं है । संसदीय प्रश्न होने के फलस्वरूप ज्यों ही कुतुब मीनार का मामला मेरे सामने आया तो इस प्रश्न पर विचार किया गया । अब हम ऐतिहासिक स्मारकों की, जहाँ आवश्यकता समझी जाएगी, मरम्मत करने के बारे में सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं । हम इस उद्देश्य के लिये कार्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं तथा इसके पश्चात् यह देखने के लिये हम सम्बद्ध सरकार के संगत विभागों से मिलेंगे कि अपने देश के इन महान ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत कर

इन्हें सही दशा में रखने के लिये वित्तीय संसाधनों की सामान्य विवशता के अन्तर्गत हमें उचित मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जाँए ।

श्री देवकीनन्दन पटोदिया : क्या माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि आवश्यक जाँच करने के उपरान्त चौथी योजना के दौरान खर्च करने के लिये आवश्यक धन की योजना तैयार करेंगे तथा योजना आयोग से इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हर सम्भव उपाय करेंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी हाँ ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन प्राचीन स्मारकों को जब एक बार सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तो न तो केन्द्र इनकी मरम्मत करता है और न ही केन्द्र राज्य सरकारों को इनकी मरम्मत करने की अनुमति देता है । मैं मैसूर में धन-समर्पण मंत्री था और हमने कुछ प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत करवाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनेक बार प्रार्थना की क्योंकि वे मन्दिर प्राचीन स्मारकों की सूची में हैं..।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल कुतुम्ब मीनार से सम्बन्धित है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : परन्तु न तो केन्द्र इनकी मरम्मत करता है और न ही हमे इनकी मरम्मत करने के लिये अनुमति देता है। क्या सरकार इन मन्दिरों के परिरक्षण के प्रश्न पर विचार करेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि इन घाटों की अवहेलना नहीं की जायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस प्रश्न पर विचार करूँगा ।

केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों को दिया गया यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता

\+
*693. **श्री यशपाल सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री, राज्य-मंत्री तथा उप-मंत्री ने भारत तथा विदेशों में यात्रा के लिए गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितना-कितना यात्रा तथा दैनिक भत्ता लिया ; और

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी विशिष्ट हिदायतें जारी की हैं कि मंत्रियों को महीने में कितने दिन मुख्यालय में रहना चाहिए तथा कितने दिन वे बाहर जा सकते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । मन्त्रियों द्वारा यात्राएँ केवल तभी की जाती हैं जब उनके कर्तव्यों के उचित निष्पादन के संबंध में वे आवश्यक होती हैं ।

श्री क० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार कर सकते हैं ? जब कभी भी हमने इस प्रश्न का नोटिस दिया है तो हमें यही बताया जाता है कि सूचना

एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। इस सूचना को वे कब तक सभा-पटल पर रख देगें ? इसके लिए वे कितना समय लेंगे ? यह उस माननीय सदस्य का अपमान है जिसने इस प्रश्न को उत्तर के लिए दिया है। यह अक्षम्य है।

Shri Hukam Chand Kachwai : When was this question received by the Ministry ? The question was tabled one month back.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the travelling allowance in respect of certain Ministers has exceeded their pay and whether some Ministers have been paid the allowance while they never went out of their houses, never went abroad. Will you kindly tell whether the allowances have exceeded their pay in the case of any hon. Minister ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Every Minister goes abroad in accordance with his duties. If their duty is not such, they do not go on tour. If the tour is considered necessary they have to go on tour. Therefore, it is not that they go on tour in order to earn travelling allowances. Such allegations are entirely wrong.

So far as the question of information is concerned, if you see part (a) of the question you will find that information regarding travelling allowance and daily allowances for the tours made in the country and abroad during the last three years is sought. It is, therefore, obvious that the required information shall have to be obtained from all our missions in the foreign countries and this detailed information shall be laid on the table of the House, when received, this proceses will certainly take some time. In spite of our best efforts we shall not be in a position to collect this information within the period of 10 or 15 days, usually given to us for collecting such information. Therefore, it will take some time in collecting and laying the required information on the Table o f the House, and that is why it has been said that the required information will be laid on the Table of the House after having been collected.

Shri Yashpal Singh : As for the question of allowance, this is not yet clear. He has given the statement ; but not the names of the hon. Ministers nor the amount of the allowance claimed by them nor the amount that could be saved.

Mr. Speaker : No such information has been received.

विशाखापत्तनम में निर्मित जहाजों का मूल्य

***694. श्री लोबो प्रभु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में निर्मित जहाजों का मूल्य विश्व के जहाजों के मूल्य से औसतन कितने प्रतिशत अधिक है; और

(ख) क्या इससे परिवहन लागत बढ़ जाने के कारण हमारे नौवहन की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) इस समय हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में निर्मित जहाजों के आकार और प्रकार का मूल्य ऐसे जहाजों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक नहीं होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोबो प्रभु : मैं माननीय मन्त्री के उत्तर को समझने में असफल रहा हूँ। परन्तु मैंने रिपोर्ट देखी है और इससे ज्ञात होता है कि हमारे जहाजों के मूल्य, उन मूल्यों से जिन पर वे हमें बाहर से मिल सकते हैं, कम से कम 15 प्रतिशत अधिक हैं तथा उन्होंने राज–सहायता की माँग की है। परन्तु मैं समझता हूँ कि उन्होंने 15 प्रतिशत जिस राज–सहायता की माँग की है वास्तव में वह अन्तर से बहुत कम है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस शिपयार्ड में अधिक जहाज बनाने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ताकि लागत को कम किया जा सके ?

श्री इकबाल सिंह : सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर जहाजों की कीमत ली जाती है। यह एक परम्परा है, जो कि केवल हमारे देश में ही नहीं है अपितु कुछ अन्य जहाज-निर्माता देशों में भी है, जहाँ कि अन्तर्राष्ट्रीय लागत ली जाती है। यदि कोई राज–सहायता देनी होती है तो जहाजों के आकार तथा प्रकार के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का मूल्यांकन करके हम सीधे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को राज–सहायता देते हैं। हमने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विस्तार का एक कार्यक्रम बनाया है, तथा जबकि एक वर्ष पहले तक वे एक वर्ष में 3 जहाज बनाया करते थे, अब एक वर्ष में 6 जहाज बनने लगेंगे।

श्री लोबो प्रभु : यह पूर्णतया स्पष्ट है कि हमारे जहाजों का निर्माण आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद है तथा सरकार को गत वर्ष तीन करोड़ रुपये अर्थात् प्रत्येक जहाज पर 1 करोड़ रुपये राज–सहायता के रूप में देने पड़े। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार शिपयार्ड के प्रबन्ध अथवा स्वामित्व में फेर-बदल करने पर विचार करेगी। उन्होंने कोचीन शिपयार्ड के लिए पहले ही पिसुबिसिज से सहयोग स्थापित कर लिया है। क्या अदक्ष व्यक्तियों से जहाजों का निर्माण कराने की बजाय वह किसी ऐसे अन्य देश का सहयोग प्राप्त करेंगे, जो जहाजों के काम में निपुण हो ?

संसद्–कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं सीधे शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के हमारे प्रबन्धक अदक्ष व्यक्ति हैं। वे व्यक्ति जो वहाँ उच्च पदों पर हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। जहाँ तक राज-सहायता का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को पाई रिपोर्ट की पूर्ण जानकारी है। मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगिता–योग्य बनाने के लिए, हमारे देश में ही नहीं, अपितु जहाज निर्माण करने वाले लगभग सभी देशों में राज-सहायता दी जाती है। हमारे जहाजों के निर्माण के सस्ता बनाने के लिए पाई समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं। हम उन सिफारिशों का अध्ययन कर रहें हैं तथा हम देखेंगे कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या माननीय मंत्री शिपयार्ड में बने तथा आयात किए गए जहाजों का लागत–मूल्य बतायेंगें ? क्या सरकार इस बात को भी स्वीकार करेगी कि भारी मात्रा में पूंजी-निवेश के कारण तथा क्रयादेशों की कमी के कारण, जहाजों का निर्माण न किये जाने के कारण, हमारे जहाजों के लागत-मूल्य से कहीं अधिक है ?

श्री इकबाल सिंह : जैसा कि मैं आरम्भ में कह चुका हूँ लागत–मूल्य केवल हमारे देश में ही अधिक नहीं है, अपितु हर देश में अधिक है, क्योंकि लागत–मूल्य मुख्यतया इस्पात पर

आधारित होता है तथा हमारे देश में इस्पात की लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत की तुलना में 300 रुपये प्रति मीटरी टन अधिक है। इसलिए लागत का अधिक होना स्वाभाविक ही है। परन्तु मूल्यांकन करने के बाद हम अन्तर्राष्ट्रीय कीमत ही लेते हैं। हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न जहाजों के बारे में तुलना भिन्न-भिन्न होगी, जो कि जहाज के आकार और प्रकार तथा उसमें इस्तेमाल किये गये इंजन तथा उसमें दी गई सुविधाओं इत्यादि पर निर्भर होगी। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का मूल्यांकन करके हम राज-सहायता देते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : शायद मेरे प्रश्न के दूसरे भाग को ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सका है। क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि जहाजों के मूल्य के अधिक होने का कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारी मात्रा में पूंजी का लगाया जाना तथा कम संख्या में जहाज़ों का निर्माण करना है ?

श्री इकबाल सिंह : हमारा विचार विस्तार करने का है और जब तीन की बजाय छः जहाज बनने लगेंगे, तो राज–सहायता कम हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि नहीं कि यद्यपि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में आधुनिकतम तथा विकसित डिजाइनिंग और ड्राइंग प्रभाग है, तथा उसमें बहुत योग्य और अनुभवी डिजाइनर काम करते हैं, फिर भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड को जहाजों का क्रयादेश देने वाले अधिकांश व्यक्ति इस शर्त पर क्रयादेश देते हैं कि जहाज़ के डिजाइन का मानचित्र विदेशों से मँगाया जाय और वे ऐसे जहाजों को लेने से इंकार कर देते हैं जिनका डिजाइन हिन्दुस्तान शिपयार्ड में तैयार किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप भारी लागत पर विदेशों से जहाज़ों के मानचित्र मँगाने पड़ते हैं और प्रत्येक मानचित्र के लिए लगभग 30 से 50 लाख रुपये तक देने पड़ते हैं, जिससे जहाज की लागत में बहुत वृद्धि हो जाती है ? भारी कीमत पर विदेशों से मानचित्र न मँगा कर तथा देश में ही जहाजों का डिजाइन तैयार करके, क्या लागत–मूल्य को कम नहीं किया जा सकता है ?

श्री इकबाल सिंह : मानचित्रों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु हिन्दुस्तान शिपयार्ड में हम बार–बार एक ही प्रकार के जहाज बनाते हैं, ताकि लागत–मूल्य में कमी आये। इस पद्धति के अपनाने से लागत–मूल्य में कमी आ रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक कोई उस प्रकार के जहाजों को लेने को सहमत नहीं होगा, क्रयादेश नहीं दे सकेगा। यही कारण है कि वे एक वर्ष में तीन से ज्यादा जहाज नहीं बना सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जहाज की लागत तथा शिपयार्ड के अतिरिक्त क्या सरकार यह बता सकती है कि हमारे मुख्य बन्दरगाहों पर जहाजों को लादने तथा उतारने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है तथा क्या इस वर्ष परादीप पत्तन पर एक सामान्य माल–बर्थ का निर्माण किया जायेगा ?

श्री इकबाल सिंह : शिपयार्ड को छोड़ कर अब सामान्य माल–बर्थ की बात की जाने लगी है। इस प्रश्न से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी सूचनार्थ मैं यह बता देता हूँ कि हमने परादीप पर सामान्य माल–बर्थ की मंजूरी दे दी है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : भारत में बना एक जहाज रुमानिया तट पर टूट कर दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी तकनीक त्रुटिविहीन है ? संसार में जहाज-निर्माण तकनीक में तीव्र प्रगति हो रही है। इस बात को देखते हुये क्या सरकार यह बतायेगी कि आधिनकतम तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री इकबाल सिंह : हम आधुनिक तकनीक को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु लागत का तकनीक से कोई सम्बन्ध नहीं है। अमरीका तकनीक के जहाज से सबसे आगे बढ़ा हुआ है। फिर भी उसे 50 प्रतिशत राजसहायता देनी पड़ रही है। अतः यह एक भिन्न प्रश्न है। हम समूचे प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं और शिपयार्ड को आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

नागा स्वयं-सेवकों द्वारा प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के समक्ष आसाम-नागालैंड सीमा-विवाद के सम्बन्ध में धरना देने की धमकी

*695. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और नागालैंड के बीच सीमा-विवाद के बारे में निकट भविष्य में समझौता न होने पर नागा स्वयंसेवक नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने धरना देंगे ; और

(ख) क्या सत्तारूढ़ नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन ने कोहिमा में मई, 1969 में हुए अपने दो दिवसीय अधिवेशन की समाप्ति पर इस आशय का कोई संकल्प पास किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। नागालैंड राष्ट्रवादी संस्था द्वारा कोहिमा में मई, 1969 में हुई अपनी बैठक में पारित संकल्प में नई दिल्ली में प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान के सामने नागा स्वयंसेवकों द्वारा धरना दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खुशी है कि उन्होंने यह निर्णय नहीं किया है। परन्तु क्या उन्होंने संकल्प पारित किया था जिसमें इस समस्या को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने की प्रधान मन्त्री से प्रार्थना की गई थी और यदि हाँ, तो उसके बारे में प्रधान मन्त्री अथवा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हाँ, उन्होंने इस प्रकार का संकल्प पारित किया था। कुछ समय से भारत सरकार उस पर विचार कर रही है। लगभग तीन वर्ष पहले हमने नागालैंड सरकार से अनुरोध किया था कि वह हमें एक विशिष्ट ज्ञापन भेजे जिसमें आसाम राज्य के उस क्षेत्र को, जिस पर वे दावा करते हैं, विस्तारपूर्वक दिखाया गया हो। अभी तक हमें वह ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम इस प्रश्न पर, जिस ढंग से वे चाहते हैं, उस ढंग से विचार नहीं कर सके हैं। अब नागालैंड सरकार चाहती है कि सीमा आयोग नियुक्त करके इस प्रश्न पर विचार किया जाये। जब तक सरकार को यह पता न हो कि वास्तव में दोनों पक्षों के दावें क्या-क्या हैं, तब तक ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है।

श्री रा० बरुआ : माननीय मन्त्री के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि भारत सरकार नागालैंड सरकार से विचार-विमर्श कर रही है। क्या इस मामले में आसाम सरकार की सलाह भी ली जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले में आसाम सरकार की कभी अवहेलना नहीं की जायेगी, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिससे आसाम सरकार तथा नागालैंड सरकार सम्बन्धित हैं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस सम्बन्ध में एक स्तर पर आसाम सरकार के मुख्य सचिव तथा नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव के बीच कुछ बातचीत भी हुई थी। आसाम सरकार इस मामले से सम्बद्ध है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार आसाम सरकार तथा नागालैंड सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ताकि इस मामले को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके और नागा विद्रोहियों में यह भावना पैदा न हो कि सीमा-विवाद का लाभ उठा कर वे अशांति फैला सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने पहले ही आसाम सरकार तथा नागालैंड सरकार को यह संकेत दे दिया है कि उन्हें इस मामले पर आसाम में बातचीत करनी चाहिए। जैसा कि गृह-कार्य मन्त्री ने अभी कहा है दोनों सरकारों के मुख्य सचिवों ने इस मामले पर बातचीत की थी। हमने इस मामले को आपसी सद्भाव और संतोषजनक ढंग से सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि सीमा आयोग का प्रश्न न उठे।

श्री स्वैल : राज्य मंत्री ने अभी बताया कि नागालैंड सरकार ने उन क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है जो क्षेत्र उनके मन में हैं । उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही वह क्षेत्रों के बारे में बता देगें वैसे ही सरकार मामले की जाँच करेगी । क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि जहाँ कहीं भी सीमा-विवाद तीन वर्ष से चल रहा हो वह न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए और मामले पर विचार करते समय न्यायाधिकरण को संलग्न तथा भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए। नागालैंड सरकार द्वारा विवादास्पद क्षेत्र के बारे में बताए जाने के पश्चात् क्या वह इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपेंगे और उसको संलग्नता और भाषा को ध्यान में रखने को कहेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न के बारे में पहले से ही कुछ नहीं कह सकता। ज्ञापन के प्राप्त होने तथा उस पर विचार किये जाने के पश्चात् ही हम इस बात कर निर्णय कर सकेंगे कि इसको किस प्रकार निपटाना है ?

श्री हेम बरुआ : सीमा के एक क्षेत्र विशेष पर नागालैंड और आसाम के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ है इसलिए वह क्षेत्र विद्रोही नागाओं की गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। क्या केन्द्रीय सरकार पहल करेगी और इस मामले को दोनों पक्षों के हित में शांतिपूर्ण ढंग से निपटायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम यही प्रयत्न कर रहे है कि मामला आपसी द्वेष के बिना ही हल हो जाये और हमें इसमें सफल होने की आशा है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : इस विवाद के सम्बन्ध में यह बात किस सीमा तक ठीक है कि नागालैंड सरकार जिस क्षेत्र पर दावा कर रही है उसमें नागा लोग नहीं बसे हुए हैं? इस मामले में सरकार की नीति क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूँगा कि वे इस प्रश्न के गुण-दोष में न जायें क्योंकि इस समय यह मामला दोनों सरकारों के विचाराधीन है । हमें आशा है कि कुछ और चर्चा के बाद इस विवाद को हल करने के लिए कोई मार्ग निकल आयेगा । यदि यह मामला लटकता रहा तो फिर हम देखेंगे कि हम इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए क्या कर सकते हैं ?

श्री बसुमतारी : मेरा प्रश्न यह है : नागा लोगों और आसाम के लोगों के बीच एक लम्बी अवधि से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। नागालैंड के एक पृथक राज्य बन जाने के बाद से उनके सम्बन्ध अमैत्रीपूर्ण हो गये हैं। भारत सरकार इस सीमा-विवाद को हल करने में कितना समय लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस विवाद को यथासम्भव शीघ्र हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान में नेताजी को जीवन सम्बन्धी प्रदर्शनी

+

अ० सू० प्र० 8 श्री समर गुह : श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता ने इस वर्ष 21 अक्तूबर, को अन्दमान के पोर्ट ब्लेयर नगर में नेताजी के जीवन तथा क्रियाकलापों से संबंधित एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये आवश्यक सुविधाएँ तथा सहायता देने के लिये भारत से प्रार्थना की है;

(ख) क्या इस ब्यूरो ने सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि वह नेताजी के 1943 में अन्दमान में आने की स्मृति में पोर्ट ब्लेयर पत्तन के विश्राम-कक्ष में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की बड़े आकार की एक मूर्ति स्थापित करने के लिये कार्यवाही करे; और

(ग) यदि हाँ तो, इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

डा० सिसिर के० बोस, कार्यकारी निदेशक, नेता जी रिसर्च ब्यूरो, कलकत्ता ने 30 जून, 1969 को गृह-मन्त्री को एक पत्र लिखा था कि ब्यूरो का 21 अक्तूबर, 1969 से एक सप्ताह अथवा दस दिन के लिए पोर्ट ब्लेयर पर नेताजी के जीवन (जिसमें उनके अन्दमान के दौरे पर विशेष बल होगा) पर एक छोटी चित्र-प्रदर्शनी के आयोजन का विचार है तथा पोर्ट ब्लेयर

के हवाई अड्डे पर नेताजी के पहुँचने के मूल चित्र को बड़ा करके 21 अक्तूबर, 1969 को हवाई अड्डे के विश्राम-कक्ष में औपचारिक रूप से लगाने का भी विचार है। डा० बोस ने इस सम्बन्ध में गृहमन्त्री की सहमति और सहयोग चाहा था। गृह-मन्त्री ने 23 जुलाई, 1969 को डा० बोस को पहले ही उत्तर भेज दिया था कि ब्यूरो के उक्त प्रदर्शनी के आयोजन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के विश्राम-कक्ष में चित्र लगाने के प्रश्न को नागर विमानन विभाग से परमर्श करके अन्तिभ रूप दिया जाय। पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय ने भी डा० बोस को 25 जून, 1969 को सूचित किया कि पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर विश्राम-कक्ष में नेताजी के पहुँचने के बड़े चित्र को लगाने का ब्यूरो के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं किन्तु बड़े चित्र को लगाने के लिए भेजने से पहले मंत्रालय से निरीक्षण करा लिया जाय। अतः प्रश्न के भाग (ख) में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का किया गया उल्लेख उनके पोर्ट ब्लेयर में आगमन पर नेता जी के बड़े सामूहित तथा स्थल-चित्र (न कि केवल नेताजी के चित्र) से है जो बड़े चित्र का स्वरूप मन्त्रालय को स्वीकार्य हो। इस मामले में पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय तथा नेताजी रिसर्च ब्यूरो के बीच पत्राचार चल रहा है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री समर गुह : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बीस वर्ष पश्चात् नेताजी के बारे में सरकार के रवैये में जो सुखद परिवर्तन हुआ है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। अन्डमान में पोर्ट ब्लेयर पर नेताजी के आगमन का एतिहासिक महत्त्व है क्योंकि 1943 में वह वहाँ पर स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रपति अथवा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पहुँचे थे जिसको 15 अन्तर्राष्ट्रीय राज्यों ने मान्यता दी थी। नेताजी, जोकि मंत देश भक्त थे और भारतीय तथा एशिया की क्रान्ति के महान् क्रान्तिकारी निर्माता थे, ने पोर्ट ब्लेयर पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम ध्वज फहराया था और इसलिए अन्डमान और निकोबार को स्वतन्त्र भारत की पवित्र भूमि का प्रथम स्थान होने का सम्मान प्राप्त है। नेताजी ने स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना 21 अक्तूबर, 1943 को की थी, क्रान्तिकारी भारत के लिए 21 अक्तूबर का दिन वास्तव में स्वतन्त्रता दिवस है। मेरा प्रश्न यह है कि अन्डमान का कोष्ठमय जेल के आरक्षण सम्बन्धी मेरे ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर में सरकार की सहमति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत है कि अन्डमान और निकोबार का नाम बदल कर शहीद और स्वराज्य द्वीप रख दिया जाये जैसा कि नेताजी का अस्थायी सरकार द्वारा किया गया था? क्या सरकार इनके नाम में परिवर्तत करेगी? दूसरे, क्या अन्डमान में नेताजी के आगमन सम्बन्धी अवशेषों तथा ऐतिहासिक महत्त्व के दास्तावेजों तथा अन्डमान सरकार के स्थानीय मुख्यालयों तथा अन्डमान कोष्ठमय जेल में पुराने क्रान्तिकारियों के अवशेषों का सरकार आरक्षण करेगी, क्या सरकार उनको स्थानीय राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने दो नई बातें उठाई हैं। एक तो नेताजी का अन्डमान यात्रा सम्बन्धी स्मारकों तथा अन्य चीजों के रख-रखाव के बारे में है। अन्तरिम उत्तर के रूप में अन्डमान प्रशासन से जो सूचना मिली है वह यह है कि उनकी यात्रा से सम्बन्धित कोई विशेष चीज वहाँ उपलब्ध नहीं है। केवल इतना बताया गया है कि वह वहाँ रोज द्वीप

में मुख्य आयुक्त के मकान में रहे और यह इमारत बिल्कुल टूटी-फूटी हालत में है। कुछ गिरी हुई दीवारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः जहाँ तक उनकी यात्रा का सम्बन्ध है संरक्षण के के लिए कोई चीज नहीं है।

जहाँ तक द्वीप का नाम बदलने का प्रश्न है मेरे विचार में मेरे लिए अथवा आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार का कोई निर्णय करना उचित नहीं है। जहाँ तक क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है हमने गृह-मन्त्रियों का परामर्शदात्री समिति से परामर्श किया था और उस क्षेत्र के लोग नाम परिवर्तन के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं।

श्री समर गुह : यह तस्वीर है जिसमें नेताजी को अन्डमान में स्वतन्त्रता का ध्वज फहराते दिखाया गया है (तस्वीर दिखाई गई)। क्या सरकार संसद् सदस्यों के प्रतिनिधि-मण्डल की अन्डमान यात्रा को पोर्ट ब्लेयर में 21 अक्तूबर, 1969 को नेताजी प्रदर्शनी समारोह के उद्‌घाटन के साथ सम्बन्धित करेगी ? क्या सरकार असैनिक उड्डियन तथा पर्यटन मंत्रालय पर यह जोर देगी कि नेताजी पदर्शनी के संयोजकों को मुफ्त परिवहन की सुविधा दे और सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय को भी इस समूचे समारोह को रेडियो, फिल्म तथा प्रचार करने के अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित करने का निवेदन करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं जिसमें चित्र का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। जहाँ तक चित्र का सम्बन्ध है मैं कोई बचन नहीं दे सकता। प्रतिनिधि-मन्डल की यात्रा को 21 अक्तूबर को रखने का सुझाव रचनात्मक है और मैं इस पर विचार करूँगा।

श्री अमिय नाथ बोस : चूँकि सरकार ने 1943 में अन्डमान में नेताजी के आगमन को मनाने का निर्णय किया है क्या गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धित प्रक्रिया के अनुसार जापान की सरकार को और स्वतंत्र भारत को अन्डमान तथा निकोबार द्वीप के हस्तांन्तरण के बारे में सम्बन्धित राजनयिक दस्तावेज तथा अन्य रिकार्ड सप्लाई करने के लिए उनुरोध करेगी ? शायद गृह-कार्य मंत्री इस बात से अवगत हैं कि युद्ध आरम्भ होने के बाद जापान ने अन्डमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार की स्थापना के पश्चात अस्थायी सरकार ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को अपना क्षेत्र बनाने की माँग की थी और इसके बाद हस्तान्तरण हुआ था। अतः इस हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राजनीतिक दस्तावेज और अन्य रिकार्ड जापान सरकार के पास हैं। यह उचित है कि हम इस समय जापान सरकार से ये दस्तावेज ले लें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह नया सुझाव है। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की सलाह से इस बारे में जाँच करूँगा।

श्री विश्वनाथ राय : उक्त द्वीप को कोई नाम देने या उसका नाम बदलने की बात को छोड़ कर, क्या वहाँ बिटिश सरलार द्वारा दी गई मान्यताओं के परिणामस्वरूप शहीद हुए व्यक्तियों की स्मृति में एक समाधि स्थापित करने की कोई योजना या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था उनकी स्मृति में भूमिगत कारागार को बनाये रखने का प्रस्ताव है। इस बारे में अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० आर० गणेश : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का जो दौरा किया था उसके बारे में भी हमें स्मारक स्थापित करना चाहिये । मैं इस अवसर पर अन्दमान और निकोबार के बारे में सर्वप्रथम सभा में सब रिकार्ड स्पष्ट करूँगा । यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी । चूंकि मुझे उन लोगों के प्रति भी निष्ठा दिखानी है जिसका मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ, मैं यह जरूर कहूँगा कि उक्त अवधि में द्वीप समूह के तीन-चौथाई भाग पर जापानी फासिस्ट रह रहे थे। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी ऐसा मकान नहीं है जिस पर दूसरे युद्ध की छाप न पड़ी हो । सैकड़ों स्थानीय लोगों को जेलों में डाल दिया गया, हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और हजारों लोगों समुद्रों में फेंक दिये गये । मैं इन बातों का इसलिये उल्लेख कर रहा हूँ कि यह ऐतिहासिक सत्य है यद्यपि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीयों द्वारा लड़े गये स्वतन्त्रता संग्राम के चिन्ह हो गये हैं और उन्होंने उक्त द्वीप समूह को प्राप्त कर लिया तथापि इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जापानी फासिस्टों ने उस अवधि में जब कि वहाँ अस्थायी सरकार कार्य कर रही थी इस द्वीप समूह की समस्त जनसंख्या को समाप्त कर दिया था ।

श्री समर गुह : मैं इस बारे में माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा नेताजी के दौरे से पूर्व हुआ अथवा बाद में ?

श्री के० आर० गणेश : जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो मुझे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये । ऐसा नेताजी के दौरे से पूर्व, दौरे के दौरान और दौरे के बाद हुआ । अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रसिद्ध भूमिगत कारागार बन्दियों से भरा पड़ा था जो बहुत सताए गये थे ।

अध्यक्ष महोदय, आप इस द्वीप समूह में गये हैं और आप शहीद सरकार दीवान सिंह के बारे में जानते हैं । आपने सुना है कि एक व्यक्ति को, जिसके नाम का लोगों को पता नहीं है, जापानियों ने छः या सात महीने तक यातनाएँ दी थीं, लेकिन वह अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया और उसने जहाँ तक जापानियों का सम्बन्ध था, अपने साथियों का समर्पण अथवा परित्याग करने से इंकार कर दिया था ।

देश की उस समय की राजनीतिक स्थिति में नेताजी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने की बात पर कोई विवाद नहीं है ।

मैं इस बारे में रिकार्ड को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने का पहली बार अवसर मिला है कि मैं यह बताऊँ कि उस अवधि में जापानी फासिवस्टों ने हमें कितनी यातनाएँ दी थीं । हमारी आत्मा उस द्वीपसमूह में है। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वीप समूहों का नाम बदला जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें ।

श्री के० आर० गणेश : अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों में हमारी आत्मा है । हमारा इतिहास वर्ष 1943 में आरम्भ नहीं हुआ था । हमारे इतिहास का आरम्भ वर्ष 1857 में हुआ था । हम 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले कुछ अभियुक्तों की संतान हैं । अन्दमान और

निकोबार द्वीप-समूह का इतिहास वर्ष 1857 में आरम्भ हुआ। इसका सम्बन्ध वर्ष 1929 से है जब मोपला विद्रोही वहाँ आए। इसका सम्बन्ध वर्ष 1934 से है जब आतंकवादी, क्रान्तिकारी वहाँ आये। अतः अन्दमान और निकोबार द्वीप–समूहो का इतिहास एक बहुत लम्बा इतिहास है।

अन्दमान का नाम हमारी आत्मा में है। अन्दमान की आदिम जातियों को इस नाम से जाना जाता है। निकोबार की आदिम जातियों को इस नाम से जाना जाता है। हम अपनी आत्मा का परित्याग नहीं करना चाहते। यदि इसके नाम को बदला गया तो हम इसका कोई नाम नहीं रख सकेंगे। वास्तव में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में हमें अधिक से अधिक, जितने हमें चाहें, स्मारक बनाने चाहिये। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हमारा नाम बदला जाए। हम इसके नाम-परिवर्तन का विरोध करते हैं।

श्री समर गुह : अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम नेताजी की अध्यक्षता में आजाद हिन्द सरकार ने बदला था।

श्री के० आर० गणेश : हम ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। आप हमारा नाम नहीं बदल सकते। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री समर गुह : यह सफेद झूठ है। उस समय श्री गणेश अन्दमान में नहीं थे, वह तब मद्रास में थे। (**अन्तर्बाधाएँ**) उन्हें अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के वास्तविक तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं हैं। मैंने बर्मा, मलाया, इन्डोनेशिया, फिलीपीन का दौरा किया था और वहाँ मैं डा०बायो ड़ा० सुकार्णो, डा० लोरेल से, जो उस समय उन राज्यों के अध्यक्ष थे, मिला था। उन्होंने और सब दक्षिण एशिया के भारतीय प्रतिनिधियों ने मुझे बताया था कि नेताजी द्वारा वहाँ अस्थायी सरकार बनाने और शक्ति प्राप्त करने के बाद जापानियों ने किसी भी भारतीय को परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि जब जापानियों ने उन देशों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने नेताजी की सहायता ली और नेताजी ने उस देश के व्यक्तियों की जापानियों के अत्याचार से रक्षा की। दक्षिण-पूर्व एशिया में सब भारतीयों ने मुझे बताया कि नेताजी द्वारा शक्ति प्राप्त करने के पश्चात्, जापान सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशिया, जिसमें अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं, किसी भी भारतीय के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया।

माननीय सदस्य, जो जापानियों के दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत कर रहे हैं, उस समय अन्दमान में नहीं थे। आजाद भारत की अस्थायी सरकार ने शहीद और स्वराज्य द्वीपों का नाम दिया था, जिसको 15 अन्तर्राष्ट्रीय राज्यों ने मान्यता दी थी। नेताजी द्वारा दिए गए नाम की संवैधानिक औचित्य से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः इसका नाम फिर से शहीद और स्वराज्य द्वीप समूह रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को क्या हो गया है? आप जरा-जरा सी बात पर लड़ाई आरम्भ कर देते हैं। मुझे यह देख कर वास्तव में बहुत आश्चर्य होता है। हमें शान्ति चाहने वाले ऐसे लोगों की समिति के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए जो एक दम माननीय सदस्य पर झपटें और उन्हें बैठा दें।

Shri Randhir Singh : If Netaji Subash Chandra Bose had not played the keyrole in the struggle for freedom, we would have not attained independence. There were 40 : thousand

soldiers in his army from my State alone. People of my State also sacrificed their lives along with others in Andaman and Nicobar Islands. It is proper and advisable to erect a memorial there. We should have his statute in the premises of Parliament House as also a portrait placed in the Central Hall. We do not see his name here. I want to know whether Government are considering any proposal to establish some memorial in the Parliament House premises and the Red Fort area so that the coming generation may adore him as a valient fighter of freedom.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये सुझाव हैं जिन पर विचार किया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shashtri : We are not aware of the last days of Netaji Subash Chandra Bose. He died in an air crash in Tiewan. The Tiewan Government have stated that no member of the Sahnawaz Committee, which was appointed to ascertain the facts and causes leading to the death of Netaji Subash Chandra Bose, did visit Tiewan, although the Tiewan Government was prepared to give full co-operation in this regard. I want to know whether Government proposed to take some decision in this regard so that the concluding chapter could be written on the basis of knowledged facts.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह दूसरा सुझाव है जो विचाराधीन है ।

श्री अमिय नाथ बोस : इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूँगा । मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मृत्यु के एक महीने पूर्व दिल्ली में मिला था और मैंने उनसे कलकत्ता की समिति की ओर से उचित जाँच आयोग के गठन की माँग की थी और उन्होंने इसका अनुमोदन किया था । वह इस बात से सहमत थे कि उन्हें शाहनवाज जाँच समिति के निष्कर्षों के बारे में शंका थी और वह इस बात से सहमत के कि उचित जाँच आयोग की नियुक्ति की जाए । मुझे कलकत्ता पहुँचते ही पंडित जवाहर लाल नेहरू से पत्र प्राप्त हुआ । मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि जाँच आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश द्वारा की जानी चाहिए । उन्होंने इसके उत्तर में लिखा था कि मुख्य न्यायाधिपति के न्यायिक कामों को देखते हुए मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि वह इस प्रकार के जाँच आयोग की अध्यक्षता कर सकेंगे । लेकिन वह इस बात से सहमत थे कि यह आवश्यक और वांछनीय है कि इस विमान-दुर्घटना के बारे में अन्तिम निष्कर्षों पर पहुँचना जरूरी है । अतः श्री नेहरू ने इस सम्बन्ध में वचन दिया था । मैं वर्तमान प्रधान-मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को याद दिला रहा हूँ कि वह पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिए गए वचन का पालन करें ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस विशेष पहलू पर सरकार विचार कर रही है । अभी हाल में इस बारे में प्रधान–मन्त्री को संसद् सदस्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं (**अन्तर्बाधाएँ**)

श्री हेम बरुआ : प्रधान मंत्री ने भी मंत्रिमंडल को एक सुझाव दिया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मामला प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के विचाराधीन है ।

Shri Sheo Narain : Shri Subash Chandra Bose was the leader of the Fredom Movement of 1942. He has been the Congress President also. We can never forget the treatment meted out to him by the compatriots. Every Indian knows him well. Saravashri Saigal, Dhillon and Shahnawaz are still alive. They know the actual story. Every child of the

nation feels, indebted to Subash Chandra Bose. More than anybody else, Subash Chandra Bose contributed to the attainment of the country's freedom. I want to know the amount of assistance proposed to be given by the Government to the Calcutta Bureau for erecting a memorial in his honour.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं राशि के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो सुझाव दिए गये हैं, उनपर विचार किया जाएगा।

श्री स० कुण्डू : मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष अन्दमान में सरकारी समारोह आयोजित करना सम्भव है, क्योंकि मेरे विचार में यदि सरकारी समारोह किया जाय तो उससे नेताजी के नाम को उचित आदर एवं सम्मान मिलेगा ?

श्री यशवन्त चव्हाण : मैं इस सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकता। इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा।

(कुछ माननीय सदस्य उठे)

अध्यक्ष महोदय : अन्दमान में नेताजी के जीवन के सम्बन्ध में प्रदर्शनी के बारे में यह अल्प-सूचना प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भावुक हो कर बोल रहे हैं। अतः मैं कुछ नहीं कहता। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस अवसर का उपयोग वाद-विवाद के समय के रूप में किया जा रहा है........

श्री स० मो० बनर्जी : कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हम ने अनुरोध किया था कि 350 सदस्यों द्वारा भेजे गये ज्ञापन पर चर्चा करने की अनुमति दी जाय (**व्यवधान**) परन्तु समय के अभाव के कारण हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अल्प-सूचना प्रश्न पर एक या दो और सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय।

Shri Yamuna Prasad Mandal : I feel that a Netaji Gate just like the India Gate should be constructed there in order to perpetuate the memory of this greatest son of India. May I ask if we can re-name Port Blair as Neta Pattan? We may discuss the matter with the people in that region. Many revolutionaries had been imprisoned in the cell and jail of that land before partition. In view of this may I know whether the hon'ble Minister considers the desirability of erecting a Netaji Gate and a Memorial of freedom fighters and revolutionaries. ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि हम स्मारक बनाना चाहते हैं तो हमें उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिये। सभी स्थानों पर सब प्रकार के स्मारक नहीं बनाये जा सकते। कुछ लोग वहाँ गये थे और उन्होंने इस बात पर विचार किया था कि वहाँ पर नेता जी का किस प्रकार का स्मारक बनाया जाना चाहिये। एक मूल विचार यह है कि वहाँ पर नेता जी की एक मूर्ति स्थापित की जाय और उस मूर्ति के आसपास कुछ अन्य गतिविधियों को स्थान दिया जाये। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री जो० विश्वनाथन : अन्दमान में नेता जी का स्मारक बनाने के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व क्या सरकार कलकत्ता में सुभाष चन्द्र बोस के गिरते हुए मकान की ओर ध्यान देगी ? उस

मकान की अपेक्षा की जा रही है और रिकार्ड सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस मामले की जांच करूँगा।

Shri Om Prakash Tyagi : Not only Netaji Subhash Chandra Bose but other great patriots like Lala Lajpat Rai and Vir Savarkar have been there in Andaman and Nicobar Islands. In view of this may I know whether Government would erect a monument depicting the cellular jail etc. so that the people of the country may go there and derive inspiration of patriotism?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने इसका उल्लेख किया है। वहाँ का जमीनदोज जेल महान क्रान्तिकारियों तथा शहीदों के उत्पीड़न का सबसे बड़ा स्मारक है। हमारा विचार उसी का उचित देख-भाल करना है। एक अन्य स्मारक बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

श्री शंकर राव माने : गृह–कार्य मन्त्री वित्तीय दृष्टि से वचन देने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूँ कि कम से कम नेता जी का चित्र केन्द्रीय हाल में लगा दिया जाना चाहिए जिस पर अधिक खर्च नहीं आयेगा ? यदि इसमें भी कठिनाई है तो संसद के सभी सदस्य चंदा दे कर केन्द्रीय हाल में नेताजी के चित्र की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक केन्द्रीय हाल का सम्बन्ध है, वह इस सभा का है, सरकार का नहीं।

Shri Jharkhande Rai : The grave of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zuffar is in Rangoon. His last wish was that he should be buried in India. It has been carved on the stone on the grave that a time will come when his mortal remains would be brought to India. Netaji Subash Chandra Bose had committed that the mortal remains would be brought to India with full military honours after India had achieved her independence and that they would be buried with due honours. May I know whether Government is contemplating to take any action in this respect ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं निश्चय ही इसका पता लगाऊँगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस सभा में बहुत से गैर-सरकारी प्रस्ताव और गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किये गये थे जिनमें यह माँग की गई थी कि नेताजी के अवशेषों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ देश में लाया जाय और हमने तर्क दिया था कि ऐसे व्यक्ति के अवशेष कैसे लाए जा सकते हैं जिसके जीवित होने की सम्भावना है और मुझे याद है कि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू इस बात से सहमत थे और उन्होंने कहा था कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार नहीं करते कि नेताजी की मृत्यु हो गई है। केन्द्रीय हाल में नेताजी का चित्र न लगाये जाने के कारणों में से यह भी एक कारण है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस सारे मामले की जाँच करने के लिए सरकार एक और आयोग क्यों नहीं

नियुक्त करती ? यह बात रिकार्ड में है कि विधेयक वापिस लिया गया था और पंडित नेहरू ने स्वयं कहा था कि विधेयक वापिस ले लिया जाना चाहिए। इस मामले की जाँच करने के लिए सरकार एक और आयोग क्यों नहीं नियुक्त करती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हाल ही में प्रधान मन्त्री को संसद् सदस्यों से एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है और हम उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्रीमती इलापाल चौधरी : मैं गृह-कार्य मन्त्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या पोर्ट ब्लेयर पत्तन पर नेताजी की मूर्ति लगाना सम्भव नहीं है जहाँ पर बाहर से आने वाले जहाज उसे तत्काल देख सकें और क्या वहाँ पर एक ऐसी संस्था स्थापित नहीं की जा सकती जिसमें नवयुवकों को उस विचारधारा, आत्मबलिदान तथा उत्साह का प्रशिक्षण दिया जा सके जिसके नेताजी प्रतीक थे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है और यह विस्तार की बात है कि उसे कहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में अन्य स्थानीय निकायों की विकास योजनाएँ

*696. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार दिल्ली नगर निगम ओर संघ-राज्य क्षेत्र के अन्य स्थानीय निकायों की विकास योजनाओं के लिए सहायता देने के बारे में किस पद्धति को अपनायेगी; और

(ख) इस मामले में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान के ढाँचे की जाँच आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जाँच की जा रही है। उस सिफारिश पर निगम की प्रतिक्रिया केवल कुछ ही दिन पहले प्राप्त हुई। नई दिल्ली नगर पालिका को सहायता-अनुदान के ढाँचे पर आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं की जांच

*697 **श्री ग० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त की है ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी जाँच समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अब एक न्यायिक जाँच कराने का है ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने, जिनकी हानि हुई थी उनको क्षति पूर्ति देने तथा ऐसी घटनाओं को दुबारा न होने देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) केन्द्रीय जाँच विभाग, जिससे श्री अर्जुन सिंह की मृत्यु की परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल करने के लिये कहा गया था, का प्रतिवेदन सरकार को अभी प्राप्त हुआ है । केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा एकत्रित साक्ष्य से मालूम होता है कि सम्भवतः श्री अर्जुन सिंह एक कगर को पारकर दूसरे में जाते समय अनजाने में गिर पड़ा ।

(ख) 29 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 428 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) 25 अप्रैल, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 1328 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । सरकार ने सहायक पुलिस अधीक्षक श्री आर० सी० कोहली की परिवीक्षा की अवधि 3 जुलाई, 1970 तक बढ़ाने का निर्णय किया है । उसे केवल तभी स्थायी बनाया जाएगा जब परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान उसका आचरण सन्तोषजनक पाया जाएगा । सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए, जिन्हें चोट लगी थीं, 250 रु० से 1,000 रु० तक के अनुग्रह-पूर्वक अनुदान भुगतान किये जाने की मंजूरी दी थी। मृतक, श्री अर्जुन सिंह के परिवार को 5,000 रु० का अनुग्रह-पूर्वक अनुदान दिया गया । सरकार पुलिस बल को जनता की सेवा का एक प्रभावशाली साधन बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस दलों को प्रशिक्षित करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही कर रही है ।

आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र म अशांति

***698 श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के आदिवासी क्षेत्र में हाल में ही जो उपद्रव हुए थे और जिनमें नक्सलवादियों द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही की गई बताई जाती है, क्या उनके बारे में सरकार ने कोई जाँच कराई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर शस्त्रधारी नक्सलवादी लोग अनुसूचित अदिम जातियों के हैं ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में व्याप्त अशांति के कारणों की जाँच करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीकाकुलम जिले में अधिकांश उग्रवादी गिरिजन हैं।

विवरण

राज्य सरकार के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न समस्या की जाँच की है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने गिरिजनों की सामान्य स्थिति को उन्नत बनाने के लिए निम्न कार्यवाहियाँ की हैं :—

1. गैर–गिरिजनों द्वारा गिरिजनों की अवैध बेदखली के मामलों तथा भू–सम्पदा संबंधी विवादों की जाँच करने तथा आदिम जातियों के न्यायसंगत हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
2. वन संबंधी मामलों के बारे में आदिम जाति के लोगों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक वन–प्रदेश अधिकारी नियुक्त किया गया है।
3. अनुसूचित आदिम जाति निगम से गिरिजनों को अधिक रोजगार देने के लिए अनुदेश दिये गये हैं।
4. अभिकरण क्षेत्रों में संचार तथा चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।
5. राज्य मे अभिकरण क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है ताकि आदिम जातियों के कल्याण में वृद्धि सुनिश्चित हो।
6. राज्य तथा जिला स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सैल बनाए गये हैं कि कमजोर वर्ग की शिकायतों का शीघ्र निवारण हो और सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों का लाभ पूर्ण रूप से उनको प्राप्त हो।
7. उक्त क्षेत्र में तीन आदिम जाति विकास खन्ड आरम्भ....

हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के वेतनमान

*699. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्यापकों को वेतन–मान देने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा था ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब तक दिये जाने की संभावना है ;

(घ) इस संबंध में अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दिये जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों के वेतन-मानों में संशोधन करने संबंधी कोई मामला अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है, और यदि हाँ, तो वह कौन सा मामला है तथा उस पर संभवतः कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ, अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) सरकार ने दिल्ली अध्यापकों के तदनुरूपी वर्गों के समकक्ष स्कूलों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमान स्वीकृत कर दिए थे ।

(घ) आवश्यक धन उपलब्ध किए जाएँगे जो संशोधन के बारे में लिए जाने वाले अन्तिम निर्णय पर निर्भर करेगा ।

(ङ) कालेजों के प्रिंसिपलों और प्रोफेसरों के वेतनमानों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा ।

राष्ट्रीय राज-पथों के नमूने पर राष्ट्रीय जल-मार्गों का चालू किया जाना

*700. **महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों की भाँन्ति ही देश में राष्ट्रीय जल-मार्ग चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गोरखपुर को अन्य महत्त्वपूर्ण नगरों के साथ जल-मार्गों के द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख) अंतर्देशीय जल-परिवहन समिति ने कुछ महत्त्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया था और बाद में इस पर परिवहन विकास परिषद् ने भी विचार किया था । परिषद् ने सिफारिश की कि फरक्का बाँध के पूरा हो जाने पर गंगा और भागीरथी को इलाहाबाद से कलकत्ता तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । मामला विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं ।

चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा नांगल संबंधी पंचाट

*701. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री जय सिंह** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ तथा भाखड़ा नांगल परियोजना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का पंचाट इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञापनों की संख्या तथा उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या सरकार इस संबंध में कोई निश्चित तारीख बता सकती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सम्बन्धित सरकारों के बीच समझौते के अभाव में इन विवादों पर प्रधान मंत्री द्वारा मध्यस्थता के प्रस्ताव में कोई प्रगति नहीं हो सकी ।

(ख) ऐसे पत्रों का कोई हिसाब नहीं रखा गया है, किन्तु उनमें से कुछ ने शीघ्र मध्यस्थता का या चण्डीगढ़ के पंजाब विलयन का और पंजाब सरकार को भाकड़ा प्रायोजना के एकमात्र नियंत्रण के हस्तान्तरण का समर्थन किया है, कुछ दूसरों ने मध्यस्थता का विरोध किया है और चन्डीगढ़ के हरियाणा में विलयन का ओर उस राज्य को भाकड़ा प्रायोजना के नियंत्रण के हस्तान्तरण का समर्थन किया है तथा कुछ अन्य ने चन्डीगढ़ के बारे में यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का समर्थन किया है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वयं उत्सुक है कि ये मामले शीघ्र तय किये जाएँ । किन्तु तय करने के प्रयोजन के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्थ में सम्बन्धित सरकारों के बीच समझौते के अभाव में इस दिशा में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हुआ है । इस प्रकार के राजनैतिक विवादों में किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए कोई समय की सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

Report on the Incident of Firing in Modinagar

*702. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) whether there was President's rule in the State of Uttar Pradesh when an enquiry Commission was appointed to go into the firing incident in Modinagar ;

(b) Wheher it is also a fact that when the Commission submitted its report, there was still President's rule in the State ;

(c) if so, the reasons for which this report was not laid on the Table of the House ; and

(d) Whether it is also a fact that this report is being deliberately suppressed ?

The Minister of Home Affairs ; (Shri Y. B. Chavan) :

(a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The report is under print and copies will be placed on the Table of the House as soon as they are available. There is no question of suppressing the report.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान संस्थानों का स्थापना

*703. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विज्ञान तथा औद्योगिकी की ग्यारह शाखाओं में नये अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक संस्थान पर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(घ) उनको कहाँ-कहाँ स्थापित किया जाएगा ; और उनसे जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं उनका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान नए अनुसंधान संस्थाएँ स्थापित करने के लिये कुछ प्रस्ताव किए गए हैं । इन पर विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सितम्बर 1968 के हड़तालियों के मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त 'एक्टिव ईस्टीगेशन' शब्द का स्पष्टीकरण

***704. श्री समर गुह :** **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के नेता 27 मई, 1969 को उनसे मिले थे और उन्होंने 'एक्टिव इंस्टीगेशन' शब्द का स्पष्टीकरण माँगा था क्योंकि इसकी परिभाषा न होने के कारण 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले 2,000 से भी अधिक कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा की है ; और

(ग) क्या इस संबंध में उनके मंत्रालय में हड़ताल करने वालों के साथ उदारता से पेश आने के लिये कोई समुचित अनुदेश जारी किये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कर्मचारियों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि "एक्टिव इस्टीगेशन" पद का स्पष्टीकरण सरकार के मंत्रालयों/ विभागों को परिचालित किया जाय। किन्तु यह सही नहीं है कि "एक्टिव इन्सटीगेशन" की परभाषा के अभाव में हड़ताल में भाग लेने के लिये 2,000 से अधिक कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) सरकार ने उक्त पद की कोई निश्चित परिभाषा करने का प्रयास नहीं किया किन्तु इस विषय में केवल उदाहरणात्मक मार्गदर्शक बातें बताई हैं । मंत्रालयों / विभागों से उन मार्गदर्शक बातों को ध्यान में रखकर मामलों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है ।

Complaints of Misbehaviour, Corruption and Malpractice Against Delhi Police

*705. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri P. M. Sayeed:** **Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri J. Sundar Lal:** **Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that many cases of misbehaviour, corruption and malpractices by the Delhi Police have come to notice;

(b) if so, the number of complaints received during the last six months and the details of action taken thereon; and

(c) the steps being taken to check corruption amongst Delhi Police personnel, their indiscipline and the misbehaviour shown by them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Sri Vidya Charan Shukla):

(a) and (b) During the period 1-1-1969 to 30-6-1969, 492 complaints of misbehaviour, corruption and mal-pratices, were received against Delhi Police personnel. The details of action thereon are furnished in the statement laid on the Table of the Sabha.

(c) Closer supervision, stern action in proved cases, constant guidance and training are among the various steps taken to improve the standard of integrity, efficiency and discipline of the Police force.

Statement

	Corruption	Malpractice	Misbehaviour	Total
1. No. of complaints received.	62	394	36	492
2. No. of complaints enquired into.	49	238	34	321
3. No. of complaints substantiated.	14	5	8	27
4. No. of complaints found false or not substantiated.	35	233	26	294
5. No. of complaints pending enquiry.	13	156	2	171
6. Remarks giving details of punishments in cases substantiated category-wise.	1 Head Constable dismissed. 1 Constable admonished.	1 Sub-Inspector and 2 Constables severely warned.	1 Assistant Sub-Inspector and 1 Constable censured.	

	12 cases registered.	3 Cases registered, 1 Departmental inquiry initiated which is still pending.	1 Sub-Inspector and 2 Constables warned. 3 Departmental inquiries initiated which are still pending.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिक वेतन और उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु

*706. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में वृद्धि करने के बारे में माँग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वह माँग किस प्रकार की है ; और

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) इस प्रकार की कोई माँग नहीं है, लेकिन ऐसी भावना है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की सेवा की शर्तें व परिस्थितियाँ आकर्षक नहीं हैं। इसी संदर्भ में सरकार भी विचार कर रही है कि क्या वेतन में कुछ वृद्धि करना संभव है।

(ग) फिलहाल सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के प्रश्न पर आगे कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

Jansangh Resolution Regarding Reference of Demands for Autonomous States and Border Disputes between States to a High—powered Commission

*707. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the resolution adopted by the Bhartiya Jan Sangh in its Bombay Session in which it has been urged that the demands for autonomous States and border disputes between one State and another should be referred to a high-level Commission of experts which will take decisions keeping in view the security, integration and regional imbalance of the country and their decisions would be binding; and

(b) if so, the reaction of Govenment thereto and the action taken so far in this regard

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :

(a) and (b) Government have seen a resolution adopted by the Bhartiya Jan Sangh in April 1969 suggesting the appointment of a high-level specialised Commission to go into the problems arising out of regional imbalances, border disputes, regional aspirations such as demands for statehood from Union territories. Government are of the view that a high-level specialised commission can hardly help in tackling such diverse problems.

विशाल हरियाणा के लिए आन्दोलन

*708. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० वें० नायक : श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री रा० की० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में कई राजनीतिक संगठनों ने विशाल हरियाणा, जिसमें वर्तमान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग शामिल होंगे, की शीघ्र प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने का हाल में निश्चय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस माँग के समर्थन में कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अधिक एच० एस०-748 विमानों की खरीद

*709. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कार्पोरेशन का अपने विमान बेड़े में एच० एस०-748 विमानों की संख्या बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इंडियन एयरलाइन्स को कुल कितने एच० एस०-748 विमानों की आवश्यकता है ;, और

(ग) इन विमानों की कुल लागत कितनी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 14 एच० एस०-748 विमानों में से जिनका कि इंडियन एयरलाइन्स अब तक क्रय आदेश दे चुकी है, 11 विमान प्राप्त हो चुके हैं और शेष 3 विमानों के इस वर्ष के अन्त से पहले मिल जाने की आशा है । वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स को इस प्रकार के 10 और विमानों की आवश्यकता होगी ।

(ग) प्रास्ताव की क्रियान्विति पर कुल निम्न लागत आने का अनुमान है :

14 विमान जिनका क्रयादेश दिया जा चुका है	(करोड़ पये)
(फालतू पुर्जों और उपकरण सहित)	16.00
10 विमान जिनका क्रयादेश दिया जाना है ।	10.00

Unemployed Engineers, Scientists, Technicians and Agricultural Experts

*710. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of unemployed Engineers, Scientists, Technicians and agricultural experts at present and the action being taken to provide employment to them; and

(b) the nature of assistance being given to them by Government to enable them to start their own industries?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) The precise number of engineers, scientists, technicians and agricultural experts who are unemployed is not available. Registration in the Employment Exchanges provides some rough indication of the position. On the 31st December, 1968, 11026 graduate engineers, 39547 diploma-holders in engineering, 37926 graduates in science, and 4000 graduates in agricultural sciences were registered in Employment Exchanges.

A list of measures on which action is being taken to create additional employment opportunities for technical personnel was placed on the Table of the House in reply to Starred Question No. 138 answered on 26th July, 1968. As regards scientists and agricultural experts, it is expected that the schemes provided in the Fourth Plan will generate additional employment opportunities for them.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Government Assistance to Engineers to start Industries

1. The State Bank of India are operating a scheme to provide financial assistance to qualified entrepreneurs. The amount available under the scheme is Rs. 2 lakhs against the security of the assets proposed to be acquired. Where more than one qualified person is associated with the project, upto Rs. 3 lakhs may be sanctioned at the Bank's discretion. Between July 1967 and 31st March, 1969, 91 loan applications aggregating to Rs. 84 lakhs were sanctioned.

2. The Ministry of Industrial Development and Company Affairs have formulated a model scheme for providing financial assistance to engineers wishing to set up small-scale industries. The model scheme provides, on easy terms of repayment, for loans upto Rs. 6 lakhs in the case of small-scale industries and upto Rs. 8 lakhs in the case of ancillary industries. The scheme has been circulated to the State Governments for consideration and inclusion in the State Plans. The Governments of Kerala and Assam and the Union Territories of Delhi and Chandigarh have reported that financial provision is being made in their Plans.

3. A special training course of four months' duration for engineers in the setting up and management of small-scale industries was conducted at the Small-scale Industries Services Institute at Okhla during 1968-69. 58 engineers attended the course.

4. The Government of Gujarat have in collaboration with their industrial corporation drawn up a scheme under which qualified entrepreneurs are given assistance in the form of loans, fixed assets such as land, factory-shed in industrial estates, plants, equipment etc. on hire-purchase basis. The Maharashtra Industrial Development Corporation also provides

similar assistance, on a pilot basis, to technicians. In Rajasthan, the State Financial Corporation and State Bank of India are implementing a scheme of financial assistance to craftsmen.

In Pondicherry an Engineers Industrial Co-operative to manufacture agricultural implements has been set up by unemployed engineers. A shed in the Industrial Estate has been allotted to the Co-operative.

6. Some State Governments have taken steps to encourage engineers to form co-operatives to undertake Government construction work. In Mysore engineers registering as Class III contractors are exempted from production of certificates of experiences. Concessions such as waiver of Earnest Money Deposits and preference in regard to rates are also being given. The Government of West Bengal have decided to enlist unemplyed engineers as controctors on a liberal and priority basis. The Government of Maharashtra propose to grant direct registration as 'D' and 'E' class contractors to graduates and diploma holders in civil engineering and to exempt them from payment of earnest money. Co-operatives oj engineers to take up Government work have been started in Kerala and Bihar and tha question of granting them concessions is under the consideration of these Governments.

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन की सीमित क्षमता के कारण पर्यटक यातायात में बाधा

*711. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की वर्तमान सीमित क्षमता अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय पर्यटकों की वृद्धि तथा देश में उनके भ्रमण में बाधक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपनी संस्कृति और परम्परा की गरिमा और आधार के अनुरूप पर्यटकों के लिए मनोरंजन का विकास करने की काफी गुन्जायश है ; और

(घ) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में ऐसी सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विदेशी पर्यटकों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों के मूल्यांकन से पता चलता है कि वे ऐसे मनोरंजन पसन्द करते हैं जिनमें देश की स्थानीय प्रतिमा एवं विशेषताएँ प्रतिबिंबित होती हैं, और ऐसे मनोरंजनों के विकास के लिए बड़ा अवकाश है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में ध्वनि और प्रकाश (सान-एट-लुमियर) प्रदर्शनों तथा विदेशी पर्यटकों की रुचि के त्यौहारों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए 40 लाख रुपये का नियतन किया गया है। होटलों और रेस्टोरेंटों से भी आग्रह किया गया है कि

वे विदेशी पर्यटकों के लिए देशीय प्रतिभा द्वारा भारतीय परम्पराओं के अनुरूप भारतीय संगीत एवं नृत्य की एक मिश्रित विद्या का विकास करें।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्र निपटाना

*712. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में मामले, विशेषकर दीवानी मामले, लम्बित पड़ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन बकाया मामलों को निपटाने के लिये तथा भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि न होने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व के उन्नत देशों में न्यायिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अपने देशों में मामलों को शीघ निपटाने के लिए क्या उपाय करते हैं और मामलों को शीघ निपटाने के लिये हमारे यहाँ न्यायिक पद्धति में क्या सुधार करने की जरूरत है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी हिदायतें जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी कि मामलों की सुनवाई में खर्च होने वाले समय की बचत करने के लिए लिखित साक्ष्य लेने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। यह निर्णय किया गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य की समस्या पर गौर किया जाय तथा और उपचारीय उपाय सुझाये जायें।

(घ) वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन आवश्यक है, यह सलाह प्रस्तावित समिति के देने के लिए है। सरकार द्वारा न्यायालयों को अनुदेश नहीं दिये जाते हैं।

विवरण

राज्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित उपाय करने के लिए सलाह दी गई है :—

(i) प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में, दायर किए गये मुकदमों तथा निपटाये गये मुकदमों और निपटाये जाने वाले बकाया मुकदमों को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक वृद्धि की जाय।

(ii) उच्च न्यायालयों में रिक्तियाँ बिना किसी विलम्ब के भरी जाँय।

(iii) जब कभी किसी सेवारत न्यायाधीश को अन्य कर्त्तव्यों पर लगाया जाय और छ: मास के अन्दर उच्च न्यायालय को उसके लौटाने की सम्भावना न हो, तो उसके स्थान पर एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाय ताकि उच्च न्यायालय के कार्य में विलम्ब न हो।

गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के अनेक पद बदल कर स्थायी न्यायधीश के पद बना दिये गये हैं । विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या भी 245 से बढ़ा कर 294 कर दी गई हैं ।

(iv) उच्च न्यायालयों में बकाया काम के प्रश्न की जाँच करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन करने का विचार है जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष और तीन न्यायाधीश होंगे।

जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, लम्बित मामलों की मिसल सर्वथा प्रधान न्यायाधीश के पुनरीक्षण के अधीन रहती है और जब कभी यह समझा जाता है कि बकाया काम इस मात्रा में इकट्ठा हो गया है कि अतिरिक्त सहायता आवश्यक होगी तो न्यायालय के कर्मचारियों की निर्धारित सीमा तक संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ का कार्यकरण

*713. **श्री मीठा लाल मीना :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री अजमल खां :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच गम्भीर मतभेद पैदा हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने गत दो वर्षों में इस विषय पर पंजाब सरकार के साथ कोई बातचीत की थी और इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार की यदि कोई प्रतिक्रिया है, तो वह क्या है; और

(ग) चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) पटियाला, संगरूर, भटिन्डा और रोपड़ जिलों में स्थित 19 कालेजों को 30-6-1969 से पंजाब विश्वविद्यालय, चन्डीगढ़ से पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को स्थानान्तरित करने के संबन्ध में पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की वैधता के बारे में मतभेद है ।

(ख) और (ग) शिक्षा मन्त्रालय द्वारा 19 जून, 1969 को आयोजित एक बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था । बैठक में पंजाब सरकार के शिक्षा-सचिव भी उपस्थित थे । पंजाब सरकार का विचार है कि पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई उनकी अधिसूचना, पंजाबी विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त है। पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ कुछ विचार-विमर्श तथा पत्र-व्यवहार हुआ है और मामला विचाराधीन है ।

चौगुल स्टीमशिप लिमिटेड के पास जहाज

714. **श्री मधु लिमये : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौगुल स्टीमशिप लिमटेड के पास जो कोपन कोस्टल शिपिंग सर्विस चलाती है केवल 4 जहाज हैं जिनमें से एक जहाज की सेवा–अवधि पूरी हो चुकी है;

(ख) क्या वर्तमान जहाजों के स्थान पर नये जहाज चलाने और जहाजों की संख्या बढ़ाने की उक्त कम्पनी की कोई योजना है,

(घ) यदि हाँ, तो किसलिये और इसकी अदायगी की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) यात्रियों की परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हाँ । पुराने जहाज को रद्दी ठहराने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) जी, नहीं । शेष तीन जहाज नये जहाज हैं जो 1965 में बनाये गये ।

(ग) और (घ) पोतपरिवहन विकास निधि समिति ने उपरोक्त तीन यात्री जहाजों को खरीदने के लिये कम्पनी को 1.7244 करोड़ रुपये (जो मूल्य का 90 प्रतिशत है) का ऋण स्वीकार किया है । ऋण स्वीकृति की शर्तें वे हैं जो सभी शिपिंग कपनियों को सामान्य रूप से लागू होती हैं । प्रारम्भ में दो वर्ष के विलम्ब काल के सहित ऋण की अदायगी 18 वर्षों में की जानी है (ब्याज की प्रभावी दर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष है और हर 30 जून और 31 दिसम्बर को प्रत्येक छमाही को देय है । कंपनी ने सभी तीनों जहाजों को ऋण की जमानती के रूप में पहिला रेहन दे दिया गया है । कंपनी बिना किसी चूक के मूलधन व ब्याज की अदायगी कर रही है ।

(ङ.) जहाजों पर खाद्य, पानी, श्रंगार और चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि जैसी मूल सुख-साधन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

Programme for Youth Services

*715. **Shri K. M. Madhukar : Shri Nathu Ram Ahirvar :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme to implement the 12-point programme for youth services at the Block and Gram Panchayat level ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government realise the importance of co-operation of all parties in any scheme concerning the welfare of the youth ;

(d) if so, the steps taken by Government to get the co-operation of all Youth Organisations in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) and (b) Following the recommendations made by the recent Conference of Representatives of Youth Organisations, Youth Services Agencies and Youth Leaders, the Government is examining a proposal containing various programmes for non-student youth . The details of the schemes have not yet been drawn up.

(c) and (d) Yes, Sir. All youth organisations which satisfy the criteria of eligibility can be given assistance and these criterial will be worked out when the policy is formnlated.

(e) Does not arise.

गु नानक धर्म संस्था की स्थापना

*716. **डा० सुशीला नैयर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गुरु नानक धर्म संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ तो, इस संस्था के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उक्त संस्था को कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) गुरु नानक जी के 500 वें जन्म वार्षिकोत्सव के सम्बन्ध में, विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, दिल्ली में एक गुरु नानक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसको अन्य प्रस्तावों के साथ, गुरु नानक पंचक शताब्दी की राष्ट्रीय समिति के सामने पेश कर दिया जाएगा, जिसकी बैठक शताब्दी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए शीध्र होने वाली है ।

बेरोजगार इंजीनियर

*717. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री 27 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों ने कितने राज्यों में सरकारी कार्य करने के लिए संस्थायें एवं साझेदारियां बनाई हैं;

(ख) ऐसी संस्थाओं आदि को राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ग) ऐसी संस्थाओं में सम्मिलित इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस योजना से राज्य सरकारों को इंजीनियरों की बेरोजगारी दूर करने में कितनी सहायता मिली है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) बताया जाता है कि सरकारी कार्य करने के लिए मैसूर, केरल तथा बिहार में इंजीनियरों की संस्थाएँ बनाई गई हैं।

(ख) मैसूर में एसी संस्थाओं को पेशगी तथा जमानत की राशि का भुगतान करने के संबन्ध में कुछ रियायतें दी जाती हैं। दरों के सम्बन्ध में कुछ वरीयता भी दी जाती है। केरल तथा बिहार में प्रोत्साहन देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) ऐसी संस्थाओं में सम्मिलित इंजीनियरों की संख्या मैसूर में 60, केरल में 25 तथा बिहार में 34 है ।

(घ) सहकारी कार्य करने के लिए संस्थाएँ बनाने के लिए इंजीकियरों को प्रोत्साहन, अर्हता-

प्राप्त कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के इरादे से किये गये अनेक उपायों में से एक है। एक शुरुआत कर दी गई है और यह आशा है कि इंजीनियरों की ऐसी और संस्थाएँ बनाई जाएँगी।

राज्यपालों की ऐच्छिक शक्तियाँ

*718. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यपालों की ऐच्छिक शक्तियों की परिभाषा करने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की, जो उनके केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक प्रतिवेदन में की गई है, सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

Compulsory Retirement of Inefficient Central Government Employees

719. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any list showing the total number of inefficient employees of the Central Government so far *i.e.*, upto the 20th July, 1969 ; and

(b) if so, whether they have already been served with notices for retirement ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) and (b) The rules have been amended on the 17th May, 1969 empowering Government to retire any Government servant in Class I and Class II service or post, the age limit for the purpose of direct recruitment to which is below 35 years, after he has attained the age of 50 years, and a Government servant in Class III service/post who is not governed by any pension rules, after he has completed 30 years service, by giving a notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice, if it is necessary to do so in the public interest. The Government servant may also so retire voluntarily. In all other cases the powers are exercisable after the Government servant has attained the age of 55 years. It is for the administrative Ministry/Department to review the cases of all Officers due to attain the age of 50 years, or 55 years, or those who are about to complete 30 years of service, as the case may be, and take a decision whether the amended rules mentioned above are to be invoked in any particular case. Information in regard to the number of cases in which the amended rules were invoked, is not available in the Ministry of Home Affairs.

Proportional Representation to State in Central Government Services

*720. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the break-up of employees belonging to each State recruited in the various Offices under the Central Government during the period from 1966 to May, 1969 ;

(b) whether Government are considering a proposal of giving proportional representation in Central Government Services to each State on the basis of their population ;

(c) if so, whether Government propose to give priority to persons belonging to such States, whose representation is not found adequate in proportion to their population ; and

(d) if so, since when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A census of Central Government servants belonging to the various Central Services on the basis of the States from which they hail had never been undertaken by Government. Moreover, it is considered that the collection of the figures of employees belonging to each State recruited in the various Offices under the Central Government during the period from 1966 to May, 1969, would involve much labour and expense for the following reasons:—

(I) Reorganisation of certain offices have since taken place which has resulted in abolition of certain offices or merger of some offices with other offices.

(ii) The collection of these figures will amount to taking a comprehensive census of those recruited during the aforesaid period spread out throughout the country according to the States to which they belong.

It is considered that the utility of the figures may not be commensurate with the labour and expenditure in collecting them.

(b) to (d) Article 16 of the Constitution provides that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. Clause (2) of articles 16 expressly provides that no citizen shall be discriminated against in respect of any employment or office under the State on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of brith, *residence*, or any of them. No domiciliary restriction can, therefore, be imposed in the matter of recruitment to the Central Services and candidates from all States have equal opportunity to compete for appointment to those services. In view of this, the questions raised in these parts do not arise.

रहस्यमय गुब्बारे

4499. **श्री देवराव पाटिल : श्रीमती इलापाल चौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में यवतमाल, चांदा तथा अमरावती जिलों में जून और जुलाई 1969 में बड़े आकार के रहस्यमय गुब्बारे देखे गये थे ;

(ख) क्या विस्फोटक विभाग ने उन सन्दूकों का निरीक्षण किया था जिनमें मशीनें थीं और चीनी भाषा में लिखे दस्तावेज थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में सरकार का क्या मत है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 28 जून, 1969 को यवतमाल जिले में महागांव में, 24-6-69 को जिला चान्दापुर में ग्राम चिनचाला में तथा 5-7-69 को जिला अमरावती में निम्भी में गुब्बारे पाये गये थे। इन तीनों गुब्बारों में कुछ पुलन्दे, यान्त्रिक उपकरण, कुछ चीनी भाषा में पुस्तिकायें, कुछ बैटरियां और जनरल चाग काई शेक से मिलते जुलते फोटो थे । इन वस्तुओं की जाँच की जा रही है ।

अब तक की गई जाँच के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये गुब्बारे फारमोसा द्वारा चीन मुख्य भूमि पर के० एम० टी० प्रचार साहित्य तथा कुछ अन्य वस्तुएँ बखेरने के लिए प्रयोग में लाये गये थे।

प्रतीत होता है कि हवा के बहाव में भारत की ओर आ गये हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों को वन भत्ता

4500. **श्री के० आर० गणेश :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मिल सकने वाले वन भत्ते की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन औद्योगिक कर्मचारियों को वह विशेष भत्ते भी देने का विचार है जो अन्दमान-निकोबार द्वीप समूह में काम पर भेजे जाने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के 4 जून, 1969 के आदेश के अन्तर्गत मिलते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरन शुक्ल) : (क) और (ख) अनुमान है कि शिविर भत्ते की ओर निर्देश है। उत्तर, मध्य तथा दक्षिण अन्दमान में (मुख्यालय क्षेत्र को) छोड़ कर) तथा निकोबार द्वीप समूह में शिविरी में काम करने वाले अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के (वन विभाग के अलावा) सभी विभागों के मजदूरों को 1 मार्च, 1969 से एक वर्ष की और अवधि के लिए पाँच रुपये प्रति माह की दर से शिविर भत्ता निरन्तर दिये जाने के लिए मंजरी दे दी गई है। अन्दमान वन विभाग में काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में मामले की खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय द्वारा जाँच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) चूंकि औद्योगिक मजदूर नियमित सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी के भीतर नहीं आते, अतः उक्त विशेष भत्ता उनको नहीं मिलता है।

हिमाचल प्रदेश को दिये गये कर्मचारी

4501. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री 21 फरवरी के अतारांतिक प्रश्न संख्या 607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अविभाजित पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अस्थायी रूप से दिये गये कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलों के अन्तिम परिणाम क्या निकले हैं ; और

(ख) यदि उनका नियतन अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, तो यह कार्य कब तक हो जायगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को इन कर्मचारियों के अस्थायी आवंटन के विरुद्ध

दायर सभी अभ्यावेदनों को निपटा दिया गया है। 4647 कर्मचारिरों में से, जिन्होंने पंजाब को अन्तिम आवंटन के लिये आवेदन किया था और 1,196 कर्मचारियों में से, जिन्होंने हरियाणा को अन्तिम आवंटन के लिये आवेदन किया था, क्रमशः 851 और 395 कर्मचारियों को पंजाब और हरियाणा को अन्तिमरूप से आवंटित कर दिया गया है।

Statutes of Swami Vivekananda and Swami Ram Tirtha in Delhi

4502. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the names of Swami Ram Tirtha and Swami Vivekananda, the world-famous Indians, are included in the list of those great persons whose statues are to be installed in Delhi or New Delhi; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs: (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) and (b) As stated in the reply to unstarred question No. 1778 answered in the House on 1st August, 1969, an offer made by the Swami Vivekananda Centenary Celebrations Committee to erect a statute of Swami Vivekananda is under consideration. No such offer for installing a statute of Swami Ram Tirtha has so far been received from any non-official organisation.

औद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति

4503. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के चयन के आधार पर तथा भिन्न आधार पर पद घोषित करने की कसौटी क्या है ;

(ख) चयन के आधार पर तथा भिन्न आधार पर बनाये गये पदों पर कर्मचारियों को पदोन्नत करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या उस कर्मचारी को, जो परीक्षा पास करके ऊँचे ग्रेड वाले पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसके पहिले वाले ग्रेड के कर्मचारियों से आगे पदोन्नति के समय वरिष्ट समझा जायेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में नियम क्या है और क्या उपयुक्त नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Recognition to B. Ed. Degrees of Lal Bahadur Shahtri Rashtriya Sanskrit Vidayapeeth, Shakti Nagar Delhi

4504. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal was under consideration of Government for some time past to give recognition to the B. Ed. Degree of Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Shakti Nagar, Delhi ;

(b) if so, whether recognition has been granted ; and

(c) if not, the reasons for the delay and when the decision is likely to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :

(a) to (c) The Shri Lal Bahadur Shahstri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Shaktinagar, Delhi, does not conduct any examinations on its own. The institution is affiliated to the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi. The Shiksha Shastri Degree of this Vishwavidyalaya has already been recognised by the Union Ministry of Education and Youth Services as equivalent to B. Ed. Degree for the purpose of employment as Sanskrit teachers.

दिल्ली–बम्बई राजपथ

4505. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-बम्बई राजपथ पर दोनों ओर कोई वृक्ष न होने तथा तंग रास्ता होने और दोनों ओर काफी रेत जमा होने के कारण मोटर गाड़ियों के लिये बहुत कठिनाई होती है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में इस राजपथ को चौड़ा करने पर विचार करेगी ?

संसद–कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

जगरांव-हुसैनीवाला सड़क

4506. **श्री अबदुल गनी दार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जगरांव और हुसैनीवाला के बीच सड़क न तो असैनिक यातायात और न ही सैनिक उपयोग के लिये उपयुक्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सड़क से यात्रा करने पर विश्व के सभी भागों से आने वाले पर्यटकों को कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सड़क के सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) जगरांव-हुसैनीवाला सड़क एक राज्य सड़क है और अतः पंजाब सरकार का दायित्व है। यह एक मौजूदा कोलतारी सड़क है और सिविल और मिलीटरी दोनों गड़ियाँ, ऐसा ज्ञात होता है कि, बिना कठिनाई के इस्तेमाल कर रही हैं। फिर भी राज्य सरकार इसे सशक्त तथा चौड़ा करके सीमित हद तक सुधार कर रही है। मोंगा तक 22 फुट और मोंगा और फिरोजपुर के बीच 17 फुट सड़क चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है और 1970 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। कुछ

भागों के सिवाय जहाँ सामान के इकट्ठा करने, रोड़ी भराई या कुटाई इत्यादि के लिये खाइयाँ खोदने के कारण कार्य प्रगति पर है, पर्यटकों के लिये कोई कठिनाई नहीं है ।

Percentage of Pass Students in B. A., and M. A. Examinations through the Media of Hindi

4507. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the percentage of studenes who passed their B. A. and M. A. Examinations from the Universities of Bihar, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh and West Bengal in the years 1967 and 1968 through the media of Hindi and other Indian languages and percentage of those who are going to do so this year (1969) ;

(b) the percentage of those students who appeared in or passed those Examinations from the Universities of the aforesaid States in the same years through the medium of English ; and

(c) if the number of students who took the examinations though the medium of English is very low, whether it is proposed to discontinue the use of English in the aforesaid examinations of the said Universities ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) to (c) The required information is being collected from the Universities and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

पाकिस्तानी घुसपैठिये

4508. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में राज्यवार, आसाम, पश्चिम बंगाल तथा काश्मीर में कुल कितने घसपैठिये गिरफ्तार किये गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि में राज्यवार कुल कितने घुसपैठियों पर मुकदमा चलया गया और कितनों को दंड दिया गया;

(ग) उपर्युक्त लोगों में से कितने व्यक्ति जासूस अथवा तोड़–फोड़ करने वाले पाये गये; और

(घ) अब कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये हमारी हिरासत में हैं और उन्हें किस आधार पर जेल में बन्द किया हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) असम और पश्चिम बंगाल सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 1964 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में इन राज्यों के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	असम	पश्चिम बंगाल
बन्दी बनाये गये	5856	11932
अभियोजित किये गये	5856	10754
सिद्ध दोष किये गये	5093	7755

अक्तूबर, 1965 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में जम्मू व कश्मीर में 217 पाकिस्तानी नागरिकों को बन्दी बनाया गया। अक्टूबर, 1965 से पहले के आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। अभियोजित और सिद्धदोष के बारे में आंकड़े जम्मू व कश्मीर से प्राप्त किये जा रहे हैं। प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

शिव मन्दिर, बडागरा (केरल)

4509. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में केरल में बडागरा में एक शिव मन्दिर को जला दिया गया था, यदि हाँ, तो क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है;

(ख) गत दस वर्षों में केरल में कितने हिन्दू मन्दिर अपवित्र तथा नष्ट किये गये ;

(ग) पूजा-स्थल के अपवित्र तथा नष्ट किये जाने के क्या कारण हैं जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतन्त्रता का समान अधिकार है; और

(घ) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसी घटनाओं की एक निष्पक्ष जाँच करायेगी और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार केरल में बडागरा के शिव मन्दिर को जला दिया गया था। इस घटना के संबंध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गत दस वर्षों के दौरान ऐसी छः घटनाएँ ध्यान में आई हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा सभी मामलों में जाँच की गई है।

पून पून नदी पर पुल का निर्माण

4511. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गया-दाटदनगर रोड पर स्थित देहोरा (जिला गया) नामक स्थान पर पून पून नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करने की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रस्तावित पुल के निर्माण में वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) इस पुल द्वारा स्थापित किये जाने वाले संपर्क के महत्त्व को समझते हुये इस राजमार्ग पर कब तक पुल बन कर पूरा हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) ;

(क) जी नहीं।

7

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं ।

गुजरात में हवाई अड्डों का विकास

4512. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हवाई अड्डों के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ख) उपयक्त धन-राशि में से अहमदाबाद हवाई अड्डे का विकास करने के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात राज्य में नयी प्रायोजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मीनल इमारत्त के विस्तार के लिए 9 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

गुजरात में विश्वविद्यालयों को अनुदान

4513. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सौराष्ट्र सरदार पटेल नगर तथा साउथ गुजरात विश्वविद्यालयों को वर्ष 1969-70 के लिए अनुदान की कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) गुजरात में इन विश्वविद्यालयों की किन परियोजनाओं के लिए इस प्रकार के अनुदान नियत किए गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले विकास अनुदानों के लिए धन का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरी योजना अवधि के लिए किया जाता है न कि वार्षिक आधार पर । किन्तु विश्वविद्यालयों को यह अनुदान, प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किया जाता है जो उनके द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर करता है ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, जिसमें 1966-67 से 1973-74 तक की अवधि के लिए किया गया आवंटन दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1775/69**]

गुजरात सरकार द्वारा जिला गजेटियर का संकलन तथा प्रकाशन

4514. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार को जिला गजेटियर का संकलन तथा प्रकाशन करने के लिए वर्ष 1961 से 1968 तक केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मिली है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कितनी धन-राशि दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ ।

(ख) 47,845.49 रुपये ।

(ग) गुजरात सरकार ने पाँच जिलों के गजेटियरों का मसौदा पूरा कर लिया है। इसमें से भरौच, सूरत, राजकोट और भावनगर जिलों के गजेटियर प्रकाशित हो चुके हैं और जामनगर जिले के गजेटियर का प्रकाशन अभी होना है ।

केन्द्रीय सड़क निधि में से वर्ष 1969-70 के लिये गुजरात को धन दिया जाना

4515. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1969-70 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से धन देने की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) उनके लिए अब तक कितनी राशि नियत की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क आरक्षित निधि (सामान्य) से भी अनुदान माँगे गए हैं; और

(ड) यदि हाँ, तो इस प्रकार कितनी राशि की माँग की गई है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) वे सड़क-विकास की योजनाएँ, जिन पर केन्द्रीय सड़क-निधि से धन लगाया जाता है वे न माँगे जाते हैं और न वर्षानुवर्ष आधार पर अनुमोदित किये जाते हैं। 1970-71 को समाप्त होने वाले पाँच वर्ष के लिये ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारों से जनवरी 1967 में आमंत्रित किए गए थे। उस सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर लिया गया है और उनका व्यौरा सभा-पटल पर रखे गए दो विवरणों में दिया गया है [पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1776/69]

(ग) से (ड.) अनुमोदित केन्द्रीय सड़क-निधि कार्यों पर के व्यय के लिए वित्त व्यवस्था वर्षानुवर्ष के आधार पर की जाती है। 1969-70 के लिये गुजरात सरकार ने 33.31 लाख रुपए की व्यवस्था करने को कहा था परन्तु उसके बजट में 29.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई जैसा नीचे दिखाया गया है ;

	रु० लाखों में
(1) आवंटन कार्य	24.03
(2) साधारण आरक्षित कार्य	4.97
	29.00

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के निदेशक की परिवीक्षा-अवधि का बढ़ाया जाना

4516. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान निदेशक कब से निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) सामान्यतः परिवीक्षा-अवधि कितनी है और क्या उनकी इस अवधि को बढ़ाया गया है ; और

(ग) इस अवधि को बढ़ाने की स्वीकृति किन परिस्थितियों में दी गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) :

(क) 18 मई, 1966 के बाद से ।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग के जरिए चुने गए सीधे ही नियुक्त व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की सामान्य अवधि दो वर्ष है । दो वर्ष के अन्त में निदेशक के कार्य का पुर्नविलोकन किया गया था और इस पुर्नविलोकन के फलस्वरूप उनकी परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय किया गया था ।

मौनी बाबा

4517. **श्री समर गुह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जनवरी, 1969 को दिल्ली के हिन्दी 'वीर अर्जुन' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया है, जिसमें यह कहा गया है कि 'मौनी बाबा' नाम के एक सन्यासी बद्रीनाथ के पास पकड़े गये थे तथा उनके पास से एक वायरलैस ट्रांसमीटर, 60,000 रुपए की भारतीय मुद्रा, एक ब्रेनगन, एक पिस्तौल, एक रिवाल्वर तथा कुछ गोला-बारूद और विस्फोटक प्राप्त हुए थे ;

(ख) क्या यह 'मौनी बाबा' पिछले 15-20 वर्षों से बद्रीनाथ में रह रहे थे तथा क्या इसी सन्यासी ने गौ-संरक्षण आन्दोलन में वाराणसी में नवम्बर 28, 1966 में अनशन किया था और 3 फरवरी, 1967 को इसे समाप्त किया था, जब कि वह वाराणसी जेल में थे ; और

(ग) उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी, उसके पास पाए गए अपराधात्मक वस्तुओं तथा उसके बारे में की गई जाँच-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है और यदि हाँ, तो मुकदमे का फैसला क्या है तथा उसका वर्तमान पता क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में केन्द्रीय भाषा संस्थान की स्थापना

4518. **श्री एस० एस० सोलंकी :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भाषा संस्थान स्थापित किए जाने के बारे में स्वीकृति दे दी है और क्या उसे गुजरात की नई राजधानी गान्धी नगर में स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या गुजरात राज्य में ऐसा संस्थान स्थापित करने का गुजरात राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) मैसूर में पहले ही केन्द्रीय भाषा संस्थान स्थापित कर दिया गया है । गुजरात सरकार से उस राज्य में ऐसे किसी संस्थान की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर

4519. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान का योगदान नगण्य है जबकि प्रयोग करने के लिए आयातित उपकरण और कच्चा माल खरीदा जा रहा है और नई इमारतें बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का व्यौरा क्या है और इसकी स्थापना से लेकर अब तक औद्योगिक अनुसन्धान में इसका योगदान क्या रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय नागपुर में बहुत से आयातित उपकरण बेकार पड़े हैं और उनमें से कुछ का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि वैज्ञानिक उन उपकरणों का प्रयोग करने के कार्य में प्रशिक्षित नहीं हैं ;

(घ) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनयरी अनुसंधान संस्थान के कमरे में बन्द ऐसे उपकरणों का व्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस संस्थान के बहुत से गैर-सरकारी उद्योगों में सलाहकारों के रूप में परोक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं और भारी रकम प्राप्त कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक--सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वा० राव) :

(क) और (ख) जी नहीं । संस्थान ने जन स्वास्थ्य इंजीनियरी के विकास--कार्यक्रम और अनुसन्धान में काफी योगदान दिया है । संस्थान द्वारा विकसित कुछ प्रक्रियाएँ निम्नांकित हैं :–

1. **आक्सीकरण ताल** : मलमूत्र शोधन के लिए ।

2. **शोधन पद्धतियों के लिए अनुक्रम** : संश्लिष्ट औषध उच्छिष्टों के लिए, हैदराबाद फोटोफिल्म उच्छिष्ट, उटकमण्ड, उर्वरक फैक्टरी उच्छिष्ट, चर्मशोधन उच्छिष्ट, रैयन उच्छिष्ट, सूअरखाना उच्छिष्ट, फिनोलिक उच्छिष्ट, आदि-आदि ।

3. **जलशोधन पद्धतियाँ** : आतंचक साधान, वाटर फिल्टर्स, पानी से फ्लोराइड निकालने के लिए विशेष माध्यम, डीफ्लुराइडेशन यूनिट, रोगाणुनाशन टिकिया और यूनिट ।

4. **ठोस उच्छिष्ट निपटान के लिए पद्धतियाँ ।**

5. **वायु प्रदूषण और औद्योगिक स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण** :

6. **बहुत से नदी प्रदूषण सर्वेक्षण** :

(ग) और (घ) जी नहीं । विश्व स्वास्थ्य संगठन की एजेन्सी के जरिए सहायता-कार्यक्रम के अधीन संयुक्त राष्ट्र निधि. से प्राप्त कुछ उपस्कर को भविष्य में संस्थान के कार्यकलापों के विस्तार के लिए दीर्घकालीन नीति के रूप में तथा कुछ को प्रतिस्थापन के लिए रखा गया है ।

(ङ) सी॰ पी॰ एच॰ ई॰ आर॰ आई॰ नागपुर में केवल एक निदेशक है । विद्यमान निदेशक, प्रो॰ एस॰ जे॰ आरसीवाला को, उनके संस्थान में आ जाने के बाद, 16-3-68 से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स एसोशिएट इन्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट्स, बम्बई के परा-मर्शदाता के रूप में, सामान्य शर्तों के साथ 10,000 रुपये वार्षिक की परामर्श-फीस अदा करने पर, कार्य करने के अपने वचन को पूरा करने की अनुमति दे दी गई थी ।

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर

4520 **श्री ग॰ शं॰ मिश्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर के निदेशक इस संस्था के लिए बम्बई में बनाई जा रही इमारत के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें इसके लिये अनुमति दी गई थी और इसके लिए उन्हें कितना परिश्रमिक दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इमारत की फर्निशिंग कई क्रमों में की गई थी और खरीदारी थोड़ी मात्रा में थोड़े-थोड़े समय के बाद की गई थी ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को पता नहीं चल सके ;

(घ) यदि हाँ, तो इमारत की फर्निशिंग के लिए की गई खरीदारी का ब्यौरा क्या है और खरीदारी कितनी बार की गई ; और

(ङ) इसके क्या कारण थे और इस संस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। फर्निशिंग कई क्रमों में की गयी थी। पहले दो तलों को प्रारम्भ में ही फर्निश कर दिया गया था। इस कार्य को सन्तोषजनक समझ कर, तीसरे तल को भी फर्निश कर दिया गया था। ये काम विभाग द्वारा किए गए थे। अतिथि–भवन का फर्नीचर मदवार खरीदा गया था। उपयुक्त प्राधिकारी का ध्यान न जाए इस इरादे से यह नहीं किया गया था।

(घ) अब तक किए गये खर्च के ब्यौरे तथा दिये गये आदेश निम्नांकित हैं:–

I. विभाग द्वारा निर्मित फर्नीचर :

42,474.98 रुपयों का खर्चा किया गया है।

II. अतिथि भवन का फर्नीचर :

(क) 2,523.80	रुपये	कुर्सियों की खरीदारी के लिये (भुगतान किया गया)
(ख) 2,349.00	रुपये	बिछौने, चटाइयों, खाना खाने की मेजों की खरीदारी के लिए (बिल हाथ में हैं)।
(ग) 2,260.00	रुपये	आराम कुर्सियों के लिए (दिया गया आदेश)।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रयोगशालायें

4521. **श्री ग० शं० मिश्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक–सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रबन्धित प्रयोग-शालाओं में गत बहुत से वर्षों से लाखों रुपयों के मूल्य के बहुत से आयातित देशी उपकरण बेकार और अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, दुर्गापुर में बेकार पड़े उपकरणों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन प्रयोगशालाओं में लगभग नगण्य प्रगति हुई है जबकि प्रत्येक वर्ष प्रयोग करने के लिए कच्चा माल और उपकरणों के पुर्जे खरीदे जाते रहे हैं और इनकी माँग काफी बढ़ रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों से उपर्युक्त प्रयोगशालाओं में वर्षवार कितना सामान खरीदा गया ; और

(ङ.) भारत में वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक प्रगति में प्रयोगशालाओं का योगदान कितना है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्री (डॉ० वी० के० आर० वी० राव) : (क) (ख) और (घ) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (ङ) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख "व० औ० अनु० परि० के 25 वर्ष" नामक पुस्तिका में किया गया है और अनुसंधान परिणामों के उपयोग की प्रगति वै० औ० अनु० परि० द्वारा निकले गए निम्नलिखित प्रकाशनों में दिखाई गई है :—

(i) उद्योग के लिए अनुसंधान 1964

(ii) अनुसंधान उपयोग संबंधी आँकड़े 1965

(iii) अनुसंधान उपयोग संबंधी आँकड़े —1966

उपर्युक्त प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1967 वर्ष के अनुसंधान उपयोग सम्बन्धी आँकड़े छप रहे हैं और उनकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय को भेज दी जाएगी ।

नमूनों की जाँच के बारे में भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून के विरुद्ध शिकायतें

4522. **श्री ग० शं० मिश्र : क्या शिक्षा तथा युवक--सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून विदेशी औषध कम्पनियों के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रही है तथा भारत में चल रहे पेटन्टों के बारे में, सभी अपेक्षित आयातों के लिए उन कम्पनियों की इच्छानुसार जाँच-परिणाम देकर उनकी सहायता कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट देने के लिए नमूनों की जाँच के बारे में क्या नीति है ;

(ग) क्या यह सच है कि पहले भी जेली का उत्पादन करने वाले औषध-निर्माताओं के नमूने की आधी जाँच करके तथा शेष स्टोरेज स्टेबिलिटी टेस्ट की स्वयं उन्हें ही अनुमति देकर उनका पक्ष लिया जाता रहा है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ये रियायतें किन परिस्थितियों में दी गईं जबकि यह मालूम था कि इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के आधारभूत तेल का भारी मात्रा में आयात करना पड़ेगा ; और

(ङ) इस संस्थान से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डॉ० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून कोई सामान्य परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। फिर भी, जब पैट्रोलियम उत्पादों के कोटि-मूल्यांकन, में विशिष्ट तकनीक अपेक्षित होती है और कभी-कभी प्रदर्शन मूल्यांकन, संस्थान बाहरी पार्टियों से सीमित संख्या में कुछ नमूने, जो उसके

कार्य की सीमा पर निर्भर करता है, संस्थान की कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित निर्धारित फीस अदा करने पर परीक्षण के लिए स्वीकार करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सड़क विकास

4523. श्री द० वि० सिंह क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार की स्थिति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नाम सबसे नीचे है और वहाँ पर प्रति 100 वर्गमील केवल 18 मील सड़क है (जिसमें से केवल 8.5 प्रतिशत सड़कें पक्की हैं और 9.5 प्रतिशत कच्ची है) यदि हाँ, तो अन्य राज्यों में प्रति 100 वर्गमील सड़कों की लंबाई और अखिल भारतीय औसत की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है;

(ख) यदि मध्य प्रदेश सरकार ने 1969-70 के लिए और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सड़क निर्माण का कोई कार्यक्रम भेजा है, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना धन खर्च होगा;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि सरकार ने उक्त कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया है, तो वे किन संशोधनों के साथ स्वीकार किये गए हैं; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस संबंध में मध्य प्रदेश अखिल भारतीय औसत के कहाँ तक निकट आ जायेगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1777/69**] 1967 मूल सड़क आँकड़ों के अनुसार तालिका से पता लगेगा कि मध्य-प्रदेश में सड़क संचार की स्थिति सबसे नीची नहीं है। मध्य-प्रदेश में प्रति 100 मील के क्षेत्र में सड़कों की औसतन् मील दूरी 23.6 (9.2 मील पक्की और 14.4 मील कच्ची) की है जो 100 वर्ग मील के क्षेत्र में 15 कि० मी० के बराबर है और दूसरे राज्यों में प्रति एक सौ वर्ग कि० मी० सड़कें लम्बाई से बिलकुल मिलती है और अखिल भारत के औसतन (अर्थात 27 कि० मी०) है।

(ख) से (घ) राज्य की चौथी योजना के अन्तर्गत और 1969-70 के लिए वार्षिक योजना और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित सड़कों के लिए मध्य-प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये परिव्ययों की तालिका नीचे दी गई है :—

चौथी योजना के दौरान सड़कों के विकास पर परिव्यय

		1969–70
		रु० करोड़ों में
राज्य सरकार द्वारा सुझाया गया	35.00	4.37
योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	25.00	3.71

योजना आयोग की स्वीकृति मोटी तौर पर अधिकतम वित्तीय सीमा से सम्बन्धित है और राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम वित्तीय सीमा के अन्दर स्वीकृत अपने ब्यौरेवार कार्य-क्रमों को बनाने में स्वतन्त्र है।

(ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों का पुनर्गठन

4524. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में विशेष रूप से तेलंगाना, विदर्भ और सौराष्ट्र में, वर्तमान असंतोष को देखते हुए भारत सरकार का विचार फजल अली आयोग की तरह का एक आयोग बनाने का है, जिसकी सिफारिशें सबको अनिवार्य रूप से मान्य होंगी; और

(ख) यदि नहीं, तो तेलंगाना जैसी समस्याओं को किस प्रकार हल करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों, जैसे तेलंगाना, विदर्भ इत्यादि में यह धारणा है कि उनके विकास की आवश्यकताओं पर अतीत में उचित ध्यान नहीं दिया गया और यदि इन क्षेत्रों को पृथक राज्यों में विभाजित कर दिया जाय तो उनका पिछड़ापन दूर हो जायगा। सरकार का विचार है कि इन क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आवश्यकताएँ तीव्र गति से विकास द्वारा, न कि पृथक राज्य के निर्माण से, पूरी हो जाएँगी। इन परिस्थितियों में इस प्रयोजन के लिए किसी आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जून, 1969 में हैदराबाद की अपनी यात्रा के अन्त में गृह-मंत्री ने तेलंगाना के लोगों से सभी आन्दोलात्मक गतिविधियों को निलम्बित करने तथा ऐसी परिस्थिति सुनिश्चित करने, जिनमें नेताओं के साथ आगे परामर्श करने के बाद उनकी समस्याओं का उचित तथा न्याय-पूर्ण हल निकाला जा सके, के लिए एक अपील की। तेलंगाना के लोगों की वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान मंत्री ने 11 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा निर्णय लिए गए विभिन्न ठोस उपाय बताने वाली एक आठ-सूत्री योजना की पहले ही घोषणा कर दी है। इन उपायों को कार्य रूप दिया जा रहा है। तेलंगाना विकास समिति तथा योजना कार्यन्वयन समिति तेलंगाना क्षेत्र में प्रचलित आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए निःसन्देह सरकारी स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करेगी। संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार भी आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय समिति आदेश, 1958 के अन्तर्गत तेलंगाना क्षेत्र के लिए गठित राज्य विधान-मंडल की क्षेत्रीय समिति के प्रभाव को बढ़ाने तथा उद्देश्य को बढ़ाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

मिजो पहाड़ियाँ

4525. **श्री गंगा रेड्डी** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजो पहाड़ियों की जनसंख्या कितनी है ;

(ख) उस क्षेत्र में विद्रोही मिजो लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) वहाँ पर सुरक्षा दल के कितने व्यक्ति तैनात किए गए हैं और प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विद्रोही मिजो लोगों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा दल को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,66,063 हैं।

(ख) निश्चित आँकड़े ज्ञात नहीं है।

(ग) सदन में सूचना प्रगट करना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी पंडितों के पद

4526. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हिन्दी पंडित ग्रेड-I का पद बनाने की अनुमति देने और उसके लिए वित्तीय सहायता देने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने पद बनाने का विचार है और राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता माँगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) चालू वित्त वर्ष में अभी तक आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसी कोई विशिष्ट माँग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठते, किन्तु 1968-69 में अहिन्दी-भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंजूर किये गए अनुदानों के आधार पर भारत सरकार ने 1969-70 में 2,269 हिन्दी अध्यापकों की सेवायें जारी रखने के लिए 40.55 लाख रुपए की राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध की है।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी के विकास के लिए सहायता

4527. **श्री ईश्वर रेड्डी**: क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा का विकास करने के वित्तीय रूप में तथा अन्य तरीकों से कब से सहायता देना आरम्भ किया था;

(ख) सहायता किस रूप में दी गई है और उसके लिए यदि कोई शर्तें हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) राज्यवार तथा वर्षवार अब तक कितने हिन्दी पंडितों (ग्रेड–I) की मंजूरी दी गई है और कितनी धन-राशि दी गई है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति तथा वहाँ हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वहाँ की सरकारों को सीधे ही शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। ये योजनाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थीं और अब भी चल रही हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार, अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार की निम्नलिखित योजनाओं के ऊपर होने वाले व्यय को भी वहन करती है :—

(i) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहयता;

(ii) अहिन्दी–भाषी राज्यों के छात्रों को उत्तर–मैट्रिक स्तर से हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना;

(iii) स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण;

(iv) अहिन्दी–भाषी राज्यों के हिन्दी विद्वानों को उनकी हिन्दी की साहित्यिक रचनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान करना;

(v) अहिन्दी–भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों और प्राध्यापकों का केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में प्रशिक्षण; और

(vi) अहिन्दी–भाषी राज्यों के विद्यमान कालेजों में हिन्दी माध्यम के विभाग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। (यह एक नई योजना है जिसे चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल किया गया है)।

(ग) अहिन्दी–भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 1961-62 से 1968-69 तक दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में विवरण सभा–पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1778/69] यथार्थरूप में नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

क्रैडिट वाउचरों के आधार पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा टिकट जारी करना

4528. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन राज्यों को क्रैडिट वाउचरों के आधार पर टिकट देती है;

(ख) क्या लगभग सभी राज्यों से इस उधार राशि का भुगतान बकाया है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य से कितनी राशि बकाया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) भुगतान न करने की घटनायें नहीं हुई हैं, यद्यपि, कतिपय मामलों में भुगतान करने में विलम्ब और उसके परिणामस्वरूप उधार देने की सुविधाओं का अस्थायी रूप से निलम्बन हुआ है।

साम्प्रदायिक दंगे

4529. **श्री हेम राज :** **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में साम्प्रदायिक दंगों की कितनी घटनाएँ हुईं; और

(ख) वर्ष 1969 के पहले 6 महीनों में कितनी ऐसी घटनायें हुईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1779/69**]।

(ख) हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह, मनीपुर और पाण्डीचरी में 1969 के पहले 6 महीनों में कोई साम्प्रदायिक घटनाएँ नहीं हुई हैं। शेष राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

Propagation of Indian Culture

4530. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to send some scholars to foreign countries for the propagation of India culture; and

(b) the progress made so far in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) and (b) The Cultural Activities and the Cultural Exchange Programmes for the year 1969-70 provide for sending Indian scholars and writers to East Europc, West Asia, Africa, Latin America, East and South-East Asia. While some have already been sent to some of the countries in East Europe and Latin America, others will be sent during the course of the year.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

4531. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिस प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था तथा इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे क्या वे पूरे हो गए हैं;

(ख) क्या उत्पादन स्तर अन्तराष्ट्रीय स्तर का है और इसकी उत्पादन–लागत विदेशी फर्मों की उत्पादन–लागत के लगभग समान है;

(ग) वर्ष 1965 से क्या-क्या नई मदों का निर्माण किया जा रहा है और पहले किन मदों का आयात किया जाता था और गत वर्ष प्रत्येक मद के उत्पादन के आँकड़े क्या थे;

(घ) क्या गत वर्ष इस कंपनी के प्रमुख शासी अधिकारियों में कोई परिवर्तन किये गए थे;

(ङ) यदि हाँ, तो वर्तमान अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे कब-कब से इन पदों पर काम कर रहे हैं; और

(च) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1968–69 में लाभ हानि, विक्रय–लक्ष्यों तथा स्टाक आदि के आँकड़े क्या थे ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चंडीगढ़ सलाहकार समिति

4532. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गृह-कार्य मंत्री की चंडीगढ़ सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, यदि हाँ, तो उस समिति में कौन-कौन गैर-सरकारी सदस्य लिए गए हैं तथा वे किस-किस दल के हैं;

(ख) हरियाणा के एकमात्र प्रतिनिधि चौधरी सूरज मल को उस समिति से निकाल दिए जाने तथा प्रशासन में हरियाणा के हितों की रक्षा तथा देख–भाल करने के लिए हरियाणा के किसी भी प्रतिनिधि को उस समिति में न लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उस समिति के गठन में चंडीगढ़ के मुख्य राजनैतिक दल, जनसंघ तथा अन्य राजनैतिक दलों तथा हितों की सर्वथा उपेक्षा की गई है; और

(घ) क्या भी सच है कि श्री अमर नाथ विद्यालंकार, जिन्हें इस समिति में लिया गया है, चंडीगढ़ में नहीं रहते और चंडीगढ़ से उनका और कोई सरोकार भी नहीं है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) सरकार ने चंडीगढ़ के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है और निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य मनोनीति किए गए हैं जो कांग्रेस संस्था के हैं :—

1. **श्री श्याम लाल गुप्त**
2. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार**
3. **श्री लक्ष्मण सिंह**

समितियों के लिए नामांकन राजनैतिक विचार पर आधारित नहीं होते हैं । सलाहकार समिति चंडीगढ़ की समस्याओं पर सलाह देने के लिए है और इस प्रकार हरियाणा या पंजाब

के हितों की सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु श्री सूरज मल को, जिन्होंने पहले इस समिति में सेवा की, हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में समिति के लिए मनोनीत नहीं किया गया था किन्तु चंडीगढ़ के विशिष्ट नागरिक के रूप में उस समय सम्मिलित किया गया था। श्री श्रीचन्द गोयल, संसद् सदस्य, जो जनसंघ के हैं, पहले से ही समिति में हैं। श्री अमर नाथ विद्यालंकार ने गत आम चुनाओं में चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसदीय चुनाव लड़ा। वे चंडीगढ़ के मामलों में बहुत रुचि लेते हैं और एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें चंडीगढ़ की समस्याओं का पूरा ज्ञान है। गृह-मंत्री व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, ज्ञान और सामर्थ्य का उचित ध्यान रख कर नामांकन करते हैं ताकि वे उन समस्याओं पर उचित सलाह दे सकें जो समिति के समक्ष उत्पन्न होती हैं।

गोपनीय कागजों के देखने के बारे में राजकीय भेद अविनियम (ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट) के अन्तर्गत नियम

4533. **श्री जय सिंह :**　　　　　　　　**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय भेद अधिनियम 1923 के अन्तर्गत गोपनीय कागजात देखने के बारे में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): राजकीय भेद अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कोई ऐसे नियम नही बनाये गए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मुकदमें

4534. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से जिन मुकदमों का फैसला नहीं किया गया और जो मुकदमे अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मुकदमें को मुल्तवी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन मुकदमों के कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Lawyers Responsible for Spreading of Bribe

4535. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the lawyers are also responsible for spread of evils like bribe etc. in the courts and they themselves advise clients to give bribes; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government to check this malpractice ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) No general conclusion can be drawn that lawyers as a class are responsible for spread of evils like bribery ete. in the Courts. Action can be taken under the existing laws against lawyers also for malpractices of this nature.

Foreign Scholarships to Harijan and Tribal Students

4536. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the nnmber of Harijans and tribal students who were sent to foreign countries for receiving advanced education on Government expenditure during the year 1968 ;

(b) whether Government have fixed any ratio for Scheduled Caste Students among the students who are sent to foreign countries on scholarships; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V· Rao) :

(a) to (c) The Ministry of Education and Youth Services handles only one scheme, namely, Scheme of Overseas Scholarships to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes students, under which students are sent abroad for study/research at Government of India expenditure. Distribution of the 9 scholarships per year available under this Scheme is as under:—

Scheduled Castes......	4
Scheduled Tribes	4
Denotified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes....	11

If the required number of eligible candidates is not available from a particular group, the scholarships can be given to candidates belonging to the other groups.

Under the above scheme, 7 Scheduled Castes and 2 Scheduled Tribes students were sent abroad during 1968.

In the case of other scholarships, under which Indian students are elected for study/research/training abroad, the expenditure is incurred by the donor countries/organisations. In these schemes, selection is made purely on merit and there is no reservation for any category of students.

दिल्ली में हरिजनों में शिक्षा

4537. **श्री म० ला० सोंघी**: क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में हरिजनों में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं ; और

(ख) इस संघ राज्यक्षेत्र में उन्हें दूसरों के स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 1961 वर्ष की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, जब तक कि नवीनतम आँकड़े उपलब्ध हैं, हरिजनों में साक्षरों की प्रतिशतता 20.86 थी।

(ख) शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों (हरिजनों सहित) के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें ग्यारहवीं कक्षा तक शिक्षा-शुल्क, विज्ञान-शुल्क, संगीत-शुल्क और परीक्षा-शुल्क से छूट दी जाती है । इसके अतिरिक्त, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उनके वास्ते

वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियों की विशेष योजनाएँ हैं। इसके अलावा, किसी कालेज अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग में नए दाखिले में से 20 प्रतिशत स्थान अनसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकारों की परिभाषा

4538. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री प० मु० सईद :**

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र में राजनीतिक संकट उपस्थित होने पर राष्ट्रपति अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व संसद् के दोनों सदनों का एक संयुक्त-सत्र बुलाने की माँग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

4539. **श्री कंवर लाल गुप्त : श्री शारदानन्द :**
श्री ओंकार सिंह : श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ का आयोजन पाकिस्तान सरकार द्वारा राज्य के जनांकिकीय संतुलन में बाधा डालने के उद्देश्य से किया जा रहा है,

(ख) गत तीन वर्षों में कितने पाकिस्तानियों को पकड़ा गया और उक्त अवधि में कितने पाकिस्तानियों को देश से निकाला गया ;

(ग) आसाम में कितने घुसपैठिये अभी भी अवैध रूप से रह रहे हैं ;

(घ) उक्त घुसपैठ को रोकने के लिए क्या प्रभावकारी उपाय किये गये है ; और

(ङ) घुसपैठियों को सख्त सजा न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) असम सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है। इसे प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) जैसा असम सरकार द्वारा सूचित किया गया 1966, 1967 तथा 1698 वर्षों में ढूंढ़ निकाले गये / देश से निकाले गये पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	ढूंढ़ निकाले गयों को संख्या	देश से निकाले गयों की संख्या
1966	24,664	14,488
1967	4,740	4,063
1968	5,962	4,479

(ग) तथा (घ) असम में ठहरे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों की वास्तविक संख्या मालूम नहीं है। किन्तु उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन से उनकी संख्या मोटे तौर पर 71,500 समझी जाती है। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की घुसपैठ को रोकने के उपयुक्त उपाय हैं, अर्थात जहाँ आवश्यक हो सीमा सुरक्षा दल को सशक्त करने और सीमा के साथ-साथ तथा देश भीतर दूर-दूर तक पुलिस निगरानी चौकियों का जाल बिछाने समेत संचालन।

(ङ) पकड़े गये व्यक्तियों के साथ सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

साम्प्रदायिक दंगे

4540. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदानन्द : श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ गत दो वर्षो में साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा न्यायिक जाँच की गई तथा जिनके बारे में रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इन रिपोर्टों में से किसी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया गया है कि किसी संगठन अथवा समुदाय ने ऐसे दंगे करने के लिए पहले योजना बनाई हुई थी और यदि हाँ, तो उस संगठन तथा समुदाय का नाम क्या है, जिसने ऐसे दंगे करने की योजना बनाई हुई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में एकीकरण परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने उन दंगों की जांच करने के लिए साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित जाँच आयोग नियुक्त किया है जो राँची-हतिया (22 से 29 अगस्त, 1967), जैनपुर-सुचेतपुर (24 से 25 सितम्बर, 1967), अहमदनगर (18 सितम्बर, 1967), शोलापुर (17 सितम्बर, 1967), मालेगाँव (24 सितम्बर, 1967) और मुजफ्फरपुर जिले में सुरसन्द (13 से 15 अक्टूबर, 1967) में हुए। आयोग ने अब तक राँची-हतिया और जैनपर-सुचेतपुर दंगों के बारे में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी, 1970 तक है। उक्त आयोग को जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा अगस्त, 1967 के जम्मू व कश्मीर के दंगों को जाँच करने का काम भी सौंपा गया था। आयोग ने अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंप दिया है जो उनके विचाराधीन है। मध्य प्रदेश सरकार ने जून, 1969 में इन्दौर में हुए दंगों की जाँच करने के लिए एक जाँच आयोग नियुक्त किया है जिसमें उच्च न्यायालय के एक अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश हैं। जाँच अभी जारी है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 842 दिनांक 25 जुलाई, 1969 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Use of Hindi

4541. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the Resolution regarding Hindi as passed by the Parliament has been implemented so far;

(b) the parts of the Resolution which have not been fully implemented so far and the reasons for their non-implementation ;

(c) the time by which these parts would be implemented; and

(d) the names of the Ministries which are particularly lagging behind in the use of Hindi so far and the action being taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) to (c) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T.**—1780/69].

(d) A senior officer of the rank of Joint Secretary has been made responsible in each Ministry/Department for ensuring implementation of the provisions of the Official Languages (Amendment) Act and the administrative instructions issued in that regard. Progress in this behalf is also watched through quarterly progress reports furnished to the Ministry of Home Affairs and wherever deficiences are noticed, these are brought to the notice of the Joint Secretary concerned in each Ministry/Department for taking neeessary remedial measures. The Home Minister has recently written D. O. letters to some of the Ministers.

Schemes for National Service Corps and National Sports Organisation

4542. **Shri Ram Swarup Vidyarthi: Shri P. M. Syeed:**
Shri Narain Swarup Sharma: Shri J. Sundar Lal :
Shri Bal Raj Madhok: Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated schemes for National Service Corps and National Sports Organisation for College students during the Fouth Five Year Plan ;

(b) if so the amount allocated by Government for this scheme and the number of students who would benefit by this scheme during each of the next five years ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) and (b) A total provision of Rs. 6·50 crores has been made during the Fourth Five Year Plan.

Detailed scheme is under formulation. It is not possible at this stage to indicate total coverage of students population under the two schemes.

गत ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन

4543. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ओलम्पिक खेलों में भारतीथ खिलाड़ियों द्वारा अच्छा खेल न खेले जाने के क्या कारण थे;

(ख) उनके खेल के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या स्कूलों, कालेजों तथा अन्य क्षेत्रों से इस काम के लिये प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुनने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं,

(घ) क्या योग्य व्यक्तियों को नवीनतम वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) क्या व्यवसायिक खिलाड़ियों को नियुक्त करने अथवा ऐसे नवयुवकों, को, जिनमें अपेक्षित प्रतिभा हो, वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):

(क) और (ख) सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् से, मैक्सिको में आयोजित आलिम्पिक खेलों में भारतीय दल के घटिया दर्जे के खेल के कारणों का पता लगाने तथा उनमें सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु, पहले ही से अनुरोध किया गया है। इस विषय पर विशेष रूप से नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर, परिषद्, अपनी अगली बैठक में विचार करेगी। सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशें प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जायेगा।

(ग) इस वर्ष से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में, राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम, लागू किया जा रहा है और शारिरिक शिक्षा का समेकित कार्यक्रम, स्कूलों द्वारा पहले ही से लागू किया जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रमों के जरिए, शिक्षा संस्थाओं में खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और प्रतिभा की खोज होनी चाहिए।

(घ) जी हाँ। यह कार्य, काफी सीमा तक, राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) इस वर्ष से खेल–प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना लागू करने का सरकार का विचार है। इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्थापना

4544. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या अजमेर में दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कुछ प्रस्ताव सरकार के पास आये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने आर्य समाज शैक्षणिक संस्थाओं की अन्तराष्ट्रीय परिषद् से दयानन्द विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। तदनुसार परिषद् को सूचित किया गया था।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में रिक्त स्थान

4545. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्याय-मण्डल में कितने रिक्त स्थान हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त रिक्त स्थान भरने में विलम्ब होने के कारण उच्च न्यायालय के काम की हानि हो रही है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं, यदि हाँ, तो पद भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अतिरिक्त न्यायाधीश की चार रिक्तियाँ ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) जी हाँ, श्रीमान् । रिक्तियों में से तीन में की गई नियुक्तियों को अधिसूचित कर दिया है । चूंकि चौथी रिक्ति में नियुक्ति के लिए जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई थी वह इच्छुक नहीं है अतः चौथी रिक्ति को भरने के लिए राज्य प्राधिकारियों से नए प्रस्ताव की प्रतीक्षा है ।

Recruitment in Education and Youth Services Ministry

4546. **Shri P. M. Sayeed: Shri Narain Swarup Sharma: Shri J. Sandar Lal: Shri Hardayal Devgun:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3893 on the 21st March, 1969 ahd state :

(a) the technical and educational qualifications of the officer who interviewed the Technical Assistants on 22nd June, 1967 as Chairman, the names of the persons appointed on the basis of the said interview and the States to which they belonged ;

(b) the technical, statistical and educational qualifications of the Chairman in the interview of Statistical Assistants held on 28th, 30th and 31st December, 1968, the names of the persons appointed on the basis of the interview and the States to which they belonged ;

(c) the grounds on which the test of Hindi stenographers held on 27th April, 1968 was not conducted by some Hindi Stenographer or Hindi Reporter ; and

(d) whether the person appointed on the basis of the result of the test was posted in the personal staff of the Education Minister ;

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) The Educational qualification of the Chairman, Shri B. N. Bhardwaj is degree of 'Bachelor of Arts'. He was assisted by the following other officers whose qualifications are shown against their names ;

1. Shri R. S. Chitkara, Deputy Educational Adviser (U).	M. A. (Mathematics), B. T., Post-Graduate Training is Statistics, Indian Statistical Institute, Calcatta.
2. Shri Uma Datt, Under Secretary (Administration).	B. A., LL. B.

Shri Sant Ram Singh was appointed on the basis of the said interview. He belongs to Uttar Pradesh State.

(b) The qualifications of the Chairman, Shri Uma Datt are B. A., LL. B. He was assisted by the following other officers whose qualifications are shown against each :

1. Shri Surat Singh, Under Secretary (Administration). B. A.
2. Shri R. R. Iyeri, Statistical Officer. M. Sc (Statistics)
3. Shri G. K. Mullick, Education Officer. M. A. (Geography), L. T., M. Ed.

A panel of seven suitable persons belonging to different States was drawn up by the Committee. Out of this, Shri Ram Bilas Gupta, who belongs to Delhi, has since been appointed.

(c) The test in Hindi Stenography was conducted by Shri R. L. Arora, a qualified Hindi Strenographer from the Secretariat Training School.

(d) The Services of the person selected on the basis of the test were utilised in the general pool as well as by the Minister as and when required.

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कुप्रशासन तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का होना

4547. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कुप्रशासन है तथा कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं जिसके फलस्वरूप उसे 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 345 लाख रुपए की हानि हुई थी ;

(ख) विभागीय (इण्टरनल) जांच में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्य-संचालन में किन-किन त्रुटियों का पता लगा ; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) 1966-67 में इंडियन एयरलाइन्स को मुख्यतया निम्न कारणों से हानि हुई थी :

1. जून, 1966 में रुपए का अवमूल्यन,
2. वेज अवार्ड के क्रियान्वयन के परिणाम-स्वरूप वेतन (वेज) बिल में वृद्धि,
3. दुर्घटनाओं में विमानों के नष्ट हो जाने के कारण राजस्व में कमी।

तब से अब स्थिति सुधर गई है और 1968–69 में कारपोरेशन को 16 करोड़ रुपए के लाभ दिखाने की आशा है। इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व व्यय में और अधिक किफायत और गैर–किफायती पुराने तथा छोटे विमानों को बदलना भी शामिल है।

14 एच० एस०-748 विमानों में से जिनके आर्डर दिए गए हैं, इंडियन एयरलाइन्स को 11 विमान पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। शेष तीन विमानों की वर्ष की अवधि के दौरान प्राप्त होने की संभावना है। कारपोरेशन के विमान-बेड़े को बढ़ाने के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

जहाजरानी निगम का विस्तार

4548. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जहाजरानी निगम ने गत तीन वर्षों में अच्छा काम किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस निगम का विस्तार करने का सरकार का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में नौवहन का विकास करने के लिए कितना धन नियत किया गया है तथा कितना धन भारत के जहाजरानी निगम में लगाया जायेगा ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश तथा भारत के जहाजरानी निगम के जहाजों का टनभार कितना-कितना होगा ?

संसद्–कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस समय निगम के पास 5.84 लाख जी० आर० टी० (8.60 लाख डी० डब्लू० टी०) के 65 जहाज हैं। इसके अतिरिक्त निगम ने 4.5 लाख जी० आर० टी० (6.48 लाख डी० डब्लू० टी०) कुल भार के 25 जहाजों का एक आर्डर दिया है जिनमें से 18 भारतीय जहाज निर्माण के कारखानों में और 7 विदेशों में।

(घ) चौथी योजना अवधि में नौवहन के लिए कुल व्यवस्था 130 करोड़ रुपये की है। चौथी योजना में भारत के नौवहन निगम के प्रसार के लिए कोई अलग निधि नियत नहीं की गई है, चूंकि योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी के व्यक्तिगत प्रस्तावों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ङ) चौथी योजना में 35 लाख जी० आर० टी० टनभार के लक्ष्य का प्रस्ताव है और 5 लाख टनभार के जहाज, जिनके लिए आदेश दिए गए हैं सहित अर्थात् 40 लाख के टनभार का है। इसमें से चौथी योजना के अन्त तक भारत के नौवहन निगम का टनभार भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनशील आवश्यकताओं, विदेशी जहाजी कारखानों / सरकारों के आस्थगित ऋणों की उपलब्धि और भारत तथा विदेशी जहाजी कारखानों की निर्माण क्षमता पर निर्भर करेगा।

Working of National Council of Educational Research and Training

4549. **Shri Prem Chand Verma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the fresh studies made by the National Council of Educational Research and Training which have been made special contribution to the growth of Educational System ;

(b) the number of research specialists who had the required experience prior to joining the Council ;

(c) whether it is a fact that Government are looking into the affairs of the Council ;

(d) if so, the defects which have come to light and which have adversely affected the working of the Council ; and

(e) if Goverament have not looked into the affairs of the Council the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Prof. V.K.R.V. Rao) :

(a) A list of important studies conducted by the National Council of Educational Research and Trining is laid on the Table of the House. [**Placed in Library, See No. LT-1781/69.**]

(b) The number of Heads of Departments and Readers in the National Institute of Education, who may be deemed to be research specialists, is 73 at present and all of them had the requisite prescribed qualifications at the time of their appointment in the Council.

(c) to (e) Government appointed a Committee to review the work and the programmes of the Council. The Committae had submitted its report. The main defects noticed were :

(i) The number of Departments was too large ;

(ii) There is much variation in the standard of research from Department to Department ;

(iii) Training programmes are over-emphasised at the National Institute of Education;

(iv) The ratio between senior and junior posts is not proper; and

(v) Close working relation with State Education Departments and Universities was not built up.

For improving the efficiency of the Council the Committee has *inter alia* recommended:

(i) Intensive collaboration with the State Governments and Universities.

(ii) Re-organisation of the Departments of the Council.

(iii) Staff adjustments and appointment of full time Director and Joint Director.

(iv) A Committee to screen the Council's projects.

The recommendations have been accepted with some modifications, and decisions taken by Government on the Report have been communicated to the Council for necessary action.

Threatening Letters by Tipu Sena to Jan Sangh Leaders

4550. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ranjeet Singh :**

Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Suraj Bhan :

Shri Ram Gopal Shaiwale : Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be plea:ed to state:

(a) whether it is a fact that a number of letters have been sent to him in which the leaders of Tipu Sena and Jan Sangh have been threatened with murder;

(b) if so, whether any enquiry has been made in this regard; and

(c) if so, the results thereof and the details of preventive measures taken?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Shri M. L. Sondhi and Shri Atal Bihari Vajpayee, Members of Lok Sabha, in 1968, forwarded to the Home Minister some threatening letters received by Jan Sangh leaders, purported to have been sent on behalf of Tipu Sena.

(b) and (c) Inquiries were held into the matter, but it was not possible to ascertain the source of the letters. Whenever such letters are received, prompt steps are taken to trace their origin (as far as possible) and suitable preventive action is taken; while it may not be possible to prevent theeatening letters being written, utmost vigilance has always been and will be maintained against possible anti-social elements.

Recommendations made by Whips' Conference

4551. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Ranjeet Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale: Shri Brij Bhushan Lal :
Shri S. M. Krishna :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) the details of those recommendations of Whips' Conference held in Simla in October, 1967 which have been implemented by the Central Government, and

(b) the information received from different States in regard to those recommendations ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah):

(a) Statement showing the details of the reeommendations which have been partially or fully implemented by the Central Government is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-1782/69**]

(b) Up-to-date Implementation reports from the State Governments have been called for.

बाल पुस्तक न्यास, नई दिल्ली

4552. **श्री ए० श्रीधरन : श्री क० लक्प्पा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक–सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) बाल पुस्तक न्यास, नई दिल्ली की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को कितनी-कितनी पूंजी थी;

(ख) सरकार, बैंकों तथा अन्य पार्टियों ने न्यास को 31 मार्च, 1969 तक कितना-कितना ऋण दिया हुआ था;

(ग) गत तीन वर्षों में इस न्यास ने कैसा काम किया तथा उसे यदि लाभ अथवा हानि हुई तो कितनी, और

(घ) हानि होने के यदि कोई कारण हैं तो क्या तथा वर्ष 1969-70 में उसे कितनी हानि अथवा लाभ होने का अनुमान है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) बाल पुस्तक न्यास सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है और कोई अधिकृत अथवा प्रदत्त पूंजी उसके पास नहीं है ।

(ख) भारत सरकार ने 25,00,000 रुपये की राशि का ऋण दिया था जिसमें से न्यास ने 31-3-1969 तक 3,00,000 रूपए चुका दिए थे। जहाँ तक सरकार को पता है, बैंकों तथा अन्य पार्टियों द्वारा न्यास को कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

भाग (ग) :

न्यास के कार्यकलाप	1966-67 घाटा रुपये	1967–68 घाटा (अनन्तिम) रुपये
बाल पुस्तक न्यास (पुस्तक प्रकाशन) अभी तक 97 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं	3,15,373.23	3,91,196.74
गुडिया संग्रहालय	30,190.28	54,244.91
मुद्रणालय (इसमें बाल-पुस्तकों का मुद्रण सम्मिलित है)	54,959.08	1,24,321.24
चिल्ड्रन्स वर्ल्ड (बाल पत्रिका)	–	49,247·23
पुस्तकालय*	–	–
कुल घाटा	4,00,522.59	9,19,010.12
@किरायेदारों से प्राप्त किराये की राशि	9,53,531.17	9,46,298.00
अविशेष	5,53,008.58	3,27,287.88

अधिशेष को 22 लाख रुपये की ऋण की शेष राशि का भुगतान करने के प्रयोग में लाया जायेगा।

@जिन किरायेदारों को स्थान दिया गया है उनसे न्यास ने अग्रिम किराया प्राप्त कर लिया है। अग्रिम किराये की धन राशि 1,7,0,5,632 रुपये थी। वर्ष 1966–67 तथा 1967–68 तक के लिये प्राप्त होने वाले किराये की राशि के साथ इस राशि का समायोजन इस बीच कर दिया गया है।

*पुस्तालय ने वर्ष 1967–68 में कार्य करना आरम्भ किया था तथा 3,91,196.74 रुपयों के घाटे में पुस्तकालय का घाटा भी सम्मिलित है। चूंकि पुस्तकालय ने वर्ष के कुछ अंश में कार्य किया था अत: उसके लिये अलग लेखा तैयार नहीं किया गया था।

टिप्पणी : वर्ष 1968–69 के लेखे तैयार किये जा रहे है।

भाग (घ) :

1. (क) बाल पुस्तकें तथा बाल पत्रिका राज–सहायताप्राप्त मूल्यों पर बेची जाती हैं।

(ख) गुड़िया संग्रहालय में घाटे का कारण यह है कि प्राप्त होने वाले नाममात्र प्रवेश–शुल्क की अपेक्षा संग्रहालय के रख-रखाव पर बहुत खर्च आता है।

II सूचना मिली है कि वर्ष 1969-70 के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

अयोध्या में पुरातत्वीय सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य

4553. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र में पुरातत्वीय सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में सर्वेक्षण-कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) :

(क) और (ख) जी हाँ। 1955-56 में क्षेत्र का तल अन्वेषण किया गया तथा सरका छः से सम्बन्धित दूसरी शताब्दी ई० पू० के मिट्टी के वर्तन पाये गये। अयोध्या क्षेत्र में आगे का कार्य शीघ्र ही निर्धारित किया जायेगा।

अयोध्या में संस्कृत के स्कूल तथा कालेज

4554. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या तथा उसके आस-पास संस्कृत के कितने स्कूल तथा कालेज हैं;

(ख) सरकार इन संस्थाओं को कितनी सहायता दे रही है; और

(ग) क्या संस्कृत शिक्षा तथा प्राचीन संस्कृति के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अयोध्या में तथा उसके आसपास 31 विद्यालय तथा 17 महाविद्यालय हैं। 27 विद्यालयों तथा 17 महाविद्यालयों को विभाग द्वारा सहायक-अनुदान दिये जाते हैं। शेष संस्थाओं को सहायता नहीं दी जाती।

2. हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के पैरा 321 में उल्लिखित नियमों के अनुसार राज्य की सहायता-प्राप्त संस्कृत संस्थाओं को आवर्ती संधारण-अनुदान दिये जाते हैं। इन नियमों के अनुसार, स्वीकृत वास्तविक व्यय और स्वीकृत वास्तविक आय में अन्तर के बराबर की राशि अथवा वास्तविक स्वीकृत व्यय की आधी राशि, जो भी कम हो, का संधारण-अनुदान संस्था को दिया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्था को दिये जाने वाले संधारण-अनुदान की मात्रा निर्धारित नहीं है। आवर्ती संधारण अनुदान के अतिरिक्त, इन संस्थाओं को अनावर्ती अनुदान भी दिये जाते हैं।

3. केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय की स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को अनुदान देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को राज्य सरकार की सिफारिश पर इनके स्वीकृत व्यय की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

4. राज्य सरकार ने पहले ही वाराणासी में संस्कृत विश्वविद्यालन स्थापित कर दिया है जिसमें संस्कृत शिक्षा तथा प्राचीन संस्कृति की सभी शाखाओं का अध्ययन आरम्भ हो गया है। अयोध्या में एक अन्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में रूस के गुप्तचर विभाग की गतिविधियाँ

4555. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री द० रा० परमार :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में रूस के गुप्तचर विभाग की गतिविधिओं के बारे में "कैरंट वीकली" के 24 मई, 1969 के अंक में पहले पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है अथवा उसने कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमन्।

(ख) सरकार के पास उक्त लेख में संदर्भित भारत में गतिविधियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, देश की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों के बारे में आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।

अनुसूचित आदिम जातिओं / अनुसूचित जातियों के स्नातक

4556. **श्री कार्तिल उरांव :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसूचित आदिम जातिओं / अनुसूचित जातिओं के संकायवार कुल कितने स्नातक हैं; और

(ख) विभिन्न समुदायों की जनसंख्या तथा विभिन्न समुदायों के स्नातकों की संख्या को देखते हुए भारत के विभिन्न समुदायों में शिक्षा का योजनाबद्ध विकास कैसे करने का सरकार का विचार है ताकि विभिन्न समुदायों में शिक्षा के अनुपात में समानता लाई जा सके ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) 1961 की जनगणना के आँकड़ों में केवल नगरीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के स्नातकों की संख्या दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्नातकों की संख्या तथा उनका संकायवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

नगरीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के स्नातकों के 1961 की जनगणना के अनुसार आँकड़े निम्न प्रकार हैं :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
तकनीकी डिग्री को छोड़ कर विश्वविद्यालय डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री	5405	1018

डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा	629	66

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं में प्रवेश सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध हैं जिनका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी० 1783/69]

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सरकार समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा के समान अवसर यथासम्भव शीघ्र जुटाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करेगी : (एक) सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना : (दो) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का प्रसार करना।

भारत सरकार के समाज–कल्याण विभाग ने पिछड़े वर्गों के लोगों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित योजनाएँ प्रारम्भ की हैं :

1. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं।

(क) मैट्रिक स्तर से बाद दी जाने वाली छात्र-वृत्तियां : अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इलाहाबाद और मद्रास में स्थित ऐसे दो प्रादेशिक केन्द्रों में भारतीय प्रशासन सेवा आदि को परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है।

(घ) **अनुसूचित खानाबदोशी तथा अर्धखानाबदोशी जनजातियों के लिए कल्याण–कार्य** : इसके अन्तर्गत आश्रम–स्कूल और सरकार–केन्द्र खोले गये हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के बच्चों की परम्परागत समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

2. केन्द्रीय सहायताप्राप्त योजनाएं : राज्य सरकारें मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों, स्कूलों तथा छात्रावासों के निर्माण-कार्यों, छात्रों को दी गई पुस्तकों तथा वस्त्रों, आश्रम–स्कूलों की स्थापना पर तथा मध्यान्ह भोजन पर जो राशि खर्च करती है, उसका 60 प्रतिशत उन्हें सहायता के रूप में दिया जाता है।

न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु और परिवार-पेंशन में पुनरीक्षण

4557. **श्री यशपाल सिंह : श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्त आयु में वृद्धि करने के और बार द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों की परिवार पेंशन के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के प्रश्न पर इस समय विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बार में से नियुक्त किये गए न्यायाधीशों के सम्बन्ध में परिवार-पेंशन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

राज्यों को और अधिक अधिकार तथा संसाधन देने के लिए आन्दोलन

4558. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बासु ने राज्य को और अधिक अधिकार तथा संसाधन देने हेतु केन्द्र पर दबाव डालने के लिए एक भारी आन्दोलन करने की माँग की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मन्त्री ने विभिन्न बैठकों में कहा है कि राज्यों के लिए अधिक विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करना तथा गतिविधियाँ आयोजित करना संयुक्त मोर्चा सरकार की नीति है।

(ख) स्वयं संविधान में उस प्रक्रिया की व्यवस्था है जिसके द्वारा इसमें शान्तिपूर्ण तथ सुव्यवस्थित तरीके से परिवर्तन लाये जा सकते हैं । प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध विषयक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी सरकार द्वारा जाँच की जा रही है ।

न्यायालय से आदेश प्राप्त होने पर भी 'घेराव' के मामले में पुलिस की निष्क्रियता

4559. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री अब्दुल गनी दार** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घेराव के एक ऐसे विशिष्ट मामले के बारे में मालूम है जहाँ 15 मई, 1969 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने न्यायालय से आदेश आ जाने पर भी पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया ;

(ख) क्या न्यायाधिपति चन्द्र नारायण लायक ने पुलिस महानिरीक्षक से लेकर नीचे तक के अनेक पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे लोग कारण बतायें कि उन अधिकारियों को 2 अक्टूबर, 1967 के उनके आदेश, जिसमें उनको संविधिक कर्त्तव्य पूरे करने का निर्देश था, का पालन न करने पर उन्हें कारावास का दण्ड क्यों न दिया जाये ; और

(ग) ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए गृह कार्य मंत्रालय की ओर से क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 7 मई, 1969 को लगभग एक हजार मजदूरों ने इन्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लि० बर्नपुर (जिला वर्दवान) के महा प्रबन्धक, कार्य प्रबन्धक तथा प्रशासनिक-प्रबन्धक के समक्ष विभिन्न माँगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहाँ पुलिस उपस्थित थी। उन्होंने 8-5-1969 को लगभग 02.30 बजे अधिकारियों को छुड़वाया जब दुर्गापुर और अन्य स्थानों से कुमुक पहुँची। मजिस्ट्रेट द्वारा एक वारंट--तलाशी भी जारी किया गया था और उस समय उसका पालन किया गया था।

श्री न्यायाधीश चन्द्र नारायण लायक ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महा--निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वर्दवान, आसनसोल पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक और हीरापुर पुलिस थाने के अधिकारी को एक आदेश जारी किया (संख्या 1540 (डब्लयू) दिनांक 15-5-1969 को देखिये) कि वे लोग कारण बतायें कि उन अधिकारियों को 2-10-1967 के उनके आदेश संख्या 2002 (डब्लयू), जिसमें उनको अपने साविधिक कर्त्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया गया था, का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवज्ञा के लिए उन्हें दण्ड क्यों न दिया जाय। न्यायालय के पालन में पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी 3-7-1969 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश हुए।

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अन्तर्गत कोई भी औपचारिक निदेश जारी नहीं किये हैं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को राजधानी में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे चलाने के लिए सुझाव

4560. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम को राजधानी में प्रस्तावित भूमिगत रेलवे चलाने के लिए सक्षम बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्रालय पर जोर डाला जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-कानूनी कार्यवाहियाँ (निरोध) अधिनियमों में संशोधन

4561. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : **श्री वि० नरसिम्हाराव** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बासु ने नक्सलवादियों की गति-

विधियों का सामना करने के लिए गैर-कानूनी कार्यवाहियाँ (निरोध) अधिनियम में संशोधन करने के केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के प्रास्ताव का कड़ा विरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चूँकि गैर-कानूनी कार्यवाहियाँ (निरोध) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने के बारे में उप-मुख्य मंत्री से सलाह नहीं ली गई थी अतः ऐसे मामले पर उनके विचार व्यक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के एक न्यायालय में एक अधिवक्ता की कथित पिटाई

4562. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1969 को तीस हजारी कोर्ट में कार्य करने वाले एक अधिवक्ता तथा उनके भाई को एक मजिस्ट्रेट के कर्मचारियों ने पीटा तथा ठोकरें मारीं ;

(ख) यदि हाँ, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 26 जुलाई, 1969 को तीस हजारी प्रांगणों के निरीक्षण के दौरान नजारत अधिकारी ने प्रांगणों में बहुत से अनधिकृत टाइपिस्टों को काम करते पाया। उनमें कुछ टाइपिस्ट नजारत अधिकारी को देखकर भाग गये। एक अनधिकृत टाइपिस्ट का टाइपराइटर देख-भाल ब्रांच में जमा तब तक के लिए करा दिया गया था जब तक कि वह प्रांगण में काम करने के अधिकार के सम्बन्ध में सबूत प्रस्तुत न कर दें। उसके बाद कुछ व्यक्ति बलपूर्वक देख-भाल ब्रांच के कमरे में घुस गये और टाइपराटर को निकालने का प्रयत्न किया। इससे उत्तेजना हो गई। एक मामूली हाथापाई हुई जिसके परिणामस्वरूप एक ओर एक वकील और उसके भाई और दूसरी ओर देख-भाल ब्रांच के एक फराश को मामूली चोटें लगी बताई जाती है। बाद में मामला उपायुक्त के साथ बार एसोसिएशन की बैठक में आपस में निपटा लिया गया था और यह तय किया गया था कि इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

Foreign Trade handled by Indian Vessels

4563. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the percentage of foreign trade being handled by the Indian vessels in the current financial year and the position as it would be in this regard at the end of the Fourth Plan?

The Minister of Parliameatary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah):

Imformation relating to the current financial year will be available only after the financial year ends. The share of Indian shipping companies in the Overseas trade of

India during 1968-69 was about 18.54%. It is estimated that if the shipping target for the Fourth Plan is achieved, Indian shipping would be in a position to cater to about 40% of the country's overseas trade.

मद्रास पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4564. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन के कर्मचारियों ने 15 मई, 1969 को हड़ताल की थी तथा काम ठप्प हो गया था ;

(ख) कर्मचारियों ने किन कारणों से बाध्य होकर हड़ताल की ;

(ग) इस हड़ताल से पत्तन को कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों की माँगें स्वीकार कर ली है ; और

(ङ) यह हड़ताल कब समाप्त हुई ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) मद्रास पत्तन ट्रस्ट कर्मचारी संघ द्वारा मद्रास पत्तन ट्रस्ट के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई 23 माँगों के अनुसरण में मद्रास पत्तन का क्लर्क अमला और तट मजदूरों ने 15 मई, 1969 को हड़ताल की।

(ग) मद्रास पत्तन ट्रस्ट को सीधी आर्थिक क्षति नहीं हुई ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय श्रम रोजगार और पुनर्स्थापन मन्त्री की मध्यस्तता के कारण हड़ताल 18 मई, 1969 को समाप्त कर दी गई थी। केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने 21 और 22 मई को नई दिल्ली पक्षों के साथ माँगों पर विचार-विमर्श किया और ए और बी कोटि के कामगरों के लिए न्यूनतम कार्य-व्यवस्था तथा उच्च श्रेणी लिपिकों की सीधी भर्ती समाप्त करने के बारे में समझौता हुआ । शेष माँगों की जाँच करने के लिए एक तदर्थ समिति की स्थापना भी की गई ।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्

4565. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के गठन के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ ।

(ख) परिषद् के सदस्यों की सूची सभा-पटल पर रखी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1784/69]

सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश

4566. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाह के बारे में प्रायः प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग के "कर्मचारी प्रशासन" विषयक प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 66 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है।

Pakistanis Staying in India

4567. **Shri Shiv Kumar Shastri: Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistanis staying in India at present legally and illegally;

(b) whether any reports have been received about some of these Pakistanis that they are indulging in anti-India activities ; and

(c) if so, the measures being adopted to cheek these activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Schemes for Encouraging Indian Games

4568. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration some schemes for encouraging Indian games ;

(b) if so, the time by which those schemes would be implemented ; and

(c) whether Government contemplate taking some steps to popularise Indian games in foreign countries?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :

(a) and (b) There is no specific scheme for encouraging the Indian games in particular. However, all propoals for financial assistance received from the National Sports Federations looking after the indigenous games are given due consideration in consultation with the All India Council of Sports and financial assistance granted, where necessary. Proposals are also under consideration for the development of Indian Games in Universities and Colleges under the National Sports Organisation Programme.

(c) There is no such proposal under consideration at present.

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा औद्योगिक विकास के लिए सहायता

4569. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक विकास में सहायता करने के लिए कितनी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ काम कर रही हैं; और

(ख) क्या ऐसे बड़े उद्योगों के लिये जो अनुसंआन-कार्य पर अपने लाभ का कुछ हिस्सा व्यय कर सकने में समर्थ हैं अनिवार्य रूप से अनुसंधान विभाग स्थापित करने के बारे में उपयुक्त विधान लाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित 30 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थानों में से 28 प्रयोगशालाएँ/संस्थाएँ देश में टेकनोलोजी सम्बन्धी विकास से सम्बन्धित कार्य में लगी हुई हैं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आलाभकारी रेलें

4570. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में, जहाँ रेलें अलाभकारी होते हुये भी आवश्यक हैं, रेल-सड़क यातायात का समन्वय करने का किसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) रेल मन्त्रालय ने अनइकोनोमिक ब्रांच लाइन्स कमेटी नाम की एक समिति नियुक्त की है जो अलाभकारी शाखा-लाइनों की कार्य-प्रणाली की जाँच करे और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

कांडला पत्तन परियोजना का पूरा होना

4571. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन परियोजना इस बीच पूरी हो गई है और यदि हाँ, तो इस पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) यदि नहीं, तो यह परियोजना कब पूरी होगी ;

(ग) पत्तन से तथा पत्तन के माध्यम से होने वाले वाणिज्यिक यातायात को निर्बाध गति से संचालित करने के लिये सरकार का क्या सुविधायें देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस अवैध व्यापार पत्तन के आस-पास उद्योग के विकास के लिए सरकार की क्या सहायता देने की योजना है ?

संसद्–कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) पत्तन पूरा हो गया है। 1955 से इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ग) गोदाम और ट्रांजिट शेड यहाँ काफी बड़ी संख्या में हैं जिन्हें रेल लाइन की पर्याप्त सुविधा है। घाट में आधुनिक क्रेनें प्रर्याप्त संख्या में हैं। इसके अलावा यह पत्तन वी० जी० रेलवे से मिला हुआ है।

(घ) कांडला एक ऐसा पत्तन है जहाँ निःशुल्क व्यापार की अनुमति नहीं है तथापि कांडला में निःशुल्क व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है। निःशुल्क व्यापार क्षेत्र में एकिकों को दी जा रही सुविधाएँ सभा-पटल पर रखी गई टिप्पणी में दी गयीं है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1785]**

कांडला पत्तन ट्रस्ट, जो कांडला-गांधीधाम क्षेत्र का विकास कर रहा है, ने इस उपनगर तथा पत्तन के निकट छोटे, मझौले और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए पर्याप्त क्षेत्रों की व्यवस्था की है। विकसित प्लाट भूमि के किराये और विकास प्रभार की सस्ती दरों पर उपनगर में अनेक उद्योगों को आवंटित किये गये हैं। पत्तन पर भी विकसित भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपलब्ध है जहाँ यदि भूमि 1975 तक ली जाय तो भूमि के किराये में 1975 तक 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है। कांडला पत्तन ट्रस्ट ने विकास-प्रसार के रियायती दर पर 10 एकड़ भूमि एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को देने के लिए राज्य सरकार को आवंटित की है। यह संस्थान अनेक वर्षों से कारीगरों/ इलेक्ट्रिशियनों, मैकेनिकों, इत्यादि, को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। कांडला पत्तन ट्रस्ट ने 9 एकड़ भूमि विकास प्रभार के रियायती दर पर आवंटित की है और वहाँ पर औद्योगिक संपदा (इंडस्ट्रियल इस्टेट) बनायी गयी है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को हानियाँ

4572. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया : श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम को गत तीन वर्षों से वर्ष प्रतिवर्ष भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रमों के मार्गों पर गैर-सरकारी बसें चलाने का निर्णय किया हैं ;

(ग) क्या उपक्रम को अधिक लाभ देना सुनिश्चित करने के लिए सरकार परिवहन उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार करेगी ;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों ने यह सुझाव दिया है कि वे अपने भविष्य निधि से कुछ बसें खरीद कर उन्हें सहकारी आधार पर चलाना चाहते हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त सुझावों पर विचार किया है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली परिवहन समिति ने अपने मार्गों पर परिचालन के लिये 200 अतिरिक्त प्राइवेट बसों को लगाने का निश्चय किया है।

(घ) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जी हाँ। दिल्ली परिवहन उपक्रम मजदूर संघ ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के जनरल मैनेजर को ऐसा सुझाव दिया था परन्तु कर्मचारी जीवन निर्वाह निधि योजना

1952 निधि के सदस्यों की धन राशियों का भुगतान सदस्यों को या उनके नामितों या उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य मतलब के लिए जीवन निर्वाह निधि संचय के उपयोग की अनुमति नहीं देता है।

दिल्ली में परिवहन प्रणाली के विकास के बारे में प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

4573. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने व्यावहारिकता संबंधी अध्ययन करने के बाद यह सुझाव दिया है कि आगामी 20 वर्षों में राजधानी में बढ़ते हुये यातायात संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमिगत रेलवे, रिंग रेलवे अथवा तीव्रगामी परिवहन की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या व्यावहारिकता अध्ययन के परिणामस्वरूप की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्रियान्विति के लिये किन-किन सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

संसदीय समिति द्वारा प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगाह रखना

4574. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया : श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के काम पर निगाह रखने के लिए संसद् में विभिन्न राजनैतिक दलों की एक संसदीय समिति के गठन के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन सिफारिशों को कब लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

समुद्री यातायात और समवर्गीय विषयों पर त्रिपक्षीय वार्ता

4575. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ : श्री या० अ० प्रसाद :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1969 में किसी समय भारत, यूगोस्लाविया और संयुक्त अरब गणराज्य के विदेश मंत्रियों के मध्य त्रिपक्षी वार्त्ता हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो जिन विषयों पर बातचीत हुयी, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य विषय, जिन पर बातचीत हुई थी, समुद्री यातायात और समवर्गी विषय थे; और

(घ) भारत को इससे क्या लाभ होगा ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग की दूसरी बैठक मन्त्री स्तर पर कैरो में 15 और 16 जुलाई, 1969 को हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सचिव (वैदेशिक व्यापार) ने किया।

(ख) और (ग) जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा उनके निकर्ष सभा-पटल पर रखे गयें, विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1786/69**]

(घ) सीधे लाभों की संभावना मुख्यतः व्यापार, औद्योगिक सहयोग और वाणिज्यिक अवस्थापना के क्षेत्रों में है। टैरिफ तर्जीह के क्षेत्र के विस्तार से अन्य दो देशों के साथ भारत के व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ने को आशा है। जिस औद्योगिक सहयोग की आशा है उससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम–विभाजन के द्वारा और परिवर्धित बाजार से होने वालीमाप-मान की बचत से लाभ हो सकेगा। पोत परिवहन और वाणिज्यिक अवस्थापना में जिन सुधारों का विचार है उनके अपने में ही उपयोगी होने की ही संभावना नहीं है बल्कि उनसे अन्य दो देशों के साथ के व्यापारों में भी सुविधा मिलने की संभावना है।

कर्मचारियों की स्वतः पदोन्नति के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश

4576. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन सुधार आयोग ने सरकार को कर्मचारियों को अगली श्रेणी में स्वतः पदोन्नति करने के बारे में सुझाव दिया है ;

(ख) क्या आयोग ने कर्मचारियों की योग्यतानुसार श्रेणियाँ भी निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का उक्त प्रणाली को देश में कब आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आयोग की सम्बन्धित सिफारिशें उसके "कर्मचारी प्रशासन' विषयक प्रतिवेदन के अध्याय IV में समाविष्ट हैं जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) और (घ) आयोग के प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दंगे

4577. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पाँच वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि ये दंगे अधिकतर उत्तर प्रदेश में हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन दंगों के बारे में ब्यौरा प्राप्त करने तथा इनके कारणों की जाँच करने के लिए कोई समितियाँ / आयोग नियुक्त किये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उन आयोगों ने अपने प्रतिवेदन सरकार को पेश किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन प्रतिवेदनों के कब पेश कर दिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) गत कुछ वर्षों में देश में साम्प्रदायिक स्थिति चिन्ता का मामला रहा है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1964 से 1968 तक उत्तर प्रदेश में 31 साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें 69 व्यक्ति मारे गये थे। 1969 में 29 मार्च से 7 अप्रैल, 1969 तक आजमगढ़ जिले के केवल मऊनाथभंजन में गम्भीर दंगे हुए हैं।

(ग) से (ङ) लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4540 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसका उत्तर आज दिया जा रहा है।

'Gyan Vigyan Rachna Sansthan' for Publication of Books set up by Rajasthan Govt.

4578. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the Rajasthan Government have set up an autonomous institution named 'Gyan Vigyan Rachna Sansthan' which would undertake preparation and publication of authentic books in various subjects;

(b) if so, whether the Central Government are not able to set up such an institution;

(c) the difficulty of the Central Government in this regard; and

(d) the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao):

(a) Yes, Sir. The Rajasthan Government has set up Gyan Vigyan Rachna Sansthan, an autonomous board, in accordance with the Government of India's Centrally Sponsored Scheme of Production of literature in regional languages at the first degree level with a view to facilitating early adoption of regional languages as the medium of instruction.

(b) to (d) Do not arise.

सिक्का (गुजरात) में जहाज बनाने वाला कारखाना

4579. **डा० सुशीला नायर : श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने सरकार को सिक्का में एक जहाज बनाने वाला कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बीच उक्त सुझाव पर विचार कर लिया है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ग) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि सिक्का (गुजरात) में गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज बनाने के एक नये कारखाने की स्थापना के लिये मैसर्स दिगविजय सीमेंट के प्रस्ताव पर पोत–निर्माण पोत–मरम्मत और पोत आनुषांगिकों की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है । इस सुझाव की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है ।

सेवा निवृत्त आई० सी० एस० / आई० ए० एस० अधिकारी

4580. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष की अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन अवकाश-प्राप्त अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें समितियों और आयोगों में नियुक्त कर लिया गया ; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें गैर-सरकारी फर्मों और कम्पनियों में नौकरी मिल गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण i और ii में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1787] ।

(ख) सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण iii में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1787] ।

(ग) अधिकारी को सरकार की अनुमति केवल तभी लेनी होती है जब वह सेवा निवृत्ति के 2 साल के भीतर ही किसी फर्म इत्यादि में नौकरी करना चाहता है। ऐसे अधिकारियों के बारे में सूचना, जिन्हें ऐसी नौकरियाँ करने की अनुमति दी गई थी, सभा-पटल पर रखे गये विवरण iv में दी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1787]

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बहाल करना

4581. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को सरकार द्वारा इस बारे में आदेश जारी किये जाने के बाद भी अब तक बहाल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की बहाली को सुनिश्चित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) (क) जी नहीं, परन्तु सरकार द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत चार कर्मचारी निलम्बित चले आ रहे हैं।

उर्दू भाषा का अधिक ऊँचा दर्जा

4582. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्दू को कोई अधिक दर्जा देने के लिए वस्तुतः कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन लोगों से विचार-विमर्श करने का है जो चाहते हैं कि उर्दू को देश में उपयुक्त दर्जा मिले ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तथा उसके लिये क्या ठोस सुझाव हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। इस संबंध में सरकार की नीति दिनांक 14 जुलाई 1958 के भाषा संबंधी विवरण में समाविष्ट है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1788/69)** उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। भाषाई अल्प संख्यकों का आयुक्त, जिसे संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, अन्य भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले की तरह उन संरक्षणों से संबन्धित समस्त मामलों की भी जाँच करता है जिनकी उर्दू भाषी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति

4583. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के बारे में भारत और श्रीलंका के उपकुलपतियों और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किये गये संकल्पों के बारे में राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन की अन्य सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) और (ख) भारत और श्रीलंका के अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड ने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है कि वे इस मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों से बात करें। विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में बोर्ड को अभी सूचित करना बाकी है।

(ग) और (घ) अधिकतर सिफारिशों का सम्बन्ध बोर्ड और अथवा विश्वविद्यालयों से है। सरकारों से सम्बन्धित सिफारिशों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही सभा-पटल पर रखे विवरण में निर्दिष्ट है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1789/69]

विश्वविद्यालयों में कर्मचारी ढाँचे सम्बन्धी पावते समिति

4584. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री 27 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विश्वविद्यालयों में कर्मचारी ढाँचे से संबन्धित पावते समिति की रिपोर्ट पर समस्त राज्यों के विश्वविद्यालयों की टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) से (ग) अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 34 राज्य तथा 2 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। मामला शेष विश्वविद्यालयों के विचाराधीन है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे उत्तर शीघ्र भेजें। अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों के विचारों को जान लेने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

विलम्ब को स्पष्ट रूप से दिखाना

4585. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1963 में संगठन और प्रणाली के उप-सचिव द्वारा जारी किये गये कार्यालय-ज्ञापन, जिसमें निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर न लिखे गये टिप्पण में विलम्ब स्पष्टता से प्रकट करने के लिये लाल स्याही का प्रयोग किया जाये, को लागू करने सम्बन्धी जाँच के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) यदि कोई उपाय नहीं किये गये हैं तो क्या उनके मंत्रालय का विचार सभी मंत्रालयों को उस तरह के उपाय द्वारा देरी को रोकने का निर्देश देने का है ;

(ग) क्योंकि प्रशासन सुधार आयोग ने इस नियम का समर्थन किया है, तो क्या सरकार का विचार इसे सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर भी लागू करने तथा राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का अनुरोध करने का है ; और

(घ) क्या सरकार यह निर्देश दे कर कि विलंब प्रकट करने के लिये न केवल हस्ताक्षरों में ही बल्कि पूरे टिप्पण में भी लाल स्याही का प्रयोग किया जाये, इसके प्रभाव को और स्पष्ट करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस बारे में कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाये गये थे ।

(ख) से (घ) इस विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय को ध्यान में रख कर आगे उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

कांडला में मछली पकड़ने वाले घाट का उपयोग

4586. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कांडला में जुलाई 1965 में 5.14 लाख रुपये की लागत से बने मछली पकड़ने वाले घाट का उपयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) परिवहन निदेशक, दिल्ली से खरीदे गये दो काटों का, जो गत 13 वर्ष से बेकार पड़े हैं, उपयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही; और

(ग) क्या इस प्रकार के बेकार विनियोजन के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने हाल ही में कच्छ में मछली पकड़ने के आधुनिक तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। 17.5 मीटर के दो स्टील जाल पोत कांडला पर स्थापित करने का विचार है। राज्य सरकार ने मांडवी में एक मत्स्य प्रशिक्षण स्कूल भी प्रारम्भ किया है। राज्य सरकार का एक 17.43 मीटर का विभागीय पोत जो सर्वेक्षण एंव जाँच कार्य के लिए निर्माणाधीन है कांदला पर स्थापित करने का विचार है। कृषि विभाग की कांदला में एक या दो 57 फुट मत्स्य पोतों को भी रखने की योजना है।

(ख) जनवरी, 1961 के एक कांटा पुलिस विभाग के प्रयोग में है। दिल्ली प्रशासन दिल्ली नगर निगम को दोनों काटों के बिक्री के लिए अब समझौता कर रही है ।

(ग) मत्स्य विकास में अभिरुचि रखने वाले अधिकारियों के निवेदन पर मत्स्य यातायात के अभाव में घाट का प्रयोग इस समय पत्तन पोतों द्वारा बर्थ तथा बंकर के लिये किया जा रहा है। इस परिस्थिति में उत्तदायित्व नियत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

दो कांटों को खरीदने के प्रश्न के बारे में दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि उत्तदायित्व नियत करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि किसी भी अधिकारी से कोई भूल-चूक हुई प्रतीत नहीं होती है।

मंगलोर बन्दरगाह परियोजना में गाद निकालना

4587. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में मंगलौर बन्दरगाह परियोजना में गाद निकालने के काम के बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा सर्वाधिक शीघ्रता से होने वाले उपाय को क्यों नहीं काम में लाया गया ; और

(ग) अब गाद निकालने का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ग) मंगलौर में पूंजीगत निकर्षक कार्य का निर्णय शीघ्र लिए जाने की संभावना है। इस कार्य के लिए भी परिशुद्ध समय अनुसूची शीघ्र ही तैयार किए जाने की सम्भावना है। तब तक परियोजना अधिकारियों द्वारा बनाया गया लघु निकर्षक स्थान पर निकर्षण का कार्य कर रहा है।

Tourist Centres in Madhya Pradesh

4588. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the existing number of Tourist Centres under his Ministry in Madhya Pradesh;

(b) the facilities provided to the tourists at these centres;

(c) whether Government consider these facilities to be adequate to attract more tourist centres; and

(d) if not, the steps taken by Government to increase these facilities ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) and (b) The main tourist centres in Madhya Pradesh where the Government of India has provided tourist facilities are Khajuraho, Sanchi and Mandu. Accommodation facilities at these places include Class I and Class II Tourist Bungalows at Khajuraho and Mandu and a Class I Tourist Bungalow at Sanchi.

(c) No, Sir.

(d) In addition to the facilities proposed to be provided by the State Government during the Fourth Five Years Plan, the Centre proposes to take up the integrated development of Khajuraho and provide additional accommodation and transport facilities at the Kanha National Park. It is also proposed to arrange water supply and construct a 50-bed Tourist Hostel at Sanchi under the scheme of development of Buddhist pilgrim traffic to India.

Rights of Welfare Associations to Declare Residents as Blacklisted

4589. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Welfare Associations constituted in Government Colonies have the right to declare a Government servant residing in the colony as black-listed;

(b) if so, the details of relevant rules in this regard;

(c) if not, the grounds on which the Executive Committee of the Welfare Association of Sector II, R.K. Puram, New Delhi has declared two residents of the colony as black-listed about which the Chief Welfare Officer of his Ministry was informed vide a letter dated 28th April, 1969;

(d) whether the Chief Welfare Officer had taken any action against the office bearers of the Committee in this regard; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) to (c) Yes, Sir. Each Association has its own constitution and generally a provision is made in the constitution for the termination of the membership of a person whose activities are found to be prejudicial to the interest of the association.

According to rule 6 of the Rules and Regulations of the R. K. Puram Sector II Class IV Residents Welfare Association membership can be terminated on the following grounds:—

(1) By death.

(2) By resignation.

(3) By dafault in payment of subscription continuously for three months after he has been served with due notice.

(4) By virtue of indischarged insolvency.

(5) For having been proved dishonest to the Association and Public money.

(6) For tampering with and concealing the records of the Association.

(7) For having been declared Black listed.

(8) By becoming a member of an unlawful or political organisation.

(9) For misbehaviour and for creating Party feeling among the workers/office bearers of the Association.

A letter dated 29.4.68 was received from the Samiti communicating their decision dated 28.4.68 to debar two residents of the Samiti from membership for 3 years under sub-rule 3, 7, and 9 of Rule 6 of the rules and regulations.

(d) and (e) Since the action of the Samiti was in accordance with its constitution, no action against the office bearers was considered necessary.

महालेखापाल के कार्यालय, त्रिवेन्द्रम, के सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

4590. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में महालेखापाल के कार्यालय में कितने कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल किया गया और कितने कर्मचारियों की नौकरियाँ समाप्त की गईं ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 29 कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया और 27 कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गईं ।

(ख) मुअत्तिल किये गये 29 कर्मचारियों में से 21 कर्मचारियों को बहाल किया गया तथा 27 कर्मचारियों में से जिनकी सेवाएँ समाप्त की गई थीं, 20 कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ।

अगस्त, 1966 में दिल्ली में गिरे मकानों के बारे में जाँच

4591. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में 15 अगस्त, 1968 को तीन मकानों के गिराने के कारणों की जाँच के बारे में जाँच आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है;

(ख) दिल्ली में भविष्य में इस प्रकार मकानों के गिरने को रोकने के लिये क्या सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है ;

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इस विषय में उचित ध्यान नहीं दिया और जो अनावश्यक विलम्ब के लिए जिम्मेदार थे ; और

(घ) उन व्यक्तियों को मुआवजा देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जो मकान गिरने से प्रभावित हुए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ज्ञात होगा कि जाँच आयोग दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया था। उक्त जाँच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बधं में कार्यवाही के बारे में दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव से प्राप्त दिनांक 10 जून, 1968 के पत्र संख्या 2(68)/67— एल० ए०एस०जी की एक प्रतिलिपि सभा–पटल पर रखी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1790/69**] (जहाँ तक उक्त पत्र के पैरा 5 (ग) का सम्बन्ध है, मामले पर विचार किया गया था किन्तु उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्षा ऋतु के आरम्भ होने से पहले हर वर्ष प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाता है। खतरनाक तथा मरम्मत योग्य न पाये गये भवनों के सम्बन्ध में क्रमशः दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 तथा 349 के अधीन नोटिस जारी किये जाते हैं । गिराने के लिए नोटिसों का पालन न किये जाने की स्थिति में खतरनाक इमारतों को निगम द्वारा गिरवाया जाता है। मरम्मत के लिए नोटिसों का पालन न करने पर एक स्मरण–पत्र जारी किया जाता है और मामला मुकदमा चलाने के लिए कानूनी सलाहकार को भेजा जाता है ।

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्हें दोषी पाया गया है, दिल्ली नगर निगम द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) क्षति-पूर्ति का प्रश्न नहीं उठा । तथापि, निगम ने दया के आधार पर 24 परिवारों को गन्दी वस्ती वालों के लिए बने मकानों में वैकल्पिक आवास आवंटित किया ।

सड़क सामूहिक परिवहन को राज–सहायता

4592. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क तथा लन्दन जैसे नगरों में सड़क सामूहिक परिवहन को राज-सहायता दी जाती है; और

(ख) क्या सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि दिल्ली में सामूहिक परिवहन को भी राज-सहायता की आवश्यकता है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) विदेशों के शहरों में नगर परिवहन के सम्बन्ध में वित्तीय प्रबन्ध के बारे में परिशुद्ध सूचना प्राप्त करना संभव नहीं है ।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता

4593. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना परियोजना समिति ने यह अनुमान लगाया है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए समुचित कार्यकारी-पूंजी की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार को 6.5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली परिवहन को समाज-सेवा सिद्धान्त के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने की घोषणा करेगी और वाणिज्यिक उपक्रम के अपने वर्तमान सिद्धान्त पर आग्रह करना छोड़ेगी ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) योजना-परियोजनाओं की समिति ने दिल्ली परिवहन उपक्रम के वित्तीय पुनर्गठन की लागत का अनुमान 641.1 लाख रुपये लगाया है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में कार्यकुशलता और लाभार्जन की आवश्यकता बतायी गयी है।

पुनर्गठन से पूर्व पंजाब की साँझी सम्पत्ति की सूची

4594. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठन से पूर्व पंजाब के विभिन्न विभागों की साँझी सम्पत्ति (चल और अचल) की विभागवार सूची तैयार की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के संघटक एककों का विभागवार अंश क्या है ; और

(ग) प्रत्येक विभाग (विभाग के नाम सहित) की कितनी सम्पत्ति प्रत्येक राज्य के हिस्से में आई है और विभागवार कितनी सम्पत्ति का वितरण होना बाकी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अविभाजित पंजाब राज्य की सम्पत्ति में भूमि, भवन, भण्डार, मशीनरी, गाड़ियाँ तथा कई प्रकार के सामान व वस्तुयें थीं। इन सम्पत्तियों के उत्तराधिकारी राज्यों में बटवारे की व्यवस्थायें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 48 में दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने ऐसी सम्पत्तियों की कोई सूची तैयार नहीं की है। किन मदों का बटवारा किया गया और उत्तराधिकारी राज्यों को उनका कब्जा दिया गया तथा कौन से मद बाँटने को अभी शेष है, ऐसा ब्यौरा, इसे तैयार करने में लगने वाले श्रम और समय को देखते हुए, बतलाना संभव नहीं है।

हिन्दी के संवर्धन पर खर्च की गई धन-राशि

4595. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में वर्षवार राज्य-भाषा के रूप में हिन्दी के संवर्धन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में राज्य-भाषा के रूप में हिन्दी का संवर्धन हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

	रु०
1966–67	22,14,200
1967–68	24,24,500
1968–69	25,85,300

प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए किया गया खर्च

4596. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर गत तीन वर्षों में वर्षवार, कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त अवधि में उर्दू भाषा के विकास पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा सीधे अथवा विभिन्न स्वेच्छिक संगठनों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा साहित्य अकादमी के जरिए, प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

1966–67	26,73,503 रुपये
1967–68	28,18,667 रुपये
1968–69	28,20,555 रुपये

उपर्युक्त राशि में से उर्दू के विकास पर निम्नलिखित खर्च किया गया है :—

1966–67	1,52,405	रुपये
1967–68	97,066	रुपये
1968–69	84,334	रुपये

उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, 1968–69 के दौरान, भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर के साहित्य निर्माण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को लगभग 34.48 लाख रुपये भी दिए गए थे।

उपर्युक्त आँकड़ों में, राज्य सरकारों द्वारा, प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए खर्च की गई राशि शामिल नहीं है।

आजाद काश्मीर के लोगों को वीजा देना

4597. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजाद काश्मीर के, जो भारत का हिस्सा है, कितने लोगों ने वीजा के लिये आवेदन पत्र भेजा तथा

वर्ष 1968-69 में उनमें से कितने लोगों के आवेदन-पत्रों को अस्वीकार किया गया और अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 1 जनवरी, 1968 से 31 जुलाई, 1969 तक की अवधि के लिये उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में रहने वाले और पाकिस्तान पारपत्र रखने वाले 70 व्यक्तियों के जम्मू व कश्मीर जाने के लिये वीजा के किये आवेदन किया; 49 व्यक्तियों को वीजे दिये गये और तीन व्यक्तियों की प्रार्थनाएँ अस्वीकार की गईं। 18 मामले विचाराधीन हैं। अस्वीकृति के कारण बताना लोक-हित में न होगा।

तेलंगाना के वित्त के सम्बन्ध में समिति

4598. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के वित्त में तेलंगाना के भाग तथा उसके उचित उपयोग के बारे में एक सशक्त समिति गठित की गई थी ;

(ख) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) तेलंगाना आयाधिक्य की मात्रा निर्धारित करने के लिये 22 अप्रैल, 1969 को एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति से अगस्त 1969 के अन्त में रिपोर्ट दिये जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Police Conduct Code—Banning of Firing on unarmed persons

4599. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government proposed to prepare a Police Conduct Code to ban firing on unarmed persons by the Police.

(b) whether it is a fact that most of the State Governments have opposed such a code of conduct;

(c) if so, the names of those States ; and

(d) the reaction of Government in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

यात्री-परिवहन का राष्ट्रीकरण

4600. **श्री अविचन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री-परिवहन के राष्ट्रीकरण के बारे में प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस वर्ष फरवरी मास में हुए राज्य सड़क-परिवहन उपक्रमों के एक सम्मेलन में यह सिफारिश की गयी थी कि जिन राज्यों में यात्री-परिवहन का राष्ट्रीकरण 50 प्रतिशत से कम है उनमें कम से कम 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष राष्ट्रीकरण किया जाये;

(ग) यदि हाँ, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिये प्रत्येक राज्य ने क्या योजनायें बनाई हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में ऐसे परिवहन के राष्ट्रीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क), (ख) और (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) फरवरी 1969 में हुये राज्य सड़क-परिवहन उपक्रमों के 15वें सम्मेलन की सिफारिश थी कि सम्बन्धित राज्य सड़क-परिवहन उपक्रमों के बेड़े की वृद्धि की दर उन राज्यों में जहाँ यात्री परिवहन का राष्ट्रीकरण 50 प्रतिशत से कम था, 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम के लिये आयोजित नहीं होनी चाहिए ।

पर्यटकों के लाभ के लिए दार्जिलिंग को पश्चिमी सिक्किम से रज्जु-पुल से जोड़ने का प्रस्ताव

4601. **श्री अदिचन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों के आने-जाने के लिये दार्जिलिंग तथा पश्चिमी सिक्किम को जोड़ने वाले एक डेढ़ मील लम्बे रज्जु पुल का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की लागत तथा मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना का कार्य कब आरम्भ होगा तथा सम्भवतः कब पूरा होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार की, सामान तथा यात्रियों को लाने-ले जाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दार्जिलिंग जिले के सिंगला बाजार से लेकर पश्चिमी सिक्किम में जोरथांग तक लगभग 1000 मीटर लम्बे रज्जु-मार्ग के निर्माण की एक स्कीम है ।

स्कीम की अनुमानित लागत 7 लाख रुपए है और इसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं :—

(1) क्षमता	—	साढ़े चार टन (मीट्रिक प्रति घंटा)
(2) रज्जुमार्ग की गति	—	3 मीटर प्रति सैकेंड
(3) कैबिनों की संख्या	—	6
(4) प्रतिघंटा कार्य-निर्वाह (आउटपुट)	—	प्रत्येक दिशा में 30 यात्री या 3 टन सामान
(5) अधिकतम भार	—	1500 किलोग्राम

(ग) निविदा-पत्र (टैंडर पेपर) राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और 1970 में रज्जुमार्ग के पूरा हो जाने की आशा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम

4602. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रस्तावित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की जाँच करने के लिए कुछ समय पूर्व एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति नियुक्त की गई थी जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अलीगढ़ के स्थानीय कालिजों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस उप-समिति का प्रतिवेदन क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा०वी० के० आर० वी० राव) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए मेरे मन्त्रालय द्वारा किए गए प्रस्तावों की जाँच करने के लिए एक मन्त्रिमण्डल समिति नियुक्त की गई थी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसका उद्देश्य अलीगढ़ के सभी स्थानीय कालेजों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय मस्जिद के 15 मील के अन्दर स्थिति कालेजों और संस्थाओं को, शिक्षा परिषद की अनुमित और विजिटर की स्वीकृति से, और विश्वविद्यालय के आदेशों तथा संविधियों के अन्तर्गत, ऐसे विशेषाधिकार के साथ मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है जैसा कि विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे।

(ख) समिति को अभी अपनी रिपोर्ट मन्त्रिमण्डल को पेश करनी है।

अभियुक्तों की जाँच के लिए थाने में बुलाने के बारे में नये निर्देश

4603. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में पुलिस स्टेशनों के कोतवाली अधिकारियों (स्टेशन हाउस आफिसर्ज) को अभियुक्तों को जाँच के लिए बुलाने तथा जनता के साथ व्यवहार के बारे में कोई नये निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक ने कोतवाली अधिकारियों को जाँच-पड़ताल के दौरान गवाहों को बुलाने के बारे में उनके कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करने वाले अनुदेश जारी किये हैं। इन अनुदेशों में दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों का दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पंजाब पुलिस नियमों के उपबन्धों की ओर ध्यान आकार्षित किया गया है और पुलिस बल के कर्मचारियों को उन उप-

बन्धों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसे उपबंध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2), 160 और 175 हैं।

अन्तर समावधि में की गई परामर्शदात्री समितियों की बैठकें

4604. **श्री बलराज मधोक** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परामर्शदात्री समितियों सम्बन्धी नई योजना को चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन परामर्शदात्री समितियों ने अपनी बैठकें अन्तर समावधि में कीं; और

(ग) ये बैठकें किस अथवा किन स्थानों पर हुईं और भिन्न-भिन्न समितियों में कितने सदस्य उपस्थित हुए ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) एक विवरण, जिसमें पिछले अन्तर समावधि में हुई सलाहकार समितियों की बैठकों का ब्यौरा दिया गया हैं सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1791/69]

वैदेशिक कार्य/शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बनाये रखने का कार्य किया जाना

4605. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का कार्य शिक्षा मंत्रालय की सांस्कृतिक सम्बन्धों सम्बन्धी भारतीय परिषद् तथा वैदेशिक–कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दोहरे-पन से भ्रान्ति तथा अकुशलता पैदा होती है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार सांस्कृतिक संबंधों के कार्य को एक ही मंत्रालय द्वारा किये जाने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रमों का दायित्व शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय पर है। इसमें विदेशों से पारस्परिक बातचीत, सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देना सम्मिलित है। कतिपय कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को कार्यन्वित करने के लिए सौंपे गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय सभ्यता के अवशेषों की खोज

4606. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री 18 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6884 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मलेयेशिया में भारतीय सभ्यता के अवशेषों की खोज के बारे में सरकार अनभिज्ञ है, यद्यपि इस सम्बन्ध में प्रायः सभी भारतीय समाचार-पत्रों में समाचार आया था, क्या सरकार मलयेशिया सरकार से ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर क्या सरकार ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों की विशेषताओं तथा प्राचीन भारत के इतिहास के साथ उनके सम्बन्ध के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहासकारों का एक दल वहाँ भेजेगी ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहाँनआरा जयपाल सिंह) :

(क) और (ख) क्वालालम्पुर में भारत के उच्चायुक्त के जरिए सूचनाओं के आधार पर दक्षिणी केदा की भुजंग घाटी में लम्बे समय से खुदाई हो रही है, 33 मन्दिरों के स्थ नों की खोज की जा चुकी है तथा खुदाई की प्रगति के साथ अन्य मंदिरों के भी प्रकाश में आने की सम्भावना है, ये मन्दिर भारतीय ढंग के हैं तथा 1 से 10 वीं शताब्दी ई० पू० से सम्बन्धित हैं। ऐसा समझा जाता है कि मलेशिया सरकार ने किसी अन्य देश से सहायता के लिए नहीं कहा है । आगे यह भी समझा गया है कि मलेशियायी पुरातत्ववेताओं का इस समय यह विचार है कि दक्षिणी केदा की खोजों की अंगकोरवत अथा बोरोबुदुर से समान्तरता नहीं की जा सकती, क्योंकि, पहले वाला सभ्यता की अपेक्षा मध्यागार नगर से संबंधित है, भारतीय टीम को इस स्थान पर भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगामी ओलम्पिक (1972) में कुश्तियां

4607. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पहलवानों द्वारा उच्च स्तर की कुश्ती के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार 1972 के आगामी ओलम्पिक खेलों में उत्तम श्रेणी के पहलवानों को वियाना भेजने के लिए प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन देने का है ; और

(ख) क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् इस प्रयोजन के लिए नियमित रूप से कुश्तियों का आयोजन कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1972 में म्यूनिक में होने वाले आगामी ओलम्पिकों में भाग लेने के लिए पहलवानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का काम मुख्य रूप से भारतीय कुश्ती संघ का है । फिर भी, यदि कोई प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए, तो अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के परामर्श से उन पर उपयुक्त ध्यान दिया जायगा ।

(ख) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् एकमात्र सलाहकार निकाय है और इसलिए यह कुश्तियों के आयोजन--कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकता है।

विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थी

4608. **श्री द० रा० परमार :** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस समय कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है ;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थी अनुसूचित जातियों / आदिम जातियों के हैं; और

(ग) क्या इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा सरकारी छात्रवृत्तियाँ देकर भेजा जाता है अथवा वे अपने खर्च पर जाते है; यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1-1-1968 की नवीनतम सूचना के अनुसार अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 9,480, 1,830, 690 तथा 52 थी।

(ख) और (ग) उनमें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इस समय इन देशों में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या, जिन्हें सरकारी छात्रवृत्तियों पर सरकार द्वारा भेजा गया था, 32 है। इनमें से, अमेरिका में 10, ब्रिटन में 19 तथा रूस में 3 हैं।

नेफा के लिए प्रजातांत्रिक प्रशासन

4609. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान की छटी सूची के उपबंधों को नेफा पर लागू करने के संबंध में विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वहाँ पर कौन-सी वैकल्पिक लोकतंत्रीय प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है जिससे नेफा की जनता स्वयं सत्तारुढ़ हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि संविधान की छटी सूची के उपबंध नेफा पर पूर्णतया लागू किये जाँय। सिफारिश पर सक्रिय विचार हो रहा है, किन्तु यह बताना कि निर्णय कब तक लिया जायगा, संभव नहीं है।

आसाम में विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबन्ध

4610. **श्री देवदत्त बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटकों को काश्मीर के सभी स्थानों में जिसमें गुलमर्ग जैसे स्थान भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान सीमा से कुछ ही मील दूर हैं, जाने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशिष्ट परमिट के बिना विदेशी पर्यटकों को आसाम के किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) युद्ध विराम रेखा से लगे क्षेत्रों और लद्दाख के जिले के अतिरिक्त, जो निषिद्ध स्थान घोषित किए गए हैं, जम्मू व काश्मीर राज्य में गुलमर्ग समेत सभी स्थानों पर जाने के लिए विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। निषिद्ध स्थानों में प्रवेश की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए विशेष परमिटों द्वारा की जाती है।

(ख) असम में किसी स्थान को देखने के इच्छुक विदेशियों को विदेशियों के लिए (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत विशेष परमिट प्राप्त करना होता है। काजीरंगा, मानस तथा शिलांग, जो पर्यटकों के लिए रुचिकर स्थान समझे जाते हैं, को देखने के लिए ऐसे परमिट पर्यटकों के लिए उदारतापूर्वक स्वीकृत किये जाते हैं।

(ग) यह भेद-भाव सुरक्षा की घटती-बढ़ती अपेक्षाओं के कारण है।

Foreign Guests who visited Madhya Pradesh

4611. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the names and designation of foreign guests who visited the worth-seeing Archaeological sites in Madhya Pradesh during 1968 and 1969; and

(b) the amount spent by Government on them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) and (b) The names of foreign guests invited by the Department of **Tourism** who visited archaeolegical sites in Madhya Pradesh during 1968 and 1969 (upto-date) together with the expenditure incurred by the Govt. of India on these visits are given in the statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T.-1792/69**]

राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास

4612. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में राजस्थान राज्य में पर्यटकों की रुचि के और अधिक स्थलों का विकास करने के बारे में भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे स्थल कौन से हैं जिनका विकास किया जाना है;

(ग) क्या पिलानी में जो कि औद्योगिक संग्रहालय तथा देश में सर्वोत्तम इलेक्ट्रोनिक संस्थान तथा औद्योगिकी संस्थान के कारण अधिक आकर्षक है, प्रतिवर्ष बहुत से विदेशी आते हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या चौथी योजना में पिलानी को एक पर्यटन स्थान के रूप में विकसित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ङ) उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर भरतपुर-डीग काम्प्लेक्स में और भरतपुर तथा सरिस्का शिकारगाहों में पर्यटक सुविधाओं का सुधार करने का प्रस्ताव है । सीमित वित्तीय साधनों के अन्तर्गत, भारत सरकार के लिए पिलानी का पर्यटन की दृष्टि से विकास कर सकना सम्भव नहीं है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

4613. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने गत दो वर्षों में पायलटों समेत अपने कर्मचारियों को, वर्षवार, कितना समयोपरि भत्ता दिया ;

(ख) समयोपरि भत्ते के भुगतान का आधार क्या है ;

(ग) क्या यह सच हैं कि समयोपरि भत्ता देने का मतलब कम कुशलता से अधिक कार्य कराना है ; और

(घ) यदि हाँ, तो अधिक काम को कराने के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) :

(क)

वर्ष	राशि
1966-67	92.07 लाख रुपये
1967-68	138.95 लाख रुपये

(ख), (ग) और (घ) विमानन में, व्यस्ततम अवसरों के समय कार्य की अपेक्षाओं को, जिनमें उड़ानों में विलम्ब, इंजीनियरी त्रुटियों के सुधार आदि शामिल हैं, ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को समयोपरि (ओवरटाइम) बिठाया जाता है । कार्य–भार में अपूर्वानुमेय एवं अस्थायी वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा समयोपरि भत्ते की अदायगी को अधिक किफायती और कार्य के सुव्यवस्थित रूप से परिचालन के लिए अधिक उपयोगी समझा जाता है।

गोआ में व्यापारिक बेड़ा अकादमी

4614. **श्रीमती इला पालचौधरी : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में डोना पौला में एक व्यापारिक बेड़ा अकादमी की स्थापना की जाएगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस अकादमी की स्थापना के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कितना खर्च होगा ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी, हाँ। गोआ में डोना पोला में एक व्यापारिक बेड़ा अकादमी की स्थापना का सिद्धांत रूप से निश्चय कर लिया गया है।

(ख) ऐसे उम्मीदवारों की जो बाद में ट्रेनिंगशिप 'डफरिन' और समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण के निदेशालय में भर्ती होना चाहे नौचालन और समुद्री इंजीनियरी की एक वर्ष की सम्मिलित समुद्र पूर्व की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर अकादमी का आशय व्यापारिक बेड़े के नौचालन और इंजीनियरी शाखा के बीच संघ भाव पैदा करने का है।

(ग) 1965 में तैयार किए गए प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर प्रस्तावित अकादमी पर अनुमानित पूंजीगत व्यय प्रारम्भ में भूमि की लागत को छोड़ कर 1 करोड़ रुपये होगी और वार्षिक आवर्ती व्यय 5 लाख रुपये होगा।

Weather Satellite

4615. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) The details of the achievements of the weather satellite launched by India; and

(b) the further steps taken for manufacturing satellites and rockets after the success achieved by the Weather Satellite ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):

(a) and (b) No weather satellite has been launched by India; and there are no plans to manufacture or launch weather satellites in the near future.

However, the India Meteorological Department has a Receiving Centre at Bombay for monitoring television pictures of cloud covers transmitted by the U. S. Weather Satellites orbiting over India. These are regularly received and made use of for weather forecasting purposes. Information collected by the U.S.S.R. Weather Satellites is received in coded form from Moscow by the India Meteorological Department at New Delhi and is transmitted to other stations.

देश में साम्प्रदायिक घटनाओं सम्बन्धी स्थायी आयोग

4616. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साम्प्रदायिक घटनाओं के कारणों की जाँच करने के लिए एक स्थायी जाँच आयोग स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसा आयोग कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, राँची के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर, श्री वी० वी० के० मूर्ति तथा अन्य लोगों के वि द्ध दर्ज मामला

4617. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने राँची स्थित राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर (ई० एण्ड एम०), श्री वी० वी० के० मूर्ति (जो इस समय माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में प्रबन्ध निदेशक हैं) तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र तथा भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो मामले के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने और अपराधियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा किये जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) मामला 24 फरवरी, 1969 को दर्ज किया गया था और जाँच पूरी होने वाली है।

Cases Filed under Various Sections of I. P. C.

4618. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state;

(a) the number of cases filed under sections 409, 420, 467, 468, 477A, 120B of Indian Penal Code under the Ministry, Department-wise, during the years 1967-68, 1968-69 and 1969-70, so far, separately, and the number of cases out of them which were proved ; and

(b) complete details thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-1793.**]

Cases Filed under Indian Penal Code Concerning Education Ministry

4619. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the number of cases filed under Sections 409, 420, 467, 468, 477-A and 120-B of the Indian Penal Code under his Ministry during 1967-68, 1968-69 and 1969-70 so far and the number of cases out of them proved; and

(b) the complete details thereof?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao): (a) Nine cases have been filed in various courts as under:—

(i) Four in 1967-68;

(ii) Three in 1968-69; and

(iii) Two in 1969-70 (upto 30.6.69)

Out of these, one case was proved resulting in conviction of the accused who has, however, since then gone in appeal, which is pending in the High Court.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-1794/69**]

Foreign Nationals in India

4620. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of nationals of Britain, U.S.A., U.S.S.R. and China at present living in India?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

The number of registered foreigners in India as on 1.1.1968 of the nationalities mentioned is as follows :—

U.S.A. 4,666
U.S.S.R. 2,489
Chinese 7,580

British nationals, other than missionaries whose number as on 1.1.1968 was, 1,017, are not subject to registration. Information regarding them is, therefore, not available.

Excavation of Sarai Nagar U.P.

4621. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on excavation of Sarai Nagar Rai village at a distance of about 27 kilometres from Pratapgarh town in Uttar Pradesh in April, 1969, human skeletons and other articles of the stone age were found; and

(b) if so, the details of items found according to the information given by the State Government or Archaeological Department to the Central Government and the views of experts regarding their antiquity?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) A copy of the report received from the State Department of Archaeology, Uttar Pradesh, is attached. Pending further investigations, the conclusions are only tentative.

Copy of the Report

U. P. State Archaeological Department has discovered an old site in the village Sarai Nagar Rai of Pratapgarh district (U.P.), Lat. 25⁰. 48'N, Long 81⁰. 51'E. It is situated some twenty miles to the North of the river Ganges. It is strewn with numberless microliths of geometric as well as non.geometric shapes. No zigzag type microlith indicative of the Chaleolithic period, has been found. Some fossilized human sheletons also are clearly visible on the ground. They may be as old as the microliths. Some pottery pieces are seen on the surface but none of them appear to have been contained in the graveyards. All this material has been found together for the first time in the Gangetic Valley and it may throw now light on our ancient cultures and races.

Upto this time only surface find have been collected. All the materials meticned above also come from the surface.

नीरद चौधरी की भेंट में अमरीका का उल्लेख

4622. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 1969 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (दिल्ली संस्करण)

के रविवारीय संस्करण में प्रकाशित हुए एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें श्री नीरद चौधरी की उक्त समाचार-पत्र के संवाददाता से भेंट का विवरण दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार श्री नीरद चौधरी के वक्तव्य के एल अंश को (जैसा इस समाचार-पत्र में छपा है) जिसमें अमरीका का उल्लेख किया गया है, आपत्तिजनक समझती है; और

(ग) यदि हाँ, तो 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित उक्त भेंट के समाचार पर सरकार का यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है; तो क्या ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार श्री चौधरी के विचारों से सहमत नहीं है। तथापि, वे विचार कानून के अन्तर्गत अभियोज्य नहीं हैं।

स्वर्गीय राष्ट्रपति द्वारा किए गए दौरे

4623. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निम्नलिखित बातों का विशेष निर्देश करते हुए, स्वर्गीय राष्ट्रपति के आसाम तथा नागालैंड में अन्तिम दौरा-कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है :

(1) स्वर्गीय राष्ट्रपति को कितनी वार विमान द्वारा यात्रा करनी पड़ी थी ;

(2) उन्होंने कितने मील की यात्रा की थी ;

(3) उन्हें कितनी ऊँचाई पर चढ़ना पड़ा था; और

(4) मौसम की खराबी के कारण विमान कितनी बार नहीं उतर सका ;

(ख) क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ने हाल में बताया कि स्वर्गीय राष्ट्रपति हृदय रोग से पीड़ित थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस वक्तव्य के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) क्रमानुसार ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) 6 बार

(ii) 4487 एयर किलोमीटर

(iii) उड़ान के दौरान जिस ऊँचाई पर उन्हें चढ़ना पड़ा इस प्रकार है :—

मार्ग	उड़ान ऊँचाई	केबिन ऊँचाई
पालम-तेजपुर	29,000 फीट	7,000 फीट
तेजपुर-पासीघाट	6,000 फीट	—
पासीघाट-तेजपुर	6,000 फीट	—
तेजपुर-जौरहाट	7,000 फीट	3,000 फीट
जौरहाट-दीमापुर	6,000 फीट	3,000 फीट
दीमापुर-गौहाटी	8,000 फीट	3,000 फीट
गौहाटी-पालम	31,000 फीट	7,000 फीट

(iv) केवल एक वार विमान खराब मौसम के कारण नहीं उतर सका।

(ख) मंत्री से सलाह मशविरा किया गया है। उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा वित्त पोषण

4624. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री गत आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के उपयोग के बारे में आसूचना विभाग के प्रतिवेदन के बारे में 14 मई, 1969 को उनके द्वारा लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ल) क्या अमरीकी फोर्ड फाउण्डेशन शिक्षा संस्थाओं तथा शैक्षिक तथा अनुसंधान क्षेत्रों में काम कर रहे संगठनों के कार्यकलापों के लिये धन देता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन संस्थाओं तथा संगठनों को फोर्ड फाउण्डेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और प्रत्येक मामले में क्या सहायता दी गई है ;

(ग) क्या उनका ध्यान "फ्रण्ट एगेंस्ट यू० एस० इम्पीरियलिस्ट पेनीट्रेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी" द्वारा प्रकाशित "यू० एस० फैक्ट्स एबाउट ए० आई० डी० एण्ड एजूकेशन" नामक पुस्तिका की ओर दिलाया गया है ;

(घ) क्या इस पुस्तिका के पृष्ठ 22 पर यह कहा गया है कि फोर्ड फाउडेशन के वर्तमान प्रेसीडेंट नेशनल सेक्युरिटी काउंसिल के, जो अमरीकन सी० आई० ए० के कार्यकलापों का मार्गदर्शन करती है, 1961 में निदेशक बने थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो फोर्ड फाउण्डेशन के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) संबन्धित सूचना बताने वाले दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ सदन के पुस्तकालय में रख दी जाएँगी।

(ग) और (घ) जी हाँ, श्रीमान्।

(ङ) सरकार के पास फोर्ड फाउण्डेशन के बारे में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है।

दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रधान कार्यालय

4625. **श्री ज्योतिमय बसु :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भोला नाथ मास्टर :
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री अदिचन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री भगवान दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रधान कार्यालय दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में बनाया जाने वाला है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रशासनिक नियंत्रण, दायित्व का विभाजन, भर्त्ती तथा बल के कृत्यों के बारे में अन्तिम रूप से ब्यौरे तैयार कर लिए गए ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध प्रधान बल के कार्यालय को दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Grants to Children's Book Trust, New Delhi

4626. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased so state ;

(a) the amount of grants and the loans given by Govornment to the Children's Book Trust, New Delhi during the financial year 1967-68 and the purposes for which it was given to them ;

(b) the number of officers employed in this Trust drawing upto Rs. 2,000 per month ; and

(c) the total capital of the Trust ?

The Minister for Education aad Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) No loan was sanctioned to the Children's Book Trust during the year 1967-68. Grants amounting to Rs. 1,50,00 were sanctioned to the Trust for organising the International Children's Art Competition, Children's Art Exhibition, on the Spot Competition and Publication of Children's Art Number and Prize distribution.

(b) The Trust has at present a total number of 217 employees in the various (about 11) grades, of whom only one is drawing a consolidated pay of Rs. 1,200 per month. All other employees are drawing less than this amount.

(c) As on 31st March, 1967 :

(i) Capital Account : Rs. 1,60,603.00

(ii) Development Reserve : Rs. 1,92,875.00

(iii) Loan Redemption Reserve : Rs. 12,99,920.31

Dolls Museum Under the Ownership of Childrens Book Trust Delhi

4627. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total income of Dolls Museum run under the ownership of Children's Book Trust, Delhi accrued by way of entrance fees collected during the financial year 1967-68 ;

(b) the total cost of this Dolls Museum ; and

(c) the amount of aid or loans given by the Government to the Trust for making cultural dolls during the year 1968 ?

The Minister of of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao):

(a) Rs. 48,972.60 (Gross)
(b) Rs. 4,67,663.58
(c) Nil.

Members and Ministers Visiting Foreign Countries

4628. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Ministers and the Members of the Fourth Lok Sabha who visited foreign countries, the names of the countries visited by them, the purposes and the duration of their visits and the number of the visits undertaken by each one of them ; and

(b) the expenditure incurred in each of the visits ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Sipping and Transport (Shri Raghuramaiah):

(a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Theft of Statues from Khajuraho (M. P.)

4629. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several statues of archaeological importance have been stolen from Khajuraho (Madhya Pradesh) ;

(b) if so, the details thereof and whether the thief has been detected ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Minister of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) :

(a) to (c) Yes, Sir. In six cases of thefts which have taken place since 1947 at the centrally protected Khajuraho group of temples, 11 brackets figures and four sculptures have been stolen. In this regard, a statement showing the details is laid on the Table of the House [**Pleased in Library. See No. L-T-1795/69**]

In one of the cases a Monument Attendant was prosecuted. In another case, the investigations were closed for want of sufficient clues. The remaining four cases are still under investigation.

Excavation work in Madhya Pradesh

4630. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleesed to state:

(a) whether any excavation is being done in Madhya Pradesh by the Archaeological Survey of India;

(b) if so, the places where such excavation is going on and the articles of historical importance found there so far;

(c) whether some other Association or Agency apart from the Archaeolegcial Department is also doing excavation; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh):

(a) No, Sir.
(b) Does not arise.

(c) and (d) Yes, Sir. During 1967-68, exeavation was conducted by (i) Saugor University at Tripuri, District Jabalpur and (ii) Vikram University at Kayatha, District Ujjain.

During 1968-69 also, Saugor University carried on the excavation at Tripuri. This will be continued during the current financial year also. It has been under excavation continuously since 1965-66.

Vikram University intends to resume excavation at Ujjain during the current year. The excavation was started in 1964-65 and suspended for 2 years.

The excavation at Tripuri revealed four cultural period of occupation extending from *circa* fourth century B.C. to A.D. 400, while that at Kayatha showed a succession of five periods of occupation ranging in date from *circa* 2200 B.C. to sixth century A.D.

Cases Pending in M. P. High Court

4631. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of pending cases in the Madhya Pradesh High Court is increasing ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of pending caes of as on 31st December 1968 in the said High Court ;

(d) the number of cases out of them which are pending for the last five or more years and reasons for delay in disposing them of ; and

(e) the steps Government propose to take to ensure that the cases are disposed of quickly in the High Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been a substantial increase in the institutions. Althongh the disposals have also increased they could not keep pace with the institutions.

(c) 12,739.

(d) 241. Pendency is due to death of parties, non-traceability of accused persons in State appeals against their acquittal, company cases spread over years and Judges being required to work on Enquiry Commissions.

(e) The State authorities have been advised to take the following measures :

(i) The judge-strength in the High Court should be increased to the extent necessary, taking into account the institutions and disposals and the arrears to be cleared;

(ii) vacancies in the High Court should be filled without delay ;

(iii) whenever a serving Judge is diverted to other duties and he is not likely to come back to the High Court within six months, an additional or *ad hoc* Judge should be appointed in his place so that the work in the High Court does not suffer ;

(iv) it is proposed to constitute shortly a Committee of three Judges with the Chief Justice of India as Chairman to go into the question of arrears in the High Courts and suggest further remedial measures.

Excavation work in Burhanpur

4632. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 14 or 15 years ago a statue of Shri Mahabir Swami (fifth Tirthankar), which has now been kept in Nagpur Museum, was found at the site near Burhanpur, where the building of the Co-operative Textile Mill is being constructed now; and

(b) if so, whether Government propose to consider conducting a survey of the area by the Archaeological Survey of India since excavation of the site is likely to lead to discovery of many more articles of historic value, as Sone Giri, the famous centre of pilgrimage of Jains, is reported to be located somehwere near this place ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) :

(a) Yes, Sir. A broken image of a Jain Tirthankar was found at the site of the Co-operative Textile Mill and was handed over by the Tahsildar, Burhanpur, to the Nagpur Museum.

(b) At present the Excavation Branch of Archaeological Survey of India is engaged upon excavations at another site which is likely to continue for a couple of years. There is, therefore, no proposal under consideration for carrying out excavations at the site near Burhanpur in the near future.

दरभंगा (बिहार) में साम्प्रदायिक दंगे

4633. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले के जामीपुर क्षेत्र में 10 मई, 1969 को बड़े पैमाने पर लूट, अग्निकांड, मारपीट तथा हत्या की घटनाएँ हुई थीं जिन्होंने गंभीर साम्पदायिक रूप धारण कर लिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो लूट, दंगे, अग्निकांड तथा हत्या की घटनाओं के संयोजकों तथा नेताओं के विरुद्ध की गई कठोर कार्यवाही के संबन्ध में वास्तविक ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या बड़े पैमाने पर निर्दोष व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था , और

(घ) यदि हाँ, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दरभंगा जिल के बेनीपट्टी थाने के अन्तर्गत जामीपुर गांव में हुए दंगे में 2 व्यक्ति मारे गये, 43 झोपड़ियाँ जलाई गई और कुछ सम्पति लूटी गई ।

(ख) इन घटनाओं के संबंध में दर्ज किये गये दो मामलों में 139 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । उन दो मामलों की जाँच-पड़ताल पूरी होने पर 83 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं । ये मामले न्यायाधीन हैं ।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन भाड़े की दरों में वृद्धि

4634. **श्री वि० नरसिम्हाराव : श्री भगवान दास :**

क्या नौहवन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया शिपर्स कौंसिल भारत-पाकिस्तान--लंका और बर्मा / अमरीका भाड़ा कांफ्रेंस द्वारा भाड़े में प्रस्तावित 12 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध हैं ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस प्रश्न को न्यूयार्क में होने वाले सम्मेलन में उठाने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने भारत-पाकिस्तान, सीलोन और बर्मा भाड़ा जाबक सम्मेलन द्वारा भाड़ा दरों में वृद्धि के विरुद्ध भारी विरोध प्रकट किया है, फलस्वरूप सम्मेलन ने इस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए अपनी उत्सुकता प्रकट की। तदानुसार जुलाई, 1968 में सम्मेलन के साथ बातचीत के लिए मुख्य नियंत्रक चार्टरिंग की अध्यक्षता में एक सरकारी शिष्ट-मंडल की न्यूयार्क और लंदन में भेजा गया। इसके फलस्वरूप पहली अगस्त, 1969 से लागू होने से 12 प्रतिशत की महतः घोषित वृद्धि की औसतन पाँच प्रतिशत तक घटा दिया गया है और इसे पहली अक्टूबर, 1969 से लागू किया जाना है।

तटवर्ती क्षेत्रों में राडार चेतवानी व्यवस्था

4635. **श्री वि० नरसिम्हाराव : श्री अदिचन : श्री हिम्मतसिंहका : श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तथा अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ प्रायः तूफान आते रहते हैं, सुरक्षा का अतिरिक्त प्रबन्ध करने के लिये राडार चेतावनी व्यवस्था करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो राडार व्यवस्था कब और किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेगी और इस पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या यह उपकरण देशीय होगा अथवा इसका आयात किया जायेगा तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या समस्त व्यय केन्द्र वहन करेगा अथवा इसका कुछ भाग राज्य सरकार भी वहन करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) और (ख) विशाखापत्तनम में इस वर्ष के अन्त तक एक तूफान चेतावनी राडार के स्थापित किये जाने की आशा है। चौथी योजना की अवधि के दौरान समुद्री तटों पर सात और राडारों की स्थापना करने की एक स्कीम है। इन राडारों की स्थापना के लिए अन्तिम रूप से चुने गये स्थान पूर्वी ससुद्रीतट पर कलकत्ता / हाल्दिया, भुवनेश्वर / पाराद्वीप, मद्रास तथा नागापतिनम और पश्चिमी समुद्रीतट पर गोवा, बम्बई और काण्डला हैं। चौथी योजना की अवधि के दौरान इस स्कीम की कुल लागत 218 लाख रुपये होने का अनुमान है।

(ग) विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाने वाला राडार जापान से आयात किया गया है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर शेष सात राडारों का निर्माण करने के लिये सहमत हो गये हैं।

(घ) सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

विश्वविद्यालयों कालेजों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल सर्विस कोर आरम्भ करना

4636. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयों कालेजों के विद्यार्थियों के लिए नेशनल सर्विस को आरम्भ करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए इन शिविरों का प्रबन्ध करने के लिये धनराशि भी मंजूर की गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को राजघाट पर राष्ट्रीय सर्विस कोर के शिविर में भाग लेने की अनुमति कैसे और क्यों दी गई जैसा कि 6 जून, 1969 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ।

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ यह भी सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल विकल्प के रूप में राष्ट्रीय सेवा का एक कार्य क्रम चलाया जाना चाहिए । इस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि खेल-कूद के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार किये जाने के बाद सरकार का विचार है कि देश के कुछ चुने हुए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में चयन और स्वैच्छिक आधार पर एन० एस० सी/एन० एस० ओ० कार्यक्रम आरम्भ किया जाय । इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायगा । इस सम्बन्ध में वर्ष 1969-70 के लिए 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय सेवा दल कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवाग्राम वर्धा और राजघाट, दिल्ली में 12 फरवरी से 21 फरवरी 1969 तक और 15 मई से 6 जून 1969 तक दो राष्ट्रीय सेवा शिविर लगाये गये । ये शिविर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के पुनरुत्थापन के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से आयोजित किए गए थे । सेवाग्राम, वर्धा, स्थित शिविर में 123 अध्यापकों तथा कालेजों के 372 विद्यार्थियों ने भाग लिया था । राजघाट का शिविर अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रीश सेवा कार्यक्रम की समस्याओ से अवगत करने और दिल्ली राज्य के लिए राष्ट्रीय सेवा दल की एक व्यपक योजना तैयार करने के लिए दिल्ली अध्यापक संघ के सहयोग से लगाया गया था । इस शिविर के लिए अध्यापक संघ ने स्कूलों के जिन छात्रों को चुना था वे कालेजों के सम्भावित विद्यार्थी थे और वे अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

Retention of English

4637. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item under the caption 'Dr. Rao advocates retention of 'English, published in the ' Searchlight' dated the 31st April, 1969 published from Patna ;

(b) if so, whether he has said that Indian languages will take 30 years to come at par with the German and Russian languages and even then they will not be rich like English ;

(c) if so, whether Government intend to show reluctance in making Indian Languages rich during the next 30 years also as they had been doing during the last 22 years ; and

(d) the policy of Government in helping Indian languages to progress and the manner in which they would be helped to progress ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K. R. V. Rao) :

(a) and (b) No , Sir. No such news item has come to the attention of the Government. There is, however, a news item under the caption ' No abolition of English from Universities' in the 'Searchlight' dated 22nd April, 1969 reporting that at the Vice-Chancellors' Conference held on 21st April, 1969, the Education Minister said that changing the medium of education from English to the regional languages cannot and should not mean the abolition of English from the universities. He explained that far from abolishing English, university students would in future have to acquire an adequate command over English to read and understand English books in their chosen subjects and use English as their library language. Accordingly steps would have to be taken simultaneously in the process of switch-over from English to the regional languages as media of instruction to see that every university student acquires the necessary command over English because only by acquiring adequate command of English could a student have direct access to the growing knowledge in the world and help maintain standards. The copy of the address delivered by the Education Minister at the Vice-Chancellors' Conference held on 21st April, 1969 is available in the Library of the Parliament.

(c) and (d) A statement is attached indicting the steps taken by the Government to help development of Indian languages.

Statement

Following the Parliamentary Resolution of 1968 urging the Government to take effective steps for the co-ordinated development of all Indian languages and pursuance of the declaration of National Policy on Education 1968, the Government of India have initiated a number of schemes to help development of Indian languages.

2. Among them, the most important step taken by the Government of India is the assistance to be given up to Rs. one crore to each of the State Governments having State Universities in their jurisdiction over a period of six years, beginning from 1968-69. The State Governments have undertaken this programme in collaboration with their Universities and a sum of Rs.34,47,828 was paid to the various State Governments during 1968-69 and a sum of Rs.4 lakhs has already been placed at the disposal of each of the State Governments during the current year. They have been told that in case more funds are required, the same could be released on request.

3. In addition to the programme of book production at the State level, Government of India have also initiated a programme at national level known as Publication of Core Books. These books will be published in Indian languages or in English, and then translated in all Indian languages and these will be written by eminent writers in different subjects in any part of India. These books will be selected on the basis that they will be of such standard and authority that generally speaking, all universities will accept them as textbooks or reference literature. Such books are expected to remain effective for at least a period of 5-10 years.

4. Realising the difficulties of adequacy of translated works of books written in foreign languages, the Government of India is also initiating a scheme with effect from this year under

which 100 fellowships may be offered each year for the five years of the 4th Plan period to those first class Post-graduate students who would take up translation work, writing of original books in regional languages after a prescribed course of training in translation. This scheme has been designed to ensure that each translator has triple competence, competence of the subject, competence of the foreign language from which the books will be translated and competence in the language in which the book will be translated.

5. Since Urdu is an important non State language, Government of India have themselves set up a Tarraqqi-e-Board to guide the production of educational literature in Urdu.

6. Another effort to promote the teaching of languages other than the language of the region is the Ministry's scheme to give voluntary agencies up to 75% of the expenses for teaching of non-regional language in any region to people, who wish to opt for such a language voluntarily This applies to Hindi in non-Hindi States and non-Hindi languages in Hindi States.

7. With a view to promote writing in Hindi by non-Hindi writers and regional language by non-regional language writers, the Ministry has sponsored a scheme for the award of prizes every, year to selected publications both in Hindi and in the other Indian languages.

8. In view of paucity of men and material in the area of language teaching, Ministry of Education and Youth Services had decided to set up four Regional Centres in the four regions of the country. These will offer short and intensive as well as full time courses in the various Indian languages in accordance with the best available method. These will be confined in the first instance to the training of Hindi teachers in non-Hindi language of their choice, but provision will also be made for non-Hindi language teachers to learn non-Hindi language other than their mother tongue.

9. Government has recently established a Central Institute of Indian Languages and the major tasks of this Institute will be to identify the bonds of unity among different Indian languages in terms of history, vocabulary crors fertilisation, grammar, linguistic structure and literary and cultural themes and subject content. It will also concern itself with the study of tribal languages and teaching their language to others, who come either in administrative or cultural contact with them. Urdu and Sindhi, which are non-State languages, will also receive special attention of the Central Institute of Languages. The Institute is also developing Programme to expose teachers not only to material for teaching in Regional language but also to impart skill to use the material.

Forcible Occupatin of Land and Houes of Harijans in Salemgarh (Rajasthan) by a Landlord

4638. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Harijans had sent complaints to the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri and to Shri Gulzari Lal Nanda, the then Home Minister on the 20th September, 1964 against a feudal landlord of village Salemgarh in District Srigaganagar (Rajasthan) who had forcibly taken possession of the lands and houses belonging to the poor Harijans and had thus done injustice to them ;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid poor helpless Harijans left their houses in that village out of fear from the said person and took shelter in Chak 34 S. T. G., Tehsil, Suratgarh, district Sriganganagar ;

(c) if so, the action taken on the said complaints ; and

(d) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Caraan Shukla) : (a) No such complant is traceable either in Prime Minister's Secretariat or in the Home Minister's Office.

(b) to (d) Facts are being ascertained from the State Government.

गंगा स्टीमर सर्विसिस रैस्टोरेशन डेवेलपमेंट कमेटी, पटना के महासचिव से पत्र

4639. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन परिवहन तथा नौवहन मंत्री के 5 मई, 1967 के पत्र के उत्तर में गंगा स्टीमर सर्विसिस रैस्टोरेशन डेवलपमेंट कमेटी, पटना के महासचिव श्री फतेह नारायण सिंह का 22 जुलाई, 1967 का रजिस्टर्ड पत्र उनके मंत्रालय को मिला था;

(ख) क्या इसी सम्बन्ध में श्री सिंह को 1 अगस्त, 1967 का एक और पत्र भी उनके मंत्रालय को मिला था;

(ग) यदि हाँ, तो उन पत्रों में क्या लिखा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) जी हाँ ।

(ग) गंगा स्टीमर सर्विसस रैस्टोरेशन डेवलपमेंट कमेटी के महासचिव को भेजे गए पत्र में गंगा में नदी सेवाओं को फिर से चालू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है;

(घ) बिहार सरकार ने गंगा में नदी सेवाएँ आरम्भ करने के बारे में दो योजनाएँ प्रस्तुत की है : एक पटना और बक्सर और दूसरी भागलपुर और कारागोला के बीच । भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने हाल ही में अपने बिहार के दौरे के समय इन योजनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों से चर्चा की थी। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस योजनाओं पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

अस्पृश्यता

4640. **श्री भगवान दास** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री के० अनिरुद्धन : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुरी के शंकराचार्य के मामले में पटना के सब-मजिस्ट्रेट के इस निर्णय की ओर दिलाया गया था कि यदि कोई व्यक्तिगत जीवन में अस्पृश्यता को मान्यता देता है तो कानून के अन्तर्गत उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, संविधान में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) सरकार ने पटना के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट का दिनांक 4 जून, 1969 का वह फैसला देखा है जिसमें पुरी के शंकराचार्य तथा श्री वी० वी० देशपांडे के विरुद्ध श्री शिवानन्द

तिवारी की शिकायत खारिज की गई थी। उसने प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट श्री एस० एन० सहाय के जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार किया जिसमें उसने शिकायत को खारिज करने की सिफारिश की थी क्योंकि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया गया था। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के फैसले में यह नहीं कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अस्पृश्यता को मान्यता देता है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

(ख) सरकार अस्पृश्यता, अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है।

Central Assistance to Voluntary Institutions Working for National Integration

4641. **Shri Valmiki Choudhary : Shri B. K. Daschowdhury : Shri Muhammad Sheriff :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided io give assistance to those voluntary institutions which are working for national integration ;

(b) if so, the names of such organisations, the nature of assistance given to them and the amount given to each ; and

(c) the basis on which assistance is given ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under a plan approved by the Standing Committee of the National Integration Council at its second meeting held on March 20--21, 1969, there is *inter-alia* a proposal for giving financial assistance to Voluntary Organisations for activities in the cause of national integration.

(b) No organisation has been given financial assistance so far due to the terms and the pattern being sliil under consideration.

(c) Broadly the basis for giving assistance is as follows :

Voluntary Organisations which are open to all citizens of India without distinction of religion, race, caste or language, are duly registered, have a constitution and whose aims and objectives are relatable to the objectives of the National Integration Council, are elig!ble for seeking assistance.

The activities for which grants may be considered should be such as to put into practice the Declaration of Objectives adopted by the National Integration Council namely :

(a) discouraging communal illwill and regional animosities and weaning the misguided elements of society from paths of violence ;

(b) active and energetic propagation of the principles, especially of tolerance and harmony for which this nation stands ;

(c) mobilising constructive forces of society in the cause of national unity and solidarity and giving them leadership, encouragement and articulation ; and

(d) devising suitable community actvities and programmes for fostering fellow feeling, emphasing the privileges of common citizenship and in general raisingthe quality of national life.

The voluntary organisation is also expected to meet a part of the cost of particular activity for which a grant is given.

The grant would be subject to the usual condititions relating to scrutiny of the proposal and estimate of expenditure, and maintenance of accounts. No organisaon shall be eligible for more than one grant during a financial year.

केन्द्रीय रक्षित पुलिस

4642. **श्री गणेश घोष** : क्या गृह--कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में केन्द्रीय रक्षित पुलिस का कितनी बार उपयोग किया गया ;

(ख) किन-किन स्थानों पर इसे उपयोग में लाया गया ;

(ग) प्रत्येक मामले में किन--किन परिस्थितियों में इसे उपयोग में लाया गया ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कुल कितना धन व्यय किया गया ?

गृह--कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गत एक वर्ष में केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल को 35 अवसरों पर उपयोग में लाया गया ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रक्षित पुलिस बल को केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान केरल और दिल्ली में उपयोग में लाया गया । माँगे जाने पर पंजाब, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को मध्यावधि चुनावों के दौरान उपलब्ध कराया गया तथा जम्मू व कश्मीर, गोवा, आन्ध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजो पहाड़ियों, मनीपुर, त्रिपुरा, इत्यादि में आन्तरिक सुरक्षा तथा विधि तथा व्यवस्था के कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गोआ में देशान्तर्गत जल-मार्ग

4643. **श्री गणेश घोष** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में देशान्तर्गत जलमर्ग मुख्य भारत भूमि तथा मरमागोआ पत्तन के बीच एक महत्त्वपूर्ण सम्पर्क-साधन है;

(ख) क्या मडोरी नदी गोआ का सबसे मुख्य देशान्तर्गत जलमार्ग है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस नदी में धीरे-धीरे गाद जमा हो जाने के कारण, बजरे को उस समय जब लहरें कम उठती हैं नौवहन करने में कठिनाई महसूस होती है, और

(घ) यदि हाँ, तो मडोरी नदी को नौवहन योग्य बनाए रखने तथा उसे और अधिक ठीक रखने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की जा रही तो क्या ?

संसद--कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (ख) से (ग) जी, हाँ ।

(घ) नदी की नौगम्यता बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने के लिए जल सर्वेक्षणों और निकर्षण करने के हेतु गोआ प्रशासन द्वारा योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है।

'ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज' ("बंगाली भाषा की उत्पत्ति तथा विकास") नामक ग्रन्थ का अनुवाद

4644. **श्री गणेश घोष** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने प्रोफेसर सुनीतिकुमार चटर्जी के ग्रन्थ "ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेंट ऑफ दि बंगाली लैंग्वेज" का अनुवाद कराने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस आयोग ने इस प्रयोजना के लिए लेखक तथा अनुवादक से करार कर लिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस ग्रंथ की एक प्रति अनुवादक को दी है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) करार के अनुसार, लेखक को उक्त कृति के नवीनतम संस्करण की चार प्रतियाँ निःशुल्क सप्लाई करनी थीं । किन्तु लेखक प्रतियाँ सप्लाई नहीं कर सका क्योंकि प्रतियाँ न तो उनके पास थीं और न ही बाजार में उपलब्ध थीं। लेखक ने सुझाव दिया कि एक माइक्रोफिल्म प्रति एक अमरीकी फर्म के पास उपलब्ध है जिससे वह प्राप्त की जा सकती है। उसे अमरीकी फर्म से खरीदने के लिये पत्र-व्यवहार आरम्भ किया गया है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्य-संचालन के बारे में प्रतिवेदन

4645. **श्री गणेश घोष** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्य-संचालन की जाँच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ग) प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों में भयानक अशान्ति

4646. **श्री रवि राय :** क्या **शिक्षा तथा युवक–सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 जून, 1969 को कलकत्ता से प्रकाशित "स्टेटमैन" में छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्रों में भयानक अशांति का उल्लेख किया गया है;

(क) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस विश्वविद्यालय में फैली इस अशांति के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क से (ख) "जादवपुर विश्वविद्यालय बंद हो सकता है" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार कलकत्ता शहर से प्रकाशित 9 जून, 1969 के स्टेटसमैन के संस्करण में छपा था ।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 28 अप्रैल, 1969 को इंजीनियरी और टैक्नोलोजी संकाय में परीक्षा में शुरु होने के थोड़ी देर पहले, कुछ छात्रों ने माँग की कि या तो 19 मई को होने वाली मौखिक-परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए या फिर सभी परीक्षार्थियों को उस परीक्षा में उत्तीर्णांक दे दिए जाएँ । चूँकि यह माँग स्वीकार नहीं की गई, आन्दोलनकारियों ने सब छात्रों को मौखिक-परीक्षा न देने के लिए रोकने का प्रयत्न किया किन्तु अन्तिम वर्ष के छात्रों के मामले में वे उन्हें नहीं रोक सके। दूसरी कक्षाओं के छात्रों को शारीरिक रुप से बाधा डाल कर परीक्षा देने से रोका गया । परीक्षा भवन से बाहर निकलने के भी कुछ मामले हैं जिनमें बहुमत को कुछ छात्रों ने हाथ से खींच कर बाहर निकाला और परीक्षा न देने को विवश किया । 3 जून, 1969 से एक बैठ-हड़ताल भी की गई जिससे उपकुलपति और दूसरे अधिकारियों को उनके कमरों और कार्यालयों में जाने से और काम करने से रोका गया । किन्तु अध्यापकों के हस्ताक्षेप से 13 जून, 1969 को हड़ताल समाप्त कर दी गई थी ।

क्यों कि छात्रों की नये-सिरे से परीक्षा की माँग स्वीकार नहीं हुई थी, बाद में सारे छात्रों ने मौखिक और पीछे छोड़ गये पर्चों में परीक्षा दी ।

A. R. C. Report on Delegation of Fnancial and Administrative Powers

4647. **Shri Raghurvir Singh Shastri : Shri B. K. Das Chowdhury :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government have received the Report of the Administrative Reforms Commission regarding the delegation of financial and administrative powers ;

(b) if so, the main recommendations made therein ; and

(c) the action taken by Government thereon

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla : (a) Yes, Sir.

(b) Copies of the report have been placed in the Parliament Library.

(c) The report is under examination.

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अकस्मात जाँच–पड़ताल

4648. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दल ने गत दो वर्षों में आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अकस्मात् कोई जाँच-पड़ताल की है ;

(ख) यदि हाँ, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ग) भविष्य में स्वस्थ धारणा उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान को तीव्र करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और सतर्कता संगठनों को मजबूत कर दिया गया है, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में संशोधन किया गया है । केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक उद्यमों से संबन्धित निगरानी कार्य से एक वार्षिक कार्यक्रम को कार्यरूप दिया जाता है। भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी के आरोपों में ग्रस्त केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी और उनके समकक्ष पद के अधिकारियों के विरुद्ध सभी मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया जाता है । लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक भी, जो इस समय संसद के समक्ष हैं, भ्रष्टाचार रुकने के लिए एक और उपाय है ।

लेह में आन्दोलन

4649. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि काश्मीर की सीमा लेह के बौद्ध लोग तथा कारगिल के मुसलमान विशेष अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) क्या काश्मीर के कुछ पाकिस्तानी समर्थक संगठन जैसे जनमत संग्रह मोर्चा भी निष्क्रान्त भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार देने के प्रश्न पर आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में क्या-क्या मुख्य मागें की गई हैं; और

(घ) नाजुक सीमा–क्षेत्रों में हो रहे ऐसे आंदोलनों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इन क्षेत्रों में स्थायी शांति कायम करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) लेह के बौद्ध वर्ग और कारगिल के मुसलमानों द्वारा कुछ माँगें की गई थीं। बौद्धों की मुख्य माँगें थीं; कारगिल में एक धर्मशाला और एक मंदिर, बोधी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में

मान्यता देना, तिब्बती शरणार्थियों को फिर से बसाना, लद्दाख को अनुसूचित आदिजाति क्षेत्र के रूप में घोषित करना तथा लद्दाख को केन्द्रीय प्रशासन प्रदान करना। 25–7–1969 को इस सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 980 और 1–8–69 को अतारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कारगिल के मुसलमानों ने कारगिल में बौद्धों के लिये भवन बनाने की अनुमति को रोकने की तथा करगिल को एक पृथक जिला बनाने की माँग की थी। 8–8–1969 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 2882 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) जनमत संग्रह मोर्चे ने तथा कुछ अन्य ने विस्थापित भूमि के सम्बन्ध में शरणार्थियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावित विधान के प्रति कड़ा विरोध किया है और यदि विधान पारित किया गया तो आन्दोलन करने की बात की है।

(घ) सरकार इस विषय में सतर्क है।

उप-सचिव (कल्याण) की नियुक्ति

4650. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक ही व्यक्ति उप-सचिव (कल्याण) के पद पर पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से काम कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो एक व्यक्ति को एक ही पद पर इतने लम्बे समय तक नियुक्त रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में विभिन्न बस्तियों के निवासी कल्याण संगठनों में अनेक झगड़े हुए हैं और उप-सचिव (कल्याण) उन्हें सुलझाने में असफल रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन झगड़ों में उक्त उप-सचिव (कल्याण) ने उन व्यक्तियों का पक्ष लिया है जो निवासी कल्याण संगठनों पर प्रभुत्व जमाते जा रहे थे; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को शीघ्र ही नियुक्त करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। वर्तमान पदधारी केवल 17–10–62 से उप-सचिव (कल्याण) के पद को धारण किए हुए हैं।

(ख) और (ङ) किसी पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति और उस पर उसके बने रहने का निर्धारण प्रशासन के हित और पद के लिये अपेक्षित विशेष अनुभव पर उचित ध्यान दे कर किया जाता है। इस समय इस पद के पदधारी को बदलना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ग) कुछ संस्थाओं के पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः ये चुनाव सम्बन्धी प्रतिद्वन्दिता के कारण हैं। कुछ मामलों में कुछ पदाधिकारियों ने अपने साथियों के विरुद्ध भी आरोप लगाये हैं। चूंकि संस्थायें निर्वाचित पदाधिकारियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर कार्य कर रही हैं अतः कभी-कभी प्रतिद्वन्दिता होती है तथा कभी पराजित उम्मीदवारों के

द्वारा विवादों को बढ़ाने–चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 9 झगड़ों में से 4 तय कर दिये गये हैं पर यह कहा जा सकता है कि एक झगड़े के तय किये जाने के पश्चात् भी एक पक्ष जिसके विरुद्ध फैसला किया जाता है, वह अपमानित महसूस करता है । फिर भी, यह कहना सही नहीं है कि कोई झगड़ा तय ही नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

राजस्थान को चोथी योजना में शिक्षा के लिये धन का अपर्याप्त नियतन

4651. **श्री रा० कृ० बिड़ला:** क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने चौथी योजना के अन्तर्गत उस राज्य को शिक्षा के लिए अपर्याप्त धन का नियतन किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तीसरी योजना की तुलना में चौथी योजना में शिक्षा के लिये कितना धन नियत किया गया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार आयोग को इस राशि में वृद्धि करने के लिये अनुरोध करने का है ?

शिक्षा तथा युवक–सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। यह अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के साधनों का नियतन करें। निस्सन्देह, राजस्थान योजना में शिक्षा के लिए वर्तमान नियतन अपर्याप्त है, परन्तु इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही किया गया था।

(ख) तीसरी योजना में शिक्षा के लिये 21.10 करोड़ का नियतन किया गया था, जिसके विपरीत 20.15 करोड़ रुपये व्यय किये गये । चतुर्थ योजना में शिक्षा के लिये 16.25 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए जबकि सम्पूर्ण योजना 313 करोड़ रुपये की थीं। जब योजना को घटा कर 239 करोड़ रुपये किया गया, शिक्षा के लिए घटा कर 14.45 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया ।

(ग) राजस्थान में शिक्षा के पिछड़ेपन, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को देखते हुए, राज्य सरकार से अनुनय करने का प्रस्ताव है कि नियतन पर पुनर्विचार करे तथा जहाँ तक सम्भव हो इसकी अनुपूर्ति स्वैच्छिक अंशदानों, स्थानीय शिक्षा उपकरों द्वारा करे ।

Activities of Pak. Rangers in Gajera village, Garo Hill

4652. **Shri Sharda Nand : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 10th June, 1969, Pakistani Rangers attacked village Gajera of Garo Hill District and lifted several heads of cattle ;

(b) the steps proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents ; and

(c) the number of heads of cattle and persons lifted by Pakistani Rangers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir. However, on the night of 10/11th lune,/969, two Pak. nationals of BABELAPARA, P. S. Sribardi, District Mymensingh, East Pakistan illegally trespassed into Indian teriitory near Pillar No. 1089/17-T at Gujangpara, P. S. Mahendraganj, District Garo Hills and stole away two heads of buffaloes approximately valued at Rs.800/- belonging to Shri Duban Marak of Gujangpara from his cowshed and escaped to Pakistan.

(b) and (c) Protest has been lodged and patrolling in this area has been intensified. Steps are being taken to recover the cattle stolen.

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण

4653. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकारों से उनकी राय पूछी थी;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषय में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरणशुक्ल) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि प्रस्ताव सिद्धांत रूप में ठोस है । तथापि उसने इस सुझाव की क्रियान्विति में कुछ आधारभूत कठिनाइयाँ बताई हैं।

Chinese Pamphlets in Manipur

4654. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 21st June, 1969, pamphlets printed in Chinese language were thrown from an aircraft in villages in Mao Sub-Division of Manipur ;

(b) if so, the contents of the pamphlets in detail ;

(c) whether Government have ascertained the name of the country to which the aircraft belonged ; and

(d) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d) According to information furnished by the Manipur Administration a balloon containing radio instrument, batteries and Chinese pamphlet was found at village Nagari-Khullen on 1-6-69. The pamphlet contains the new year message of President Chiang Kaisek to the People's Republic of China.

छिपे नागा नेताओं द्वारा मनीपुर के राजस्व विभाग के अधिकारी को पीटना

4655. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार के राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को छिपे हुए नागाओं के एक गिरोह ने सुदेर पहाड़ी क्षेत्र के एक आदिवासी गाँव नाग्गल में, जहाँ वह भू-राजस्व एकत्र करने के लिए गया हुआ था, हाल ही में खूब पीटा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 19 जून, 1969 को 6 सन्दिग्ध नागा व्यक्तियों ने, बताया गया है, कि एक व्यक्ति की, जो मनीपुर के विशनपुर सब-डिवीजन के राजस्व विभाग का एक कर्मचारी था, निजी सम्पत्ति तथा कुछ सरकारी दस्तावेजों को लूट लिया। पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी तहकीकात की जा रही है।

भारतीय युवको/युवतियों में हिप्पो अभिरुचि

4656. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय युवक/युवतियाँ भी हिप्पी अभिरुचि से प्रभावित हुये है;

(ख) क्या भारत सरकार इस आन्दोलन को जो सिद्धान्तहीनता, अत्यधिक आत्मकेन्द्रिता, निर्बाध प्रेम पर आधारित है, बहुत अधिक खतरनाक तथा निजी परिवार में दुखान्त घटनाएँ पैदा करने वाला आन्दोलन समझती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो देश की युवा पीढ़ी में इस प्रवृत्ति को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) सम्भवतः हिप्पी आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्न उन आवारा घूमने वाले विदेशी नागरिकों के बारे में है जो सामान्यता मान्य स्तर के कपड़े नहीं पहनते । विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस हिप्पी आन्दोलन से भारतीय युवक-युवतियाँ प्रभावित नहीं हुए हैं ।

इन विदेशियों द्वारा किसी प्रकार की भारत-विरोधी गतिविधियों के समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं । लेकिन कुछ के पास से गैर-कानूनी रूप से रखी गई औषधियाँ और बिना लाइसेंस के शस्त्र आदि प्राप्त हुए हैं । प्राप्त सूचना से यह विदित होता है कि उन पर और कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब भी उनकी अवांछनीय गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है उपयुक्त कानून के अन्तर्गत उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है । प्राप्त सूचना से इस

निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं है कि हिप्पी आन्दोलन बहुत खतरनाक और युवकों में आत्म-विश्वास समाप्त करने और निराशा का द्योतक नहीं है।

सरकार युवकों में आत्मविश्वास को समाप्त करने सम्बन्धी संकट के प्रति जागरूक है और युवक सेवाओं से सम्बद्ध बहुत-सी योजनाएँ सरकार के विचाराधीन हैं जो इस सम्बन्ध में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

आसाम और नागालैंड में विदेशी राष्ट्रजनों के संगठनों का कार्य

4657. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और नागालैंड राज्यों में जो आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उनको भारत-विरोधी गतिविधियों के बारे में कोई समाचार मिला है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है. और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मंत्रियों की विदेश यात्राएँ

4658. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 11 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) मन्त्रियों, राज्य-मंत्रियों और उप-मंत्रियों की विदेश यात्राओं में जो अधिकारी उनके साथ रहे उनके नाम और पदनाम क्या हैं; और

(घ) उन पर कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एम० रामास्वामी) : (क) और (ख) अभी तक पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

4659. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्थित भारत सरकार के विभागों में से कुछ चुने हुए विभागों में वर्ष 1968 में कोई भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान आरम्भ किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभियान में कौन-कौन से अधिकारी पकड़े गये, कौन-कौन से अधिकारी मुअत्तिल किये गये और जिन पर इस अभियान के फलस्वरूप भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या इस अभियान को तेज करने के लिये नवीन उपाय किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो विभिन्न विभागों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार के कुछ चुने हुए कार्यालयों और संगठनों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार-विरोधी तथा सतकर्ता-कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है तथा उसे कार्यरूप देता है ।

आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

4660. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई० सी० एस० या आई० ए० एस० के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध 30 जून, 1969 को विभिन्न भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों में भ्रष्टाचार के मामले विचाराधीन थे ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन मामलों के परिणामस्वरूप ऐसे कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया, या बर्खास्त किया गया; और

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों ने न्यायालयों में मुकदमें दायर किये ; और कितने मामलों का अब तक निपटारा हो चुका है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1796/69]

युगोस्लाविया के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र में सहायता

4661. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया की समाजवादी सरकार और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बीच 1969 और 1970 के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के लिये एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1969 से 30 जून, 1969 तक इस दिशा में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) जी हाँ, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) तथा युगोस्लाविया की समाजवादी रिपब्लिक सरकार के वैज्ञानिक कार्यकलापों की फेडरल कौंसिल फार द कोर्डिनेशन के बीच वैज्ञानिक-सहायोग के लिये 17 अक्टूबर, 1968 को 1969 तथा 1970 वर्षों की कार्य सम्बन्धी योजना पर हस्ताक्षर किए गये थे ।

(ख) कार्यक्रम के ब्यौरे मोटे तौर पर नीचे दिए जाते हैं :—

(1) वैज्ञानिक अनुसंधानों, परामर्श, अनुभव के विनिमय, वैज्ञानिक सुधार, विज्ञान सम्बन्धी बैठकों में सम्मिलित होना, भाषण देना, संचालन तथा वैज्ञानिक मामलों में सहायता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञानवेत्ताओं का आदान-प्रदान ।

(2) पारस्परिक रुचि की विशिष्ट वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

(3) तदनुरूप वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विज्ञान वेत्ताओं में सीधे सम्पर्क स्थापित करना और अनुभव का आदान प्रदान करना ।

(4) अवर वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना ।

(5) अल्प अवधियों के लिए वैज्ञानिकों तथा प्रोफेसरों के दौरे के रूप में लेक्चर देने, परामर्श करने तथा सर्वेक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए विज्ञानवेत्ताओं और प्रोफेसरों को आमंत्रित करना ।

(6) वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य की व्यवस्था के बारे में सूचना का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक संस्थाओं तथा विज्ञान–वेत्ताओं के आँकड़े और रुचि की सामग्रियों की जानकारी का विनिमय ।

(7) वैज्ञानिक–पत्रों के तथा वैज्ञानिक–कार्य के विकास के परिणामों के प्रकाशन में सहायता प्रदान करना ।

(8) वैज्ञानिक उपकरण, साहित्य, माइक्रोफिल्म तथा फोटो वगैरह के अभिग्रहण का समर्थन ।

(9) पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा ग्रन्थसूचियों के आदान-प्रदान में वैज्ञानिक पुस्तकालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना ।

(10) इस कार्यक्रम पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बारी-बारी से दिल्ली तथा बंगलौर में दो वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जायेंगे ।

(ग) और (घ) युगोस्लाविया फेडरल कौंसिल ने युगोस्लाविया की अनुसंधान संस्थाओं की एक सूची उन संबन्धित क्षेत्रों के साथ, जिन पर वे भारतीय तदनुरूप संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहेंगें भेजी है। सूचना राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं तथा भारत की अन्य अनुसन्धान संस्थाओं से प्राप्त की गई है और युगोस्लाविया को भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्त करने के तथा युगोस्लाविया की संस्थाओं के साथ वैज्ञानिक सूचना के अदान-प्रदान के

प्रस्ताव नई दिल्ली को युगोस्लाविया की सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक सरकार के दूतावास को भेज दिए गये हैं ।

इसी प्रकार युगोस्लाविया फेडरल कौंसिल से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं को उनके विचार जानने के लिए भेज दिए गए हैं ।

गांधी हत्या के सम्बन्ध में गोडसे का वक्तव्य

4662. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथू राम गोडसे द्वारा अपने ऊपर चल रहे मुकदमे की कार्यवाही के दौरान दिये गये उस वक्तव्य पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और उसे मुकदमे के बाद 21 वर्ष बीत जाने पर भी प्रकाशित करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं, जिसमें उसने महात्मा गाँधी की जिनका वह अन्यथा सम्मान करता था, हत्या करने के कारण बताये थे ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में नाथूराम गौडसे के वक्तव्य के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध उठाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उस समय की प्रान्तीय सरकारों, मुख्यायुक्तों और राज्यों को 1948 में नाथूराम वी० गोडसे के वक्तव्य के स्वरूप और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उसकी छपाई और प्रकाशन को रोकने के लिए उपयुक्त कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सलाह दी गई थी ।

(ख) और (ग) विषय पर कोई नई सलाह देने का प्रस्ताव नहीं है ।

एयर इंडिया द्वारा बम्बई में होटलों का निर्माण

4663. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने 4 करोड़ रुपये की लागत से बम्बई में दो होटल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या एयर इंडिया के संविधान में होटल उद्योग के लिए उपबन्ध है ;

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई के प्रथम श्रेणी के होटलों में सर्वाधिक चहल-पहल के महीनों में भी लोगों के ठहरने का वार्षिक मध्यमान 39 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक रहता है, क्या यह नितान्त आवश्यक है कि वहाँ ये होटल बनाये जायें ; और

(घ) विश्व की अन्य ऐसी कौन-सी विमान-सेवा कम्पनियाँ हैं जिनके अपने होटल हैं, उन होटलों के नाम क्या हैं और वे कहाँ-कहाँ हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हाँ ।

(ख) एयर इंडिया के कानूनी सलाहकारों ने यह सलाह दी है कि एयर इंडिया एयर कारपोरेशन अधिनियम के अधीन होटल-व्यवसाय आरम्भ कर सकता है । इसकी आगे जाँच की जा रही है ।

(ग) जी हाँ। इन होटलों की वास्तव में आवश्यकता है। बम्बई में विभिन्न होटलों में कमरों की लाग के अँकड़े (आक्युपैंसी फिगर्स) उपलब्ध नहीं हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय वाहक होने के कारण एयर इंडिया को होटलों के लिए अच्छी ग्राहकी मिलने की सम्भावना है।

(घ) एयर इंडिया के पास जो ब्यौरे उपलब्ध है उनको दिखाने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1797]

दरभंगा जिले में पर्यटकों की रुचि के स्थान

4664. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि (1) गौतम कुण्ड तथा अहिल्या स्थान (जाली ब्लाक), जो महर्षि गौतम एवम् उनकी पत्नी अहिल्या के निवास स्थान के ऐतिहासिक स्थान हैं, (2) विसूल तथा गिरिजा स्थान (हरलक्खी ब्लाक), जहाँ महर्षि विश्वमित्र राम तथा लक्ष्मण के साथ ठहरे और राम तथा सीता ने एक दूसरे को पहली बार देखा था, (3) जाधन (बिसफी ब्लाक), जहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य रहते थे, और (4) बिसफी (बिसफी ब्लाक), जो चौदहवीं शताब्दी के मैथिल कवि विद्यापति का जन्मस्थान है, ये सब ऐतिहासिक स्थान बिहार में दरभंगा जिले में पड़ते हैं, और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (ख) से (ग) चूंकि सीमित साधनों के कारण प्राथमिकता का एक सुनिश्चित क्रम अपनाना आवश्यक है, फिलहाल, भारत सरकार के लिए इन स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करना सम्भव नहीं है।

रूस के साथ 1969-70 के लिये सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

4665. **डा० देवेन सेन :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री हाल ही में मास्को गये थे और उन्होंने वहाँ रूस सरकार के साथ रूस के बीच 1969-70 के लिए एक नया सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करने के लिए बातचीत की थी और ;

(ख) यदि हाँ, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) दोनों सरकारों ने 1969-70 वर्ष के लिये एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये हैं और 1970-71 वर्ष के लिए एक अस्थायी कार्यक्रम स्वीकृत किया है।

1969-70 के कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान तथा टेक्नोलोजी, कला तथा संस्कृति, फिल्म,

प्रेस, रेडियो, टेलिविजन, खेलकूद, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में 107 मदों के आदान-प्रदान तथा सहयोग की व्यवस्था है।

दिल्ली में सऊदी अरब के एक राजनयिक की हत्या

4666. **डा० देवेन सेन :** **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री अब्दुल गनी दार : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री राम सिंह अयरवाल : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री भारत सिंह चौहान : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री न० रा० देवधरे : **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक राजनयिक फ्लैट में सऊदी अरब के एक राजनयिक और उसके नौकर की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने हत्या के इस मामले में कोई जाँच-पड़ताल कराई है; और

(ग) क्या इस मामले से सम्बद्ध अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामले जाँच-पड़ताल के दौरान तथाकथित अभियुक्त को 3-7-1969 को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया है।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

4667. **डा० रानेन सेन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी इंजीनियरी फर्मों ने अपनी सरकारों के समर्थन से भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण में सहायता देने का प्रस्ताव भारत सरकार से किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्री जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय वास्तुविदों और इंजीनियरों के सहयोग से नई टर्मीनल इमारतों तथा आनुषंगिक सुविधाओं के मौलिक स्वरूपों के विकास के लिए एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त वास्तुविदों / इंजीनियरों की फर्म सलाहकार के रूप में नियुक्त की जानी चाहिए जिन्हें हवाई अड्डों के डिजायन करने का अच्छा अनुभव हो । तदनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में एक ऐसे सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त करने के एक प्रस्ताव के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

बहुत सी विदेशी फर्मों ने यह कार्य करने में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की है और उनमें से कुछ ने सलाहकार सेवाओं पर होने वाले व्यय की वित्तीय व्यवस्था उनकी सरकारों द्वारा किये

जाने की सम्भावना व्यक्त की है। इनके प्रस्तावों (आफरों) के बारे में अभी पूर्णतया कार्यवाही नहीं की गई है।

Lesser Number of Tourists going to Sariska (Alwar District) due to Decrease in the Number of Tigers

4668. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tigers are killed in the Game Sanctuary at Sariska (Alwar district) by persons not possessing a licence therefor as a result of which the number of tigers is decreasing there and the attraction towards this Game Sanctuary is diminishing and tourists are going there in lesser number ; and

(b) whether any prince (son of a former ruler) was found guilty in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. Being a Wild Life Sanctuary, shooting is totally forbidden within its confines. The number of tourists to the Game Sanctuary at Sariska is increasing.

(b) No such incident is within the knowledge of Government.

उदयपुर विश्वविद्यालय को अनुदान

4669. **श्री भोला नाथ मास्टर** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उदयपुर विश्वविद्यालय को दिया जा रहा अनुदान इतना कम है कि इस विश्वविद्यालय में अनुसंधान-कार्य प्रायः ठप्प हो गया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सारा अनुदान केवल वेतन के भुगतान पर खर्च हो जाता है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अन्य विश्वविद्यालयों की भाँति उदयपुर विश्वविद्यालय को भी चौथी पंचवर्षीय आयोजनों अवधि में विकास सम्बन्धी अनुदानों का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विशेषज्ञों की एक निरीक्षण समिति की सहायता से विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालय की अपनी प्राथमिकताओं तथा आयोग के पास उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए, निरीक्षण समिति ने उदयपुर विश्वविद्यालय के लिए चौथी आयोनना के दौरान 42.03 लाख रुपये के अनुदान को सिफारिश की है। आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसका आवंटन कर दिया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को दो अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता की व्यवस्था करने के लिए भी आयोग सहमत हो गया है तथा दो और योजनाएँ विचाराधीन है।

उदयपुर विश्वविद्यालय को कृषि, शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से भी अनुदान मिलते हैं।

(ख) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उसको अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार और अन्य साधनों से जो अनुदान मिले हैं, कर्मचारियों के वेतन देने में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है किन्तु केवल अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है।

Ban on Participation in certain Organisations by Government Employees

4670. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have imposed a ban this year on the participation in certain organisations by the Government employees ;

(b) if so, the names of the organisations concerned ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :(a) to (c) Government had issued instructions on 8th May, 1969 clarifying that membership of, or participation in, the activities of the movement known as the Anand Marg or any of its organisations by a Government servant would attract the provisions of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, under which no Government servant shall be a member of, or be otherwise associated with any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in ,subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

However, on a writ petition and a notice of motion for stay filed before it, the Supreme Court have issued orders restraining the Government from giving effect to the provisions of the clarificatory circular until the disposal of the writ petition. Government have accordingly issued instructions to the Ministries/Departments not to act on the circular until further orders.

सरकारी कर्मचारियों द्वारा आनन्द मार्ग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध

4671. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों पर आनन्द मार्ग की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या ऐसे ही प्रतिबन्ध सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों में भाग लेने पर भी लगाये गये है ;

(ग) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमात-ए-इस्लामी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिये जाने की शिकायतें हैं ; और

(घ) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 8 मई, 1969 को अनुदेश जारी किये थे जिनमें स्पष्ट किया गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आनन्द मार्ग के नाम से ज्ञात आन्दोलन अथवा इसकी किसी संस्थाओं की सदस्यता अथवा उनकी गतिविधियों में भाग लेने से केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है और इन उपबन्धों के अन्तर्गत

कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी संस्था, जो राजनीति में भाग लेती हैं, का सदस्य नहीं होगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उससे सम्बद्ध नहीं होगा और वह किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा गतिविधियों में न भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा अथवा न किसी अन्य तरीके से सहायता देगा।

तथापि, उच्चतम न्यायालय ने, इसके समक्ष दायर की गई एक लेख्य याचिका तथा स्थगन के लिए उपस्ताव एक नोटिस पर, सरकार को स्पष्टीकरण करने वाले परिपत्र के उपबन्धों को, लेख्य याचिका के अन्तिम रूप से निपटाये जाने तक, लागू करने से रोकने के आदेश जारी कर दिये हैं। तदनुसार सरकार ने मंत्रालयों/विभागों को उस परिपत्र पर, अगले आदेशों तक, कार्यवाही न करने की हिदायतें जारी कर दी हैं।

(ख) 1966 में यह स्पष्ट करने के लिए अनुदेश जारी किये गये थे कि रा० स्व० से० संघ तथा जमायत-ए-इस्लामी की सदस्यता अथवा उनकी गतिविधियों में भाग लेने से केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भागलपुर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता

4672. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार राज्य और विशेष कर भागलपुर विश्वविद्यालय को विज्ञान की प्रयोगशाला तथा अन्य प्रकरणों के लिए कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या यह सच है कि सहायता अपर्याप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सहायता की राशि को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार के विश्वविद्यालयों के 1966-67 से 1973-74 की अवधि के लिए किए गए धन का आवंटन तथा विज्ञान विभागों के उपस्कर और भवनों के लिए अब तक दिया गया अनुदान दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1798/69]

(ख) विश्वविद्यालयों को अनुदान विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं या माँगों का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विजिटिंग समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का संसद् भवन के समक्ष प्रस्तावित विशाल प्रदर्शन

4673. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक संघ ने यह निर्णय किया है कि सम्पूर्ण भारत के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का एक विशाल प्रदर्शन दिल्ली में संसद् भवन के सामने 18 अगस्त, 1969 को होगा।

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त संघ ने अपना माँग-पत्र सरकार को प्रस्तुत किया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केयर द्वारा भोजन-दान कार्यक्रम

4674. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर (केयर) ने विभिन्न राज्यों में भोजन-दान सम्बन्धी कार्यक्रम अपनाने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा०वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) केयर संगठन ने इस बारे में कोई नई घोषणा नहीं की है। केयर द्वारा प्रदान की गई सहायता से स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने के कार्यक्रम 14 राज्यों में पहले से ही चालू हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य वस्तुएँ जैसे आटा, बल्गर गेहूँ। रोल्ड गेहूँ, दुग्ध चूर्ण तथा सोयाबीन का तेल राज्य सरकारों को मुफ्त दिया जाता है। राज्य परिवहन तथा प्रशासनिक व्यय वहन करते हैं। यह खर्च प्रतिवर्ष लगभग 5 रु० प्रति बालक पड़ता है। गत वर्ष केयर ने 120 लाख बच्चों को भोजन के लिए 1600 लाख किलो खाद्य भेजा था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना नीचे दी जाती है :—

	राज्य	बच्चों की संख्या (जिन्हें भोजन दिया गया) लाखों में	वर्ष जब से कार्यक्रम शुरू किया गया
1	आन्ध्र प्रदेश	7.84	1962
2	बिहार	4.00	1966

3	गुजरात	3.65	1965
4	हरियाणा	3.25	1967
5	केरल	19.20	1961
6	मध्य प्रदेश	6.00	1965
7	महाराष्ट्र	5.90	1963
8	मैसूर	12.16	1963
9	उड़ीसा	7.00	1965
10	पंजाब	3.80	1962
11	राजस्थान	2.00	1962
12	तमिलनाडु	19.00	1961
13	उत्तर प्रदेश	6.50	1965
14	पश्चिम बंगाल	21.00	1964
	कुल योग	121.30	

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली को अन्यत्र ले जाना

4675. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अडडा, नई दिल्ली को अन्यत्र ले जाने में कुछ विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार सफदरजंग विमानक्षेत्र की भूमि का उपयोग मनोरंजन प्रयोजनों के लिए किया जाना है । इस सन्दर्भ में सफदरजंग विमानक्षेत्र से विमान परिचालनों को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

दिल्ली में बेरोजगार युवकों का प्रदर्शन

4676. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक-सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय फेडरेशन के तत्वाधान में 15 मई, 1969 को दिल्ली में तथा देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार युवकों ने एक प्रदर्शन किया था और उनका एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मन्त्री को भी मिला था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 15 मई, 1969 को संसद् भवन के निकट सैकड़ों प्रदर्शकारी गिरफ्तार किये गये थे तथा उनकी शिक्षा आदि का ध्यान रखे बिना ही उनके साथ साधारण अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ,

(ख) इस ज्ञापन में उठाएँ गए मामले सरकारी आर्थिक तथा सामाजिक नीति के अंग है और उन पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार 202 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके प्रति सभी सम्भव शिष्टता व्यवहार में लाई गई थी। उनको भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया था।

गालिब, गांधी और डा० भगवान दास शताब्दी समारोह

4677.**श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गालिब शताब्दी तथा समारोह से अब तक कुल कितना खर्च आया है और सरकार ने उसके लिये कितना अंशदान दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एक समिति डा० भगवान दास की जन्म शताब्दी मनाने के लिये बनाई गई थी, जिनको कि भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था और जिन्होंने अपने समूचे जीवन में विभिन्न धर्मों में एकता बनाये रखने के लिए कार्य किया था ;, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार भगवान दास शताब्दी समिति को वैसी ही सहायता देने का है, ताकि भगवानदास सेवा सदन की परियोजना को पूरा किया जा सके तथा इस अवसर पर डा० भगवान दास की महान् कृतियों को सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा सके ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) किए गए कुल खर्च के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी जहाँ तक सरकार के अंशदान का संबंध है, निम्नलिखित रकमें सहायता-अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई हैं :—

(i) गालिब शताब्दी समारोह	20,00,000 रुपये (जिसमें से अब तक 15 लाख रुपये दे दिए गए हैं) .
(ii) गाँधी शताब्दी समारोह	1,22,00,000 रुपये ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ, तो उस पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा, 1959

4678. **श्री शरदा नन्द** : क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1967 के अपने निर्णय में यह कहा हैं कि 1959 की अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा अर्हक परीक्षा थी न कि प्रतियोगिता परीक्षा;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और आसूचना ब्यूरो में कार्य करने वाले सहायकों को, जिन्होंने 1959 में परीक्षा पास की थी, अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी पदोन्नति के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) आसूचना ब्यूरो में काम करने वाले सहायक, सहायक अधीक्षक (नियमित अस्थायी स्थापना) परीक्षा 1959 में बैठने के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि वह संगठन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में भाग नहीं लेता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाला ऐसा कोई सहायक नहीं है जिसे सहायक अधीक्षक (नि० अ० स्था०) परीक्षा, 1959 के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए संघलोक सेवा आयोग द्वारा अनमोदित किया गया हो और पदोन्नत न किया गया हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Claim For Chandigarh

4679. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state. :

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab and Haryana are making claims for Chandigarh ;

(b) whether it is also a fact that Shah Commission was constituted to demarcate the boundaries of Punjab and Haryana ;

(c) whether the said Commission had held that Chandigarh was the integral part of Haryana and had recommended that it be included in Haryana ; and

(d) if so, the properiety of allowing this issue to be raised again ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Commission was required to examine the then existing boundary of the Hindi and Punjabi regions of the composite State of Punjab and recommend adjustments, if any, necessary in that bounday to secure linguistic homogeneity of the Punjab and Haryana States. It was also required to indicate boundaries of the hill areas of composite Punjab contiguous to Himachal Pradesh and having cultural and linguistic affinities with that Union territory.

(c) and (d) The majority of the members of the Commission had recommended that the entire Kharar tehsil (including Chandigarh) should go to Haryana and one member has suggested the allocation of a part of it (including Chandigarh) to Punjab and part to Himachal Pradesh. The constitution of Chandigarh into a Union Territory to serve as a joint capital of the new States was decided upon against this background of conflicting claims.

Alleged Demolition of Sikandaria Mosque in Delhi

4680. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation have refuted the previous existence of Sikandraria mosque and according to their record no such mosque existed in the past ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Matters relating to the Sikandaria mosque are sub-judice.

Hindi as Medium of Instruction in Central Schools

4681. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the proposal for imparting education in the Central Schools through the medium of Hindi ; and

(b) the scheme regarding introducing Hindi Medium in these Schools in future in place of English ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services : (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) All the Kendriya Vidyalayas were asked by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, which administers the scheme, to introduce the teaching of Social Studies in Hindi in the session 1967-68 for classes I to V, and to continu ethis medium for Social Studies alone progressively at the rate of one class in each successive year. Accordnigly, the Vidyalayas are to teach these subjects in Hindi in class VII in the curent session. No decision has so far been taken to bring about a change in this policy.

Equal Pay, Allowances and Other Facilities for Euqual Work

4682. **Shri Valmiki Choudhary** : **Shri P. C. Adichan** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the Central Government employees get equal pay and allowances and other facilities for equal work ;

(b) if not, the details regarding the anomalies and the reasons therefor ;

(c) whether the employees of Commercial Departments such as Railways are availing of more facilities as compared to the employees of other Departments ; and

(d) if so, the details of such facilities and the details regarding the proposals under consideration of Government with a view to bringing the employees of other Departments at par with those working in Railway Department ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Caran Shukla) ; (a) to (d) The existing scales of pay for Central Government employees are based on the recommendations of the Second Pay Commission who had taken into consideration the duties and responsibilities of the various posts. It, can therefore, be said that the concept of 'equal pay for equal work' is already in operation in so far as these employees are concerned. Dearness allowance is admissible to these employees also on a uniform basis i.e. all employees

drawing a particular salary get the same amount of dearness allowance. As regards Compensatory Allowances, these are related to local conditions prevailing in particular areas where Government servants are working, but, within the same area, employees in the same pay range get allowances at the same rate. In regard to other condititions of service and facilities, no complete uniformity exists between different Departments, or between dificrent classes and categories of employees. The Second Pay Commisson's observations, reproduced below, are relevant in this context :

"We have found that between different classes and categories of employees, no complete uniformity exists, or is feasible, in these matters. As a broad statement it would be correct to say that most groups of employees wish to have all the more favourable conditions of employment of other groups while retaining any specially favourable conditions which they themselves may be enjoying For instance, the office staffs would like to retain their short working hours, their 5½ day week, and their 23 public holidays, and, at the same time, to have extra payment for overtime work. Likewise, the industrial staffs would like to have the same numler of public holidays as office staffs, but to retain the right to extra payment for overtime work. Again, partically all non-Railway employees desire to have extended to them certain 'special facilities' available to Railway employees, but none of them would, we imagine, entertain a proposal that like operating staffs on the Railways they should do without public holidays. In this situtation, any undiscriminating pursuit of uniformity in each of the numerous conditions of employment, for different classes of employees can lead to one or the other of two obviously undesirable results ; wide and unintelligent deliberalization of the conditions of employment, or equally wide and excessive liberalization".

नई दिल्ली में एक यात्रा अभिकर्ता की हत्या

4683. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1969 को ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में दिल्ली के एक यात्रा अभिकर्ता की उसके अपने निवास स्थान पर हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली में हत्याओं की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और जाँच-पड़ताल की जा रही है। उक्त मामले में मृतक के घरेलू नौकर पर सन्देह था और उसे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि उसके पास से चुराई कुछ सम्पत्ति बरामद की गई है।

(ख) और (ग) 1-1-1969 से 31-7-1969 तक की अवधि में दिल्ली पुलिस को हत्या के 58 मामले सूचित किये गये जब कि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान हत्या के 52

मामले सूचित किये गये थे। जब कभी पक्षों के बीच कोई पिछली शत्रुता अथवा झगड़ा ध्यान में आता है, ऐसे अपराध के होने की सम्भावना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

मन्त्रियों की विदेश यात्रा

4684. **श्री यशपाल सिंह : क्या गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक–सभा के सातवें सत्र की समाप्ति के बाद कितने मन्त्री विदेश गये;

(ख) प्रत्येक मन्त्री की विदेश यात्रा पर कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) प्रत्येक यात्रा से क्या लाभ हुआ ?

गृह–कार्य मन्त्रालय में उप–मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी शिष्टजनों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की व्यवस्था

4685. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग द्वारा विदेशों से आये हुए गण्यमान व्यक्तियों के मनोरंजन के लिये जानवरों के शिकार का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या विदेशों में वैदेशिक-कार्य मन्त्री या उन देशों का दौरा करने वाले अन्य गण्यमान भारतीय व्यक्तियों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है;

(ग) क्या इस प्रकार के मनोरंजन को रोकने के लिये जनता ने सरकार से विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हमारे विदेश मिशनों के अनुरोध पर और विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद विदेशों से आने वाले संभ्रान्त जनों के लिए इस विभाग द्वारा यदा-कदा शिकारों का आयोजन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पशु–कल्याण से सम्बन्धित कई समितियों ने विदेशों से आने वाले संभ्रान्त जनों के लिए बनाये गये कार्यक्रम में शिकार शामिल न करने का आग्रह किया है, परन्तु सरकार का विचार है कि चयनात्मक और सावधानीपूर्वक नियंत्रित शिकार को निरुत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है।

पारादीप बन्दरगाह का विकास

4686. **श्री चिन्तामणि पणिग्रही** :　　　　　**श्री सु० कुन्दू** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पारादीप बन्दरगाह के विकास के प्रस्तावों को, जो योजना आयोग के परामर्श से तैयार किये जा रहे थे, इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उन विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1969–70 में पारादीप बन्दरगाह तथा नगर के विकास के लिए और क्या उपाय किये गए हैं?

संसद–कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप–मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) से (ग) पारादीप के चौथी पंच-वर्षीय योजना कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तब तक संविदानिकर्षण जैसे कुछ कार्य किये जा रहे हैं ताकि पत्तन 60,000 डी डब्लू टी तक के जहाजों को ले सके और अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण कर सके।

पत्तन पर 2·29 करोड़ रुपये के अनुमनित लागत का एक सामान्य माल–घाट का निर्माण भी अनुमोदित हो गया है।

उड़ीसा सरकार ने पारादीप एरिया डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है जो पारादीप क्षेत्र के सभी प्रकार का विकास कर सके जिसमें एक उपनगरी का विकास शामिल है।

उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को दिया गया उपदान तथा आर्थिक सहायता

4687. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966–67, 1967–68 और 1968–69 में उड़ीसा के फ्लाइंग क्लब को कितना उपदान तथा आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) वर्ष 1969–70 के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को इन तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि उपदान तथा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई :

1966-67	27,257.60 रुपए
1967-68	95,938.90 रुपए
1968-69	91,426.15 रुपए

(ख) 1969–70 के लिए 87,000/-रुपए की बजट-व्यवस्था की गई है।

विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता

4688. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक–सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों के लिये आचार संहिता बनाने के लिये एक अनुशासन समिति स्थापित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्य कौन हैं; और

(ग) क्या ऐसी आचार संहिता तैयार करने के लिये समिति को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गये है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने कोई अनुशासन समिति स्थापित नहीं की है। फिर भी, वहीं के विद्यार्थी प्रतिनिधियों के सम्मेलन में, जिसे संयुक्त रूप में शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुलाया था, अनुशासन के प्रश्न पर विचार करते हुये सिफारिश की गई कि विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय/कालेज कैम्पस में अनुशासन भंग के मामलों को निपाटाने के लिये एक अनुशासन समिति जिसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों का बराबर प्रतिनिधित्व हो, स्थापित की जाय। सम्मेलन की सिफारिशों को उपरोक्त सिफारिश के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वद्यालयों/राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिये परिचालित किया है।

जबलपुर में एक भूतपूर्व शासक की हत्या

4689. **डा० कर्णी सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जबलपुर से 7 जून, 1969 को निम्नलिखित समाचार पढ़ा है : यहाँ से लगभग 80 मील दूर कटनी तहसील में भूतपूर्व विजयराघोगढ़ राज्य के एक शासक, श्री चन्दर मोहन सिंह, को कल किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी थी। 65 वर्षीय भूतपूर्व शासक उस समय अपने निवास स्थान में थे, जब उन पर गोली चलाई गई; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने अपराधियों को ढूँढ़ निकालने के लिये क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जाएगी।

भारत में फुटबाल के खेल का स्तर ऊँचा उठाना

4690. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खेल परिषद् ने भारत में फुटबाल के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप फुटबाल का स्तर ऊँचा उठा है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत में फुटबाल का स्तर सुधारने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी मुख्यतः अखिल भारतीय फुटबाल संघ की है। ऐसा पता चलता है कि संघ ने 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ की हैं और प्रशिक्षण तथा रेफरी संबंधी सेमिनारों का आयोजन किया है। संघ ने अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप सभी प्रमुख प्रतियोगिताओं में 90 मिनट का खेल प्रारम्भ किया है।

इस वर्ष से प्रारम्भ किये जाने वाले राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम से भी फुटबाल तथा अन्य खेलों का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी ।

(ख) सुधार का मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी। किन्तु, आशा है कि जो कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं उनसे फुटबाल का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

भारत अमरीकी पाठ्य पुस्तक संगठन के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण

4691. **श्री धर्मेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीकी पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम के आधीन भारत में अब तक अमरीकी विश्वविद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों को कितनी प्रतियों का पुनः मुद्रण हो चुका है ;

(ख) इन पुनः मुद्रित पाठ्य पुस्तकों के मूल्य अमरीकी पाठ्य पुस्तकों के वास्तविक मूल्यों से कितने कम अथवा अधिक हैं ;

(ग) भारत-अमरीकी पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम को कहाँ से धन दिया जाता है; और

(घ) भारतीय प्रकाशन उद्योग पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 750 अनुमोदित शीर्षक की लगभग 40,00,000 प्रतियाँ।

(ख) भारतीय संस्करण का मूल्य अमरीकी संस्करण के वास्तविक मूल्य का लगभग 5वां भाग है।

(ग) पी० एल० 430 के समया निधियों से।

(घ) चूंकि चयन की गई अमरीकी कृतियाँ भारत में पुनः मुद्रित होती हैं, इसलिए भाग लेने वाले भारतीय प्रकाशकों को अधिक मात्रा में व्यापार तथा उसके अनुसार ही आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

Closure of Gun Factory at Monghyr in Bihar

4692. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued orders for the closure of Gun Factory located at Monghyr in Bihar ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of labourers who would be rendered jobless as aresult of the closure of the said factory and the arrangements proposed to be made by Government to provide them employment ;

(d) whether the Government of Bihar have opposed the closure of the factory ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs ((Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (c) Does not arise.

Hostel Facilities in Patna University

4693. **Shri Chandra Shekhar Singh : Shri K M. Madhukar : Shri Ramavtar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Patna University is a residential type of University ;

(b) if so, the number of boys and girls studying there ;

(c) the number of boys and girls who have been provided with hostel facilities ;

(d) whether it is also a fact that many students in all the big cities of Bihar, including Patna are living in private houses in which amenities are totally lacking, by paying exhorbtiant rent; and

(e) if so, the steps proposed to be taken by Government to improve the siutation and the time by which this would be donc ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V . Rao) :

(a) According to the Patna University Act, 1961, the University is a teaching and residential University.

(b) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Payment of Enhanced Pay Scales to Teachers of Private Schools in Bihar

4694. **Shri Chandra Shekhar Singh : Shri K. M. Madhukar : Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government assurance regarding giving 50 per cent of the expenditure involved on payment of enhanced pay scales to the teachers of private schools in Bihar as grant had not been implemented so far as per pay revision notifications issued in 1957 and 1966 ;

(b) whether it is aslo a fact that non-implementation of the assurance given by Government has resulted in deep discontentment among the teachers ; and

(c) if so , the steps proposed to be taken by Government to remedy the situation ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) to (c) Information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Payment of Salaries to Primary and Higher Secondary School Teachers of Bihar

4695. **Shri Chandra Shekhar Singh : Shri K. M. Madhukar : Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers of Primary and Secondary Schools functioning under the Municipal Committees in Bihar have not been paid emoluments at incrcased rates since April 1965 to June, 1966 i.e. for fifteen months ;

(b) whether it is also a fact that teachers or some other schools in Bihar have also not been paid their salaries if so, details thereof and the reasons therefor ;

(c) whether it is further a fact that the amount of Porvident Fund deducted from salareis of the teachers of Patna Municipal Corporation during the last three years has not been deposited in the Provident Fund Account so far ;

(d) whether it is also a fact that pensions have not been paid to the rettired Municipal Committee teachers in Bihar ; if so the reasons thereof; and

(e) the time by which Government propose to have the payments of arrears of pay and pension made to them ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):

(a) to (e) Information is being collected from the State Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha when received.

मिर्जा अफ़ज़ल बेग और शेख अब्दुल्ला का वक्तव्य

4696. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनमतसंग्रह मोर्चा के अध्यक्ष मिर्जा अफजलबेग के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो उन्होंने 5 और 6 जुलाई, 1969 को काश्मीर में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में दिया था, कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और अनुच्छेद 370 को, जो काश्मीर को भारत के साथ मिलाता है, रद्द किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या शेख अब्दुल्ला ने भी, जो भाग ले रहे थे, उसी ढंग का वक्तव्य दिया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) जम्मू व काश्मीर ने सूचित किया है कि नगिन, श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला द्वारा 6–7–69 को काश्मीर प्रेस क्लब के सदस्यों को दी गई चाय-पार्टी में मिर्जा अफजल बेग उपस्थित थे । किन्तु वे कुछ बोले नहीं । शेख अब्दुल्ला ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि काश्मीर-विवाद हल नहीं हुआ है और सहमति के प्रलेख पर अनुच्छेद 370 की सीमाओं के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे, यह कि विवाद का उन तीन दलों से सम्बन्ध है जिन्हें इसे तय करने के लिए सहयोग करना है, यह कि यदि भारत ने, जनमत संग्रह के अलावा, एक दूसरा हल प्रस्तुत किया तो वह भी उसे स्वीकार्य हो सकता है, यह कि भारत कम से कम उससे सीधे बातें कर सकता है और यह कि वह भारत का शत्रु नहीं है और केवल इस विवाद का एक हल चाहता है ।

Construction of Inter-State Bridges During 4th Plan

4697. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of the inter-State bridges to be constructed over rivers adjoining the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the names of those rivers and the amount earmarked for each bridge ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to new inter-State bridges to be approved for construction under the Central Aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance in the Fourth Plan. No decision in regard to such projects has yet been taksen as all such projects have to be considered in the light of funds which might be actually available in the Fourth Plan for aiding such new projects. This aspect of availability of funds is being examined.

(b) Does not arise.

Rockets Found in a Well in Rajkot District

4698. **Shri Bansh Narain Singh : Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six rockets were found in a well which was being got deepened by a person belonging to Bohra community on the bank of river Ajai in Rajkot District during June, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that some of the rockets bore the numbers C.I. 3 M.O.R., W. W. R. T. 52-5/5 and T. Y. 70/029-458 ;

(c) whether these numbers indicate that those rockets were manufactured in some foreign countries ; and

(d) if so, how those rockets have been smuggled into India and the name of countries in whose ordnance factories, they were manufactured ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Government of Gujarat have intimated as under :

(a) Eight old and rusted objects shaped like hand grenades were found while deepening a well in Bohra community cemetry on the bank of Aji river at Rajkot.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The matter is under investigation.

18 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6743 और 5 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4591 के उत्तरों में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U. S. Q. NOS. 6743 DATED 18TH APRIL, 1969 AND 4591 DATED 5TH JULY, 1967

पर्यटन तथा असैनिक उड्यन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : महोदय, 18 अप्रैल, 1969 को सर्वश्री बाबूराव पटेल, आर० के० बिड़ला और मनुभाई पटेल द्वारा फ्लाइंग क्लबों के सम्बन्ध में पूछे गये लिखित प्रश्न संख्या 6743 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में मैंने 1966-67 और 1967-68 के वर्षों के दौरान फ्लाइंग क्लबों द्वारा प्रशिक्षत विमान-चालकों की संख्या, और पिछले दो वर्षों में व्यावसायिक उडान-कार्य में नियोजित (खपाये गए) विमानचालकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ग' के क्रमशः कालम 4 और 5 में दी थी। नागर विमानन विभाग को कुछ मामलों में नियोजन की स्थिति मालूम नहीं थी, यथा आन्ध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब के सम्बन्ध में 1966-67 और 1967-68 के वर्षों के दौरान प्रशिक्षित व्यवसायी विमानचालक लाइसेंस-धारियों की संख्या 9 दिखाई गयी थी। इनमें से 7 को पिछले दो वर्षों में व्यावसायिक उड़ानों में नियोजित दिखाया गया था शेष दो के नियोजन की स्थिति नागर विमानन विभाग को मालम नहीं थी। कुछ अन्य क्लबों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करने के अभिप्राय से तालिका के अन्त में यथायोग्य टिप्पणियाँ जोड़ दी गयी हैं। अतः 18 अप्रैल, 1969 को लोक-सभा में प्रश्न संख्या 6743 के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ग' के स्थान पर अब सभा-पटल पर रखी गई परिशोधित तालिका रख दी जाए।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1799/69]

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) दिनांक 5 जुलाई, 1967 को श्री मधु लिमये, श्री अटल विहारी बाजपेयी, श्री रविराय, श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा

श्री अब्दुलगनी दार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4591 के भाग (ख) के उत्तर में, मेरे पूर्ववर्ती, श्री भागवत झा आजाद ने नकारात्मक उत्तर दिया था, जिसका तात्पर्य था कि उस मामले में विरोध के लिये कोई शिक्षक मुअत्तिल नहीं किया गया था। आगे जाँच करने पर, राज्य सरकार द्वारा अब यह बताया गया है कि एक शिक्षक को मुअत्तिल किया गया था और इसलिए उत्तर स्वीकारात्मक होना चाहिये।

सदन को इससे जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पालिथीन पाइप बनाना

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : महोदय, मैं औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :

> "तकनीकी महानिदेशक श्री बी० डी० कलेलकर द्वारा 15-3-1969 को मैसर्स एशियन केबल्स लिमिटेड, बम्बई के जनरल मैनेजर को लिखा गया कथित पत्र जिसमें पालिथीन पाइप बनाने के लिए भिन्न वस्तुएँ तैयार करने की अनुज्ञा देने के लिए चार लाख रुपये की माँग की गई है।"

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : On a point of order. May I know from the hon. Minister whether any enquiry is being made by the Central Bureau of Investigation against the officer who forged this letter. He is related to Shri Gupta.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I have two points of order on this issue.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Attention should, also be paid towards the points which are in the background of this matter. It is stated that he is related to Shri Gupta.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : None is related to me. It is all baseless. I want that an equiry should be conducted into it. If he comes out my relative I shonld be punished and if it is not true both of them should be punished for the charges they have levelled against me.

Mr. Speaker : All of you please keep quiet. On which point Shri Madhu Limaye is raising a point of order. Reply has not yet come. Let the reply come from the Minister.

Shri Madhu Limaye : It is a preliminary point of order. Mr. Speaker, I have two points of order. Firstly, I put my calling attention notice to the Prime Minister, then why the reply is not coming from the Prime Minister ? Why the reply is being given by the Industrial Development Minister ?

Secondly, it appears that some portion from my calling attention notice has been removed. When there are may notices it has been the practice that a comprehensive calling attention notice is prepared. Why that procedure was not followed this time ? In this notice only one question has been taken. The issue of diversification permission to manufacture polythene pipes. My notice was :

Illeigal loaning and selling of raw materials imported against users, license.

I had not only one charge against Aasin Cables. I had three charges against them. One was, that the raw material which they manufactured by taking user's license was against the rules. Second charge was that the material which they got against the user license was sold in the market and third charge was that to conceal these facts they requested for diversification. So all these should be taken into account and I should be given a chance while asking supplementaries.

Mr. Speaker : So far as this calling attention notice is concerned it has come from Shri C. P. N. Naidu first, and it is addressed to the Minister of Industries. Suppose it has been sent to the Prime Minister after all it has to be replicd by the Minister under whose department it comes.

Shri Madhu Limaye : Kindly give me a chance while asking Supplementaries.

औद्योगिक व्यापार, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक अभिकथित पत्र से सम्बन्धित है जो कि महानिदेशक, तकनीकी विकास द्वारा एक गैर-सरकारी कम्पनी के प्रतिनिधि को लिखा बताया जाता है। ज्यों ही यह मामला मेरे ध्यान में लाया गया मैंने इसकी जाँच कराई। जिस अधिकारी द्वारा पत्र लिखा बताया गया है वह 15 अगस्त तक देश से बाहर बैंगकाक में था। अब वह लौट आया है और उसने स्पष्ट बयान दिया है कि उक्त पत्र नकली तथा बनावटी है। फोटो-स्टैट प्रति से पता चलता है कि पूरा पत्र टाइप किया हुआ है और केवल दो पंक्तियों का अन्तिम पैराग्राफ तथा हस्ताक्षर हस्तलिखित हैं। अन्तिम पैराग्राफ निम्न प्रकार है :—

> मैं इस पर 31 मार्च, 1969 तक अन्तिम निर्णय लेना चाहूँगा कृपया आप बातचीत के लिए आँकड़े लेकर 30 मार्च से पूर्व पहुँचिये।
>
> ह० बी० डी० के०
> 15-3-69.

इस हस्तलिखित भाग को देखकर अधिकारी को स्मरण हुआ कि उसने इस प्रकार की टिप्पणी सरकारी फाइल पर किसी नितान्त भिन्न विषय के बारे में की है और उसके अन्त में यह संक्षिप्त पैराग्राफ है। उन्होंने यह कहा है कि किसी ने उनके हस्तलिखित पंक्तियों के ऊपर अन्य सरासर झूठी तथा दोषरोपण युक्त सामग्री रखकर उसकी फोटोस्टैट प्रति ली है। जिससे कि ऐसा ज्ञात हो कि पूरा पत्र प्रामाणिक मालूम पड़े। सम्बद्ध फाइल जिसमें हस्तलिखित टिप्पणी लिखी थी मंगवाई गई थी तो पता चला कि उसमें से कुछ पृष्ठ जिसमें विवादास्पद हस्तलिखित टिप्पणी वाला पृष्ठ भी है फाइल से हटा दिए गए हैं। फिर भी सम्बद्ध टिप्पणी की प्रमाणित प्रति एक अधिकारी ने सरकारी कागजों में सरकारी कार्यवाही के बारे में रखी हुई थी वह उपलब्ध है।

2. इस प्रति की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की जाँच के उद्देश्य से फोटोस्टैट प्रति को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजा गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इसे केन्द्रीय विधि रसायन शास्त्र प्रयोगशाला (सेन्ट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी) को भेजा था। इस फोटोस्टैट प्रति के बारे में 19 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में उनकी जो राय है वह नीचे दी गई है :—

"विवादास्पद पत्र के चाक्षुष तथा सूक्ष्मवीक्षण परीक्षण से पता चलता है कि टाइप किये हुए मसौदे तथा हस्तलिखित मसौदे के बीच एक स्पष्ट सीधी रेखा है जिससे यह सम्भावना हो सकती है कि हस्तलिखित मसौदे को टाइप किए हुए पत्र पर चिपकाने आदि विधि से जोड़ा गया है। अतः इस फोटोस्टैट प्रति के संदेहास्पद होने की सम्भावना है यद्यपि अन्तिम राय उस मौलिक पत्र के परीक्षण पर ही, जिसकी यह फोटोस्टैट प्रति बताई जाती है, दी जा सकती है।"

19 अगस्त की रिपोर्ट के बाद मुझे अभी लगभग एक ही घंटा पहले केन्द्रीय जाँच ब्यूरों से एक अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरों में यह कहा गया है कि ऐसा मालूम होता है (मैं उन्हीं के शब्दों का उद्धृत कर रहा हूँ) :—

(क) फोटो-कापी संभवतः एक जालसाजी है। शायद पत्र के अन्तिम पैरा को काटकर इसे गढ़ा गया है जो डा० कालेलकर द्वारा कार्यालय की किसी मिसिल में लिखी गई टिप्पणियों में से एक है और उसे टाइप किये हुए पत्र के नीचे चिपकाकर यह फोटो—कापी तैयार की गई है।

(ख) फाइल का टिप्पणी वाला वह हिस्सा जिससे हस्तलिखित पैरा काटा गया था, अब गायब है।

(ग) उन अधिकारियों की गवाही के अनुसार जिन्होंने उक्त मिसिल पर कार्य किया है तथा संचालन डायरी में दर्ज उस समय की टिप्पणियों के अनुसार यह मिसिल 30-7-69 को श्री आर० के० गुप्त को प्रस्तुत की गई थी और 4-8-69 को जब यह मिसिल श्री गुप्त के पास से वापस आई तो संगत नोटशीटें उसमें से गायब थीं। यह बात श्री आर० के० गुप्त को तत्काल ही बता दी गई थी और सम्बन्धित लिपिक ने संचलन डायरी में उसे दर्ज कर लिया था।

उपर्युक्त आधार पर और श्री आर० के० गुप्त की श्री कालेलकर से कड़ी दुश्मनी को दृष्टि में रखते हुए युक्ति संगत संदेह होता है कि यह फोटो—कापी संभवतः बनाई हुई है अथवा श्री गुप्त की सहायता से तैयार की गई थी। फिर भी, निश्चित निष्कर्ष केवल जाँच पूरी हो जाने के पश्चात् ही निकाला जा सकता है।

3. मैं स्पष्ट रूप से गढ़ी हुई इस फोटोस्टैट कापी के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर जिसमें पत्र का अभिकथित लेखक भी सम्मिलित है किए गए दोषारोपण को मिथ्या बतलाता हूँ और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले का अधिक प्रचार न हो, इस विषय में अत्याधिक सावधानी बरतें क्योंकि उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता ही संदेहयुक्त है। मैं आशा करता हूँ कि सम्बद्ध माननीय सदस्य मौलिक पत्र भी उपलब्ध करायेंगे ताकि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच को पूरा करने में सहायता मिले और सरकार को वास्तविक दोषी को पकड़ने में सहयोग मिले।

4. जहाँ तक विविधता लाने के लिए अनुमति का संबंध है मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि न तो मैंने और न फोटोस्टैट दस्तावेज में उल्लिखित सचिवालय के दो अधिकारियों ने इस विषय का निपटान किया है और न ही इस सम्बन्ध में महानिदेशक से कोई विचार-विमर्श किया गया है या कोई अनुदेश दिये हैं। महानिदेशक ने इस मामले को अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के परामर्श से स्वयं निपटाया है और इसमें माँगी गई अनुमति नियमानुसार प्रदान की है। न ही मन्त्रालय के सचिव के 21 अप्रैल, 1969 का विदेश का दौरा इस विविधता की अनुमति से सम्बन्ध रखता है जिसका निर्णय महानिदेशक ने 31 मार्च, 1969 को किया।

5. सदन इससे अवगत है कि चरित्र पर आघात के कुप्रयास बढ़ते जा रहे हैं और अभी कुछ मास पूर्व ही मुझे एक निराधार और गन्दी अफवाह का खण्डन करना पड़ा था जिसे कि कुछ पार्टियों ने फैलाया था। मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसे मामलों में अत्यधिक सावधानी से काम लें और न सिर्फ ऐसी सावधानी इस सदन के सदस्यों के बारे में ही बरतें बल्कि विशेषकर उन मामलों में भी बरतनी चाहिए जो कि सरकारी अधिकारियों से सम्बन्धित है जो कि सदन में अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपने अधिकारियों को इन मामलों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो समूचा प्रशासन तन्त्र प्रभावित हो सकता है।

6. मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जाँच के पूर्ण होने पर, जो अभी चल रही है, दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : श्री आर० के० गुप्ता पर अभियोग चलाया जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर अधिक प्रश्न न पूछे जाँय। जब माननीय सस्दय मेरे पास आये तो मैंनें उनसे कहा कि जब तक उनके पास दस्तावेज की प्रामाणिकता के बारे में कोई सबूत नहीं है मैं ध्यानाकर्षक सूचना प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, अतः वे फोटोस्टैट प्रति लेकर आये। मन्त्री महोदय के वक्तव्य को सुन कर, मैं सोचता हूँ कि ऐसे मामलों में हमको बड़ा सावधान होना चाहिए, हमें इस सयम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्थगित कर देना चाहिए और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट का इन्तजार करना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, it is good that an enquiry is being conducted by the Central Bureau of Investigation but besides that there are many irregularities and they should also be paid attention.

अध्यक्ष महोदय : वे उनको मन्त्री महोदय के पास भेज सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इनको उनके पास नहीं भेज सकता क्योंकि मन्त्री महोदय स्वयं अपराधी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो इस मामले को इस समय तक स्थगित किया जा सकता है जब तक जाँच पूरी न हो और जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध न हो।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मन्त्री महोदय ने मुझ पर यह आरोप लगाया है

कि मैंने एक जाली दस्तावेज को आधार बनाया है । अतः मुझे इस बारे में स्पष्टीकरण देने का हक है और मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : हाँ स्पष्टीकरण दीजिए ।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रख रहा हूँ । इसे सदस्यों में परिचालित किया जाय ताकि वे यह देख सकें कि इसमें क्या लिखा है ? मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि यह पत्र जाली नही है । (**व्यवधान**) हमें केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के जाँच-प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी है । मैंने गलती से पत्र की फोटो-प्रति प्रधान मन्त्री के पास भेजी थी । उन्होंने यह प्रति औद्योगिक विकास मन्त्री को भेज दी और उन्होंने वह उन अधिकारियों को दी जो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं । यही कारण है कि पुलिस ने यह बताया है कि यह पत्र जाली है । मेरे पास पत्र की एक प्रति और है जिसे मैं न्यायिक जाँच करने वाले अधिकारी को दे सकता हूँ, इन्हें नहीं ।

पत्र के कुछ अंश को मन्त्री महोदय ने ठीक बताया है । उसने यह लिखा है । यह हाथ द्वारा लिखा गया है । क्या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार से फाइल पर लिख सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ऐसा विचार था कि सभा इस पर इस समय पुनः विचार कर सकती थी जब सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध होती । यह सभा ऐसा नहीं चाहती तो यह चर्चा अभी चलती रहने दी जाये ।

श्री चेंगलराया नायडू : हम तो न्यायिक जाँच चाहते हैं । जब मैंने प्रधान मन्त्री को फोटो प्रति दी थी तो उसके एक दम बाद मैसर्स एशियन केबिल्स के श्री आर० पी० गोयंका और उसके जनरल मैनेजर को मंत्री या उच्च अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली बुलाया गया था और श्री वाँचू, श्री कालेलकर तथा श्री के० डी० एन० सिंह ने उनसे बातचीत की थी । क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मन्त्रालय के अधिकारियों तथा फर्म के अधिकारियों के बीच कोई साँठगाँठ है । उक्त पत्र को जाली बताकर किसी छोटे अधिकारी को बली का बकरा बनाने की भी उनकी चाल है । जो अधिकारी उक्त मामले से सम्बद्ध हैं, वे ही पत्र को जाली कैसे घोषित कर सकते हैं ? उन्हें तो निलम्बित कर दिया जाना चाहिये था । क्या यह सच नहीं है कि औद्योगिक सलाहकार श्री मेनन ने सचिव का ध्यान इस ओर दिलाया था कि एशियन केबिल्स और सोमय्या एण्ड कम्पनी पोलीथीन की चोरबाजारी कर रही हैं ? क्या उनके लाइसेंस को अनुचित रीति से विभक्त करके चोरबाजारी में उनकी सहायता नहीं की गई ? पीलिथीन पाइप बनाने के लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया था । इस लाइसेंस को विभक्त किये जाने के चक्कर में ही श्री गुप्ता का स्थानान्तरण किया गया था । अधिकरियों ने कम्पनी को लिखा कि आप हमें धन और तत्सम्बन्धी सामग्री दो और लाइसेंस को 31 मार्च तक विभक्त कर दिया जायेगा । यह काम तकनीकी विकास के महानिदेशक ने स्वयं सम्बद्ध फाइल मँगा कर किया । निम्न स्तर से टिप्पणी आदि नहीं लिखी गई, जैसा कि सामान्य प्रक्रिया है । इससे स्पष्ट है कि कोई गड़बड़ अवश्य है । अतः न्यायिक जाँच के लिए पर्याप्त गुंजाइश है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : स्पष्टीकरण देते हुए माननीय सदस्य ने यह बताया है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह सच नहीं है। ऐसी स्थिति में सभा को इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जावे क्योंकि जाँच आयोग नियुक्त करना सरकार के हाथ में है जबकि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का अधिकार सभा को है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप सही नहीं है कि प्रधान मंत्री ने फोटो-प्रति मुझे दी। उन्होंने यह प्रति सीधे केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को भेज दी थी। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की जाँच करने में सहायता करें तथा जो सामग्री उनके पास है उसे वे केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंप दें। यह बात भी मुझे ठीक नहीं जँचती कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के बदले में 4 लाख रुपये लिख कर माँग ले।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, first of all I would like to make it clear that I do not want to say anything about the said letter or the question of 4 lakhs of rupees because the Minister has told that the matter is being inquired into by C. B. I But I would like to place some documents before you, which will go to prove that the big Officers of M/s Asian Cables Co., and the Ministry of Industrial Development are violating the laws in big way and thereby it will be proved that there is a great scope for corruption. On the basis of the Report and Accounts of the Asian Cables Co. it can easily be made out that the said company gave raw material on loan in some cases and sold the raw materials in some other cases. While according to the "Conditions of Actual User Licences" laid down in the Import Red Book it can not be done.

These all are documentary evidences. Permission for diversification of raw material imported against user's licence can be given only if much foreign exchange is not involved therein and if the receiving industry is a priority industry. Polythene is not a priority industry. So why was the permission given in this case ? Moreover this firm managed to import much more raw material than the quantity required by them. Their requirement was 50 tonnes while they imported 1,000 tonnes. How could they manage to do so? I am sure there is corruption behind it.

I want to know from the hon. Minister who gave the permission and why it was given ? He has said categorically that not he but the Director General gave the permission. I do not believe this statement. It should be inquired into.

Mr. Speaker, I had earlier raised in the House the cases of sulphur deal, wool tops, barrel and drum etc., in which my contention was upheld by the Parliamentary Committee to which they were referred. I am prepared to substantiate and prove each one of my charge if the hon. Minister agrees to a judicial prove and the hon. Speaker refers the entire case to the Estimates Committee, P. A. C. or any other special committee. Did he not try to cover up the misdeeds of Goenka Group. The facts will be proved in the Committee.

औद्योगिक, विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (फखरुद्दीन अली अहमद): मैंने माननीय सदस्य द्वारा लगाए गये सभी निराधार आरोपों को ध्यान से सुना। जब मैं यह

वक्तव्य दे चुका हूँ कि जहाँ तक इस विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य के पास कोई साक्ष्य है, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वह उसे भी रखें। न केवल प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से बल्कि उनके संतुलन-पत्र से स्पष्ट है कि मैसर्स एशियन केबल्स कुछ आयातित माल बेचते रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तकनीकी विकास के महानिदेशक ने आयात तथा निर्यात के नियंत्रक को इसकी सूचना दे दी है और मामले की जाँच की जा रही है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि तकनीकी विकास के महानिदेशक ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने कहा है कि उनके विक्रय के लिये इस कम्पनी ने उनसे कोई अनुमति नहीं ली है।

Shri Madhu Limaye : Why permission for diversification was given ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विविधिकरण के प्रयोजन के लिए सामान्य आदेश इसे प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों तक सीमित नहीं रखते। यदि विविधिकरण के लिये किसी सामान अथवा पुर्जे का आयात न किया जाना हो, तो अधिकारी 25 प्रतिशत तक विविधिकरण की अनुमति दे सकता है।

श्री मधु लिमये : क्या पोलीथीन स्वदेशी माल है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह अधिकारी के विषय क्षेत्र में है। इसके लिए उसे मुझे अथवा सचिव महोदय से आदेश लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई आरोप है, तो मैं जाँच करने के लिये तैयार हूँ। यदि कोई अनियमितता अथवा गैर-कानूनी बात मेरे ध्यान में लाई जाती है, तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, as far as my relation is concerned, I request you to hold an enquiry by the Home Minister or C.B.I. I may be punished if found guilty. He has said in his letter :

> "My understanding with you for Rs.4 lakhs may be confirmed and your side will take care of any payment to others direct. For my purpose, you are only to ensure that the support of Secretary and Minister is there whenever needed ".

Mr. Speaker,it is a very serious matter which should not be looked into at a lower level. Even if we take it that this letter is fake, the circumstancial evidence makes one to take it as genuine. As already stated by my hon. friend Shri Madhu Limaye, I feel that these officers are in league with Messrs. Asian Cables Limited, whose Managing Director, Shri K. P. Goenka was helped to get the award of *Padna Vibhusham*. Enquiry is in progress by C. B. I. against these three officers in regards to other cases also. When the Chief Controller of Imports recommended suspension of licence to this firm in respect of Russian collaboration, your Secretary Shri Wanchoo said that let that continue and even further licences be granted to them. Then Shri Kalelkar holds assets worth Rs.30 lakhs in the form of property in the name of his relations.

Secondly, the diversification was resorted to cover up the blackmarketing. I have got a photo-stet copy of the original letter to prove my contention. It is not that they sold cables only. They got 500 tons of Titamium whereas their requiements were 50 tons only and the rest was sold in blackmarket.

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा आपके पास जो भी साक्ष्य हैं, सी० बी० आई० को भेज दीजिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a *prima facie* case and if the hon. Minister wants, I can quote other cases also where those officers have indulged in irregularities. Hindustan Electric Co. was approved foreign collaboration in one day and same was the case with Jyoti Limited. When the allegations are against a Minister or a Secretary or Joint Secretary, a judical enquiry should be conduced or it may be referred to the Public Accounts Committee. The Officers concerned should be suspended and the Prime Minister should herself take over this Department from the hon. Minister otherwise justice can not be done.

Mr. Speaker: When allegations are to be made against a Minister, there is a Iset procedure for it. you cannot involve him like this during a Call Attention Notice.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री गुप्त ने एक पत्र का उल्लेख किया है, जिसकी वास्तविकता की चुनौती भी दी गई है । इसमें कुछ भाग टाइप किया हुआ है और कुछ भाग हस्तलिखित है, जो बात मेरी समझ में नहीं आती । मेरी समझ में नहीं आता कि इस पत्र से यह कैसे प्रमाणित होता है कि मैंने इस सौदे में कुछ लिया है। मेरी श्री गुप्त को चुनौती है कि यदि उनके पास कोई भी साक्ष्य है, तो वे उसे सी० बी० आई० को भेजें, जो इस मामले की जाँच कर रही है । अन्य आरोपों के बारे में भी इस प्रकार बातें करने की अपेक्षा वे स्पष्ट रूप से विशिष्ट आरोप लगायें, मैं जाँच के लिये तैयार हूँ ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वर्ष 1967 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, का वर्ष 1967 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अँग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 1966-67 के लेखापरिक्षित लेखे ।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1968 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1967-68 के लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1773-69]

इंडिया टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ :

(1) इंडिया टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) इंडिया टूरिज्म डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1774-69]

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1967-68

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1967-68

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं वर्ष 1967-68 के बजट (सामन्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की माँगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है ।

(एक) "कि लोक-सभा द्वारा 7 अगस्त, 1969 को पारित किये गये केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक 1969 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(दो) "कि राज्य-सभा ने 21 अगस्त, 1969 को हुई अपनी बैठक में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1969 को पारित कर दिया है ।"

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL
AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1969 सभा-पटल पर रखता हूँ ।

प्राक्कलन समिति

EASTIMATES COMMITTEE

तिरानब्वेवाँ तथा चौरानब्वेवाँ प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकीनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :—

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)—(एक) गहन समुद्रीय मत्स्य संग्रण संगठन, बम्बई ; और (दो) अवतरण तथा घाट लगाने सम्बन्धी सुविधाओं—के विषय में प्राक्कलन समिति के 40 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 93 वाँ प्रति-वेदन ।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय समुद्रीय मीनक्षेत्र अनुसंधान संस्था, मण्डपम कैम्प—के विषय में प्राक्कलन समिति के 36 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 94 वाँ प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 25 अगस्त, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:—

(1) प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री यशपाल सिंह द्वारा पेश किया जाएगा, पर विचार ।

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री श्रीचन्द्र गोयल तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाएगा, पर विचार ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1969 राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(3) बिहार राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 4 जुलाई, 1969 की उद्घोषणा के अनु-मोदन सम्बन्धी संकल्प, जो गृह-कार्य मन्त्री द्वारा पेश किया जाएगा, पर चर्चा।

(4) वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) निम्नलिखित विधेयकों पर राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में (विचार तथा पास करना)

बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1969 ।

विदेश विवाह विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(विचारतथा पास करना)

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में ।

(6) निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार

(1) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

(प्रवर समिति को सौंपना)

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक, 1969 ।

(प्रवर समिति को सौंपना)

(3) नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969

(संयुक्त समिति को सौंपना)

(7) देश में तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों के बारे में प्रस्ताव पर, जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा 16 मई, 1969 को पेश किया गया था, आगे चर्चा ।

(8) चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा ।

(9) बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा ।

कार्य-मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री उमा नाथ (पुडुकोट्टै) : एक महत्वपूर्ण मद छोड़ दी गई है । पंजाब विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें पंजाब की विधान परिषद् को भंग करने की माँग की गई है तथा वे लोग चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में यहाँ एक विधेयक इस सभा के सत्रावसान से पूर्व पेश किया जाये । परन्तु ऐसा लगता है पंजाब में कुछ जनसंघी लोग इस कार्य में विलम्ब डालना चाहते हैं परन्तु इस सभा को चाहिये कि वह पंजाब विधान सभा तथा वहाँ की सरकार की बात को यथोचित महत्त्व दे । जब वे लोग चाहते हैं तो क्यों न यहाँ इसी सत्र में एक विधेयक पेश किया जाये ?

श्री बि० प्र० मडण्ल (माधेपुरा) : मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ । इसकी सूचना देना मेरे लिये सम्भव नहीं हो सका था । मैंने आज ही इसे सभा-पटल पर रखा है । मैं चाहता हूँ कि इसे फिर से कार्य सलाहकार समिति को लौटा दिया जाये तथा चीनी तथा जूट के विषय पर भी विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बस एक वक्तव्य है । प्रस्तावों पर इसके बाद विचार किया जायेगा । वह जरा कार्य सूची तो देखते ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल कार्य सलाहकार समिति में मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में अगले सप्ताह विचार किया जायेगा । क्या यह बात स्वीकार कर ली गई है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने दें । इसके बाद आप बोल सकते हैं ।

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि यह सभा कार्य सलाहकार समिति द्वारा 21 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत उन्तालीसवें प्रतिवेदन को स्वीकार करती है।"

श्री उमानाथ : क्या उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि पंजाब विधान परिषद् समाप्त-कर्ता विधेयक इस सभा में पेश किया जाये तथा पारित किया जाये ?

श्री रघुरामैया : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूँ कि हम इस मामले अथवा किसी अन्य मामले में जन संघ अथवा किसी अन्य दल से षड़यंत्र कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि मैं माननीय सदस्य की भावना को पूरी तरह अनुभव करता हूँ परन्तु वरीयता देने के बारे में सरकार की भी कुछ कठिनाइयाँ हैं ।

श्री बि० प्र० मंडल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन समिति को वापस भेज दिया जाये (जूट तथा चीनी के बारे में चर्चा करने के समय को शामिल करने के लिए........नेता जी सुभाष चन्द्र बोस तथा शनिवार की बैठक के बारे में सिफारिश रद्द करने की चर्चा को शमिल करने के लिए)

अध्यक्ष महोदय : आप को सब कुछ पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है। आप केवल यह प्रस्ताव कीजिये कि प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति को लौटा दिया जाए । मैं शनिवार की बैठक पर भी आपत्ति करता हूँ। यहाँ विधान सम्बन्धी मामलों की बजाय प्रस्तावों पर अधिक चर्चा की जाती है, अधिक समय दिया जाता है । अतः यह विधेयक कार्य सलाहकार समिति को लौटा दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव कर रहे है कि यह कार्य सलाहकार समिति को लौटा दिया जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : कार्य सलाहकार समिति ने एक घण्टा देने का निर्णय किया है। आपने भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपनी सहमति दी है । मंत्री महोदय इस बारे में सलाह लेना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है ? यह अत्यन्त आवश्यक मामला है ।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : I want to know why the next week's business list which used to include debate on Khudabaksh Oriental Library Bill has been done away

with this time' It is a very significant library and its affairs have been under discussion for the last two years. You could drop it at all but it has alredy been brought on the order Paper. It has been put off every time. It will, therefore, not be proper to leave it this time also.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The hon. Minister may please categorically state whether it would be taken up now or not ?

श्री रघुरामैया : चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में चर्चा के लिए हम समय निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। परन्तु और भी बहुत सी चीजें हैं। कार्य सलाहकार समिति सभी पदों पर विचार करती है तथा समय का निश्चय करती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि सुभाष चन्द्र बोस के बारे में चर्चा सोमवार को होगी। खुदाबख्श ओरियन्टल लाइब्रेरी पर चर्चा भी समय मिलने पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से सहयोग देने की अपील करता हूँ। अगल सप्ताह हमें अनेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधियों, अविलम्बनीय मामलों पर विचार करना है। अतः यह तो मामले की वरीयता पर निर्भर है।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : The Report of the Peru Mal Committee was laid on the table on 10th April, 1969. The hon. Minister had then said that the Report was to be rediscussed in this House. I would like to know the results thereof.

श्री रघुरामैया : यह मामला पिछली बार भी दुहराया गया था परन्तु इस समिति की रिपोर्ट की प्रतियाँ अभी नहीं प्राप्त हुई हैं। उनके प्राप्त होते ही हम उन पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बि० प्र० मंडल का संशोधन सभा में मतदान के लिए रख रहा हूँ। प्रश्न यह है:

"कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन इस समिति को लौटा दिया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रघुरामैया द्वारा प्रस्तुत किया प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा 21 अगस्त, 1969 को प्रस्तुत किए गये उन्तालीसवें प्रतिवेदन को स्वीकार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा 2-30 म० प्र० पर पुनः समवेत् होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म० प्र० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty Minutes Past Fourteen of the Clock.

लोक–सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर बत्तीस मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-two Minutes Past Fourteen of the Clock

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं वित्तीय वर्ष 1969–70 की रेलवे की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1969–70 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० राम सुभग सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

---

26 जनवरी, 1968 को आसाम में हुए दंगों की जाँच के प्रतिवेदन के बारे में

RE : REPORT OF INQUIRY INTO DISTURBANCES IN ASSAM ON 26TH JANUARY, 1968

श्री बेणी शंकर शर्मा (बाँदा) 26 जनवरी, 1968 को अगस्त के गौहाटी शहर में हुए उपद्रवों में जान तथा माल की अपार हानि हुई थी, उस समय राज्य सरकार ने गृह–मन्त्री के सुझाव पर एक न्यायिक जाँच का आदेश दिया था। मेरे विचार में आयोग ने जनवरी, 1969 को अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दे दिया था। उस समय गृह-मंत्री ने कहा था कि प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर वे इस पर कार्यवाही करेंगे। मेरा निवेदन है कि गृह-मंत्री महोदय उस प्रतिवेदन को मँगायें तथा यथाशीघ्र उसे सभा–पटल पर रखें। हमें कम से कम यह मालूम होना चाहिए कि आयोग के निष्कर्ष क्या हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): यह प्रतिवेदन आसाम सरकार को दे दिया गया है और उनको अभी इस पर विचार करना है। जब तक वे इस पर विचार न कर लें तब तक मैं उनसे इसकी प्रति नही मँगा सकता हूँ।

पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE :--AGITATION FOR SEPARATE STATE OF TELENGANA—(CONTD.)

सभापति महोदय : यह सभा श्री कँवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत किए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि यह सभा पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक कदमा उठायें,—गृह-कार्य मंत्री इस पर व्यक्त दें।

गृह-कार्य मन्त्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर यह सभा विचार कर रही हैं। मैं वक्तव्य देने के आरम्भ से ही यह कहना चाहूँगा कि यह सच नहीं है कि भारत सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन है। यह उपद्रव जनवरी के महीने से आरम्भ हो गए थे। हम निरंतर ही स्थानीय लोगों तथा स्थानीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करके सारे मामले की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। यह समस्या स्थानीय कर्मचारियों को गारंटी देने के प्रश्न पर उठी। यह सच है कि विद्यार्थियों ने इस माँग को एक पृथक राज्य की माँग में परिवर्तित कर दिया।

स्थानीय कर्मचारियों को गारंटी देने की समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य मंत्री ने समस्त राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं की एक सभा बुलाई और उन्होंने कुछ आश्वासन दिये। परन्तु अन्य आन्दोलन की भाँति यह आन्दोलन शांत होने के बजाय बढ़ता गया।

जब फरवरी और मार्च के महीने में वह एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर गया तो प्रधान मंत्री ने स्थानीय नेताओं को बुला कर बातचीत कीं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की यह रोजमार्रा की बातें हो गई है कि वह हर समस्या के लिये समिति नियुक्त करती है परन्तु कुछ समस्याएँ तो वास्तव में ही ऐसी होती हैं जिनके लिए समितियाँ नियुक्त करनी पड़ती हैं। ललित समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। यही तो कठिनाई है कि जब हमने समिति को नियुक्त किया था तो कुछ लोगों ने इसके विचारार्थ विषय पर संदेह व्यक्त किया था। जब इस तरह की बातें होती हैं तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति को समस्या की जाँच करने को कहा जाता है जिसको कि इस तरह की समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान होता है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि तेलंगाना की समस्या एक राजनीतिक समस्या का रूप धारण कर गई है। इसका एक भाग प्रदेश की विकास की समस्या से भी सम्बन्धित है।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की समस्या के दो रूप होते हैं पहला राष्ट्रीय और दूसरा स्थानीय। यदि हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या को देखते हैं तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं और कुछ उन्नतिशील भी होते हैं। यह निश्चित ही है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ विकास की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यदि तेलंगाना को एक पृथक राज्य का रूप दे दिया जाये तो क्या वहाँ

का कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि अब से तेलंगाना के प्रत्येक तहसील, जिले का समान विकास होगा ?

प्रश्न यह है कि प्रादेशिक विकास की समस्या को विकास की समस्या के समान सुलझाना चाहिये । इसको राज्य के पुनर्गठन की समस्या नहीं बनाना चाहिए । प्रशासन की ओर से हुई गलती को एक पृथक राज्य बनाने की माँग का आधार नहीं बनाना चाहिये । यदि प्रशासन का कार्य उचित नहीं लगता तो इसको निर्वाचन द्वारा बदला जा सकता है और यदि विकास-कार्य में कोई रुकावट है तो उसे दूर किया जा सकता है ।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह एक स्थानीय समस्या है अर्थात् स्थानीय रोजगार की समस्या । पूर्व समझौते के अनुसार स्थानीय रोजगार की गारंटी 5 वर्ष के लिए दी गई थी । इन 10 अथवा 15 वर्षों में वर्तमान आंदोलन के समस्त नेता आंध्र सरकार में थे ।

श्री एम नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : वे सब कांग्रेसी थे ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं मैसूर मंत्रिमंडल में मंत्री था और मैंने हर स्तर पर इसका विरोध किया था ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आपने निजी तौर पर इसका विरोध किया और अब आप सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे हैं । जब स्थिति संतोषजनक नहीं थी तब आप निजी तौर पर विरोध कर रहे थे और अब आप इसे राष्ट्रीय समस्या बना रहे हैं । आपका राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है । अधिकांश नेताओं को, जो कि उस समय मंत्रिमंडल में थे, यह देखना था कि क्या रोजगार की समस्या सुलझ गई है और क्या उस क्षेत्र का विकास हो रहा है ? अचानक ही जब वहाँ लोगों ने यह माँग उठाई तो वे भी कहने लगे कि यह समयस्या अभी भी विद्यमान है।

राजनीति में तो सब चलता है परन्तु यदि जनता के हितों पर ध्यान रखा जाये तो ऐसा करना ठीक नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आपने महाराष्ट्र के बारे में भी यही किया था ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रारम्भ से ही पृथक महाराष्ट राज्य का समर्थक था । जब संसद् ने द्विभाषी राज्य का निर्णय लिया तो मैंने लोक-सभा के आदेशों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की । परन्तु जब मैंने अनुभव किया कि यह प्रयोग असफल हो रहा है तब मैंने दृढ़ता से अपनी बात कही । यह एक-भाषी राज्य को विभक्त करने की बात नहीं थी अपितु द्विभाषी क्षेत्रों को, जो एक-राज्य बने हुए थे, दो राज्यों में विभक्त करने की बात थी ।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : आप भी शताब्दियों से इकट्ठे रह रहे थे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं मानता हूँ कि तेलंगाना में समस्याएँ हैं । वहाँ रोजगार की समस्या है । उसके लिये जब हमने विधेयक बनाया तब उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया । प्रसिद्ध न्यायविदों की एक समिति नियुक्त की गई, जिसने सिफारिश की कि संविधान

में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजगार की समस्या का प्रशासनिक ढंग से अथवा क्षेत्रीय आधार पर समाधान किया जा सकता है।

श्री एम० नारायण रेड्डी : प्रश्न यह है कि क्या क्षेत्रीय आधार अपनाकर आँध्रवासियों को नौकरियों के लिए प्रार्थना-पत्र देने से रोका जा सकता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक बंगाली को भी आँध्र प्रदेश में नौकरी पाने का हक है। पृथक राज्य बना कर आँध्रवासियों को वहाँ नौकरी पाने से रोका नहीं जा सकता। हम यह स्वीकार करते हैं कि तेलंगाना की समस्याएँ शीघ्र हल करना चाहिये। वहाँ के लोगों की भावनाओं की हम कदर करते हैं। हमें उस क्षेत्र के विकास की समस्याओं का भी समाधान करना है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (स्वम्मम) : विष की बूंद को दूध के पात्र में डालने में कितना समय लगेगा ?

श्री एम० नारायण रेड्डी : आप वाँचू समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित क्यों नहीं करते ?

श्री यशवन्तराव चव्हवाण: समिति के प्रतिवेदन में कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं सदन को उस प्रतिवेदन के निष्कर्ष बताऊँ। क्षेत्रीय विकास, पिछडेपन और वहाँ के रोजगार की समस्याओं का सामाधान हम खोज रहे हैं। वे समझते हैं कि राज्य के मामलों में उनके साथ द्वितीय श्रेणी का व्यवहार किया जाता है। तेलंगाना के बारे में सरकार समझती है कि वहाँ के लोगों की वास्तविक समस्याएँ हैं और उनका रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाना चाहिये।

यह सत्य है कि आन्दोलनों को दबाने के लिये दमन नीति बरती गई। जिन व्यक्तियों की जानें गई अथवा जिन्हें चोटें लगीं उनके लिये मुझे दुःख है। परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि लोगों ने कई रेलवे स्टेशन जलाये, कई थानों पर धावा बोला। तेलंगाना में रहने वाले आंध्रवासियों को इतना आतंकित किया गया कि वे वहाँ से बाहर जाने को विवश हो गये। जब भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है तो लोगों का बहिर्गमन प्रारम्भ हो जाता है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : You have not mentioned the constructive measures proposed to be adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं स्वयं वहाँ गया। प्रधान मन्त्री जी भी गये। मैंने सोचा कि जनता की सभाओं में चर्चा करने की अपेक्षा, आंध्र के, तेलंगाना के, आंध्र सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के नेताओं की सम्मिलित बैठक में समस्या का समाधान खोजा जाये। मैंने उन्हें एक सुझाव दिया था परन्तु यह नहीं कहा था कि वे अपना आन्दोलन वापस लें। यदि मेरे सुझाव के अनुसार बैठक हो गई होती तो मुझे विश्वास है अब तक हम कोई समाधान पा लेते।

Shri Om Prakash Tyagi : The movements never work after suspension.

Shri Y. B. Chavan : You only knew the movements carried on by Jan Sangha. Gandhi Ji initiated so many movements and suspended many of them.Even the generals have to withdraw their forces for a certain time.

श्री जुल्फिकार अली खां (मुजफ्फरनगर) : यह सब तकनीक तो आपसे सीखने चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आपके लिए स्कूल खोलने को तैयार हूँ ।

श्री समर गुह : उनका सम्बन्ध शिवा जी की धरती से है, अतएव वे इस कला से विद् हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे खेद है कि वार्ता के प्रयत्न सफल नहीं हुए । अब यहाँ दो सुझाव रखे गये हैं, एक यह कि एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये और दूसरा यह कि तेलंगाना और आंध्र के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन सबको जेलों से छोड़ कर ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा मैं समझता हूँ ।

श्री पीलू मोडी : जब सम्बन्धी व्यक्तियों के जेल में होते हुए निर्वाचन हो सकते हैं तब चर्चा क्यों नहीं हो सकती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसे मामलों में संसदीय समिति समाधान खोजने में सफल नहीं हो पाती क्योंकि इससे सम्भवतः शीघ्रता में निर्णय लिए जाते हैं ।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) क्या इस भय से आप समिति का गठन नहीं कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हाँ, मुझे भय है कि समितियाँ समस्याओं को उस दृष्टि से नहीं देखती हैं, जिससे उन्हें देखना चाहिये । संसद् इस समस्या पर विचार कर सकता है । यह एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व–सम्पन्न निकाय है । इसे किसी भी समस्या की जाँच करने का पूर्ण अधिकार है । परन्तु यदि आप कहें कि वहाँ एक समिति भेजी जाये, तथा वह बाद में अपने सुझाव पेश करे, तो मैं समझता हूँ कि इस से यह समस्या हल नहीं होगी । मुझे खेद है मैं समिति नियुक्त करने के स्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ ।

जहाँ तक विचार–विमर्श करने का सम्बन्ध है, मैं तेलंगाना के लोगों से अपील करता हूँ कि वे वातावरण को अनुकूल बनायें । भारत सरकार बातचीत करने को सहमत है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या आप हिरासत में लिये गये व्यक्तियों को रिहा करने का वचन देते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अनुकूल वातावरण उत्पन्न होने पर हम अवश्य इस मामले पर विचार करेंगे । उन व्यक्तियों की रिहाई के मामले को भी फिर हमें आंध्र प्रदेश सरकार से उठाना होगा । इस बीच यदि उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया जाता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता । इस समय यह मामला आंध्र प्रदेश सरकार तथा उच्चतम न्याया-

लय के बीच है। परन्तु विचार-विमर्श करने से पहले अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करना जरूरी है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : सामान्य परिस्थितियाँ तथा शांति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय जिन्हें हिरासत में ले रखा है। इसके बाद ही शांति स्थापित हो सकती है। उन व्यक्तियों के रिहा किये बिना सामान्य परिस्थितियाँ उत्पन्न करना बहुत कठिन है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विचार करने के लिये यह भी एक सुझाव है। मेरे कहने का अर्थ यह है विचार-विमर्श करने के लिये शांति स्थापित करना जरूरी है। अनुकूल परिस्थितियों में ही विचार-विमर्श उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत सरकार विचार-विमर्श के विरुद्ध नहीं है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली में हम बात-चीत करने से इंकार कैसे कर सकते हैं? जब हमें पता है कि ये ऐसी समस्यायें हैं जिनसे लाखों लोग सम्बद्ध हैं, तो हम बातचीत करने से इंकार कैसे कर सकते हैं? परन्तु बातचीत को सफल बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने हेतु आप को भारत सरकार तथा आंध्र सरकार की सहायता करनी चाहिए।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Formerly it was agreed by you to send a Committee there. But later on the move was objected to by the Chief Minister of Andhra Pradesh.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उस समय यह कहा गया था कि विधि तथा व्यवस्था की वहाँ क्या स्थिति है, इस बात को देखने के लिए वहाँ समिति भेजी जाये। वह एक भिन्न प्रकार की समिति होती। मुख्य मंत्री ने उस प्रकार की समिति का विरोध किया था। इस समय एक बिल्कुल भिन्न उद्देश्य से समिति भेजने की माँग की जा रही है।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) माननीय मन्त्री ने तेलंगाना सहित छोटे राज्यों का गठन करने के बारे में जाँच करने के लिये एक आयोग का गठन करने के बारे में कुछ नहीं बताया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य फिर एक सामान्य प्रश्न उठा रहे हैं। मेरा उत्तर यह है कि भारत सरकार की नीति राज्यों का विभाजन करते रहने की नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : माननीय मंत्री ने इस मामले के बारे में कोई नई बात नहीं बताई है। गत आठ महीनों में वहाँ कई लाख व्यक्तियों को पकड़ा गया है तथा दमन-चक्र चल रहा है। प्रजातंत्र में दमनचक्र कितनी देर तक चल सकता है? वहाँ आज प्रशासन का अर्थ केवल शक्ति का प्रयोग रह गया है। अतः मैं जानना चाहती हूँ कि आठ महीनों के संघर्ष के बाद भी क्या वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखा जाएगा और दमन चक्र चलता रहेगा तथा क्या यह जरूरी नहीं है कि प्रशासन के ढाँचे में परिवर्तन करने के लिये कोई नया सूत्र निकाला जाये?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि इस बारे में और प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं होगा। माननीय मन्त्री ने सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो कि वाद-विवाद के दौरान उठाये गये थे,

उत्तर दे दिये हैं। अब यदि और प्रश्न पूछे भी जायेंगे, तो उन्हें उन ही बातों को दुहराना होगा, जो वह पहले कह चुके हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है तथा मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना चाहिए अथवा इसी मामले को जारी रखना चाहिए।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : गैर-सरकारी सदस्यों के समय को आप कैसे कम कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के समय को कम नहीं किया जाएगा। केवल हमें 15 अथवा 20 मिनट तक देर से बैठना होगा। श्री कंवर लाल गुप्त वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं। यदि तेलंगाना क्षेत्र का कोई एक माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछना चाहे तो उसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी जाएगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन 13,000 कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता के बारे मे तेलंगाना वालों ने गड़बड़ी आरम्भ की थी, जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया है और क्या तेलंगाना वालों ने आंध्र की आय को तेलंगाना में अथवा तेलंगाना की आय को आंध्र में खर्च करने को कहा था तथा क्या रोजगार के अवसरों की कमी की समस्या तेलंगाना वालों ने पैदा कर रखी है और क्या हम आंध्र की सेवाओं पर कब्जा किए बैठे हैं ? इन सब बातों की जिम्मेदारी किस पर है ? मन्त्री महोदय के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारा दोष हम पर लगा रहे हैं, जब कि वास्तव में दोषी दूसरे पक्ष वाले हैं। सद्भावनापूर्ण भाषण देने की बजाय वह आग में घी डाल रहे हैं। क्या वह यह बतायेंगे कि इन सब बातों की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं आग में घी नहीं डाल रहा हूँ। मैं तो अपने मित्रों की समस्या को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं तो उन्हें शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो रचनात्मक तरीका अपना रहा हूँ। क्या माननीय सदस्य केवल अपने तरीके को ही रचनात्मक तरीके समझते हैं ? मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूँ। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस मामले में गलतियों का जिम्मेदार कौन है ? मै मानता हूँ कि रोजगार तथा विकास के बारे में तेलंगाना के लोगों की शिकायतें उचित हैं और मैंने यह भी नहीं कहा है कि यह समस्या तेलंगाना वालों ने पैदा की है।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं केवल एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वह मेरे साथ सहयोग करें। यदि मैं एक माननीय सदस्य को अनुमति देता हूँ, तो दूसरे को इंकार कैसे कर सकता हूँ ? मैंने कहा था कि तेलंगाना क्षेत्र के एक माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। यदि तेलंगाना क्षेत्र के सभी सदस्यों ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए तो मैं नहीं जानता कि यह वाद-विवाद किस प्रकार समाप्त होगा ?

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक) मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्या प्रश्न पूछने पर बजि़द हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

Shrimati Laxmi Bai : I want to know whether the arrest of the Telangana leaders was pre-planned because they were arrested immediately on reaching Hydrabad after their talks in Delhi. An attempt was made to kill 400 children of Telangana in Andhra Prisons due to which 200 persons were injured and 4 persons were killed. Atrocities are being committed on Telangana people. I want to warn the Government if our demands are not accepted we would fight for separate Telangana till last. Today two million children are not going to schools and their education is suffering. How normalcy can be established in such circumstances ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इन बातों का क्या उत्तर दे सकता हूँ ? मैं इस मामले में माननीय सदस्या की भावनाओं का समझता हूँ तथा उनकी भावनाओं से सहमत हूँ । फिर भी हमें तथ्यों के बारे में सही होना चाहिए । कोई आदमी किसी का कत्ल नहीं करना चाहता है । दुर्भाग्यवश पुलिस को कुछ मौकों पर गोली चलानी पड़ी है तथा लाठी–प्रहार करना पड़ा है । कुछ आदमी जेल में भी हैं । मैं स्वयं इन बातों से खुश नहीं हूं, परन्तु प्रशासन को कुछ मामलों में कार्यवाही करनी पड़ती है ।

श्री नारायण रेड्डी : मैं अधिक समय नहीं लूँगा ।

सभापति महोदय : अनेक सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी । श्री नारायण रेड्डी को भी अनुमति देने में मुझे कोई कटिनाई नहीं है परन्तु समस्या यह है कि अन्य कई सदस्य भी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अतः उन सभी को भी अनुमति देना पड़ेगी । तेलंगाना क्षेत्र के लगभग सभी सदस्य वाद–विवाद में भाग ले चुके हैं । इस विषय पर बोलने के लिए और भी कई अवसर मिलेंगें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The hon. Minister of Home Affairs has admitted in his speach that regional economic imbalance is there. I want to know what they have done during the last fifteen years to remove this economic imbalance. I would say that they have not made any objective assessment of the situation. The people of Telengana are faced with the problems of under-development. Unemployment, lack of irrigation facilities and so on. Nothing has been done to solve all these problems. The people are being oppresed in many ways.

I visited Andhra Pradesh a few days back as a member of one Committee. During my visit to that State I enquired from many people as to whether they like to have separate State of Telangana. All the people replied in affirmative. As I have stated earlier I am not in favour of a separate Telangana but the Government should also not adopt British approach to this problem and should not say that some goondas or vested interests are behind this movement. Levelling of such allegations will not help in improving the situation. Confidence should be restored in the people.

In this connection I would submit that all the detained persons should be released. The present Chief Minister should be asked to resign his post. That will help in creating a peaceful atmosphere in that State. After that we along with the leaders of Telengana should ask the people to suspend the agitation. I am sure they will accede to our request. The Government then may hold talks with the leaders to solve their problem.

श्री नारायाण रेड्डी : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मेरा संशोधन अध्यक्ष द्वारा एक समिति नियुक्त किये जाने के बारे में है। पिछली बार माननीय मंत्री ऐसी समिति बनाये जाने के लिये सहमत हो गए थे।

सभापति महोदय : यदि सभा इस सम्बन्ध में समिति नियुक्त करने का निर्णय करती है तो अध्यक्ष निश्चय ही ऐसा करेंगे। इस बात का निर्णय सभा को करना है कि समिति नियुक्त की जाये अथवा नहीं। क्या मैं सभी संशोधन एक साथ सभा में मतदान के लिए रख सकता हूँ ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापटनम): मेरा संशोधन अलग से सभा में मतदान के लिए रखा जाए।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : गृह–कार्य मंत्री ने वाद-विवाद का जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है। अतः हम सभा से बाहर जाते हैं।

श्री जी० वेंकटस्वामी (सिद्दीपेट) : हम गृह–कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री नारायण रेड्डी : माननीय मंत्री ने पिछले अवसर पर जो वचन दिया था वह उससे मुकर गये हैं।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मै गृह-मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट हूँ अतः मै सभा-भवन का त्याग करता हूँ।

श्री वेंकटस्वामी (सिद्दिपेट) : हम गृह मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट हैं।

इसके पश्चात् डा० मेलकोटे, श्री जी० वेंकटस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

Dr. Melkote, Shri G. Venketaswamy and some other hon. Members then left the House.

सभापति महोदय द्वारा श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : मैं श्री नारायण रेड्डी का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री नारायण रेड्डी : गृह-कार्य मंत्री ने मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया है अतः मै इसके विरोध में सभा से उठकर बाहर जाता हूँ। मै विरोधी पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे मेरा साथ दें।

इसके पश्चात् श्री नारायण रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये ।

Shri M. N. Reddy and some other hon. Members then left the House.

सभापति महोदय द्वारा श्री नारायण रेड्डी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : मैं श्री तेन्नटि विश्वनाथम का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूँ :—

सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 19	**विपक्ष में** 113
Ayes 19	**Noes** 113

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 4 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and negatived

सभापति महोदय : मै श्री कंवर लाल गुप्त का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ ।

Shri Kunwar Lal Gupta : As the Government has not accepted any reasonable suggestion we walk out of the House in protest.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

> "कि यह सभा पृथक तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है तथा सरकार से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक कदम उठाए ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : कुछ सदस्यों द्वारा इस आशय का वक्तव्य दिया गया है कि आंध्र के जेलों में 2,000 बच्चे हैं और कि उनके मारे जाने की शंका है अथवा वे मारे जा रहे हैं । मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से यह अश्वासन चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी तथा वे यह भी बताये कि क्या यह बात सत्य है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही कहा है कि इस वक्तव्य का कोई आधार नहीं है।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1969

(धारा 13 और प्रथम अनुसूची का संशोधन)

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) BILL 1969

(Amendment of Section 13 and the First Schedule)

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूँ।

कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1969

(Amendment of 8th Schedule)

Shri Maharaj Singh Bharti : "I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Maharaj Singh Bharti : I introduce the Bill.

विदेशी दान तथा सहायता विनियमन विधेयक, 1969

FOREIGN DONATIONS AND REGULATIONS BILL, 1969

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the control and regulation of foreign donations and aid".

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी दान तथा सहायता पर नियंत्रण तथा उसके विनियमन के लिए उपबन्ध रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri O. P. Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1969

(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1969

(Amendment of First Schedule)

Shri George Fernandes : (Bombay South) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 4, 80 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Shri Shiv Chander Jha : (Madhubani) : In this Bill, I have sought to change the system of representation in Rajya Sabha on population basis. Each State and Union Territory should have four representatives in Rajya Sabha. In the Constituent Assembly Professor K. T. Shah and Shri Loknath Mishra had fought for uniform repesentation of States in Rajya Sabha.

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M.B. Rana in the Chair]

While presenting the report of Union Constitution Committee, Shri T. T. Krishnamachari said that since the question of reconstituitng of States is yet to be decided, the representation in Rajya Sabha has been decided on population basis.

The upper houses in U. S A., Australia, Switzerland and U. S. S.R are represented on the basis of States. It U. S. A. equal representation was given to the States to give it a national character. Similar is the position with regard to Australia and Switzerland. Shri D. D. Basu in his commentary on the Constitution says that our Constitution is not strictly federal and the basis of safeguard for the States is absent. In order to bring a feeling of equality in the State, it is necessary that their representation in Rajya Sabha should be on the basis of equality

We should have four representatives of each State and Union Toerrtory in the Rajya Sabh This will make total representatives of Stats, and Union Territories equal to 88 and 12 Member to be nominated in Rajya Sabha maling in all 100 members. This will also reduce the expenditure by 50 per cent. If you we sincere for the cause of socialism and demoracy, the only way *is to* bring equality in the matter of representation to Rajya Sabha.I request the House to accept the *Bill.*

श्री बेदव्रत बरुआ : हमें संघ को वास्तविक संघ बनाना चाहिए। छोटे राज्यों पर बड़े राज्यों का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जब तक संघ में शामिल एककों को समान न माना जाये तब तक कोई वास्तविक संघ नहीं बन सकता।

वास्तविक प्रश्न यह है कि राज्यों के गुटों से केन्द्र को कैसे बचाया जाये ? यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो छोटे राज्य राज्यों के गुटों के दास बन कर रह जायेंगे। तेलंगाना बनाने का विरोध इस कारण किया जा रहा है कि इससे एक बड़े राज्य का विभाजन हो जायेगा। आन्ध्र के विभाजन की माँग करने वालों का स्वागत करने की बजाय हमने उन पर गोलियाँ चलाई।

यह एक रचनात्मक सुझाव है। भारत में क्षेत्रीय और अन्य संकीर्ण भावनाएँ बहुत प्रबल है। हमें बड़े तथा छोटे राज्यों में एकता उत्पन्न करनी है। अब राज्यों के बीच अनेक झगड़े चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों में विषमता को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि हमें बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बाँट देना चाहिए। इससे खर्च नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं जानता कि क्या कम्युनिस्ट इसका समर्थन करेंगे अथवा नहीं ?

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : Sir, I oppose the Bill moved by Shri Shiva Chandra Jha. The hon. Member has quoted extensively from the proceedings of Constituent Assembly. He contended that all the States should have equal respsreentation in Rajya Sabha. He has given examples of U. S. A. and Australia in this connection. I cannot understand as to why we should think of other countries for such matters. Here we have as big States as U. P. and as small states as Nagaland. How can we give equal representation in such cases ?

The hon. Member has put forward a demand for creation of a new State of Mithila in Bihar, I also come from that area and know whether people of that are want a State to be formed or not I can say that people do not want a State like that. Just possible that certain individuals might want a separate State of Mithila.

The reorganisation of states of our country has been on a very unscientific basis. I do not believe that it is on linguistic basis. The states of Bihar, U. P., M. P., Rajasthan and Haryana have Hindi as their language. This entire area should have been a single state if basis was to be one language. I feel we should reorganise our country. The basis should be administrative importance. In that case this Bill would be wroth supporting. In the present circumstances we cannot give uniform representation to states in Rajjya Sabha. On the basis of these things I oppose this Bill.

Shri Onkar Lal Bohra (Chitorgarh) ; Sir, I support this Bill, which seeks to amend the Constitution. At the time of integration of states it was agreed that states would be reorganised on the basis of linguistic, cultural etc. affinities. Now we see that regional feelings have become very intense and it is proving harmful. It would the better if backward regions are paid special attention. The poorer sections of society should be provided more facilities and assistance.

We have given representation to people on the basis of population in Lok Sabha. Rajya Sabha represents the states.

All states sould be treated on equal footing. In countries like U. S. A., Switzerland and Australia, they have equal representation for states in their upper Houses. We should also adopt this. It will remove the tendency of exerting pressure on smaller states by big states.

I feel that we should carve out small states in the country. These states should not have any Legislative Assemblies. This Parliament should administer these states. It will help in making the country powerful and it will march forward towards economic progress.

At present the biggest need is the ending of economic imbalances, otherwise problems like Telengana and Vidarbha will be there before us. The main problem today is that of backwardness of certain areas. An expert committee should be appointed to go into this problem and suggest measures for improving the lot of these unfortunate areas.

श्री जी० विश्वनाथ (वंडीवाश) : इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में संशोधन करके राज्यसभा का पुनर्गठन करना है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। एक संघ प्रणाली के देश में राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता होना बहुत आवश्यक है। हमारा संविधान उसी प्रणाली पर आधारित है। डी० एम० के० पार्टी इस विधेयक के समर्थन में है। हमे सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को एक समिति को सौंपा जाये जो इसके सभी पहलुओं पर विचार करे और राज्यों की राय भी जाने।

मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा है कि अमरीका में सभी छोटे बड़े राज्यों को ऊपरी सदन में बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। परन्तु हमारे यहाँ पर और 34 का अन्तर है। उत्तर प्रदेश के राज्य सभा में 34 सदस्य है और त्रिपुरा का केवल एक है। केरल के केवल 9 सदस्य हैं।

यह चर्चा का विषय है और इस विषय के बारे में समिति अध्ययन कर सकती है कि क्या संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए या संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों को निर्धारित स्थान दिये जाने चाहिये और क्या संघ राज्य क्षेत्रों और

राज्य सरकारों के इस विषय पर विचार प्राप्त किये जा सकते हैं। संविधान को संघीय बनाने की दिशा में यह पहला कदम होना चाहिए। जमरीका में राज्यपालों का चुनाव होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह समारे संविधान में कहाँ तक उपयोगी होगा। हमारे देश में मुख्य मंत्रियों का चुनाव होता है। सभा को इस विधेयक को सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लेना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohatak) : In our country Rajya Sabha has got very limited powers. It does only an advisory function. The members of the Rajya Sabha have no powers.

Every state in our country should be given equal status. There should be uniform representation for all the States. It will be better if two Members are taken from each State in Rajya Sabha. The Government should pay attention in this matter. I am of the view that there should not be Prime Minister in the States . It is because so many Members of Parliament come from different States and no one from Pondichery or Haryana can be the Prime Minister because very few members come from there. This Bill should be examined from national, legal and other levels.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : This Bill should be seriously considered. It should not be passed in hurry. People in Rajya Sabha are elected on the basis of caste, language and region. As a result of it generally the capable people are not elected.

There should be a change in the strucutre of Rajya Sabha. At present representation in the Raja Sabha is made on the basis of parties. Experts from every line should have representation in the Rajya Sabha. In my opinion half of its members should be experts.In that case they will be able to give expert opinions in every matter. Unfortunately disintegration is in progress in our country. If every State has four representatives in Rajya Sabha, every district will become a State .

We believe in democracy and we want that democracy should be given its appropriate place. Majority should be taken as authority. The division of the country should not be done on the basis of languages etc. All the langauges in the country should equally be given protection.

There should be five zones in our country. I believe in unitary form of Government. We must have the feelings that all should have equal rights. A decision on the Bill should be taken after due consideration.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I fully support the Bill presented by the Hon. Member. But I fear that it may not have bad effect. At present members in the Rajya Sabha are elected on the basis of the population of a relevant State. It is suggested in the new amendment that equal representation to all States in Rajya Sabha should be given. It will result in distintegration.

During the last three Five Years' Plan, attention has not been paid towards the development of backward areas.

Government snould pay proper attention towards the development of backward areas. It is necessary that the whole country should be united in solving the problems of backward people. A large sum of money should be spent on their development. Their demand should be met so that they may not have the feeling that attention in not being paid to solve their difficulties. In case their difficulties regarding health, communication etc. will be listened to and and they may be provided appropriate facilities, nobody in our country will be interested in disintegration. We do not want that our country is disintegrated. Our country has remained

united in the past also. The need of the hour is that we should work with national spirit. We have to take care of backward areas and take special steps for their development.

With these words I oppose this Bill and hope that hon'ble Member would withdraw the same.

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु मेरे विचार में इससे देश के राजनीतिक ढाँचे में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। यह ठीक है कि निकट भविष्य में राज्य सभा में विरोधी दलों का बहुमत हो जायेगा। इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने से हमें केन्द्रीय सरकार में शक्तियों के केन्द्रित हो जाने के बारे में विचार करने का अवसर मिला है।

इस देश में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीकरण बढ़ता रहा है। प्रत्येक राज्य को इस बात की शिकायत है कि उनकी आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये राज्य सोचते है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिल रही है। एक बार गृह-कार्य मंत्री ने सभा में कहा था कि यदि सभी राज्यों की उपेक्षा की जा रही है तो इस देश के संसाधन और हमारा राजस्व कहाँ जाता है, परन्तु यह भावना अब भी विद्यमान है।

मैं चाहता हूँ कि सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। हमें इस प्रकार की भावना समाप्त करनी चाहिये क्योंकि इस भावना के रहते हम प्रगति नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार की भावना बनी रहती है तो इसका अर्थ यह है कि हमारे राजनीतिक ढाँचे में कोई मूल त्रुटि है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के मन से इस संदेह का निवारण कर देना चाहिये कि उनमें से किसी समुदाय विशेष अथवा किसी भाषा-भाषी ग्रुप का शोषण किया जा रहा है। जब तक हम इस प्रकार की भावना को निर्मूल नहीं करते तब तक इस देश में वास्तविक एकता और शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को वित्तीय शक्तियाँ अधिक दी जायें। राज्यों के मुख्य मंत्री भी इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् में उठाते रहे हैं। हमारा विचार यह है कि जब तक इस ढाँचे में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक हम किसी प्रदेश को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों में एक जैसे विभाग स्थापित किये गये हैं जिन पर दोहरा खर्च किया जाता है और जो अनावश्यक है। इन बातों पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

कुछ लोग कहते है कि भारत एक है और वह एक महान् राष्ट्र है, आदि। परन्तु फिर वे शिकायतें भी करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मन में सारे देश का नहीं बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के हित का ध्यान रहता है। हम इस बात को छिपा नहीं सकते कि ऐतिहासिक एंव सांस्कृतिक तथा अन्य कई रूपों में हमारे हित भिन्न-भिन्न हैं। इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम अपनी जनता के विभिन्न वर्गों के मन से संदेह तथा असंतोष को कैसे दूर कर सकते हैं ?

हमें देश के प्रत्येक राजनीतिक दल पर विश्वास रखना चाहिए कि वे देशभक्त हैं। उन पर किसी प्रकार का संदेह करना हमारे देश की अखण्डता के लिये हानिकारक है।

आज भी हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेश का यह दावा है कि वे देश के सच्चे भक्त हैं। यदि हम इस देश की अखण्डता चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की भावना त्याग देनी चाहिए।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह देश एक नहीं है। हम इस देश को अखण्ड रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत महान् तथा कठिन कार्य है। जो लोग राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की माँग करते हैं वे भी इस देश की अखण्डता के उतने ही समर्थक हैं।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : This Bill is an important one and I support it. Today every section of the society in the whole world is demanding their rights. This Bill has been introduced with a view to remove the anomaly in representation of the States. All of us believe that ours is a democratic country and it should remain integrated. All the States, big or small, should get equal representation in the Council of States. In the present system of proportional representation some States are dominated in Rajya Sabha. This is a fact. All the areas could not be developed equally because of historical and geographical reasons. The reasons behind this imbalanced development is capitalism. If equal development takes place then capitalist system cannot exist. In spite of all this we are in favour of integration of the country.

We should create an atmosphere in which people should feel that though representation in Lok Sabha is on the basis of population, there is equal representation in Rajya Sabha. This is necessary for the integration of this country. This is wrong to suggest that it will encourage disintegration of the country.

In view of above I suggest that this Bill should be referred to Select Committee. All the political parties have supported this Bill in one way or the other and therefore propriety of the Bill cannot be denied. Therefore this Bill should be referred to Select Committee for further consideration.

श्री रा० डो० भण्डारे (बम्बई–मध्य) : सभापति महोदय! विधेयक प्रस्तुतकर्ता एवं अन्य वक्ताओं ने उन ऐतिहासिक तथा भू–राजनीतिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें संविधान की रचना हुई थी।

अमरीका और हमारे देश की परिस्थिति नितांत भिन्न थी। वहाँ पर दो विचार धारायें कार्य कर रही थीं। एक विचारधारा के अनुसार इन राज्यों को पूर्ण अधिकार देना चाहिए था तथा अन्य के अनुसार अधिकतर अधिकार संघ के हाथों में रहते थे। इसी पारस्परिक संघर्ष में उन्होंने वरजीनिया योजना स्वीकार की। इस योजना का अर्थ यह है कि राज्यों की अलग सत्ता रहने पर भी उनका एक संघ हो। अतः अमरीका के सविधान में लोगों की समानता तथा राज्यों की समातना पर बल दिया गया।

किन्तु हमारे देश में ऐसी परिस्थिति विद्यमान नहीं थी। संविधान की रचना के समय पहला प्रश्न यह था कि भारतीय जनता तथा उस समय के भारतीय राज्यों को कैसे सुसंगठित किया जाय?

अतः हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस समय यही उचित समझा कि देश में केवल एक प्रकार की समता ही स्वीकार की जाय और वह समता जनता की समता थी। उन्होंने राज्यों की समानता को अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 325, 326 और 327 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया।

राज्यों को समानता देने के लिए यह आवश्यक है कि उनका आकार भी समान हो किन्तु मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी राजनीतिक यह नहीं चाहेगा कि वर्तमान राज्यों का और भी विभाजन किया जाय जिससे सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। अतः देश की भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देख कर मैं इस उपाय का विरोध करता हूँ।

राज्य सभा से अल्प संख्यकों को कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है किन्तु यदि विधेयक में दिये गये सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो उनको किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ?

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : राज्यों को समान अधिकार देने का सिद्धांत सराहनीय है किन्तु स्वयं संविधान में इस विषय में असमानता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संघ राज्य क्षेत्रों के विधायकों को मत देने का अधिकार नहीं है यद्यपि राज्य सभा के सदस्यों को ऐसा अधिकार प्राप्त है। अब संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को लाया गया है, किन्तु मैं समझता हूँ कि इस संशोधन से भी असमानता को दूर नहीं किया जा सकता।

राज्य सभा के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि उसका संघवाद से क्या सम्बन्ध है ? वास्तव मे राज्य सभा का क्षेत्रीय विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः सबसे पहले इस को समाप्त कर देना चाहिए तथा इसके स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। साथ ही अधिकतम क्षेत्रीय स्वायत्तता लानी चाहिए। इन दोनों सिद्धातों को लाये बिना समानता नहीं लाई जा सकती। यदि हम वर्तमान राज्य सभा के अधिकारों की ओर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि उनके कोई अलग अधिकार नहीं हैं। कहा जाता है कि राज्य सभा बनाने का उद्देश्य यह है कि जो अग्रज चुनाव लड़ कर नहीं आ सकते उन्हें अवसर दिया जा सके। किन्तु मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अग्रज भी चुनाव लड़ कर आ सकते हैं तथा आने चाहिएँ।

यह भी कहा जाता है कि राज्य सभा से विधान बनाने की जल्दबाजी पर नियंत्रण रहता है। किन्तु हमारे देश में इस बात का कोई भय नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि राज्य सभा को हारे हुए राजनीतिज्ञों को स्थान देने के लिये बनाया गया है। अतः राज्य सभा का विलयन होना ही चाहिए।

दूसरे राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए अर्थात् वैदेशिक कार्यों, सुरक्षा तथा संचार आदि जैसे विषयों को छोड़ कर अन्य विषयों को राज्य सरकारों को सौंपना चाहिए तथा उन पर केन्द्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से राज्यों की वित्तीय व्यवस्था भी समंजित हो जायगी। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को इतनी मात्रा में कर लगाने का अधिकार होगा जितनी मात्रा से ये तीनों मंत्रालय चलाये जा सकें। इसके अतिरिक्त सभी

अधिकार, यहाँ तक कि कर लगाने का अधिकार भी राज्य सरकारों को मिलने चाहिए। अतः हमें राज्य सभा को समाप्त करके रूस के हाउस ऑफ नेशनेलिटीज के आधार पर कोई सभा नियुक्त करनी चाहिए तथा उसे क्षेत्रीय विकास तथा संघीय स्वरूप से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने की शक्ति मिलनी चाहिए।

विधि तथा समाज-कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभापति महोदय ! यदि छोटे और बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले तो इसमें मुझे भी प्रसन्नता होगी। मैं अधिक ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता किन्तु जहाँ तक राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने का प्रश्न है तो ऐसा करने के लिये सातवीं अनुसूचो में विषयों के वितरण के बारे में परिवर्तन करना पड़ेगा। किन्तु इससे बहुत सी समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं।

यदि श्री उमानाथ के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाय तो असम, उड़ीसा तथा केरल आदि राज्यों से प्राप्त आयकर की मात्रा बहुत थोड़ी होगी। इसी कारण संविधान बनाने वालों ने यही उपयुक्त समझा था कि आय-कर उघाने का कार्य केन्द्र सरकार के हाथों में रहना चाहिए जिसे बाद में विभिन्न राज्य सरकारों में उचित रूप से बाँटा जा सके। जहाँ तक अधिकारों के परिवर्तन का सम्बन्ध है यह उत्पादन-शुल्क, आयात तथा निर्यात आदि सभी पर लागू होता है। वास्तव में ये अधिकार केन्द्र के ही हाथों में रहने चाहिए क्योंकि इनसे विभिन्न राज्यों में राजस्व का आवंटन उचित रूप से होता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों को देखते हुए इन अधिकारों को राज्यों को सौंपना उचित नहीं है। अब तक जितने भी वित्त आयोग नियुक्त किये गये हैं उन सभी ने राज्यों को अधिक से अधिक राजस्व प्रदान करने की सिफारिशें की हैं।

श्री झा ने अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 4 तथा अनुसूची iv में संशोधन करने की माँग की है अतः मैं उन्हीं तक सीमित रहना चाहता हूँ।

श्री भण्डारे ने ठीक ही कहा कि जब संविधान बनाया गया था तब इन राज्यों की कोई सत्ता नहीं थी किन्तु संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना करके संविधान बनाया था कि उसमें उल्लखित राज्यों की अपनी सत्ता विद्यमान थी।

1957 में मद्रास के दो भाग हो गये। 1956 में देश की राजनीति में भारी उथल-पुथल हुई, राज्यों का पुर्नसंगठन हुआ तथा बम्बई भी गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभक्त हो गया। उसके पश्चात् पंजाब तथा हरियाणा भी दो भिन्न राज्य बन गये।

तेलंगाना राज्य की माँग भी बड़े जोरों से सुनाई दी गई थी। जब अमरीका का संविधान बनाया तो वहाँ भी यह परिस्थिति नहीं थी तथा हमने वहीं के संविधान का अनुसरण करने का प्रयत्न किया है।

यदि आप अपने संविधान के अनुच्छेद 80 को देखें तो आपको विदित होगा कि राज्य-सभा के सदस्यों को प्रतिनिधियों के नाम से उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोक-सभा के सदस्यों को सदस्य कहा जाता है। इसलिए हम ऐसा प्रबन्ध

करना चाहते थे जिससे राज्य-सभा में विभन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व होता और लोक-सभा में देश की जनता का प्रतनिधित्व होता ।

यद्यपि मूल संकल्पना यही थी फिर भी राज्य-सभा एक सामान्य उच्च सदन है और उसमें अमरीका की सीनेट की तरह कोई विशेषता नहीं हैं । राज्य सभा को वित्त सम्बन्धी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और प्रत्येक विधान को वहाँ भेजना पड़ता है और यदि कोई संशोधन करना होता है तो वह वहाँ से वापिस लाया जाता है ।

इस समय श्री झा का सुझाव व्यावहार्य नहीं है क्योंकि जब भारत संघ-राज्य बना और संविधान लागू हुआ तो यह सोच कर हमने इस संविधान को अपनाया कि मानो ये राज्य पहले से ही बने हुए चले आ रहे हैं । वर्तमान काल में अमरीका के संविधान के अन्तर्गत वहाँ राज्यों की सत्ता स्थायी है ।

अमरीकी संविधान के अन्तर्गत उस राज्य की कांग्रेस तथा संघ की कांग्रेस के मतैक्य के बिना वहाँ किसी नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता । परन्तु भारत में संविधान के संशोधन किए बिना साधारण संसदीय विधान के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, राज्य को समाप्त भी किया जा सकता है तथा राज्यों को घटाया-बढ़ाया जा सकता है । भारतीय संविधान के अन्तर्गत जितने राज्य हैं वे सब संसदीय विधान की सृष्टि मात्र हैं । परन्तु अमरीका के राज्यों की सत्ता वहाँ के संविधान के अपनाने से पूर्व स्थापित हो चुकी थी ।

अतः भारत के राज्यों को हमें अब एक प्रकार का स्थायित्व प्रदान करना चाहिये जो अभी तक नहीं हो सकता है । इसके लिए हमें सर्वप्रथम अनुच्छेद 3 तथा 4 को विखण्डित करना होगा जिससे नई माँगें उत्पन्न न हो सकें ।

इस बात को देखने के लिए प्रयत्न किया गया है कि बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक न होने पाए । कहा गया है कि 50 लाख तथा उससे कम की जनसंख्या वाले राज्यों से एक प्रतिनिधि हर दस लाख की जनसंख्या से लिया जाए और यदि जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो तो एक प्रतिनिधि 20 लाख की जनसंख्या पर हो । इस सूत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक नहीं है । इसको कम किया जाएगा और छोटे राज्यों में से अधिक प्रतिनिधि लिए जायेंगे । परन्तु संघीय सिद्धान्त को अपनाने के प्रयास से पूर्व इन राज्यों को स्थायी सत्ता प्रदान करना आवश्यक है ।

जब यह कहा जाता है कि संविधान में आरम्भ से ही असमानता विद्यमान है तो वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं है । ये संघ राज्य क्षेत्र लोक-सभा में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं परन्तु अन्य सदस्यों की अपेक्षा इन सदस्यों को बहुत कम लोगों का प्रनिनिधित्व प्रदान है । राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिए गये मतों का मुल्यांकन करने के लिये हम उन लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हैं जिनका कि सदस्य यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं । परन्तु लोक-सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का बराबर मूल्य है । संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के लिए भी पूरक तत्व विद्यमान है ।

कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाएँ नहीं हैं। फिर भी लोक-सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य बराबर है।

हमारे संविधान के अनुसार भारत राज्य-संघ है और इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यों के प्रतिनिधि लोक-सभा में मतदान करते हैं परन्तु यह एक प्रकार की अप्रासंगिता है। अत: इन बातों को देखते हुए मैं श्री झा से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विधेयक को वापस ले लें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) . I am not satisfied with the reply given by the hon. Minister. Most of the hon. Members have supported this Bill and I am of the view, like others, that this Bill should be referred to the Select Committee for further consideration. Consent of the State Governments should also be taken on this matter and a way should be found out.

Instead of considering the statement given by Shri Krishnamachari that the organisation of the States was not still final, Government is organising Rajya Sabha on the basis of the report of the Constituent Committee. But Shri Krishnamachari accepted the need to bring out changes in the matter of Federal Government. National movement was on its full swing and the national leaders were amongst the framers of the Constitution in the Constituent Assembly and they were eager to have their own Constitution.

States one indestructible in America. But the question of having equal representation from the States was raised in the Senate because America was not a Nation, but it was made a Nation under the Constitution and it was strengthened on the basis of equal representation.

In India also you will have to bring the concept of equality in the matter of centralisation for the purpose of strengthening the Nation. The States are now thinking that they were not being treated on equal footing. Therefore relations between Centre and the States are deteriorating. It is necessary to go into the root cause of these problems. Democracy will be strengthened if smaller States are created and equal representation is given to them in the Rajya Sabha. This matter should be referred o the Q. E. D. about which the hon. Minister has not stated.

Rajya Sabha is a House of Representatives of the States and therefore these representatives from the various States should have equal representation and equal powers. If we adopt the principle of equal representation the representatives from the small State like Nagaland and the big State like Uttar Pradesh would have the feelings of equality in their minds .

If representation is given on the bssis of population, the Union territories would have less representation and it may also be possible that they may not have the representation at all. I therefore, urge Government that this matter should be referred to a Committee to consider this matter of giving representation to the various States on the basis of equality.

सभापति महोदय : चूंकि यह संविधान-विधेयक है, इसलिए इस पर विभाजन द्वारा मतदान होना चाहिये। प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है : पक्ष में–8; और विपक्ष म–66; प्रस्ताव पर विचार करने के लिये अपेक्षित मत नहीं मिले। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सरकारी उपक्रम (करारों का अनिवार्य अनुमोदन) विधेयक

PUBLIC UNDERTAKINGS (COMPULSORY APPROVAL OF AGREEMENTS) BILL

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ,

"कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किए गए करारों का एक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य छानबीन तथा अनुमोदन के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा तदनुषांगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य रहा हूँ तथा उसी अनुभव के आधार पर मैं यह विधेयक सभा में लाया हूँ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किये जाने वाले करारों की वित्त मंत्रालय द्वारा जाँच–पड़ताल कीजानी चाहिए तथा अन्तिम रूप से उनका अनुमोदन करना चाहिए ताकि इन करारों में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और इन उपक्रमों को हानि से बचाया जा सके।

पिछले अनुभव से यह बात सामने आई है कि अनेक सरकारी उपक्रमों ने विदेशी सहयोगकर्ताओं या स्थानीय पार्टियों के साथ करार किये किन्तु बाद में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा अन्य समितियों द्वारा जाँच–पड़ताल करने पर पता चला है कि इन करारों में अनेक त्रुटियाँ थीं। इन त्रुटियों के कारण इन उपक्रमों को या तो धन सम्बन्धी बहुत हानि हुई या फिर इनमें खराब और पुरानी मशीनों की सप्लाई के कारण इनको हानि उठानी पड़ी। इसका एक उदाहरण ट्रावनकोर फर्टिलाइजर्स द्वारा किया गया करार हैं। यद्यपि प्रारंभिक अवस्थान में वित्त मंत्रालय ने इस करार अनुमोदन किया था किन्तु उसे अन्तिम रूप स्वयं उपक्रम ने दिया था जिसके कारण उसमें अनेक त्रुटियाँ रह गईं और उपक्रम को भारी हानि उठानी पड़ी।

अतः यह आवश्यक है कि करार करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए : करार उचित कानूनी रूप में होना चाहिए, करार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सहयोगकर्ताओं को अपने कुछ बचनों का पालन करना होगा और ये बचन समय पर पूरे किये जाने चाहिये, मशीनों की सप्लाई समय पर हो, कारखानों का निर्माण तथा उत्पादन समय पर हो। यदि करार के अनुसार ऐसा नहीं होता है तो सहयोगकर्ता के लिये जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इन सब बातों से औद्योगिक उपक्रमों का कार्य सुचारु रूप से चलता है। अन्य बातों का भी सामान्यतः पालन किया जाना चाहिये। यदि सरकारी उपक्रमों में किसी बाह्य प्रभाव के कारण ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा किए जाने वाले करारों में कमियाँ रह जाती हैं जिनका प्रतिकूल परिणाम होता है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : अब आधे घंटे की चर्चा ली जानी चाहिए। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन पूरा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हाँ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : गैर-सरकारी सदस्यों को $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय दिया जाता है जो कि 6 बजे समाप्त होता है। अतः इस पर चर्चा 6 बजे तक जारी रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपके विधेयक पर चर्चा आज पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए एक घंटा नियत किया गया है। अतः माननीय सदस्य अगले दिन इस विधेयक पर बोल सकते हैं।

दिल्ली में नेताजी संग्रहालय**

NETAJI MUSEUM IN DELHI

श्री समर गुह (कन्टाई) : सभापति महोदय ! दिल्ली में नेताजी संग्रहालय के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 984 के उत्तर में शिक्षा मंत्री महोदय ने बताया था कि कलकत्ता स्थित नेताजी स्मारक संग्रहालय को समृद्धि बनाना अधिक अच्छा होगा। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि कलकत्ता स्थित संग्रहालय का नाम नेताजी स्मारक संग्रहालय नहीं है। मैं शाहनवाज आयोग के इस निष्कर्ष की सत्यता पर विश्वास नहीं करता हूँ कि नेता जी अब जीवित नहीं हैं। जनता भी मुझसे सहमत है और धीरे-धीरे सरकार भी कुछ अंश तक इस इस विचार से सहमत होती जा रही है कि शाहनवाज खां आयोग के निष्कर्ष संदेहास्पद हैं और इसी के परिणामस्वरूप वह इस सम्बन्ध में नये सिरे से जाँच कराने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

गाँधी जी ने हममें सहिष्णुता की भावना पैदा की थी और नेता जी ने सेना में देश की आजादी के विद्रोह की ज्वाला प्रज्ज्वलित की थी और गाँधी जी एवं नेता जी के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली है। लन्दन में ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालय में फील्ड मार्शल आकिनलॉक द्वारा श्री एटली को लिखा गया एक गुप्त पत्र है। पत्र में कहा गया है कि कमीशन-प्राप्त 8,000 भारतीय सैनिक अधिकारियों में से, गुप्त राय प्राप्त करने के बाद, 7,600 अधिकारी आजाद हिन्द फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की विद्रोही भावना से प्रेरित है और यदि सरकार भारत को स्वतन्त्रता देने के बारे में शीघ्र निर्णय नहीं करेगी तो 1857 के विद्रोह की

**आधे घंटे की चचा।

Half-an-hour discussion.

पुनरावृत्ति होगी। अन्ततोगत्वा इस गुप्त पत्र के परिणामस्वरूप अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गये। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि दो शताब्दी बीत जाने के बाद भी सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम में नेताजी के ऐतिहासिक योगदान को महत्त्व नहीं दिया। यह सराहनीय बात है कि लगभग 350 संसद् सदस्यों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने नेता जी के योगदान के सम्बन्ध में थोड़ी रुचि दिखाई है। किन्तु फिर भी मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में न तो नेताजी के नाम से कोई सड़क या गली है और न ही संसद् - भवन के केन्द्रीय कक्ष में नेताजी का कोई चित्र ही लगाया गया है।

यह सराहनीय बात है कि श्री वी० वी० गिरि० नेताजी के सम्पर्क में रहे हैं और वे नेता जी के महान् प्रशंसकों में रहे हैं। उनके राष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाने से हम यह आशा करते हैं कि वे नेता जी को उचित सम्मान दे कर राष्ट्र ऋण से उऋण करने का प्रयत्न करेंगे।

मैंने चर्चा आरम्भ करते हुए कहा था कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय को समृद्ध बनाने का प्रस्ताव है। वस्तुतः इस संग्राह में सुधार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। कलकत्ता के नेताजी संग्रहालय अधिकारियों ने समानता के आधार पर केन्द्र से अनुदान माँगा था किन्तु केवल 16,000 रुपये की रकम ही दी गई, यह रकम कुछ पुस्तकों के अनुवाद के प्रकाशन के लिये दी गई थी। 1968 में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल ने कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहलय के विकास के लिये एक व्यापक योजना तैयार की किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इस योजना के लिए केन्द्र से कोई रकम नहीं दी गई। अभी केवल दो-तीन महीने पहले नेताजी संग्रहालय के लिये 5,000 रुपये दिये गए।

गाँधीवाद अध्ययन संस्था ने गत वर्ष 2 लाख रुपये खर्च किये थे और अगले वर्ष 1 लाख रुपये किये जायेंगे। गाँधी शताब्दी मानाने पर इस वर्ष 75 लाख रुपये और अगले वर्ष 1 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। नेहरू पुस्तकालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा नेहरू पुरस्कार पर गत वर्ष 17 लाख रुपये खर्च किये गये और अगले वर्ष 29 लाख खर्च किये जायेंगे। मुझे इन सब बातों की प्रसन्नता है। मैं चाहता हुँ कि इन पर इससे भी अधिक खर्च किया जाये। किन्तु यह खेद की बात है कि नेताजी के मामले में सरकार का दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण है। नेताजी ने ही हमें 'दिल्ली चलो' का नारा दिया था। नेताजी के कारण ही हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है।

मैंने सरकार को एक सुझाव यह दिया था कि दिल्ली में नेताजी संग्रहालय होना चाहिए। किन्तु सरकार ने कहा कि वह कलकत्ता के संग्रहालय में सुधार कर रही है। किन्तु अभी तक इस संग्रहालय के लिये केवल कुल 5,000 रुपए और 16,000 रुपए दिए गये हैं। मैंने दिल्ली में संग्रहालय बनाने का सुझाव इसलिए भी दिया है कि दिल्लली देश की राजधानी है और अन्तर्राष्ट्रीय, विशेषतः एशियाई क्षेत्र के लिये, केन्द्र है, नेताजी न केवल भारत के ही अपितु एशिया के क्रान्तिकारी हैं। नेताजी से चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे विश्व के महान नेता भी अत्यन्त प्रभावित थे।

प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने इस सभा में वचन दिया था कि आजाद हिन्द फौज के जवानों को पेंशन दी जायेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि किसी एक सैनिक अकादमी का नाम नेता जी के नाम पर रखा जाये किन्तु उन्होंने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया। शिवाजी के बाद भारत में नेता जी हो इतने सेनानी हुए। मुझे जापान में द्वितीय विश्वयुद्ध के कुछ जनरलों से बातचीत करने का अवसर मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि नेता जी महान् क्रान्तिकारी, महान् राजनीतिज्ञ के साथ-साथ एक महान् सैनिक भी थे। सुभाष चन्द्र बोस जैसे जनरल पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। नेता जी के सिद्धान्तों और आदर्शों से हमारी सेना को प्रेरणा मिल सकती है। अंग्रेजों के शासन काल में हमारी सेनाएँ एक परतन्त्र देश की सेना के समान थी। नेता जी ने उसमें स्वतन्त्रता तथा देशभक्ति की भावना का संचार किया था।

क्या सरकार नेताजी के कार्यो के विवरण को प्रकाशित करायेगी। सरकार कहती है कि लाल किले के निकट नेताजी की एक मूर्ति स्थापित की जायेगी और वह भी यदि इसके लिए चन्दा मिल जाये। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि नेताजी की मूर्ति लाल किले के अन्दर स्थापित की जानी चाहिए और सरकार को स्वयं उसका व्यय वहन करना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि गाँधीजी की मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित नहीं की जायेगी। मेरा सुझाव है कि यदि गाँधीजी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं की जानी है तो नेताजी की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाये। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि नेताजी संग्रहालय दिल्ली में क्यों स्थापित नहीं किया जायेगा? मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि नेताजी जिन हथियारों आदि वस्तुओं का उपयोग करते थे वे उन्हें हमारी सेना तथा नव युवकों को प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाए ताकि उनमें बलिदान, देशभक्ति तथा वीरत्व की भावना उत्पन्न हो।

हम आज भारी संकट से गुजर रहे हैं। केवल नेताजी का संदेश, स्वतन्त्र भारत का उनका दृष्टिकोण, राष्ट्रीय एकता का उनका सिद्धान्त तथा भारतीय समाजवाद का उनका दृष्टिकोण ही आज भारत को उबार सकता है। अतः नेताजी की जीवन्त प्रतीक की दिल्ली में स्थापना की जानी चाहिए।

शिक्षा तथा युवक-सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा का उत्तर देने का उत्तरदायित्व निभाऊँगा। स्वतन्त्रता संग्राम के महान् सेनानी नेताजी के सम्मान में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए देश-विदेशों में जो महान कार्य किये उनकी स्मृति देशवासियों के हृदय-पटल पर अमिट रूप बनी रहेगी।

प्रोफेसर समर गुह ने नेता जी के सम्बन्ध में अनेक बातें उठाई हैं तथा अनेक सुझाव दिये हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन सुझावों की ओर सम्बन्धित मंत्रालयों का ध्यान दिलाऊँगा और मुझे आशा है उन पर उचित ढंग से विचार किया जायेगा और उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। यहाँ पर मैं केवल उन तीन बातों के बारे में कुछ कहूँगा जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा की सूचना के साथ भेजे गये पत्र में किया था।

पहली बात यह है कि दिल्ली में नेता जी संग्रहालय स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि संग्रहालय सम्बन्धी हमारे अवैतनिक सलाहकार की, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, राय है कि कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय को समृद्ध बनाया जाये क्योंकि इस स्थान से नेताजी के जीवन का सम्बन्ध रहा है । इस प्रकार के स्मारक संग्रहालय में सभी उपलब्ध सामग्री को एकत्रित करके यथासंभव प्रभावोत्पादक ढंग से रखा जाना चाहिये । भारत माँ के महान् सपूत की स्मृति को बनाये रखने का यही वास्तविक ढंग है । जिस भवन में नेताजी का स्मारक है उससे नेताजी का सम्पर्क रहा है, इसलिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । दर्शकों को वहाँ जाना चाहिए । इस प्रकार के संग्रहालय अनेक स्थानों पर स्थापित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के संग्रहालयों की वस्तुओं को प्रदर्शित करने की बहुत कम गुंजाइश होती है । यदि इन्हें अधिक प्रभावोत्पादक ढंग से रखना है, तो उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार के संग्रहालयों को अनेक स्थान पर स्थापित करने से उनका प्रभाव कम हो जाता है । एक महान् सेनानी का संग्रहालय भी महान् ही होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब सभी वस्तुएँ एक स्थान पर ही रखी जायें ।

श्री समर गुह : सरकार को इस मामले में स्वयं निर्णय लेना चाहिये । एक नौकरशाह व्यक्ति न तो नेता जी के महत्व को समझ सकता है और न उनकी सराहना कर सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : वह नौकरशाह व्यक्ति नहीं हैं । वह एक प्रमुख संग्रहालय विशेज्ञ तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक हैं । वह विश्व में इस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं और समूचे देश के संग्रहालय सम्बन्धी सलाहकार हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेता जी संग्रहालय इस संग्रहालय का प्रशासन चलाया जाता है । हम इस संस्था की यथासंभव सहायता करते हैं । इस संग्रहालय की सहायता के लिए अब तक जो कुछ किया गया है उससे स्वयं मैं संतुष्ट नहीं हूँ । वर्ष 1965 में इस ब्यूरो ने प्रकाशन के लिये बारबरी के आधार पर 16,000 रुपये मन्जूर किये थे । वर्ष 1966-69 में मंत्रालय की संग्रहालय पुनर्गठन तथा विकास योजना के लिये 5,000 रुपये मंजूर किये थे । अन्य वर्षों में कोई सहायता नहीं माँगी गई थी। यदि सहायता माँगी जाती तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता ।

श्री समर गुह : राज्यपाल के शासन काल में सहायता माँगी गई थी। राज्यपाल ने पूरी योजना भेजी थी । मन्त्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करूँगा । ठोस प्रस्ताव मिलने पर हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । यदि श्री समर गुह अधिक जानकारी दें तो हम इस सम्बन्ध में शीघ्र जाँच-पड़ताल करेंगे ।

उन्होंने दूसरी बात यह उठाई है कि आजाद हिन्द फौज के अवशेष तथा दस्तावेज सुरक्षित रखे जायें । हमारी जानकारी के अनुसार भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय अपने निर्धारित

कार्यक्रम के अनुसार अन्य सामग्री के साथ-साथ आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित दस्तावेज भी एकत्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अब तक आजाद हिन्द फौज के आन्दोलन सम्बन्धी निम्नलिखित पत्रादि का अर्जन किया गया है :

1. शंघाई में भारत के महा वाणिज्य दूत से प्राप्त हुए इंडिया इंडिपडेंस लीग शंघाई के रिकार्ड ;
2. सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा गैर-सरकारी एजेन्सियों से खरीदे गये इंडिया इंडिपैंडैंस लीग के पत्रादि ;
3. नेताजी सुभाष बोस और श्री वी० जे० पटेल और श्रीमती ए० वुड के बीच हुआ पत्र-व्यवहार।

श्री अमियनाथ बोस (आरामगंज) : उन्होंने गाँधी संग्रहालय, नेहरू संग्रहालय और कलकत्ता में नेताजी संग्रहालय के बारे में जो जानकारी दी है, वह गलत है। मैं आपकी अनुमति से वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूँ।

नेताजी संग्रहालय नेताजी के पैतृक मकान में स्थित है। 1950 में मेरे पिता स्वर्गीय शरद् चन्द्र बोस की मृत्यु के समय सम्पत्ति और मकान के स्वामी तीन व्यक्ति थे, अर्थात् मेरे पिता, स्वर्गीय सुरेश चन्द्र मजुमदार और श्री अशोक कुमार सरकार, जो आनन्द बाजार पत्रिका से सम्बन्ध रखते हैं। नेताजी 17 जनवरी, 1941 को कलकत्ता छोड़ने तक इस मकान में रहे थे। जिस कमरे में वह रहते थे, उसे उसी हालत में रखा जा रहा है जिसमें कि वे 17 जनवरी, 1941 को 1 बजे छोड़ कर गये थे।

स्वामियों ने एक दस्तावेज के द्वारा इस सम्पत्ति को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो को सौंप दिया है, जिसने नेताजी संग्रहालय स्थापित किया है। नेताजी ब्यूरो ने बिना किसी सरकारी सहायता के जर्मनी से समस्त राजनयिक दस्तावेज, इटली में उपलब्ध लगभग सभी राजनयिक दस्तावेज, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका से तीन वर्ष के 'नियान टाइम्स' की फोटो-प्रतियाँ प्राप्त कर लीं हैं। यह हमारे द्वारा एकत्र किये गये अन्य दस्तावेजों के अलावा हैं। नेताजी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय और नेहरू संग्रहालय से दस्तावेज का अदान-प्रदान कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अभिलेखागार का संग्रहालय है। मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि एक पुराने मकान को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने के लिये काफी धन की आवश्यकता है और नेताजी अनुसन्धान ब्यूरो के पास इतना धन नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने नेताजी संग्रहालय और सम्बद्ध पुस्तकालय में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने तथा उक्त मकान के आधुनिकीकरण की एक योजना भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय को भेजी थीं, जिस पर 2 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान था।

हमने मकान के पीछे का बहुत बड़ा प्लाट, जो मेरे पिता का था, एक पंजीकृत समिति को इस इरादे से उपहार स्वरूप दे दिया है कि वहाँ पर एक आडिटोरियम और अनुसंधान केन्द्र बनाये जायें ताकि संग्रहालय ठीक तरह से काम कर सके। लेकिन धन

के अभाव में इस दिशा में प्रगति नहीं हो सकी है। जनता से धन इकट्ठा करना हमने उचित नहीं समझा। हम नहीं चाहते कि पुराने मकान को गिराया जाये। क्या सरकार इस मामले में गंभीरता से काम ले रही है ? मैं 5,000 और 16,000 रुपयों की भीख नहीं माँग रहा हूँ। इसकी अपेक्षा तो हम अपने सीमित साधनों से काम करना पसन्द करेंगे। नेहरू भवन पर कुछ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यदि वे नेताजी संग्रहालय का विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें नेताजी भवन समिति और नेताजी अनुसंधान ब्यूरो को धन देना होगा ताकि एक उपयुक्त आधुनिक बहुमंजिला भवन बनाया जा सके।

मैं किसी का अनादर किये बिना कहना चाहता हूँ कि भारत के हाल के इतिहास पर केवल दो भारतीयों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ये दोनों भारत के दो समानान्तर आन्दोलनों के प्रतिनिधि हैं। एक थे महापुरष गांधी जी, जो महात्मा बुद्ध की परम्परा के प्रतीक थे, और जिन्होंने अहिंसा, असहयोग आन्दोलन और सत्याग्रह की परम्परा का प्रर्वतन किया। दूसरी महत्त्वपूर्ण परम्परा थी शिवाजी की और राणा प्रताप की जिसका 1905 में नेता सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में प्रवर्तन किया भारत के क्रान्तकारियों ने, जिसका नाम था आजाद हिन्द फौज आन्दोलन। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को इन दो महान् युग-प्रवर्तकों के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इसीलिए जहाँ समूचे देश में गाँधी संग्रहालय बनाना आवश्यक है वहाँ साथ ही नेताजी संग्रहालय बनाना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार को भारत की राजधानी में एक नेताजी संग्रहालय नहीं बनाने के लिये एक सलाहकार के मत की आड़ नही लेनी चाहिये।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कलकत्ता स्थित नेता जी संग्रहालय का विकास करना चाहती है और उसके लिए धन देने के लिए तैयार हैं तथा क्या सरकार दिल्ली में नेताजी संग्रहायल बनाने से इन्कार कर रही है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, Netaji ranks amongst those world personalities like Garrybaldi and Mezini who won freedom for their motherland. To-day the name of Netaji is a source of inspiration even to the uneducated village folk. I am sorry to find that Government is not taking adequate steps to perpetrate the memory of Netaji keeping in view his stature.

Firstly, may I know whether Government will consider erecting a statue of Netaji in front of Parliament House? Secondly, may I know the reasons for not installing a portrait of Netaji in the Central Hall of Parliament House, which is a matter of great shame for us and the entire nation. Are you going to institute a highest award for gallantry to the soldiers such as Netaji Cross or the like ? Fourthly, will you consider naming our Indian Military Academy as Netaji Academy and erect memorials in all the places of the world visited by him and preserve them ? Lastly, will you introduce in our army patriotic songs of I. N. A. which inspired them to fight for days together while they had nothing but grass to eat ? Will you also consider preparing their history ?.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, the hon. Members just now referred to the role played by Netaji in the freedom struggle of our country. The hon. Minister said only 'No' in reply to the question regarding opening of a Netaji Museum in Delhi and gave no reason therefor. Since various memorials are there in Delhi in memory of great leaders, may I know the reasons for not setting up a Netaji Museum in Delhi ?

He differed from Gandhi Ji about the approach for attaining freedom. He believed in armed struggle rather than passive resistance through non-violent means. Is this the reason for not granting him due national recognition ? Thirdly, may I know wehether you have made efforts to acquire collections, articles, documents etc. pertaining to Netaji in Burma, Malaya, Singapore, Siagon. Bangkof, Formosa, Japan and other countries visited by him and preserve them in the Netaji Museum in Calcutta ? Lastly, do you propose to name a road in Delhi after Netaji since there is none so far ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadabad) : Mr. Chairman, Government have adopted a very callous and indifferent attitude in respect of Netaji Subhas Chandra Bose. It is a matter of shame to hear that Rs.21,000 only have been spent. I do not wish to draw a comparison but I know that Rs.28 lakhs, including a foreign exchange component worth Rs.20 lakhs, were spent on an International Exhibition on Shri Jawahar Lal Nehru being shown in the world. Four lakh people only have visited this exhibition.

The name of Subhas Chandra Bose was exploited to attract votes during the First General election and after that he was forgotten. Netaji did not belong to Bengal alone but belonged to the whole of India and the world. Let there be a referendum and you will find that everybody will vote for setting up a Netaji Muesum in Delhi. If the Executive Council of Delhi passes a resolution unanimously urging setting up of a museum and allots land free of charge for the purpose, are you going to do it ? I had been a member of Delhi Corporation, we passed a resolution unanimously requesting erection of a statute of Neaji in front of the Red Fort but you have taken no action so far. A dead-line should be fixed for it as it is pending for the last 20 years. Will you appoint a committee consisting of M. Ps. and others to study and suggest measures to be taken to propagate the ideals and perpetuate the memory of Netaji and also suggest places where memorials should be located in the country ? Will Government provide funds required therefor ?

श्री भक्त दर्शन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य रणधीर सिंह ने बहुत सुन्दर सुझाव रखे हैं। लेकिन वह मुझसे सहमत होंगे कि जहाँ तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है, उसकी अपनी सीमायें हैं। श्रीरणधीर सिंह के कुछ सुझाव रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित हैं। उनको रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जायेगा ताकि उन पर विचार किया जाय।

सर्वश्री रामवतार शास्त्री और कंवर लाल गुप्त ने एक ही बात रखी कि दिल्ली में संग्रहालय क्यों नहीं स्थापित किया जाता ? इस बारे में हमारा दृष्टिकोण यह है कि दिल्ली में रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रत्येक महापुरुष के लिये जो भी संग्रहालय बनाया जाता है, वह उस स्थान पर बनाया जाता है जहाँ पर उन्होंने जीवन का अधिकांश समय बिताया, जहाँ से सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व किया। कलकत्ता ही वह स्थान है, उसी मकान से वे अंतिम रूप से इस देश से विदा हुए। दुर्भाग्यवश वे फिर नहीं लौट सके। हमको तीर्थ यात्रा की

भावना से वहाँ जाना चाहिए । इसलिए जो संग्रहालय पहले से बना हुआ है, उसे परिपुष्ट किया जाय। दिल्ली प्रशासन से प्रस्ताव आने दीजिए, उस पर अवश्य विचार करेंगे ।

नेताजी की प्रतिमा लगाने के बारे में यहाँ कई बार प्रश्न होते रहे हैं, यह विषय निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन है । हम अपने आप निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं हैं । हम सफल इसलिए नहीं हो सकते कि कई प्राधिकार आ जाते हैं, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ल प्रशासन, निर्माण और आवास मन्त्रालय । मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि नेताजी हमारे देश के महापुरुषों में से थे, जो इतिहास में अपना अमर स्थान छोड़ गये हैं, उनकी स्मृति को चिरस्थायी किया जाना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हैं ।

श्री अमिय नाथ बोस ने कहा कि सरकार को इस मामले में कोई सहानुभूति नहीं है और न वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं । मेरा उनसे निवेदन है कि हमें पूर्ण सहानुभूति है और हम इस मामले में गंभीर हैं । हम कलकत्ता में बने हुए संग्रहालय का विकास करना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं । मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि अपने मन्त्री महोदय को माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत कर दूँगा और वे इस बारे में गंभीरता से कार्यवाही करेंगे । वे गुरु नानक शताब्दी समारोह सम्बन्धी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मन्त्री कर रही हैं अन्यथा वे यहाँ पर अवश्य उपस्थित होते । उन्होंने मुझे सभा को यह सूचित करने के लिए कहा है कि वे इस बारे में स्वयं से विचार करेंगे और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार संभव कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : उस मकान को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उसका विकास किया जाना चाहिए, इसको ध्यान में रख कर अनुमानित कार्य का लेखा तैयार कीजिए ।

श्री भक्त दर्शन : मैं मंत्रालय की और सरकार दोनों की ओर से यह आश्वासन दे रहा हूँ । वे कृपा करके निश्चित प्रस्ताव भेजें ।

श्री अमिय नाथ बोस : हमारे सामने दो बातें रखी हैं ; पहली यह कि पुराने मकान को स्थायी रूप के सुरक्षित रखा जायेगा, जिसके लिये पुराने मकान पर कुछ रसायनों आदि का प्रयोग करके उसे खराब होने से रोकने की वैज्ञानिक व्यवस्था करनी होगी । दूसरा प्रस्ताव नेताजी संग्रहालय का आधुनिकीकरण तथा आडीटोरियम और अनुसंधान केन्द्र सहित एक नेताजी हाल का निर्माण के बारे में है । हम मकान और भूमि दे चुके हैं । प्रश्न यह है कि भारत सरकार हमें कितना धन देगी ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने वरिष्ठ मन्त्री की ओर से एक सामान्य आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और वे गंभीरता से मन्त्री महोदय को सभी भावनाओं से अवगत करा देंगे । मन्त्री महोदय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे हैं और इसलिए अनुपस्थित हैं ।

श्री भक्त दर्शन : आज इस सभा में रखे गये सभी प्रस्ताव और सुझाव बहुत उपयोगी हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ और अपने मन्त्री जी को उनके बारे में बता दूँगा, जो उन पर गंभीरता से विचार करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 25 अगस्त, 1969 / 3 भाद्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 25, 1969/Bhadra 3, 1891 (Saka)

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]